राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का दो सौ इक्कीसवां दिवस [संख्या: 26

शनिवार,

18 सितम्बर 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

दयाकृष्ण विजय, श्री, पूर्व सदस्य

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री दयाकृष्ण विजय के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य श्री दयाकृष्ण विजय का जन्म 08 अप्रैल, 1929 को कोटा जिले के छजावा ग्राम में हुआ। आपने एम.ए., एलएल.बी. तथा साहित्य रत्न की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री दयाकृष्ण विजय दूसरी राजस्थान विधान सभा में छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री दयाकृष्ण विजय नगरपालिका, कोटा एवं नगर विकास न्यास, कोटा के सदस्य रहे। आप शिक्षा प्रसार समिति, शाहबाद, कोटा के सदस्य भी रहे। श्री विजय राजस्थान साहित्य अकादमी के तीन बार अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद् के अध्यक्ष रहे व अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री विजय की 'उलझन' शीर्षक से कहानी संग्रह व 'एकांकिनी' शीर्षक से नाटक संग्रह सहित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। आप कई पत्रिकाओं के सम्पादक भी रहे। आपको राजस्थान साहित्य अकादमी के 'मीरा पुरस्कार' सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपकी रचनाओं और पुस्तकों ने भी पुरस्कार ग्रहण किये।

श्री दयाकृष्ण विजय का दिनांक 16 जुलाई, 2021 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से

(श्री अध्यक्ष)

दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, पता नहीं घड़ी देखने में कुछ गलती हो गई। मैं यह कह रहा था कि यह जो शोक प्रस्ताव आपने दयाकृष्ण जी का पढ़ा, उनकी डैथ हुए काफी समय हो गया। अब यह निश्चित रूप से जिला कलेक्टर की ड्यूटी है कि वह समय पर विधान सभा को सूचना भेजे। सामान्यत: भेजते हैं, लेकिन यह कहीं न कहीं चूक हुई है इसलिए कलेक्टर को इस बारे में आप जरूर पाबंद करें कि जुलाई में जो डैथ हुई है और अभी इतना समय निकलने के बाद अपन एक शोक प्रस्ताव पहले लाकर राजस्थान के जितने भी पूर्व सदस्य थे, उन सबको लिया था तो उसमें यह भी आ जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता की भावना से सहमत हूं और सचिवालय जिला कलेक्टर महोदय को निर्देश देगा कि किन कारणों से यह डिले हुआ और भविष्य में इसके संबंध में यदि कोई डिले होगा तो कार्यवाही की जायेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में कोरोना से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना से हुई मृत्यु दर्ज नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री गोविन्द प्रसाद एवं 06 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के शैक्षिक गुणवत्ता में पिछड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांगों के अनुपात में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के राजकीय चिकित्सालय का भवन जर्जर होने से भवन को तोड़ने की स्वीकृति जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

(6) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में फार्मासिस्ट भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से सुमेरपुर शहर में स्थित उम्मेदसिंह कृषि उपज मंडी की डीएलसी दरें प्रदेश की अन्य मंडियों से दोगुनी होने से व्यापारियों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से सोजत शहर में ट्रोमा सेंटर की स्वीकृति होने के बावजूद ट्रोमा सेंटर का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से अनूपगढ़ में जिला परिवहन कार्यालय खोले जाने के संबंध में।

(10) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से जिला जोधपुर तथा बाड़मेर बोर्डर पर खुलेआम बायो डीजल की तस्करी किये जाने से सरकार को हो रही राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से धार्मिक नगरी पुष्कर में अवैध रूप से स्पा में हो रही वेश्यावृत्ति एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

(12) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधायक एवं सांसद कोष से स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने पर कार्य स्थल पर प्रदर्शन बोर्ड नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से स्थानीय निकाय द्वारा सहायक नगर नियोजन एवं सीनियर ड्राफ्टमैन के पदों की भर्ती में की गयी अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर सम्भाग में अनावृष्टि से व सिंचाई के पानी का रेगुलेशन तय नहीं किये जाने से बर्बाद हुई खरीफ की फसलों से किसानों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री रामप्रताप कासनियां एवं 06 अन्य सदस्यों की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किसानों को सिंचाई का पानी सुचारु नहीं दिये जाने से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिये जाने के संबंध में।

(16) श्रीमती इन्दिरा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में को-आपरेटिव बैंकों द्वारा किसानों को ऋण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री बिहारीलाल, श्री रामप्रताप कासनियां एवं श्रीमती इन्दिरा देवी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में बंद पड़े नलकूपों के लिये बजट आबंटित किये जाने के संबंध में।

(2) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन सुचारु रूप से किये जाने के संबंध में।

(3) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत मजदूरों का ऑनलाइन डाटा मैच नहीं होने तक डायरियों से मजदूरी का भुगतान किये जाने के संबंध में।

(4) श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में कोरोना से

(श्री अध्यक्ष)

विवाह समारोह एवं दूसरे धार्मिक आयोजनों पर भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के संबंध में।

(5) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से श्रीडूंगरगढ़ शहर में गंदे पानी के भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बीसलपुर बांध से पानी की पूरी सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न पेयजल संकट का समाधान किये जाने के संबंध में।

(7) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से शिक्षा विभाग में डीपीसी/ सीएएस के तहत पदोन्नति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कुछ किसानों को आबंटित हुई भूमि को वन विभाग द्वारा हस्तांतरित नहीं किये जाने से ग्रामवासियों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

(9) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में यूटीबी आधारित एएनएम एवं जीएनएम प्रक्रियाधीन भर्ती को शीघ्र पूर्ण किये जाने के संबंध में।

(10) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में सरकारी स्कूल से शिक्षकों का अन्यत्र स्थानांतरण किये जाने से छात्र-छात्राओं तथा अभिभावकों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

(11) श्री जगदीश चन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में सिंचाई हेतु पक्के खाले नहीं बनाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

(12) श्री रोहित बोहरा, सदस्य की ओर से मचकुण्ड धाम जिला धौलपुर को स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट से जुड़वाने के संबंध में।

(13) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में अतिवृष्टि व अल्पवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में।

(14) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में परमल धान की सरकारी खरीद किये जाने के लिये केन्द्र सरकार को अनुशंसा किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में परमल धान की सरकारी खरीद किये जाने तथा पराली को नष्ट करने के संयंत्र खरीद पर किसानों को अनुदान दिये जाने के संबंध में।

(16) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के हेमावास बांध के कमांड क्षेत्र में कम हुए रकबे की कृषि भूमि को नहरी किस्म में जोड़ने के संबंध में।

(17) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बार-बार विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(18) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से जवाई नदी पर किये जा रहे जोयला डायवर्जन निर्माण कार्य को रोकने के संबंध में।

(19) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर किये गये अतिक्रमण से आम जन में व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

(20) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से उदयसागर झील से हिन्दुस्तान जिंक को पानी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(21) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर सम्भाग में अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

(22) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण व ग्रामीण इलाकों में नई सड़कों का निर्माण किये जाने के संबंध में।

(23) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से राजकीय आई.टी.आई. केन्द्र, आसीन्द के भवन निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूरा किये जाने के संबंध में।

(24) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद की आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(25) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(26) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से नर्मदा नहर व इंदिरा गांधी नहर से बाड़मेर की रामसर एवं गडरा रोड तहसील के गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने के संबंध में।

(27) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कम बारिश होने से किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिये जाने के संबंध में।

(28) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर में 24 घंटे में पेयजल की आपूर्ति किये जाने के संबंध में।

नियमों में शिथिलता देते हुए आज सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलेगा। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री बिहारीलाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बीकानेर सम्भाग में अनावृष्टि से बरबाद हुई फसलों का मुआवजा

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण किसान हितैषी विषय पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। बीकानेर ही नहीं, पूरे सम्भाग में अनावृष्टि की वजह से अकाल का बहुत बड़ा साया किसानों पर है। 90 से 100 प्रतिशत तक फसल का खराबा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार अकाल की घोषणा करे। सही क्रोप कटिंग करके फसल बीमा क्लेम के मुआवजे की घोषणा करे। अनावृष्टि की वजह से अकाल के हालात में पशुधन पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। अनुदानित पशु सेवा शिविरों की स्वीकृति भी हो और चारा डिपो भी खुले। पशु आहत पर भी नकद अनुदान मिले। मनरेगा में भी रोजगार के अवसर बढ़ें। राम रूठा है, राज भी रूठा। ट्यूबवैल के जो काश्तकार हैं, उनकी स्थिति भी दयनीय है, क्योंकि बिजली समय पर नहीं मिली है। वे काश्तकार भी बर्बाद हुए हैं। पूरी तरह अकाल है। आईजीएनपी के क्षेत्र में भी खरीफ की फसल मूंग और ग्वार नष्ट हुई है। गर्मी में फसल को 14वें दिन पानी चाहिए, पानी 35वें दिन मिला है। वे फसलें भी नष्ट हुई हैं। पूरे उत्तर पश्चिम राजस्थान में अकाल की घोषणा करें और मुआवजे का प्रावधान करें।

(श्री बिहारीलाल)

नहरी तंत्र उत्तर-पश्चिम राजस्थान के आठ जिलों में करोड़ों लोगों के पेयजल एवं लाखों हैक्टेयर सिंचाई में लाइफलाइन है, चाहे वह आईजीएनपी हो, चाहे वह गंग कैनाल हो, चाहे भांखड़ा कैनाल हो। माननीय अध्यक्ष जी, यह पहला मौका है, जब आईजीएनपी का रेगुलेशन तय नहीं हुआ है और पंजाब से पूरा पानी नहीं मिला है। इस वर्ष तो मात्र साढ़े छह हजार क्यूसेक पानी मिला है, जो आईजीएनपी की सम्पूर्ण क्षमता का तीसरा हिस्सा है। खरीफ के किसान तबाह हो गये हैं। सूरतगढ़, खाजूवाला, रावला, घड़साना, अनूपगढ़ ब्रांच में पूरा पानी नहीं और अनूपगढ़ ब्रांच के साथ तो हमेशा से सौतेला व्यवहार होता रहा है। 2004-05 की परिस्थितियां भी, जब रावला-घड़साना किसान आंदोलन के समय भी पोंग डैम में भराव क्षमता 1340-42 फीट और आज की भराव क्षमता 1351-52 फीट होते हुए भी पानी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सितम्बर में, इसी महीने में रेगुलेशन तय करके अक्टूबर के महीने में चार में से दो ग्रुप में पानी चलाकर रबी की सरसों, गेहूं की फसल की बिजाई करवायी जाए, यह सरकार से आग्रह है।

माननीय अध्यक्ष जी, गंग कैनाल में भी पानी चोरी की बड़ी समस्या है और बीबीएमबी चार महीने से ढाई हजार क्यूसेक पानी दे रहा है। गंग कैनाल में पंजाब से मात्र 1700-1800 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है और चोरी हो रही है, इसके लिए राजस्थान सरकार की कोई प्रभावी मानिटरिंग वहां पर नहीं है। फिरोजपुर फीडर की री-लाइनिंग की स्थिति अगर पूरी नहीं होगी, पंजाब से पानी पाकिस्तान छोड़ दिया जाता है और हमारा किसान देखता रहता है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भाखड़ा का पानी भी आता है और उसमें भी 1200 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं मिलता है। उससे भी 1800 क्यूसेक पानी की जरूरत पूरी की जाए। 'तेरी आंखें जैसे नहर, मैं उसके साहिल पर बसा एक शहर, तेरे बिना न बीतता है, मेरे जीवन का एक पहर' यह नहरी तंत्र की सच्चाई है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट और लूंगा। किसानों को डिग्गियों पर जो अनुदान मिलता है, उसका टारगेट घटा दिया गया है। जिन किसानों ने बना ली, उनको भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं।

अध्यक्ष जी, जो दो सौ लोग हम यहां बैठे हैं। हमें भी शायद पूरा पता नहीं है कि राजस्थान का सिंचाई मंत्री कौन है? गंगानगर या फिर बीकानेर

(श्री बिहारीलाल)

सम्भाग में किसी भी जिले में आम नागरिक से पूछें तो सिंचाई मंत्री के नाम पर किसान डा. राम प्रताप का नाम लेता है। यह स्थिति है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, नाथद्वारा से श्रीनाथ जी की धरती से आशीर्वाद लेकर आप अध्यक्ष की कुर्सी पर कलियुग में कृष्ण के रूप में विराजमान हैं और जब-जब इस सदन में भी धर्म और अधर्म की बात होती है तो आप आसन से आदेश देते हैं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। वाइंड अप। धन्यवाद।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सत्तापक्ष के लोग श्रीगंगानगर में किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरह का दुस्साहस कर रहे हैं और चीर हरण का प्रयास कर रहे हैं, वह कानून व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आप उसमें निर्देश करेंगे तो हम सबके अधिकार रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनियां।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई का पानी नहीं मिलने से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं और साथ में, यह भी निवेदन करता हूं कि एकाध मिनट ज्यादा देना, क्योंकि धीमी गति के समाचार हैं, इसके लिए क्षमा करना।

अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला कहने को तो सिंचित क्षेत्र है, पर अबकी बार काश्तकारों के साथ बहुत ही कुठाराघात हुआ है। ईश्वर ने भी कर दिया और सरकार ने भी कर दिया और रही-सही कसर बीमा कंपनी ने भी नहीं छोड़ी है। अध्यक्ष महोदय, नहरों में पानी नहीं होने के कारण से फसलें नष्ट हो गयीं। वर्षा के अभाव में बारानी क्षेत्र में मूंग, मोठ, ग्वार, तिल की जो फसल बोई गयी थी, वह वर्षा नहीं होने के कारण से पूर्णतया नष्ट हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, बिजली के अभाव में, जिन लोगों के यहां ट्यूबवैल लगे हुए थे, उनकी फसल भी पूर्णतया नष्ट हो गयी। मैंने बार-बार मंत्री महोदय से निवेदन किया कि दो-दो महीने तक जीएसएस का

(श्री रामप्रताप कासनियां)

ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है। इससे ज्यादा दु:ख की बात कोई और हो नहीं सकती कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद छह घंटे लाइट मिलती है और उसके अन्दर आठ-आठ बार कट लगते हैं तो सिंचाई कैसे होगी?

अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि पूरा क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित करके तुरन्त अकाल राहत कार्य खोले जाएं और जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, उनको शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा दिया जाए और बीमा राशि दिलवाने में राज्य सरकार की तरफ से जो त्रुटि रहती है, समय पर कभी पैसा जमा नहीं होता है, कभी पटवारी का नाम गलत बता दिया जाता है, कभी क्षेत्र का नाम गलत, कभी काश्तकार का, इस तरह से हजारों काश्तकार भटक रहे हैं। दर-दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। सरकार समय रहते हुए इस पर कार्यवाही करे। जिन काश्तकारों ने बीमा राशि जमा करवा दी, उनको बीमा राशि मिलनी चाहिए। यह व्यवस्था सरकार करे।

अध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र अकाल राहत कार्य खोले जाएं। हालत बड़े विकट हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आधे से ज्यादा का क्षेत्र डेजर्ट है। अध्यक्ष महोदय, नहरी क्षेत्र और पशुओं की हालत भी बहुत दयनीय है। सरकार समय रहते हुए व्यवस्था करे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्दिरा देवी (अनुपस्थित)।

295, श्री नारायण बेनीवाल (अनुपस्थित), श्री रामस्वरूप लाम्बा (अनुपस्थित), श्रीमती कल्पना देवी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मनरेगा योजना के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत चयनित श्रमिकों एवं अन्य काश्तकार श्रमिकों के लिए मजदूर कार्ड के साथ ही डायरियां भी बनवायी गयी हैं जिससे कि श्रमिकों को सरकारी योजना का त्वरित लाभ मिल सके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र लाडपुरा में भी मनरेगा एवं

(श्रीमती कल्पना देवी)

श्रमिकों को उक्त योजनान्तर्गत डायरियां बनवायी गयी हैं। पूर्व में हरी डायरी के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिल रहा था, लेकिन कुछ समय से श्रमिक कार्ड को ई-मित्र के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मेरी ग्राम पंचायत भण्डाना तहसील लाडपुरा के श्रमिकों को ई-मित्र से नहीं जुड़ने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन के कारण श्रमिकों का आधार डाटा मैच नहीं होने के कारण मजदूर कार्ड निरस्त हो रहे हैं और निरस्त होने के कारण नरेगा मजदूरों को मजदूरी के साथ-साथ अन्य लाभ से भी वंचित होना पड़ रहा है। मजदूरों को मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। इस कारण श्रमिकों को रोजी रोटी का अभाव हो गया है। मैं आपके माध्यम से जब तक मजदूरों का ऑनलाइन डाटा मैच नहीं हो जाता है, तब तक के लिए डायरियों के आधार पर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान व्यवस्था की जांच तथा मजदूरों के डाटा ऑनलाइन के सुचारु व्यवस्था के लिये श्रम मंत्री जी का विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रही हूं। धन्यवाद।

(11.20 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री ललित ओस्तवाल।

विवाह समारोह एवं अन्य धार्मिक आयोजनों में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विवाह समारोह एवं अन्य धार्मिक समारोह में संख्या बढ़ाने हेतु निवेदन हे कि पिछले 20 महीने से पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। कभी कम तो कभी ज्यादा इस महामारी में हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। पिछले 20 महीनों में राजस्थान में सभी धार्मिक समारोह जिसमें गणपति महोत्सव, जन्माष्टमी, जल झूलनी एकादशी शोभायात्रा, महावीर जयन्ती शोभायात्रा, तपस्वी भाई बहिनों की शोभायात्रा, भागवत कथा, तेजा दशमी, अनंत चतुदर्शी एवं अन्य धार्मिक आयोजन सभी बंद हैं या आंशिक रूप से हो रहे हैं।

कोरोना महामारी के दौरान विवाह समारोह में कभी 200 व्यक्तियों की, कभी 100 व्यक्तियों की, कभी 50 व्यक्तियों की, कभी 40 तो कभी केवल

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

11 व्यक्तियों की छूट दी जाती है। इससे पूरे प्रदेश में विवाह स्थल, वाटिका, पार्टी प्लाट के मालिकों की स्थिति बहुत दूभर हो गयी है तथा यहां लगे स्टाफ को वेतन भी समय पर भुगतान नहीं होने से भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी।

इसी से संबंधित हलवाई, टैंट वाले, लाइट डेकोरेशन वाले, बैंड बाजे तथा साउण्ड सिस्टम एवं जनरेटर, फ्लावर डेकोरेशन, गाड़ी, केटरिंग तथा और भी लोग जिनकी रोजी रोटी विवाह समारोह पर निर्भर है, इन सभी की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गयी है और अभी सभी को कोविड-19 की गाइडलाइन में छूट मिली हुई है। यहां तक कि विभिन्न चुनाव भी हुए हैं जिसमें आम सभाएं भी हुई हैं। इस वक्त कोरोना का प्रकोप कुछ कम हुआ है।

अत: मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि विवाह समारोह एवं दूसरे धार्मिक आयोजनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने की कृपा करें।

श्री सभापति: माननीय श्री गिरधारीलाल। माननीय श्री अशोक लाहोटी। ठीक है।

श्रीडूंगरगढ़ शहर में गंदे पानी का भराव

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने नियम 295 में बोलने का मौका दिया। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान श्रीडूंगरगढ़ में गंदे पानी की निकासी नहीं होने की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीडूंगरगढ़ कस्बे की बसावट कटोरीनुमा होने के कारण बरसात के मौसम में मोहल्ला बिग्गा बास, झंवर कालोनी, दशहरा मैदान, बस स्टैंड, वाल्मीकि मोहल्ला, रेगर मोहल्ला एवं मुख्य बाजार, श्यामजी मंदिर सहित निचले इलाकों में पानी भर जाता है। वर्तमान में नगरपालिका के पास पानी बाहर निकालने के लिए कोई आधुनिक संसाधन नहीं है और पम्पसैट भी नाममात्र के हैं। वर्तमान में हाई स्कूल के खेल मैदान सहित कस्बे के हर मोहल्ले में गन्दे पानी की झीलें नजर आ रही हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि श्रीडूंगरगढ़ शहर के ड्रेनेज सिस्टम की डीपीआर भी तैयार हो रखी है, जल्द से जल्द डीपीआर पर आगामी कार्यवाही करवाकर गन्दे पानी निकासी की समस्या का निराकरण करवाने की व्यवस्था करावें, ताकि कस्बेवासियों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी।

सांगानेर में बीसलपुर बांध से पानी वितरण में अनियमितता

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत सूचना। बीसलपुर बांध से राज्य सरकार द्वारा पीने के पानी की पूरी सप्लाई नहीं होने के कारण जयपुर शहर व सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के भांकरोटा, पृथ्वीराज नगर, सांगानेर क्षेत्र, कालाबड़ का क्षेत्र, जोतड़ा वाला, माल की ढाणी, भोम्या जी का चबूतरा, शिकारपुरा, गोविन्दपुरा, मदरामपुरा, हाज्यावाला, मुहाना क्षेत्र, मानसरोवर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, प्रताप नगर, टिब्बा टोल टैक्स, पिंजरापोल गौशाला क्षेत्र, चक गेटोर, दादूदयाल नगर, मान्यावास, मांग्यावास, गोल्यावास, नारायण विहार, कल्याणपुरा, रामपुरा रोड, पत्रकार कालोनी व आस पास के क्षेत्र सहित सैकड़ों कालोनियों में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है। यह पेयजल संकट ही नहीं अपितु मानवीय संकट भी है, जिनमें लाखों लोग निवास कर रहे हैं। कई कालोनियों में टैंकरों से भी पानी की सप्लाई पूर्ण नहीं हो पा रही है। स्थानीय निवासियों के द्वारा कई बार आंदोलन कर ज्ञापन दिये जा चुके हैं। पृथ्वीराज नगर क्षेत्र (वार्ड 68, 71, 74, 83) व डिग्गी रोड से टोंक रोड के बीच का पूरा क्षेत्र (वार्ड 96, 97, 98, 99, 103) के टेंडर व कई अन्य टेंडर विभाग में दो वर्षों से बजट के अभाव में लम्बित पड़े हैं।

अत: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी का प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत पेयजल संकट की समस्या का समाधान करने की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री फूल सिंह मीणा।

शिक्षा विभाग में डीपीसी/सीएएस के तहत पदोन्नतियां

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): राजस्थान विधान के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि कालेज शिक्षा विभाग में डीपीसी/सीएएस के तहत पदोन्नति नहीं दी जा रही है। पिछले दस वर्षों में पदोन्नति हेतु केवल तीन बार बैठक आयोजित की गयी है जिसमें फरवरी, 2021 में आयोजित सीएएस/डीपीसी की बैठक के पश्चात् पदोन्नति आदेश आदिनांक तक जारी नहीं किये गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 भी राजकीय महाविद्यालयों

(श्री फूल सिंह मीणा)

में आदिनांक तक लागू नहीं किये गये हैं। यूजीसी से डीपीसी/सीएएस के तहत वेतन वृद्धि देय तिथि से देने के निर्देश दिनांक 21/06/2019 के बावजूद राज्य सरकार के कुछ अधिकारी वेतन वृद्धि कार्यग्रहण तिथि से देने के प्रयास कर रहे हैं। इन सब से विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो रहा है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 राजकीय महाविद्यालयों में शीघ्र लागू करने के साथ नियमित रूप से डीपीसी/सीएएस की बैठकें आयोजित करवाने का श्रम करें।

श्री सभापति: माननीया श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: ये जो आपने 295 में लिखकर दिया है, उसी को अक्षरशः पढ़िए आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): उसी को पढ़ रही हूं साहब।

श्री सभापति: यह आफ द ट्रैक है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: आप सारा का सारा आफ द ट्रैक पढ़ रही हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): एक मिनट, साहब, मेरे पास अलग है। सॉरी, साहब।

श्री सभापति: पढ़ा हुआ मान लिया जाए या दोबारा पढ़ेंगी?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): दो मिनट लगेंगे, साहब।

श्री सभापति: पढ़ लीजिए।

किसानों को आबंटित भूमि का नामान्तरण

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र स्थित सिंहपुरा गांव (लाडपुरा) में नोनेरा बांध में आई वन विभाग की जमीन के बदले काल्याखेडी पंचायत के सिंहपुरा गांव के चरागाह एवं कुछ किसानों को आबंटित हुई भूमि को वन विभाग द्वारा हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया से सम्पूर्ण ग्रामवासियों में

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

रोष व्याप्त है। गांव में पशुपालक को परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ हाईवे पास से गुजर रहा है और आगे चलकर वन विभाग की भूमि आने से पशुपालकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पास ही में खसरा नं. 143 के 21.05.81 में श्री रामचन्द्र/माधोलाल के नाम से आबंटित हुई थी, मगर तब से लेकर आज तक उन किसानों द्वारा अनेकों बार उपखण्ड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को लिखित में शिकायत पत्र देने के बाद भी, आज तक नाम नहीं चढ़ाया गया। यहां के पटवारी को इस बात का पता था मगर कुछ गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो दुर्भावनावश भूमि को गलत तरीके से सीमांकन कर, कुछ चिह्नित व्यक्तियों की जमीन को वन विभाग में स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया चल रही है। गांव वाले इसके लिए आंदोलित हैं।

मेरा इस संबंध में इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि कृपया इस कार्यवाही को रोका जाए, ताकि पशुधन को चराने की जगह मिल सके एवं आबंटित हुई किसानों की भूमि का नुकसान न हो एवं जिन अधिकारी एवं कर्मचारियों ने दुर्भावनावश ऐसा कार्य किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए तथा पठारी में पड़ी बंजर भूमि को वन विभाग में स्थानान्तरण किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में यूटीबी आधारित एएनएम एवं जीएनएम भर्ती में विलम्ब

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत मैं आपका ध्यान जन हित के मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि कोविड की दूसरी लहर के विपरीत हालातों के चलते बाड़मेर ज़िले में स्वास्थ्यकर्मियों की कमी के चलते, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर द्वारा 250 महिला स्वास्थ्यकर्मी एवं 40 मेल नर्स को यूटीबी आधार पर लेने हेतु भर्ती विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में आवेदन भी आए एवं उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई चयन कमेटी के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची जारी की गई, लेकिन उसके बाद अभी तक इस यूटीबी आधारित भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। चूंकि प्रदेश के कई ज़िलों में इस प्रकार यूटीबी आधार पर भर्ती

(श्री मेवाराम जैन)

प्रक्रिया सम्पन्न कर चयन कर लिया गया है, इसलिए अभ्यर्थी लगातार इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। देश-प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बाड़मेर ज़िले में यूटीबी आधारित जो एएनएम एवं जीएनएम भर्ती प्रक्रियाधीन है, उनको यथाशीघ्र पूर्ण कराएं ताकि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जगसी राम कोली।

रेवदर के विद्‌यालयों से शिक्षकों का स्थानांतरण

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए सरकार से आग्रह है कि वर्ष 2019 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय प्राथमिक विद्‌यालयों, शिक्षाकर्मी विद्‌यालयों, मूक बधिर विद्‌यालयों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्‌यालयों, राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्‌यालयों में पहले से ही बड़ी संख्या में शिक्षकों, शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों के रिक्त पद होने के बावजूद बड़ी संख्या में इन स्कूलों से शैक्षिक स्टाफ का स्थानान्तरण अन्य ज़िलों में कर दिया गया है। ऐसे हालात में रेवदर विधान सभा क्षेत्र के सभी स्तर के राजकीय विद्‌यालयों में अध्यापन कार्य ठप-सा हो चुका है। छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों में, बड़ी संख्या में किये गये तबादलों से भारी रोष पनप चुका है। आये दिन क्षेत्र की स्कूलों में छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों द्‌वारा तालाबंदी करके धरने प्रदर्शन किये जा रहे हैं।

उक्त में से अधिकांश विद्‌यालय अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं गरीब तबक़े के मध्य संचालित हैं, जहां पहले से ही शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ापन है। स्कूलों से शैक्षिक स्टाफ हटा लिए जाने से इन स्कूलों की बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। सरकार को विभिन्न माध्यमों से, क्षेत्रीय जनता, जन प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय विधायक की ओर से बार-बार अवगत कराये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक रेवदर विधान सभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरे जाने या पूर्व में किये गये तबादलों को निरस्त करते हुए पुन: शिक्षकों को लगाए जाने की

(श्री जगसी राम)

कोई पहल नहीं की गई है। अत: सरकार से निवेदन है कि छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए अविलम्ब रेवदर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक सरकारी स्कूल में रिक्त चल रहे शैक्षिक स्टाफ के पदों को भरने का श्रम करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जगदीश चन्द्र।

सादुलशहर में सिंचाई हेतु पक्के खालों का निर्माण नहीं होने से किसानों में आक्रोश

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, नियम 295 के तहत सादुलशहर के खेतों में पक्के खाले निर्माण के संबंध में निवेदन है कि सादुलशहर जो कि कृषि पर आधारित है, यहां के लोगों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है। इस विधान सभा क्षेत्र में भाखड़ा नहर व गंगनहर के माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। किसानों को सिंचाई हेतु पक्के खाले की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की पहले से ही काफी कमी है। पक्के खाले बनने से किसान अपने खेतों में सुचारु रूप से पानी दे पाएंगे। पिछले पांच वर्षों में तहसील सादुलशहर व तहसील गंगानगर के क्षेत्र में खाले नहीं बनवाए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के माध्यम से सीएडी के खालों का निर्माण किया जाता था जो अब बंद कर दिया गया है तथा न ही नरेगा के माध्यम से खाले का निर्माण हो पा रहा है, क्योंकि नरेगा में कम्पोनेंट मैटेरियल के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। आये दिन किसानों में इस मांग को लेकर भारी रोष है। अत: आपसे निवेदन है कि इस पर तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रोहित बोहरा।

मचकुण्ड धाम का स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में सम्मिलन

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, नियम 295 के तहत केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्रीकृष्ण सर्किट में मचकुण्ड धाम धौलपुर को जुड़वाने हेतु आपका ध्यान धौलपुर स्थित तीर्थराज मचकुण्ड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट विकसित किया जा

(श्री रोहित बौहरा)

रहा है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण की लीला स्थलियों को जोड़ा जा रहा है। मचकुण्ड धाम धौलपुर में भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी रणछोड़ लीला भी की थी जिसके तहत धौलपुर जिले की पावन धरा पर कालयवन दैत्य वध श्रीकृष्ण भगवान ने महाराज मुचुकुन्द के द्वारा करवाया था। श्रीकृष्ण भगवान के अनेकों नाम में से एक नाम रणछोड़ इसी पुण्य धरा से जुड़ा है। तीर्थराज मचकुण्ड को सभी तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। तीर्थराज मचकुण्ड धाम मथुरा नगरी से लगभग 100 किमी. की दूरी पर स्थित है और बृज क्षेत्र में भी आता है, इसलिए इस योजना में सम्मिलित किये जाने से यह पयर्टन स्थल के रूप से और भी विकसित होगा। पर्यटन स्थल बनने से देश-विदेश के सैलानियों के भ्रमण से यहां पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। धौलपुर ज़िले की जनता मचकुण्ड धाम को कृष्णा सर्किट से जुड़वाने के लिए काफी समय से प्रयासरत है, जिसके लिए ज़िले में कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी में एक ट्विटर पर भी मुहिम चलाई गई थी।

अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि धौलपुरवासियों की आस्था एवं भावनाओं का ध्यान रखते हुए मचकुण्ड धाम जिला धौलपुर को स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में जुड़वाने हेतु केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर सम्मिलित कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीया श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत में मेहंदी की फसल खराबे के दृष्टिगत बीमा नियमों में परिवर्तन

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र सोजत पश्चिमी क्षेत्र, सूखाग्रस्त, जलविहीन क्षेत्र है। यहां पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बीमा कम्पनियों ने अपने-अपने नियम निर्धारित कर रखे हैं। ये कम्पनियां बिना किसान की सहमति के किसान क्रेडिट कार्डों से राशि तो कटवा लेती हैं किन्तु किसानों पर अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि व अकाल होने पर आदिनांक तक राजौला, चौपड़ा, सरदारसमंद, चाड़वास, रूपावास, रेपड़ावास, मेव, शिवपुरा, गांगुड़ा ग्राम पंचायतों में किसानों को आज तक फसल खराबे पर बीमा राशि नहीं मिली है।

(श्रीमती शोभा चौहान)

महोदय, इन कम्पनियों के द्वारा मानक तय किये हुए हैं कि 50 प्रतिशत खराबे पर बीमा राशि दें। माना कि इनके मानक सही हैं, लेकिन इन कम्पनियों ने मेहंदी को खराबे में शामिल किया है, बाकी सरकार ने मेहंदी को कृषि फसल माना ही नहीं है। जब कृषि फसल नहीं मान रहे हैं तो उसकी गणना खराबे में क्यों करते हैं? महोदय, मेहंदी की फसल खराब होती नहीं है तो बीमा कम्पनियों को मुआवजा नहीं देना पड़ता है जबकि सच्चाई तो कोसों दूर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के पश्चिम में 30-30 किलोमीटर तक मेहंदी का पौधा तक नहीं है। दूसरी ओर इन कम्पनियों की दोगली नीति यह है कि सरदारसमंद ग्राम पंचायत की सरहद पर बागेसर गांव पाली विधान सभा क्षेत्र के माडपुरिया, झीतड़ा में किसानों को मुआवजा मिल रहा है।

महोदय, मात्र 3 किलोमीटर दूर किसानों को मुआवजा मिल रहा है। फिर उधर किसानों के खराबा हो रहा है और इधर खराबा नहीं है। महोदय, यहां पर सोजत के इन ग्राम पंचायतों के किसानों की क्या गलती है जो इनको फसल खराबे पर भी मुआवजा नहीं मिलता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव रखना चाहूंगी कि इन कम्पनियों पर नियम कानून को बदला जाए एवं गरीब तबके के किसानों को इनका हक मिले। सोजत मेहंदी नगरी के किसानों को इनका हक मिले। ये मेहंदी नगरी के किसान होने का खामियाजा उठाना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गुरदीप सिंह।

हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में परमल धान की सरकारी खरीद व पराली नष्ट करने के उपकरणों पर अनुदान

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि प्रदेश के हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में लगभग 42000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती होती है। इसमें 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में परमल धान की बुवाई से कुल 17.85 लाख क्विंटल धान का उत्पादन होता है। परमल धान को सरकारी मूल्य पर खरीदने का प्रावधान है। यदि राज्य सरकार अपनी अनुशंसा कर दे तो केन्द्र सरकार धान की खरीद कर सकती है। अनुशंसा नहीं करने की

(श्री गुरदीप सिंह)

स्थिति में किसानों के धान की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से किसानों को मजबूर होकर बाजार में रुपये 1600 प्रति क्विंटल की दर से धान बेचना पड़ता है, जबकि परमल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 1888 प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस प्रकार किसानों को रुपये 288 प्रति क्विंटल का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

इसी प्रकार धान की पराली को जलाने से रोकने हेतु एन.जी.टी. के निर्देशों की पालना में जुताई द्वारा जमीन में मिलाना एकमात्र उपाय है जिसके लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। जिसके लिए एक किसान को औसतन 12 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इन कृषि यंत्रों पर भारत सरकार की विशेष स्कीम के अन्तर्गत पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, यू.पी. एवं दिल्ली के किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को इस स्कीम में शामिल कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के किसानों के हित में परमल धान की सरकारी खरीद के लिये केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा करने के साथ-साथ पराली नष्ट करने के लिये काम में आने वाले यंत्रों पर अनुदान दिलाये जाने हेतु भारत सरकार की विशेष स्कीम में जोड़ने की कार्यवाही अतिशीघ्र करवाकर प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करें। सादर धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री धर्मेन्द्र कुमार।

हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में परमल धान की सरकारी खरीद व पराली नष्ट करने के उपकरणों पर अनुदान

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि प्रदेश के हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में लगभग 42000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती होती है। इसमें 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में परमल धान की बुवाई से कुल 17.85 लाख क्विंटल धान का उत्पादन होता है। परमल धान को सरकार मूल्य पर खरीदने का प्रावधान है। यदि राज्य सरकार अपनी अनुशंसा कर दे तो केन्द्र सरकार धान की खरीद कर सकती है। अनुशंसा नहीं करने की स्थिति में किसानों के धान की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से किसानों को मजबूर होकर बाजार में रुपये 1600 प्रति क्विंटल की दर से

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

धान बेचना पड़ता है जबकि परमल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 1888 प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस प्रकार किसानों को रुपये 288 प्रति क्विंटल का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

इसी प्रकार धान की पराली को जलाने से रोकने हेतु एन.जी.टी. के निर्देशों की पालना में जुताई द्वारा जमीन में मिलाना एकमात्र उपाय है जिसके लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। जिसके लिए एक किसान को औसतन 12 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इन कृषि यंत्रों पर भारत सरकार की विशेष स्कीम के अन्तर्गत पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, यू.पी. एवं दिल्ली के किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को इस स्कीम में शामिल कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के किसानों के हित में परमल धान की सरकारी खरीद के लिये केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा करने के साथ-साथ पराली नष्ट करने के लिये काम में आने वाले यंत्रों पर अनुदान दिलाये जाने हेतु भारत सरकार की विशेष स्कीम में जोड़ने की कार्यवाही अतिशीघ्र करवाकर प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करें। सादर धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर के गांवों को सिंचाई हेतु हेमावास बांध से जोड़ना

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित हेमावास बांध से पानी सिंचाई और पेयजल हेतु उपयोग में लिया जाता है। हेमावास बांध के कमांड क्षेत्र में बहुत से गांव और कृषि भूमि का रकबा जुड़ा हुआ है जो विगत कई वर्षों से है। वर्तमान में इस कमांड क्षेत्र के कुछ गांवों की सिंचाई की कृषि भूमि का मालिकों ने बेचान कर दिया और अब वह भूमि आबादी में बस चुकी है जिससे सिंचाई का रकबा कम हो गया है। कमांड क्षेत्र के आसपास कई जमीनें ऐसी हैं जो नहरी क्षेत्र के पास होने के बावजूद जुड़ी हुई नहीं होने से सिंचाई से वंचित हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के मुलियावास, केरला, बल्दो की ढाणी, जवडीया, दयालपुरा, काणदरा गांव नहरी क्षेत्र के पास हैं परन्तु इनकी जमीनें हेमावास बांध के पानी से सिंचित नहीं होती हैं। इनके पास और कोई पानी का

(श्री जोराराम कुमावत)

स्रोत ही नहीं है जिससे इन जमीनों में सिर्फ खरीफ की फसल ही होती है। हेमावास बांध के कमांड क्षेत्र में कम हुए रकबे के स्थान पर इन गांवों की कृषि भूमि को नहरी किस्म में जोड़ दिया जाए तो इस क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री पुखराज गर्ग।

भोपालगढ़ के दई कलां में स्वीकृत जी.एस.एस. का निर्माण

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के दई कलां के आसपास के 20-25 ग्राम पंचायतों के उपभोक्ताओं को लम्बे समय से विद्युत आपूर्ति नहीं मिलने एवं बार-बार विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध होने से आमजन को परेशानी हो रही है। वोल्टेज के अतार-चढ़ाव से आमजन को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं उपभोक्ताओं के कई विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचता है। यह डिस्काम एवं उनके अधिकारियों की असंवेदनशीलता एवं उदासीनता का द्योतक है क्योंकि उक्त समस्या के समाधान हेतु जन मांग पर डिस्काम, जोधपुर द्वारा विभागीय नोटशीट 1066, दिनांक 20.08.2019 के तहत अनुमोदन प्राप्त कर कार्य को वरीयता से वर्ष 2019-20 में फेज प्रोग्राम में ले लिया था, परन्तु विडम्बना की बात है कि आदिनांक तक उक्त जी.एस.एस. का निर्माण कार्य तो अलग, टेण्डर तक नहीं हुए हैं। जनता को विद्युत सम्बन्धित मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना निगम का कर्तव्य बनता है। मगर अधिकारियों की अनेदेखी के कारण गत दो वर्षों से क्षेत्र के 20-25 गांवों के उपभोक्ता को लम्बे समय से परेशानी का सामना कर रहे हैं।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार को आग्रह है कि उक्त प्रकरण में देरी के कारण को स्पष्ट करवाने एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाकर दई कलां में स्वीकृत जी.एस.एस. के निर्माण हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने के लिये डिस्काम, जोधपुर के सम्बन्धित अधिकारियों को पाबंद कर लम्बे समय में विद्युत सम्बन्धित समस्या से त्रस्त जनता को राहत प्रदान कर अनुग्रहीत करावें। धन्यवाद।

जवाई नदी पर जोयला डायवर्जन निर्माण कार्य पर रोक

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295-विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जालौर, पाली जिले के अधिकतम गांव नदी किनारे बसे हुए हैं क्योंकि उस समय जवाई नदी करीब 8-9 महीने तक बहती रहती थी लेकिन पेयजल की आवश्यकता को लेकर 1952 के लगभग जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया। जोधपुर जिले सहित कई गांवों के लिए उसके बाद जवाई नदी में पानी आना लगभग बंद हो गया। जवाई बांध के फाटक पिछले 70 वर्षों में लगभग 8 बार ही ओवर फ्लो हुआ और फाटक खोलने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि इस बांध के कैचमेंट क्षेत्र में कई एनीकट बना दिये गये जिससे जालौर जिले में पिछले 20 वर्षों से जितने कृषि कुएं थे, सब सूख गये। वहां पर खेती का काम अब लगभग बंद हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 16,297 कुएं सूख गये जिससे 2,70,585 हैक्टेयर भूमि में खेती बरबाद हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए जवाई पुनर्भरण योजना लागू करने के लिए लगभग 242 गांवों के किसानों ने एक संघर्ष समिति बनाई जवाई संघर्ष समिति। इस संघर्ष समिति को अपार समर्थन मिला। इसके लिए पूर्व सरकार ने जवाई पुनर्भरण डी.पी.आर. बनाई और पुनर्भरण की भी घोषणा की लेकिन अभी तक जंवाई पुनर्भरण की कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई।

इन सबके बावजूद अरावली पर्वत शृंखला से पोसालिया होते हुए सुकड़ी नदी बारिश के समय जोयला, नोवी होते हुए रसियावास डोडीयाली, आलावा, हरजी, कुआड़ा अगवरी गुडा, दयालपुरा चरली, सनवाड़ा, भैंसवाड़ा, साकरणा से जालौर बिशनगढ़ तक बहती थी जिससे इस क्षेत्र की पेयजल के लिए ट्यूबवैल एवं किसानों के कृषि कुएं चलते थे, लेकिन आज से 15 वर्ष पूर्व पोसालिया पर डायवर्जन बना दिया जिससे उक्त सुकड़ी नदी का पानी 30 प्रतिशत डाइवर्ट हो गया जिससे यह सुकड़ी नदी जो बिशनगढ़ तक चलती थी, वह भैंसवाड़ा-सांकरणा तक ही सिमट के रह गई। इस पोसालिया डायवर्जन का विरोध उस समय किसानों ने किया लेकिन किसानों को उस समय भी गुमराह कर दिया गया। उस सुकड़ी नदी पर पोसालिया डायवर्जन बन गया। अब इसका विरोध हम नहीं कर रहे, अब वह पुरानी हो गई है।

(श्री छगनसिंह)

मेरे क्षेत्र की जनता को दुःख तब हुआ जब इस सुकड़ी नदी से पाली-जालौर के आहोर विधान सभा क्षेत्र के करीब 30 ग्राम पंचायत के 1.50 से 2 लाख लोगों के पेयजल एवं कृषि कुएं इस सुकड़ी नदी के कारण पानी उपलब्ध हो रहा है। जोयला के निकट construction of Joyla pick up weir for diversion के नाम से वित्तीय स्वीकृति देकर कार्य शुरू करवा रहे हैं जिसका बजट लगभग 25 करोड़ का है। यदि यह डायवर्जन बन गया तो आहोर विधान सभा के करीब 60 गांव सूखाग्रस्त हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, जब इसकी जानकारी मेरे द्वारा चाही गई तो इस योजना के लिए अधिकारी बजट घोषणा का हवाला देते हैं, लेकिन इस कार्य को लेकर बजट की सीधी घोषणा कहीं पर भी नहीं है इसलिए जोयला डायवर्जन को रोककर क्षेत्र की जनता को मरने से बचाएं, अन्यथा 2 लाख लोग पेयजल एवं बिना खेती के मर जाएंगे।

उक्त जोयला डायवर्जन बनाने से पूर्व सामाजिक, आर्थिक एवं इसके बहाव क्षेत्र के किनारे पर बसे हुए गांवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सर्वेक्षण कराया? यदि नहीं कराया तो सर्वेक्षण कराया जाए।

सुकड़ी नदी पर बार-बार प्राकृतिक बहाव रोककर पानी रोक रहे हैं जिससे पूरे क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है। इसलिए मेरा आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस योजना को, जोयला डायवर्जन को रोककर किसानों का भला करें। कुल मिलाकर माननीय सभापति महोदय, यह जोयला डायवर्जन उपयोगी नहीं होकर क्षेत्र के लिए नुकसानदेह है। इसलिए इसकी स्वीकृति को तुरन्त प्रभाव से रद्द करके एवं सरकार के 25 करोड़ रुपये बचाकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, जालौर सहित आहोर विधान सभा क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। वहां के क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था के साथ-साथ पशुचारे की व्यवस्था कराते हुए जालौर जिले के किसानों को राहत देने के लिए अकाल घोषित करें एवं प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ किसानों को तुरन्त दिलाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुम्भलगढ़ पर अतिक्रमण

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295- विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान महाराणा प्रताप के बिना अधूरा है। महान महाराणा प्रताप राजस्थान की आन-बान-शान हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस धरती पर पैदा हुए हैं, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है।

जन्म स्थली कुम्भलगढ़ परिसर में लगभग 70 से भी ज्यादा अतिक्रमण कर मकान बना लिये हैं जहां पर अनैतिक कार्य, प्रतिबंधित व्यसन, नशीली सामग्री की बड़े स्तर पर तस्करी हो रही है। पर्यटकों को स्वतंत्र घूमने में भी व्यवधान पैदा होता है।

जन्म स्थान कुम्भलगढ़ परिसर में दीवारों पर जो धार्मिक व शौर्यता की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। उनको पत्थरों या लोहे के औजारों से खंडित व अपमानित किया हुआ है। परिसर व बाहरी क्षेत्र में लगभग 300 से ज्यादा मंदिर बने हुए हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमेशा आजाद रहे महाराणा प्रताप की जन्म स्थली आज मुगलों के वंशजों द्वारा अतिक्रमण कर हथियाने का असफल प्रयास हो रहा है।

हम सब महाराणा प्रताप के नाम पर प्रसिद्धि पाने के लिए आंदोलन, प्रदर्शन, सभाएं, गोष्ठियां करते रहते हैं, परन्तु उनके जन्म स्थान को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि पुरातत्व विभाग द्वारा वहां कुछ वर्ष पूर्व संचालित तहसील कार्यालय को हटवा दिया गया था। जब तहसील कार्यालय को हटाया जा सकता है तो फिर अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया जा सकता?

मेरा सरकार से यह आग्रह है कि अविलम्ब महाराणा प्रताप जन्म स्थली को अतिक्रमण से मुक्त कराएं अन्यथा सरकार जनता के अन्दर प्रस्फुटित हो रहे आक्रोश को झेल नहीं पाएगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

उदयसागर झील से मावली तहसील को जल वितरण

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295- विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता

(श्री धर्मनारायण जोशी)

हूं कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा अनुबंध के तहत उदयसागर झील से पानी लिया जा रहा है। दिनांक 16 सितम्बर को मैंने जिलाधीश महोदय को दूरभाष पर जानकारी दी। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भेजा। उनके साथ उदयसागर झील पर स्थित पम्पिंग स्टेशन व मीटर का जायजा लिया जिसमें मीटर को स्विच से नियंत्रित करना पाया गया। मौके पर अधिकारियों ने मौका पर्चा बनाकर पम्प स्टेशन व मीटर रूम को सील किया। यह संविदा भंग, धोखाधड़ी व पानी की चोरी का मामला है। यह जांच का विषय है कि यह गोरखधंधा 30 वर्ष से चल रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि पूरे प्रकरण की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही की जाए और यह अनुबंध निरस्त कर यह पानी मावली की जनता को उपलब्ध कराया जाए।

मावली में भीषण पेयजल संकट है। जिंक को उदयसागर से पानी देने का अनुबंध दिसम्बर, 2020 में समाप्त हो गया, तब नेता, प्रतिपक्ष सहित सात विधायकों एवं दो सांसदों ने माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर यह करार आगे नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया था लेकिन सरकार ने गुपचुप ढंग से अनुबंध बढ़ा दिया। ग्राम पंचायत एवं विभाग के अधिकारियों ने मना किया कि पानी जिंक को नहीं दिया जाए। ग्राम पंचायत ने एन.ओ.सी. देने के लिए मना कर दिया।

मावली की जनता के हित में मेरा सरकार से पुन: अनुरोध है कि उदयसागर झील से हिन्दुस्तान जिंक को पानी देना बंद कर झील के पानी से मावली के बागोलिया बांध को भरने की योजना को मंजूरी दे जिससे मावली तहसील को राहत पहुंचे। बागोलिया बांध को भरने की डीपी.आर. बन चुकी है। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि सरकार उसे मंजूरी दे या मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को प्रेषित करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

उदयपुर सम्भाग में किसानों को कारित परेशानियां

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295- विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से यह निवेदन कि राजस्थान

(श्री अमृतलाल मीणा)

की कृषि व्यवस्था के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं के संबंध में कार्यवाही करवाये जाने की कृपा करें:-

(1) उदयपुर सम्भाग क्षेत्र में अनावृष्टि आदि के कारण न ही फसल है और न ही चारा है और न ही पानी है।

(2) किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, पशुधन में बीमारी हो रही है, क्षेत्र में पशु चिकित्सक भी नहीं है, किसानों को बीज नहीं मिलता है, किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और चरागाह भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण हो रहा है।

(3) किसान सम्मान निधि का भुगतान कृषकों का समय पर नहीं हो पा रहा है तथा किसान सम्मान निधि का आवेदन बंद होने के कारण जो जरूरतमंद कृषक इसका आवेदन करना चाहते हैं वे नहीं कर पा रहे हैं। अत: सरकार द्वारा इस संबंध में जल्दी से जल्दी किसान सम्मान निधि के आवेदन राज्य सरकार के द्वारा शुरू करवाए जाएं।

(4) पिछले वर्ष सभी फसलें वर्षा ऋतु में नष्ट हो गई थीं, उसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिल पा रहा है तथा किसानों के खाते से जो फसल बीमे के पैसे की कटौती हो रही है, उसका भुगतान संबंधित बैंकों द्वारा पिछले वर्षों से नहीं किया जा रहा है।

(5) भूमि विकास बैंकों में जो कर्ज था, उसे माफ किये जाने के बाद भी अभी तक किसानों को नोटिस दिये जा रहे हैं। इसी तरह का एक उदाहरण मेरी विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के निवासी नाथू पिता खेमा मीणा (राजपुरा) समोडा, जिन्होंने 70 हजार रुपये लोन भूमि विकास बैंक से लिया था, जिसमें राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 2 लाख रुपये तक की राशि को माफ किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु बैंक द्वारा समझौते के नाम पर श्री मीणा को 1,74,000 रुपये का नोटिस थमा दिया गया जो कि उचित नहीं है।

(12.00 बजे)

(6) इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य सभी लोन, जिसे एकमुश्त समझौता योजना के द्वारा खाता बन्द करने का पैसा बैंकों ने ले लिया, उसके बावजूद भी किसानों को वसूली के नाम पर नोटिस दिये जा रहे हैं। साथ ही किसानों के पास जमा ऋण की एन.ओ.सी. होने के बाद भी बैंक वाले मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के किसानों को परेशान कर रहे हैं व कई

(श्री अमृतलाल मीणा)

किसानों के पैसे जमा कराने के बाद भी बैंकों द्वारा एन.ओ.सी. नहीं दी जा रही है।

(7) सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में सलूम्बर में भूमि विकास बैंक था, जहां से लोगों ने कर्ज ले रखे हैं। आज वर्तमान समय में बैंक सलूम्बर से हटाकर उदयपुर कर दिया गया, जिसके कारण किसानों को एन.ओ.सी. लेने के लिये उदयपुर भटकना पड़ रहा है।

(8) किसानों को रबी और खरीफ की फसल खराबे का पैसा बीमा कम्पनी, बैंक व समितियां 3 वर्ष से खराबे का पैसा नहीं दे रहे हैं।

(9) किसानों को हो रही जंगली जानवरों से परेशानी जैसे नील गाय, सूअर, बंदर आदि, जो किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं।

(10) दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति सरस डेयरी किसानों से जुड़ी हुई है।

(11) दुग्ध उत्पादन किसानों के दूध का भुगतान समिति के सचिवों द्वारा किया जाता है, जबकि सीधा बैंक खातों से होना चाहिए। प्राइवेट डेयरी दुग्धधारकों को बैंक खातों से भुगतान करती है।

(12) सरस दुग्ध डेयरियों में सचिवों की मनमानी से सदस्यों को बोनस वितरण पांच वर्ष से नहीं किया जा रहा है।

(13) सरस डेयरी में घी और दलिया की कीमत सरस डेयरी की तय रेट से हटकर अधिक लेते हैं।

(14) दुग्ध डेयरी में मिल्क टैस्ट दूध की फैट डाउन कर रखी हैं, जिससे दुग्धपालकों को पैसे में बहुत हानि होती है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द स्थित राजकीय आई.टी.आई. केन्द्र का भवन निर्माण

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के नगरपालिका क्षेत्र आसीन्द में पूर्ववर्ती सरकार में पूर्व मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धरा राजे जी सिंधिया द्वारा बजट वर्ष 2013-14 के तहत नवीन राजकीय आई.टी.आई. केन्द्र आसीन्द नगर में खोलने की घोषणा की गयी, जिस पर विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2014 को प्रशासनिक वित्तीय

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

स्वीकृति एवं दिनांक 19.02.2016 को भवन की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 4118 दिनांक 13.11.2017 को आई.टी.आई. भवन निर्माण हेतु आसीन्द क्षेत्र में भूमि आबंटित की गयी। विभाग द्वारा टेण्डर आबंटित कर दिनांक 21.03.2018 को खोला गया व कार्य आरम्भ करवाने हेतु कार्यादेश आर.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 03.07.2018 को सम्बन्धित फर्म को वर्क आर्डर दिया गया। तब से अब तक तीन वर्ष पूरे हो जाने पर भी आई.टी.आई. भवन निर्माण का कार्य 30 प्रतिशत भी पूरा नहीं हो पाया है। सम्बन्धित विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा संवेदक को नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने से निर्माण कार्य में रूकावटें उत्पन्न हो रही हैं, जिससे आई.टी.आई. केन्द्र का भवन निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है।

राजकीय आई.टी.आई. आसीन्द को वर्ष 2018 से ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुलाबपुरा के परिसर में संचालित किया जा रहा है, जिससे वर्तमान समय में विद्युतकार व्यवसाय में 20 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में राजकीय आई.टी.आई. आसीन्द के नवीन सत्र 2021-22 को आसीन्द क्षेत्र में ही राजकीय परिसर में स्थापित करवाया जाकर सत्र संचालित करवाया जाए, जिससे आसीन्द क्षेत्र के आस-पास के गरीब परिवार के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से विद्यार्थियों को आई.टी.आई. केन्द्र में प्रवेश हेतु वंचित रहना पड़ता है, जबकि राजकीय आई.टी.आई. आसीन्द को वर्ष 2018 के आसीन्द क्षेत्र में संचालित करवाया जाना चाहिए था।

अत: मेरा निवेदन है यह मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देकर राजकीय आई.टी.आई. केन्द्र आसीन्द के भवन निर्माण कार्य में आ रही परेशानियों को दूर करवाकर अतिशीघ्र निर्माण कार्य पूरा करवाया जाए एवं राजकीय आई.टी.आई. केन्द्र का नवीन सत्र 2021-22 को आसीन्द क्षेत्र में ही संचालित करवाया जाए और नवीन प्रशिक्षण विषय खोले जाएं और प्रत्येक प्रशिक्षण विषय में 100 सीटें आबंटित कर राहत प्रदान करवायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह।

छबड़ा व छीपाबड़ौद पंचायत समितियों की जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद की आम जनता के लिये शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये ल्हासी पेयजल परियोजना शुरू की गयी थी। इस परियोजना का हैड वर्क्स ग्राम खजूरियां में स्थित है। संबंधित संवेदक का स्टाफ निविदा शर्तों के अनुरूप नहीं है। पानी की शुद्धता की जांच के लिए लैब में मशीन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है और न ही लैब टैक्नीशियन की व्यवस्था है, जिससे लोगों को मजबूर होकर मटमैला एवं गंदा पानी पीना पड़ रहा है। इस संबंध में मैंने पुलिस थाना छबड़ा में शुद्ध पानी नहीं मिलने एवं कीड़े निकलने के कारण बीमारियां फैलने की वजह से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कोटा, अधीक्षण अभियन्ता बारां, अधिशाषी अभियन्ता छबड़ा, सहायक अभियन्ता छीपाबड़ौद, डारा कंस्ट्रक्शन एवं पेयजल वितरण कम्पनी के खिलाफ परिवाद भी दिया है, जिसका क्रमांक नंबर 794 दिनांक 30.06.2021 व उसी दिन छबड़ा के नगरपालिका चेयरमैन श्री कैलाश चन्द्र जैन ने संवेदक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया। फिर भी ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से अब तक न तो पेयजल विभाग एवं पुलिस द्वारा इस संबंध में आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के अधिकारी एवं संवेदक के खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही एवं थाना छबड़ा में जो मुकदमा दर्ज किया है, उस पर कार्यवाही करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

(12.07 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री संजय शर्मा।

अलवर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि अलवर शहर सहित पूरे जिले में वर्तमान में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसके कारण आये दिन गैंगस्टरों

(श्री संजय शर्मा)

द्वारा रंगदारी के लिये धमकी देना, व्यस्ततम बाजारों में चोरी, चेन स्नेचिंग, ठगी, वाहन चोरी व छेड़छाड़, दुष्कर्म, बलात्कार जैसी घटनाएं अलवर जिले में बेतहाशा रूप से बढ़ोतरी हो रही हैं। अपराधियों के हौंसले इतने बुलंद हो गये हैं कि अलवर शहर में गत छह दिनों में दिन-दहाड़े तीन स्थानों पर महिलाओं के गले से चेन व कानों के कुण्डल छीनकर बदमाश भाग गये और पुलिस आज तक उन अपराधियों का पता तक नहीं लगा पायी है। अलवर जिले में आये दिन कभी तिजारा थाने में, तो कभी टपूकड़ा थाने में, तो कभी रामगढ़ थाने में, तो कभी हरसौरा थाने में, तो कभी किशनगढ़बास थाने में गैंगरेप, बलात्कार एवं दुष्कर्ष की शिकायतें दर्ज हो रही हैं और पुलिस इन अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इस प्रकार की घटनाओं के कारण पूरा अलवर जिला शर्मसार हो रहा है। जिले में अपराधियों द्वारा उद्योगपतियों व जन-प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस के द्वारा अपराधियों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और न ही उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अलवर जिले में एवं अलवर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण क्षेत्र की आम जनता में भय व्याप्त है और क्षेत्र की जनता डरी हुई है।

अत: इस अत्यन्त ही जन हित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि अलवर जिला एवं अलवर शहर में बढ़ते अपराधों पर शीघ्र अंकुश लगाने हेतु व्यापक कानून-व्यवस्था लागू करने के आदेश प्रदान करें ताकि आम जनता को राहत प्रदान की जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन खां।

रामसर-गडरा रोड (बाड़मेर) के गांवों में पेयजल व्यवस्था

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि बाड़मेर जिले की तहसील रामसर-गड़रा रोड के अधिकांश गांवों में भूमिगत जल का अभाव है और इन दोनों तहसीलों के गांवों में पीने का पानी नर्मदा नहर व इंदिरा गांधी नहर से ही पहुंचाया जा सकता है। इन दोनों तहसीलों के गांवों को स्वीकृत हुए भी आठ साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मात्र 14 गांवों में ही पानी पहुंच सका है, जो कि संतोषजनक नहीं है।

(श्री अमीन खां)

अत: राजस्थान सरकार से मेरी गुजारिश है कि शीघ्रातिशीघ्र उक्त गांवों में पानी पहुंचाने का युद्ध स्तर पर कार्यवाही करने का आदेश फर्माएं।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

जैतारण में कम बारिश से बरबाद हुई फसल का मुआवजा

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में इस वर्ष औसत से काफी कम बरसात हुई। क्षेत्र में किसानों ने अपनी खरीफ में मूंग, तिल, ग्वार, बाजरा, मोठ और ज्वार सहित अन्य फसलों की बुआई कर दी परन्तु दुर्भाग्य से इस बार समय पर बरसात नहीं होने से यह सारी फसलें पानी के अभाव में नष्ट हो गयीं जिससे किसान बर्बादी के कगार पर आ गये हैं।

किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2019 से 2021 तक फसल बीमा कराया, बैंकों ने इन किसानों की किस्तें भी काट लीं लेकिन आधे से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम नहीं मिला। किसान सरकारी कार्यालयों में चक्कर काट-काटकर परेशान हो गये हैं। राज्य सरकार की लापरवाही से समय पर गिरदावरी नहीं होने, क्रोप कटिंग रिपोर्ट नहीं करने तथा पटवारियों की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। बीमा कंपनियों ने राज्य कार्मिकों से मिलकर गिरदावरी रिपोर्ट समय पर नहीं की एवं फसल नुकसान की वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने से भी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। बीमा कंपनियों द्वारा किया गया फसल बीमा का रिकार्ड कृषि उपनिदेशक व जिला कार्यालय के पास भी उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 और 2020-21 में अतिवृष्टि/अनावृष्टि से मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र के किसानों की समस्त फसलें 50 प्रतिशत से ज्यादा नष्ट हो गई थीं। वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्यांश नहीं भरने से किसानों को बीमा क्लेम भी नहीं मिला था।

किसानों को बिना ब्याज दिये जाने वाले फसली ऋण डेढ़ लाख रुपये की जगह 25 से 30 हजार रुपये ही दिये जा रहे हैं और वह भी सभी पात्र किसानों को फसली ऋण नहीं दिये जा रहे हैं।

(श्री अविनाश)

कई लघु किसानों के यहां मजदूरी करने वाले एवं जरूरतमंद गरीब परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा से बिना सर्वे के ही काट दिये गये व गत डेढ़ साल से नये नाम जोड़ने की प्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। कोरोना महामारी के समय किसान और गरीब परिवार से जुड़े मजदूरों को राहत देने की बजाय खाद्य सुरक्षा अन्न योजना से भी वंचित रखा जबकि केन्द्र सरकार ने कोरोना के समय 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना का लाभ दिया जा रहा है

किसानों के बिजली बिलों में 833 रुपये प्रतिमाह पूर्ववर्ती भा.ज.पा. राज्य सरकार द्वारा माफ किये थे लेकिन वर्तमान राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक तक इस योजना को बंद कर रखा, जिससे प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है।

मेरा इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में समय पर गिरदावरी रिपोर्ट करवाकर किसानों को फसल खराबे का मुआवजा प्रदान कराये जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर में पेयजल आपूर्ति

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति 24 घंटे में कराये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बांध जयपुर सहित आसपास के जिलों के लिए साल भर पेयजल आपूर्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। इस वर्ष कम बरसात होने से बीसलपुर बांध में हर वर्ष की तुलना में कम पानी आने की सूचना निश्चित ललाट पर चिंता लकीरें पैदा करने वाली है। बांध में पानी कम आने का प्रभाव कहीं न कहीं जिलों में पेयजल आपूर्ति पर पड़ना भी तय है। अजमेर शहर की जनता को तो इसका खामियाजा वर्तमान में भी भुगतना पड़ रहा है। हालात यह है कि वर्तमान में अजमेर शहर की जनता पेयजल के लिए तरस रही है। जलदाय विभाग शहर में 24 घंटे की बजाय 48 घंटे के अंतराल में पेयजल की आपूर्ति कर रहा है, उसमें भी प्रेशर बेहद कम रहता है। पानी वितरण का कोई समय निश्चित नहीं होना 'कोढ़ में खाज' का काम कर

(श्री वासुदेव देवनानी)

रहा है। पुराने मोहल्लों में जहां वाटर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है वहां एक बार पानी भरने से कोई चूके तो उसे एक सप्ताह बाद ही पानी नसीब होता है। घटिया पाइप लाइन भी एक बड़ी समस्या है, जिनके आये दिन टूटने से पेयजल सप्लाई बाधित होती है। अमृत सहित विभिन्न योजनाओं में ताबड़तोड़ पानी की लाइनें तो बिछा दीं लेकिन तकनीकी कारणों से पाइप लाइनों में प्रेशर से ही पानी नहीं आता है और लाइन बेकार में पड़ी हैं। नई पाइप लाइनें डालने के बाद भी पुरानी लाइनों से ही पानी सप्लाई हो रहा है।

पिछले लम्बे समय से अजमेरवासियों को आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता रहा है कि क्षेत्र में प्रतिदिन जल आपूर्ति प्रारम्भ की जाएगी। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अजमेर शहर में 24 घंटे के अंतराल से जलापूर्ति की जाने की घोषणा की थी परन्तु बीसलपुर बांध से अजमेर को मिलने वाले पानी के अपर्याप्त कोटे तथा जलदाय विभाग के आधारभूत ढांचे व संसाधनों की कमियों के साथ ही इस ओर सरकार द्वारा की जा रही उपेक्षा के चलते अजमेरवासियों को बराबर पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जल संकट तेजी से बढ़ रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। सरकार के हर आश्वासन अब तक बेमानी साबित हुए हैं।

सरकार की ओर से बीसलपुर बांध के समानांतर और कोई पेयजल के स्रोत पर काम करने की प्रबल आवश्यकता है। अजमेर शहर में 24 घंटे के अंतराल से जलापूर्ति की जाने की घोषणा के क्रम में पूर्व में बीसलपुर बांध में ब्राह्मणी नदी का पानी लाने के लिए 146 करोड़ की योजना की घोषणा भी की थी, जिस पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। सरकार को बीसलपुर बांध में ब्राह्मणी नदी का पानी लाने की दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि अजमेरवासियों को 24 घंटे पेयजल आपूर्ति हो सके और जब तक यह स्थाई व्यवस्था नहीं होती है तब तक सम्बन्धित विभाग की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए शहर को 24 घंटे में पेयजल आपूर्ति करने की दिशा में अहम कदम उठाने की महती आवश्यकता है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार अजमेर क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से 24 घंटे में पेयजल आपूर्ति कराने की दिशा में सम्बन्धित विभाग को पाबंद करते हुए सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही कराकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

खींवसर में बंद नलकूपों के लिए बजट आबंटन

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र खींवसर में बंद पड़े नलकूपों पर अलग से बजट जारी करने के संबंध में विशेष उल्लेख नियम 295 के तहत आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

उपर्युक्त विषय में सादर अनुरोध है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र छितरी हुई आबादी में बसा हुआ है और अधिकतर लोग ढाणियों में निवास करते हैं जिनके लिए पेयजल व्यवस्था नलकूपों से होती है लेकिन भावण्डा, खुड़खुड़ा कला, ताड़ावास, आकला, ताडो की ढाणियां, देउ, दांतिणा, बलाया, माणकपुर, पंचारो-बिछुओं की ढाणियां, दधवाड़ी, रावो की ढाणी, शिवपुरा, माडपुरा, साटिका, गुलासर, जसनाथपुरा, नारवा कलां, नारवा खुर्द, पाचौड़ी, विश्नोईयों की ढाणी, भोजास, हनुमानसागर, सोवो की ढाणी पिपलिया, ताडावास, हरसोलाव, खटोड़ा, पाबूसर, रिया श्यामदास, भाटियों की ढाणी, भेड़, सिंधीपुरा, भोमासर इत्यादि सहित अन्य गांवों में असफल नलकूपों हेतु नागौर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र अजमेर को स्वीकृति हेतु फाइल भेजी जा चुकी है लेकिन उक्त गांवों से सम्बन्धित फाइल उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है तो यह कहकर निरस्त कर देते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पानी पहुंचा दिया जाएगा, परन्तु जब तक जल जीवन मिशन के तहत कार्य होगा तब तक पेयजल व्यवस्था हेतु त्वरित बजट जारी करवाकर मेरे क्षेत्र में असफल नलकूपों को विभाग द्वारा चिह्नित करवाकर जल्द चालू करावें ताकि आमजन को पेयजल में हो रही कठिनाई से राहत प्रदान हो सके।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में विभाग द्वारा असफल नलकूपों को चिह्नित करवाएं एवं अतिरिक्त बजट जारी करवाने की कार्यवाही को अति शीघ्र पूरा किया जाकर आमजन को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

नसीराबाद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बसों का संचालन

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन में लगातार कमी की जा रही है। पंचायत समिति एवं उपखंड मुख्यालय पीसांगन, जो अजमेर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पीसांगन के आसपास के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में रोजाना मजदूरी हेतु आवागमन अजमेर में होता है। वहां से अजमेर जिला मुख्यालय आवागमन हेतु रोडवेज बसों की अत्यन्त कमी है। पूरे दिन में मात्र दो-तीन बसें अजमेर आती हैं जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता। चूंकि पीसांगन उपखंड क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, पीसांगन से जयपुर हेतु पूर्व में दो बसों का संचालन होता था, उन्हें भी बंद कर मात्र एक बार संचालित की जा रही है। पीसांगन से गोविंदगढ़ होते हुए पुष्कर-अजमेर बस का संचालन भी लगभग बंद कर दिया गया है। पूर्व में अजमेर से बाघसूरी की बस, जिसका रात्रि विश्राम बनेवड़ा में था, उसे भी बंद कर दिया गया है। मांगलियावास-लीडी-लामाना-बिठूर-बाघसूरी-नांदला-नसीराबाद मार्ग पर संचालित बसों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। इसी क्रम में अजमेर से श्रीनगर मार्ग पर भी कोरोना से पूर्व प्रत्येक घंटे में बस संचालन थी, जिसके स्थान पर मात्र दो -तीन बसें ही संचालित की जा रही हैं। रोडवेज प्रशासन की हठधर्मिता एवं अकर्मण्यता के कारण यह बसें भी जब चाहे प्रशासन द्वारा बंद कर दी जाती हैं। पूर्व में श्रीनगर वाली बस का रात्रि विश्राम हाथीपट्टा में था, जो भी बंद कर दी गयी है। श्रीनगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार हेतु रोजाना अजमेर से आवागमन करते हैं, इन बसों का संचालन समयानुसार नहीं होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। मेरे द्वारा बार-बार रोडवेज प्रशासन द्वारा फोन पर वार्ता करने के उपरांत भी बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

मेरा सरकार से व्यक्तिगत आग्रह है कि इस मानवीय समस्या का शीघ्र समाधान कर पीसांगन एवं श्रीनगर मार्ग में बसों का संचालन सुचारु रूप से शुरू करवाया जाए जिससे बड़ी आबादी महिलाओं, बच्चों एवं मजदूरों को सुविधा मिल सके एवं जनता के आक्रोश को शांत किया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री बलवान पूनियां।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कृषि विभाग द्वारा कृषक परिवार के लिए कृषक की परिभाषा

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी द्वारा 2 सितम्बर, 2021 को जारी अधिसूचना के संबंध में ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब, कटारिया जी, आप देंगे या आप देंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): बात हो गई।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, ठीक है। ठीक है। नहीं, हमारे यहां लालचन्द जी कटारिया लिखा हुआ है, इसलिए पूछा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप इजाजत दो तो बोल लूं।

श्री अध्यक्ष: मेरे कागज पर लालचन्द जी कटारिया लिखा हुआ है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, लिखा हुआ है, वह मैंने पढ़ लिया।

श्री अध्यक्ष: मैं इनसे पूछ रहा था कि आप बोलेंगे कि वह बोलेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लेकिन आपकी इजाजत तो जरूरी है न।

श्री अध्यक्ष: आप मेरे से परमिशन लेंगे तब न।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या?

श्री अध्यक्ष: आप मुझसे परमिशन लेंगे तब न।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: दे दी आपको परमिशन।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2 सितम्बर, 2021 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत पूर्व व वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, पूर्व व वर्तमान लोक सभा सदस्य, राज्य सभा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सदस्य, विधान सभा सदस्य, पूर्व व वर्तमान नगर निगम के मेयर एवं पूर्व व वर्तमान जिला परिषद् के अध्यक्ष होने पर 'कृषक परिवार' में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की एक अधिसूचना जरूर निकली है।

आपने पूछा है कि कृषक परिवार में इन लोगों को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया? उसके बारे में मेरा निवेदन है कि इस राजपत्र में राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनस एंड एग्रो एक्सपोर्ट प्रमोशन पालिसी, 2019 के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा निम्न है। कृषक किसे कहेंगे, यह परिभाषा उसमें दी हुई है। वह मैं आपको पढ़कर के सुनाता हूं 'कृषक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो सक्रिय रूप से फसल उगाने और अन्य प्राथमिक कृषि उत्पादों के उत्पादन से संबंधित आर्थिक तथा आजीविका गतिविधियों में संलिप्त हो'। जिसकी आजीविका पूरी किसानी कार्य से ही चलती हो, उसको कृषक माना गया है।

अधिसूचना, 2021 वाली में, 02.09.2021 में मद संख्या 8 में, परिभाषा खण्ड में कृषक की परिभाषा के पश्चात् भारत सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के प्रावधानों के आधार पर नया प्रोविजन जोड़ा गया। यह भारत सरकार ने जो किसान सम्मान योजना बनाई, उसमें जो कृषक की परिभाषा दी गई है, उसकी वजह से यह हूबहू प्रोविजन जोड़ा गया है।

भारत सरकार ने इन-इन लोगों को कृषक माना ही नहीं है। किन लोगों को नहीं माना, 'सभी प्रकार के भूमि धारक संस्थान, ऐसे कृषक परिवार जिनके एक या एक से अधिक सदस्य निम्न श्रेणी में आते हों'। यह श्रेणी मैं आपको बताता हूं। 'पूर्व व वर्तमान संवैधानिक पदधारक, दूसरा है पूर्व व वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, पूर्व व वर्तमान लोक सभा, राज्य सभा व विधान सभा के सदस्य, पूर्व व वर्तमान नगर निगम के मेयर, पूर्व व वर्तमान जिला परिषद के अध्यक्ष', इन लोगों को भारत सरकार ने कृषक नहीं माना।

इसके बाद और भी हैं, 'केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रालयों में, कार्यालयों, विभागों एवं इनसे संबंधित केन्द्रीय या राज्य की सार्वजनिक संस्थाओं तथा सरकार के अधीन कार्यरत संबद्ध कार्यालय, स्वायत्तशासी संस्थान एवं स्थानीय निकायों के सभी नियमित, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी' को भी कृषक नहीं माना।

इसके अतिरिक्त '10 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले सभी अधिवार्षिकी प्राप्त सेवानिवृत्त पेंशनधारियों' को भी कृषक नहीं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

माना। 'गत 3 वर्षों से किसी भी वर्ष में आयकर चुकाने वाले व्यक्ति' को भी कृषक नहीं माना। 'डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं वास्तुकार जैसे पेशेवर जो कि पेशेवर संस्था में पंजीकृत हों तथा पेशेवरान कार्य कर रहे हों', इनको भी कृषक नहीं माना। यह भारत सरकार ने किसान सम्मान योजना में जो कृषक की परिभाषा दी कि कृषक कौन होगा, जिसकी आजीविका पूरी तरह से कृषि कार्यों पर निर्भर करती हो। कृषक कौन नहीं होगा? जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया।

अब कृषक की परिभाषा में परन्तुक जोड़ने से कोई भी परिवार योजना का लाभ, राज्य सरकार क्या देती है? राज्य सरकार तो यह देती है कि किसी ने अगर एग्रो इंडस्ट्री के लिए बना लिया, वेयर हाउस के लिए कोई चीज बना ली या एक्सपोर्ट प्रमोशन पालिसी के लिए कोई चीज बना ली तो उस पर राज्य सरकार कृषक को 50 परसेंट की सब्सिडी देती है। कृषक की परिभाषा में परन्तुक जोड़ने से कोई भी परिवार योजना का लाभ, मतलब कैपिटल सब्सिडी से वंचित नहीं हुआ। नीति के प्रावधान के अनुसार कृषक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, अब यह देखिये आप, भारत सरकार ने तो क्या किया है? आप सुन रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सुन रहा हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): भारत सरकार ने किसान सम्मान योजना, मिलेगा क्या? 6 हजार रुपट्टी एक साल की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप क्या विरोध कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य। आपकी दोस्ती यहां मत करो। गलत परम्परा है। हां, बोलो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मतलब, 6 हजार रुपये का तिलक साल में एक बार करके उनका सम्मान कर दिया। राजस्थान सरकार क्या कर रही है? जिसको कृषक नहीं माना, जो 50 परसेंट सब्सिडी लेने का हकदार था, लेकिन जो कृषक नहीं है उसको भी 25 परसेंट सब्सिडी देने के लिए राजस्थान सरकार ने यह नोटिफिकेशन निकाला है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मान लीजिए एक कृषक है, कृषक की परिभाषा में वह, उसकी पत्नी और उसका नाबालिग लड़का है। कुल मिलाकर यह आ गया। अब एक लड़का बड़ा हो गया। बड़ा होकर वह इंजीनियर बनकर अमेरिका चला गया। कृषक की मृत्यु हो गई। वह यहां पर वापस आया, आकर उसने म्यूटेशन अपने नाम खुलवा लिया तो भी उसको 25 परसेंट मिलेगा। 25 परसेंट फिर भी, राज्य सरकार देगी। भारत सरकार क्या देगी? 6 हजार रुपये का तिलक।

कृषक श्रेणी का आवेदक 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के लिए पात्र है। अभी जो प्रोविजो जोड़ा गया है, उससे कृषक की परिभाषा में स्पष्टत: आने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वह परिवार जो पूर्णत: कृषि आय पर निर्भर है, वही योजना के मंतव्य के अनुसार उच्चतम लाभ, उच्चतम लाभ कितना है, 50 प्रतिशत। 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी प्राप्त कर पाएगा। इस नीति में, परिवार की परिभाषा भी दी गई है जो मैंने आपको बता दी है। परिवार की परिभाषा में यह स्पष्ट लिखा है कि संवैधानिक पद वगैरह, यह सब मैं आपको आलरेडी बता चुका हूं। दुबारा से कहने की जरूरत नहीं है।

इस संशोधन का उद्देश्य यह है मोटे तौर पर, कि उच्चतर लाभ अर्थात् 50 प्रतिशत की कैपिटल सब्सिडी केवल उन परिवारों को मिले जो केवल कृषि आधारित आय पर निर्भर हों।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, मंत्री का बयान यह कह रहा है कि हम सिर्फ उन किसानों को फायदा देंगे जो दूसरा कोई लाभ नहीं ले रहे हैं। मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि मेरे 4 बीघा जमीन है, मैं एमएलए बन गया। गिरधारी जी खेत में ही अभी तक टिड्डी उड़ा रहे हैं। मुझे आप किसान क्यों नहीं मानेंगे? आप यह कह सकते हो कि आपको यह लाभ नहीं देंगे। आप अधिसूचित करके कैसे कह सकते हैं कि मैं किसान नहीं हूं। यह भारत सरकार ने कह दिया, इसका मतलब आप भी कह दोगे?

दूसरा, एक छोटा-सा निवेदन है कि ऐसी किसी बैंक से किसी फूड प्रोसेसिंग के लिए, किसी वेयरहाउस लगाने के लिए लोन दिलवा दीजिए किसान को जिसने तीन साल तक आयकर रिटर्न नहीं भरा हो। कोई बैंक केसीसी नहीं दे रहा है, किसी किसान ने केसीसी में सरकार के फायदे से पैसे जमा करवा दिये 50 परसेंट फायदे में, दो-दो साल तक उसकी सिबिल ठीक नहीं करते। ये हवाई आदेश हैं। मेरा निवेदन है मंत्रीजी से कि आप हमें कृषक

(श्री बलवान पूनियां)

मानिये। आप जन प्रतिनिधि को कृषक की परिभाषा से दूर मत कीजिये। आप हमें फायदा नहीं देना चाहते। हम मानते हैं हमारी कांस्टीट्यूएंसी के लोगों को गरीब से गरीब आदमी को न्याय मिले। हम इस बात की पैरवी करते हैं, लेकिन आप परिभाषित करके हमें कृषक के अधिकार से वंचित मत कीजिये। यह मेरा निवेदन है आपसे, मंत्रीजी से और सरकार से। हम किसान हैं, किसान की बात करते हैं। अगर आप यह कह दो कागज में कि आप किसान नहीं हो, अब आप एक बात कीजिये, आप डिग्गी के लिए कह रहे हैं, आप डिग्गी बनाइये जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी का बचाव हो सके। आप फूड प्रोसेसिंग के लिए काम करें, आप एमएलए को वंचित कर रहे हैं, आप एमपी को वंचित कर रहे हैं, आप जिला प्रमुख को वंचित कर रहे हैं, आप पूर्व एमएलए को वंचित कर रहे हैं, आप अधिकारियों को वंचित कर रहे हो। उस किसान के पास तो यह बात ही नहीं पहुंची कि फूड प्रोसेसिंग क्या है, क्या है वेयरहाउस, अब जब पिछली बार सरकारी खरीद बढ़ी और जब वेयरहाउस की जरूरत पड़ी तब हमने लोगों को जाकर कहा कि आप वेयरहाउस बनाइये, नहीं तो वेयरहाउस को आम किसान कहां जानता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस आदेश को पूर्ण रूप से संशोधित करके जन प्रतिनिधियों को कृषक मानिये, लेकिन जो आखिरी आदमी को चीज मिलनी चाहिए, उसके लिए और राइडर्स पैदा कर सकते हैं, किसान होने के अधिकार से वंचित मत कीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। कृषक सम्मान योजना, सब्सिडी की योजना है। यह है entrepreneurial activity के लिए, उस क्वालीफिकेशन को इस क्वालीफिकेशन से जोड़ने से सामंजस्य नहीं होना चाहिए because this is an entrepreneurial activity. किसान की जमीन का, उसके घर का, परिवार का कोई आदमी बिजनस लगाना चाह रहा है, उसकी सब्सिडी दे रहे हैं तो बाकी को तो दे रहे हैं 50 परसेंट सब्सिडी, इन लोगों के परिवार के लोगों को आप 25 परसेंट सब्सिडी दे रहे हैं, यह डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए उस योजना का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस पर गौर करे। इनको भी 50 परसेंट सब्सिडी की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसका कोई सम्बन्ध किसान सम्मान निधि से नहीं है क्योंकि कोई एक एमएलए है, उस एमएलए की जमीन है, उस जमीन पर उसके लड़के हैं, उसके लड़के की जमीन खाते में नहीं है, वह लगाना चाहता है प्रोसेसिंग यूनिट, आप उसको डिप्राइव कर रहे हो कि 25 परसेंट देंगे। जो दूसरे आदमी हैं उनको आप

(श्री अध्यक्ष)

50 परसेंट देंगे, तो यह जो आपने पालिसी बनाई है, वह इकोनोमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, entrepreneurial activity के लिए बनाई है, इसलिए किसान सम्मान निधि का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से सोचें। दोनों चीजों को इक्वेट नहीं करें। इनको बिलकुल इससे अलग निकालें और सारे, irrespective of this, whether वो किसान एमएलए है, प्रमुख है या नहीं है, यदि वह entrepreneurial activity करना चाहता है तो उसे 50 परसेंट सब्सिडी मिलनी चाहिए, यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसा है कि मोटे तौर पर भारत सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, I am sorry. आप बैठें प्लीज।

भारत सरकार की इसमें गाइडलाइन्स नहीं है। एक मिनट बैठें आप। भारत सरकार की गाइडलाइन्स कृषक सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत है, उसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि इन-इन लोगों को हम सब्सिडी नहीं देना चाहते हैं। यह तो राजस्थान सरकार ने एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रमोट करने के लिए योजना बनाई है। उस योजना में वो की वो डेफिनिशन रख दी। मेरा निवेदन है कि दोनों चीजों को अलग-अलग करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राजस्थान सरकार ने न केवल इसके बल्कि जो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट डालता है, कोई वेयरहाउस बनाता है या कोई आपके एक्सपोर्ट के लिए कोई काम करता है तो उसके लिए कई प्रोविजन्स कर रखे हैं।

श्री अध्यक्ष: इसमें डिप्राइव क्यों?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज सुन लें, उसके बाद, मैं बैठ जाऊंगा आप बोल रहे हो तो?

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइए आप भले ही। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइये, मैं थोड़े रोक सकता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं तो खड़ा ही नहीं हुआ था। आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, मुझे तकलीफ थोड़े ही है। मैं थोड़े कह रहा था, आप पूछ रहे हो, बैठ जाऊं मैं। आपकी चोइस है, आप बैठना चाहें तो बैठें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह कह रहा हूं कि चूंकि आप खड़े हो जाते हो तो बैठना पड़ता है न, इसलिए पूछ रहा था मैं।

मेरा निवेदन है कि यह सिर्फ 50 परसेंट और 25 परसेंट का ही किस्सा है। कृषक की परिभाषा उन्होंने मानी है, वो की वो कृषक की परिभाषा हमने मानी है। अब अगर मान लीजिये कृषक की परिभाषा नहीं मानें उनकी या जो कुछ भारत सरकार ने लिखा है, ये लोग कह दें कि भारत सरकार की बात मत मानो, नहीं मानेंगे। (व्यवधान) कह दें ये, भारत सरकार की बात मत मानो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मत मानो आप, हम सब कह रहे हैं, जिम्मेदारी से कह रहे हैं, इस मामले के अन्दर, एन्टरप्रिन्योर के मामले के अन्दर मत मानो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब सवाल यह आता है, जहां तक इस बात के लिए तो जो एग्रो इण्डस्ट्री के लिए जाना चाहता है, प्रमोशन के लिए जाना चाहता है, वेयरहाउस के लिए जाना चाहता है, उनके लिए तो राजस्थान सरकार ने इतना प्रोविजन किया है कि उनको 50 परसेंट पर तो जमीन मिलेगी, उनसे लैंड यूज के चार्जेज नहीं लिए जाएंगे, भवन निर्माण के चार्जेज नहीं लिए जाएंगे, लीज मनी माफ कर दी गई, ये सारे के सारे प्रोविजन किसने किये? भारत सरकार ने नहीं किये, राजस्थान सरकार ने किये हैं, कृषक के लिए। अब सवाल यह है कि इस डेफिनिशन में ये लोग आ गए हैं, ये लोग आ गए तो भी यह नहीं है कि इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, 25 परसेंट तो फिर भी दे रहे हैं इनको। एक इंजीनियर है, तो वह इंजीनियरिंग से भी पैसा कमा रहा है। एक पेंशनर है वह पेंशन भी ले रहा है। भारत सरकार ने तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी लिख दिया था लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को हमने नहीं लिया इसमें। भारत सरकार ने तो पता नहीं क्या-क्या किया है। मेरा निवेदन यह है कि अगर फिर भी आप यह समझते हैं, यह हाउस यह समझता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, हम तो पुनर्विचार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका क्या आदेश है? आप तो यह फरमा दो न।

श्री अध्यक्ष: आप दो मिनट बैठो, आदेश देता हूं मैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, मैं बैठ जाता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें प्लीज।

माननीय मंत्रीजी, मेरी जिम्मेदारी है एक अध्यक्ष की हैसियत से एमएलए के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मेरी जिम्मेदारी है एमएलए प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए आपको, सरकार को डाइरेक्शन देना। मैंने फिर आपसे निवेदन किया है कि कृषक की परिभाषा सब्जेक्ट टू कृषि सम्मान निधि के लिए उन्होंने की है, जनरल कृषक को डिप्राइव नहीं किया है। भारत सरकार ने एक पर्टिकुलर योजना का लाभ देने के लिए कि कौन-कौन है उनको डिफाइन किया है, सबको डिफाइन नहीं किया है।

मेरा आपसे निवेदन है, सरकार को मैं निर्देश देना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप आदेश दें।

श्री अध्यक्ष: सरकार को मैं निर्देश देना चाहता हूं कि सरकार कृषक की यह परिभाषा जो कृषक सम्मान निधि योजना को इसके बराबर मानी है, इसको डिलीट करें और जो भी राजस्थान में इस तरह के आदमी हैं उनको 50 परसेंट सब्सिडी दूसरी तरह की मिल रही है, वैसी सब्सिडी सबको मिलनी चाहिए। (व्यवधान) आप खड़े होकर बोलें, बैठे-बैठे तो होगा नहीं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने दो बार तो 'निवेदन' कहा, 'आदेश' नहीं कहा। आखिरी में जब मेरी तरफ देखा तब जाकर 'आदेश' कहा। अब 'आदेश' कहा है तो 'आदेश' मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं आपकी सीनियरिटी का सम्मान कर रहा था, बाकी पहले ही आदेश दे सकता था मैं।

चर्चा समाप्त हुई।

सूचना

रीट परीक्षार्थियों को आवागमन में अनुभूत कठिनाइयां

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अब मैं आपके माध्यम से एक यह जो रीट की परीक्षा हो रही है, लगभग 15 लाख बच्चे इसमें बैठेंगे। इनको सेंटर किसी एक को हजार किलोमीटर, किसी को पांच सौ किलोमीटर, किसी को तीन सौ किलोमीटर दिया है। उसके कारण से आने जाने में भी दिक्कत रहेगी और वहां ठहरने की दिक्कत रहेगी, होटल उपलब्ध नहीं होंगे, ठहर नहीं सकते। उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। मैं सोचता हूं कि इस पर संवेदनापूर्वक विचार करना चाहिए। यह जरूर है कि आपके पेपर आउट हो रहे हैं, नकल हो रही है, इस बात को मैं समझता हूं लेकिन इसका मतलब इतना दूर नहीं हो, कम से कम जिले में ही कहीं न कहीं उनको एडजस्ट कर दिया जाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भेज दें शहर वालों को और शहर वालों को इधर ले आएं लेकिन ऐसा नहीं हो कि उदयपुर के आदमी को आप कोटा, जोधपुर और बीकानेर लगा रहे हैं, तो उनको आने जाने में भी दिक्कत होगी और दूसरा होटल नहीं मिलेंगे, ठहरना नहीं मिलेगा, कैसे तो वह वहां रहेंगे, कैसे करेंगे और इतना खर्चा लग जाएगा बिना बात के ही। मैं सोचता हूं कि आपकी एक प्रोब्लम के लिए आप 15 लाख बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान करोगे, इस पर विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात पर सरकार ध्यान देगी लेकिन मैं सीधे तौर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक्सेप्शन हैं सबको नहीं किया है। मेरी भी चेयरमैन साहब से बात हुई थी, मैं खुद भी इस बारे में चिंतित था। इनमें ज्यादातर लोगों को वो ही सेंटर दिया है जो उन्होंने लिया है। कुछ एक्सेप्शन उन्होंने किये हैं कि पेपर लीक होने के सम्बन्ध में प्रीकाशनरी मेजर लेना चाहते हैं। सबको ऐसा नहीं किया है कि सबको चार सौ किलोमीटर कर दिया, तीन सौ किलोमीटर कर दिया। उनको डिस्ट्रिक्ट में ही दिया है, कुछ को उन्होंने निकालकर अलग दिया है। फिर भी आपने जो कहा है, मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में निश्चित तौर पर सोचें।

विधायी कार्य। राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021,

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज सदस्य बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं और सब्जेक्ट भी पापुलर है। सभी सदस्य इस पर बोल सकते हैं। मैंने उस दिन कहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बिल के स्कोप से इतर डिस्कस नहीं करें, क्योंकि बिल का स्कोप बहुत लिमिटेड है। पूरी डिबेट को जनरल मांग के रूप में नहीं करें। इससे मैं समझता हूं कि एक सार्थक डिबेट होगी, इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बिल के स्कोप में ही अपने तर्क दें, जिससे हम सार्थक रूप से चर्चा कर सकें। समय का भी जरूर ध्यान रखें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं, उससे पहले आपकी अनुमति से प्रार्थना कर रहा हूं। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मन्दिर है। विभिन्न लोग यहां अपने ज्ञापन प्रदर्शित करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों लोग जयपुर की कानून-व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ इतना निर्देश फरमा दें कि उनका ज्ञापन कोई ले ले ताकि उनकी भावनाएं आप तक पहुंच जाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 पर अपनी बात प्रारम्भ करूं, उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। एक संक्षिप्त सत्र में आप पहले मंत्री होंगे, जिन्होंने आज नौवां एक्ट पायलट किया है। आपकी बुद्धि तथा आपके सामर्थ्य को मैं धन्यवाद देते हुए यह जरूर कहूंगा कि एक दिन समय के साथ सबको जाना है, एक बात जरूर कर जाइएगा, अपने शीश के दान की घोषणा कर दीजिएगा, भगवान आपको लम्बी उम्र दे ताकि लोग ऐसे आदमी की खोज तो करें जिसके पास संजय की तरह सारे विभागों की जानकारी आ जाए और सारे विभागों का जवाब बिना तर्क के दे दे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

1994 की धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड-2 में सरकार संशोधन लेकर आयी है। अध्यक्ष जी, आप साक्षी रहे हैं 73वें संविधान संशोधन के, उस संशोधन की मंशा के अनुसार तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने सदन में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया था। मैं निवेदन यह कर रहा था, उसमें संविधान के संशोधन की मंशा के अनुसार जो प्रोविजन थे, वे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में इनकारपोरेट किये गये थे।

मंत्री जी यह जो धारा 89(2)(i) में संशोधन लेकर आये हैं, ''ग्राम सेवक'' का नामकरण ''ग्राम विकास अधिकारी'' के लिए, धारा 89(2)(ii) में ग्राम सेविका के पद का विलोपन करने का प्रस्ताव लेकर आये हैं। धारा 89(2)(i) में जो आप संशोधन लेकर आये हैं, यह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेकर आये हैं। इसमें कोई आप नयी बात नहीं कर रहे हैं। इसी सदन में 27 मार्च, 2017 को मेरे द्वारा पंचायती राज मंत्री के रूप में यह घोषणा की गयी थी कि राजस्थान में जितने भी ग्राम सेवक हैं, उनके कार्य और कार्यभार को देखते हुए और चूंकि ग्राम सचिवालय बने राज्य सचिवालय की तर्ज पर और उस सचिवालय में वे सारे कार्य सम्पादित हों, इसलिए उस वक्त ग्राम सेवकों का नामकरण ग्राम विकास अधिकारी के रूप में किया गया था।

उसके बाद 5 अप्रैल, 2018 को आदेश भी जारी कर दिये गये थे, परन्तु चुनावी साल था, फिर कोई सत्र आया नहीं, हम अमैण्डमैण्ट का बिल ला नहीं पाये। खैर, देर आयद, दुरुस्त आयद, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, परन्तु यह सरकार हर काम दबाव में क्यों करती है? 16 अगस्त से ग्राम विकास अधिकारी ने 11341 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन काम को बन्द कर रखा है, 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, आप उन्हें राज़ी करने के लिए मजबूरी में यह संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में 11340 ग्राम पंचायतें हैं और इन पंचायतों में मात्र 4200 ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत हैं। आप प्रस्ताव तो ले आये, पर आपको मालूम है, ग्राम विकास अधिकारी उस ग्राम पंचायत में जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिकारी भी है, उसमें विवाह पंजीयन अधिकारी भी है, श्रम पंजीयन अधिकारी भी है। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र और राज्य की 120 अलग-अलग योजनाएं ग्राम विकास अधिकारी उस ग्राम पंचायत में संचालित करता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो संशोधन लेकर आये हैं मंत्री महोदय इसके साथ इस पर भी कम से कम विचार करते।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान, इसी सदन में जब पहला बजट जुलाई, 2019 में प्रस्तुत किया गया था, उसके बजट पैरा 134 की तरफ दिलाना चाहूंगा। उसमें एक लम्बी-चौड़ी सूची बनाकर आपने 75 हजार अलग-अलग संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती करने की घोषणा की थी और उसी के अन्दर जो तालिका आपने दी थी, उसमें (15) में आपने ग्राम विकास संस्थान के 5160 पदों की भर्ती करने की बात कही। उनमें 2400 ग्राम विकास अधिकारी थे। आपने एक भर्ती नहीं की। अब आप अगर भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ भी करते हैं तो यक्ष प्रश्न यह खड़ा होता है, बजट की घोषणा एक वर्ष के लिए, 2019-20 गया, 2020-21 गया, 2021-22 जा रहा है, मैं समझता हूं, सदन में मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा पर तो आपको गम्भीर रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, संविधान का 73वां संशोधन हुआ। पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी इसके जनक रहे। मैंने खुद आपको, जब आप पंचायती राज संस्थान के मंत्री थे, बोलते देखा। आपने 29 विषयों को फण्ड, फंक्शंस और फंक्शनरीज के आधार पर पंचायती राज संस्थान को अंशदानित करने की बड़ी पैरवी की। निश्चित तौर पर 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं में, उनके सशक्तीकरण के लिए, स्वायत्तता के लिए, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए, समय पर चुनाव हों, महिलाओं को आरक्षण हो और मैं समझता हूं, पूरे देश में पंचायती राज संस्थानों की एकरूपता का एक नया इतिहास लिखा।

मंत्री महोदय, जो संविधान का 73वां संशोधन था, मूल संशोधन था, उसमें आर्टिकल 243(i) की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें पंचायती राज संस्थानों के खाते में सीधा पैसा जाए, केन्द्र और राज्य सरकार के कन्सोलिडेटेड फण्ड से एक निश्चित प्रतिशत जाए, निश्चित समय में जाए, इसका प्रावधान आर्टिकल 243(i) के संशोधन के माध्यम से उस वक्त किया गया और इसी आर्टिकल 243(i) के अन्दर पैरा 1 में कहा गया कि केन्द्र सरकार हर पांच साल के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग बनाएगी जो फाइनेंशल डिवोल्यूशन करेगा, कन्सोलिडेट फण्ड में केन्द्र का कितना पैसा जाएगा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पंचायती राज संस्थाओं का और पैरा 2 में राज्य की संचित निधि में से एक निश्चित राशि का प्रतिशत सीधा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् में जाएगा, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आर्टिकल 280 में धारा 3 की उप-धारा (बी बी) में इसका भी प्रावधान किया गया कि हर पांच साल में निश्चित अवधि पर हर राज्य अपना राज्य वित्त आयोग बनाएगा। मैं समझता हूं कि पांचवां वित्त आयोग, जिसका कार्यकाल 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ, आपको छठा वित्त आयोग बनाना था, आपने बनाया 12 अप्रैल, 2021 को। एक साल से ज्यादा का समय निकल गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिकमण्डेशन आयीं, जो यह 6 हजार रुपये आपको इन ग्राम विकास अधिकारियों के मार्फत ग्राम पंचायत के विकास के लिए देने थे, उस पर कुण्डली मारकर आप बैठ गये।

मैं समझता हूं, आप संशोधन विधेयक ले आये, पर कम से कम इस बात को तो देखते कि हम ग्राम सेवकों को ग्राम विकास अधिकारी दे रहे हैं, परन्तु जो उनके पास जाने वाला धन था, उसकी राह क्यों रोक रहे हैं? यही नहीं, जो पन्द्रहवें वित्त आयोग का पैसा था, 2700 करोड़ रुपये की किस्त जारी हुई, उसमें से 974 करोड़ रुपये आज भी आपके वित्त विभाग ने रोक रखे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर हैं, please don't side-track it. I am sorry. आप मुझे माफ करें। यह बहुत सिम्पल है कि ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी बना रहे हैं। उसके फंक्शन में क्या कमी है, ठीक है उस पर ज्यादा बोलो तो ज्यादा बैटर है, डिवोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, एक जो संशोधन पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) में लेकर आये हैं उसमें आप ग्राम सेविका के पद के विलोपन का प्रस्ताव लेकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, संविधान के 73वें संशोधन की मूल आत्मा पर यह चोट है। 73वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 243 (डी) के माध्यम से देश के अन्दर महिलाओं के अन्दर आधी आबादी है और इस आबादी को पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए संशोधन किया गया और यह ग्राम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सेविकाओं का पद इसीलिए सृजित किया गया। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के सेक्शन 15 (6) के अन्दर जब महिलाओं का आरक्षण हो गया तो यह पद इसीलिए सृजित किया गया। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का 2020-21 के अन्दर पूरे देश में किस-किस राज्य में महिला प्रतिनिधि कितनी-कितनी हैं उनका मैंने ऑनलाइन पर, वेबसाइट पर देखा तो आज राजस्थान में 70802 महिला प्रतिनिधि हैं, पंच से लेकर जिला प्रमुख तक। पंचायत समिति में तो अकेले पंचायत समिति के सदस्य हैं 3629, जिला परिषद् के 532 हैं। यानी इन ग्राम सेविकाओं का पद इसलिए सृजित किया गया था कि ये जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, जिन महिला प्रतिनिधियों की संख्या हजारों में है, इनको प्रशासनिक कार्य में सुगमता रहे और इसलिए यह जरूरी है।

मंत्री महोदय, पंचायती राज अधिनियम, 1994 के सेक्शन 3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके अन्दर वार्ड सभा की बैठक का उल्लेख किया गया। इसी तरह पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8 (अ) में ग्राम सभा की बैठक का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों में यह प्रावधान किया गया, पंचायती राज एक्ट की धारा 4 और 8 (बी) के अन्तर्गत कि वार्ड सभा और ग्राम सभा, इन दोनों के माध्यम से जो बेनिफिशरीज अलग-अलग योजनाओं में हैं उनके नामों का पठन होगा, विकास के कार्यों की एक तरह से सोशल आडिट होगी, विकास के कामों को पढ़ा जाएगा, विकास के काम की स्वीकृति देने के लिए वार्ड सभा और ग्राम सभा एक तरह से सबसे बड़ा मंच बन गया। उसके अन्दर यह प्रावधान कर दिया, अध्यक्ष महोदय, कोरम तब पूरा होगा जब 10 परसेंट महिला उस ग्राम सभा और वार्ड सभा में उपस्थित रहेंगी। इसीलिए इन ग्राम सेविका का पद सृजित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है, आज जिस प्रकार का परिप्रेक्ष्य गांवों में है, हमारी महिला, हमारी बहनें गांवों से निकलती नहीं हैं तो इनका मार्ग प्रशस्त कौन करेगा वार्ड सभा में जाने के लिए जो आपने एक्ट के अन्दर जिसमें 10 परसेंट की उपस्थिति कर दी? इसलिए इन ग्राम सेविकाओं की एक बहुत बड़ी महती आवश्यकता समझते हुए इनका पद सृजित किया गया था वरना ग्राम सेवक के बाद में ग्राम सेविका। आप कहीं भी उठाकर देख लें, अध्यापक के आगे अध्यापिका लिखा हुआ नहीं मिलेगा पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चूंकि संविधान के संशोधन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जब इन पदों पर प्रमुख से लेकर पंच तक महिला पहुंच गई, जिनकी संख्या राजस्थान में 70 हजार से ज्यादा हो गई तो उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने इस पंचायती राज अधिनियम के सेक्शन 15 (3) के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया। आप यह जो 89 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) में संशोधन लेकर आये हैं, आप इसको विलोपित करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए।

मंत्री महोदय, आपका इरादा क्या है यह मुझे कहना नहीं है, पर मैं यह जरूर कहूंगा कि इस राजस्थान के नागौर से पूरे देश के अन्दर पंचायती राज संस्थानों का शुभारम्भ हुआ था। इसको मटियामेट करने का काम भी आप कर रहे हो। कभी सुना आपने कि डेढ़ साल तक चुनाव चल रहे हैं, कभी सुना? आपने प्रशासक लगा दिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर हैं। Please, don't divert the debate. Thank you.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): डायवर्ट कहां कर रहा हूं, मैं स्कोप में हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इलेक्शन का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। Please, don't set a wrong precedent. आप सबसे सीनियर आदमी हैं, सबसे ज्यादा तैयारी करके आते हैं। एक सिम्पल अमेंडमेंट है कि ग्राम सेवक की जगह यह कहा जाए। आपने अच्छा डिफाइन कर दिया, अब कहां इलेक्शन में ले जा रहे हैं। Please. I am sorry.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मन्शा समझता हूं, पर मूल रूप से स्वर्गीय राजीव गांधी महिला सशक्तीकरण को लेकर पंचायती राज संस्थाओं में उनकी भागीदारी रहे, इस बात को लेकर ग्राम सेविका का जो मूल रूप से कांस्टीट्यूशन में उस वक्त संशोधन के माध्यम से प्रोविजन किया और जिसको राजस्थान की विधान सभा में भैरोंसिंह शेखावत के तत्वावधान में जो एक्ट पास हुआ और अंगीकार किया उसको विलोपित करने का प्रस्ताव एक तरह से उस 73वें संविधान संशोधन और राजीव गांधी के सपनों को चकनाचूर करने का है। आपकी शिकायत पहुंचेगी। मैं आपका मित्र हूं मुझे आपसे सहानुभूति है क्योंकि मैं आपको इस आधुनिक समय का संजय मानता हूं जो दूरदृष्टि से सब देख लेते हैं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज एक्ट, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 89 का संशोधन माननीय मंत्री जी लेकर आये हैं। 89 की उपधारा (2) के खण्ड (i) में ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रस्तावित किया गया है और 89 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) में ग्राम सेविका का नाम विलोपित किया गया है और पदनाम बदला। ग्राम सेवक, जो पंचायती राज के आधार स्तम्भ हैं उनका मान-सम्मान कर रहे हैं और उनका नाम बदलकर हम ग्राम विकास अधिकारी कर रहे हैं। जिस दिन इनकी शुरुआत राजेन्द्र जी ने पंचायती राज मंत्री रहते हुए कर दी और आप बिल लेकर आये हैं तो आप दोनों का धन्यवाद करते हैं लेकिन आज वही ग्राम विकास अधिकारी प्रदेश के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। उनकी उन बातों को भी सुनने का, समाधान करने का माननीय मंत्री जी प्रयास करेंगे चाहे वह वेतन विसंगति की हो, चाहे जिला कैडर परिवर्तन नीति का हो, पदोन्नति का हो, कैडर स्ट्रेंथन की हो पर जो भी उनकी बात है उसको सुनें।

माननीय अध्यक्ष जी, आप भी इस पंचायती राज के महत्वपूर्ण महकमे को संभाल चुके हैं। मैं चार बातें माननीय मंत्री जी के सामने रखूंगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं में बिना संसाधनों के ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग से संचालित करवाये जा रहे 19 एप, आईडी व पोर्टल से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किया जाए। ग्राम पंचायत कार्यालय में दक्ष मानव संसाधन और कम्प्यूटर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी व संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये के विकास कार्य करवाने के विरोधाभासी विभागीय निर्देशों, आदेशों, जटिल व अव्यावहारिक निर्माण नीति तथा दोषपूर्ण मस्टररोल प्रथा (महानरेगा) में उचित संशोधन किए जाएं। पंचायती राज संस्थाओं में विकास कार्यों के सम्बन्ध में जारी शिड्यूल आफ पावर में यथोचित संशोधन किए जाएं। प्रशासन गांवों के संग अभियान से पूर्व भूमि विक्रय विलेख जारी करने के नियमों में विगत वर्षों में संशोधित किये गये विभिन्न नियमों व अधिनियमों पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर भूमि किस्म रिपोर्ट, हस्तान्तरण, नामान्तरण, बंटवारा, रूपान्तरण के सम्बन्ध में विधिवत प्रक्रिया व प्रारूप जारी किए जाएं तभी हम

(श्री बिहारीलाल)

पंचायती राज का स्ट्रेंथन कर पाएंगे। ग्राम विकास अधिकारी का पद देकर उनका मान-सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में शासन के नीति निर्देशों को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कोविड के महामारी के दौर में उनके 12 साथी काल-कवलित भी हुए, उन लोगों का आप सम्मान कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं। ये जो चार सुझाव मैंने आपके सामने रखे हैं इनको भी दुरुस्त कीजिए ताकि पंचायती राज की हम मूल अवधारणा को लागू कर सकें, आत्मसात कर सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबु लाल।

श्री बाबु लाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री जी, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 लेकर आये हैं। मेरा इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। इसमें संशोधन इतना-सा है कि पहले ग्राम सेवक थे, अब ग्राम विकास अधिकारी होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत पिछड़ा एरिया, बहुत लम्बा एरिया है और अब ग्राम पंचायतों को छोटा किया है तो ग्राम पंचायतें बढ़ गई हैं। ग्राम पंचायतें बढ़ गईं तो एक-एक विकास अधिकारी को दो-दो, तीन-तीन, चार-चार पंचायतें दे दी हैं। आपने ग्राम पंचायत सहायक लगा रखे हैं, वे कभी पंचायती राज, कभी शिक्षा विभाग, दोनों में ही ठोकरें खा रहे हैं और फुटबाल बने हुए हैं तो मेरा एक सुझाव मंत्री जी को इतना-सा है कि आप उनको समायोजित कर दें क्योंकि सारा का सारा विकास का काम वे कर रहे हैं। जिस पंचायत में पद खाली है वह सारा का सारा वे पंचायत सहायक काम कर रहे हैं तो उनको आप समायोजित करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका काम भी सुगम होगा। यही कहकर मैंने जो यह प्रस्ताव दिया था कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, इतना ही कहना है।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं हमारे महबूब नेता स्व. राजीव गांधी के सपनों के संबंध में प्रतिपक्ष के उप नेता के विचार सुन रहा था। यही सदाशयता यदि भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई होती, तो उनके जीवनकाल में जिस संवैधानिक संशोधन को पारित हो जाना चाहिए था, वह पारित हो जाता।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज और स्थानीय निकाय के जिस संविधान संशोधन को स्व. राजीव गांधी लाना चाहते थे, लोक सभा में पारित हो गया और उनके जीवनकाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थन न दिये जाने के कारण राज्य सभा में वह पारित नहीं हो सका और करोड़ों देशवासियों को, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाएं हैं, उनको सत्ता में भागीदारी जो कुछ साल पहले मिल जानी चाहिए थी वह तत्कालीन प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जाकर मिली। बहुत अच्छा होता कि विगत इतने सालों में जिस सोच के आधार पर यह संवैधानिक संशोधन लाया गया था उस दिशा में हम आगे बढ़ते।

मुझे याद है वैंकेया नायडू वाजपेयी जी की सरकार में जब पंचायती राज और ग्रामीण विकास के मंत्री थे। उन्होंने दिल्ली में अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन किया था जिसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी सम्मिलित हुई थी और दोनों राजनीतिक दलों ने, अध्यक्ष महोदय, एक राय होकर यह तय किया था कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की भावना के अनुरूप हम निचले स्तर पर पंचायती राज के हमारे जन प्रतिनिधियों को अधिकार देंगे।

(13.02 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं दूसरी बार जब इस सदन में विधायक के रूप में था। वैंकेया नायडू जी के उस सम्मलेन के बाद में, यहां हम सब लोगों ने मिलकर संकल्प पारित किया था और हम सब लोगों ने कहा था कि फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरी, हम पंचायती राज की संस्थाओं को सौपेंगे। उनको अधिकार देंगे, उनको इतने विभाग हमने चिन्हित किये थे कि इन विभागों का पूरा संचालन पंचायती राज की संस्थाओं के माध्यम से होगा। जो थ्री टियर सिस्टम राजीव गांधी जी लेकर आए थे, आज वह जमीन पर दम तोड़ रहा है। आज वार्ड पंच, अगर ग्राम पंचायत में जाकर के अपने अधिकार की बात करता है, काम के बारे में पूछता है तो उसको यह जवाब मिलता है कि तुम्हें यह पूछने का अधिकार नहीं है। पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद् का सदस्य क्या अधिकार है उसको? एक बार आप उसका वोट ले लेते हो जिला प्रमुख के चुनाव के वक्त में, उसके बाद में किसी स्तर का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है, सिवाय तीन महीने में होने वाली पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक या जिला परिषद् की साधारण सभा की बैठक में जाना।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, स्व. राजीव गांधी ने जिस ग्राम सभा को सर्वाधिक महत्व दिया था और पंचायती राज एक्ट में जिस ग्राम सभा को सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष माना गया। आज उन ग्राम सभाओं की क्या हालत है। क्या आप बार-बार जो ग्राम सभाओं के कार्यक्रम देते हैं, उसमें लोग सम्मिलित होते हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं टोकना तो नहीं चाहता, लेकिन अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमें पूरी तरह से सब्जेक्ट पर कंफाइन करना पड़ेगा और सब्जेक्ट सिर्फ इतना-सा है कि ग्राम सेवा का जो पदनाम अपन ने बदला है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं पंचायती राज पर ही बोल रहा हूं, फिल्मों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कोई फिल्मों के बारे में शब्द नहीं कह रहा हूं । ये सारी बातें जो मैंने रखी हैं ग्राम सभा कौन करवाता है तो आप यह कहना चाहते हैं कि इस पर भी न बोलें, अच्छा है।

श्री सभापति: थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुझे भी कोई लम्बा बोलने का शौक नहीं है। अब आप किसी पदनाम को ग्राम सेवक से अधिकारी करें, यह सरकार का अधिकार है, पर यह हमारी मानसिकता क्यों है? हम अपने ग्राम सेवकों को यह समझाने में विफल क्यों रहे कि ग्राम सेवक और अधिकारी शब्द के बदलने से क्या फर्क पड़ता है? देश के प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। राजस्थान के मुख्य मंत्री कहते हैं कि मैं राजस्थान की जनता का प्रथम सेवक हूं तो आप यह औपनिवेशिक दासता से कब मुक्त होंगे? अंग्रेज हमारे दिमाग में जो कचरा डालकर चले गये हैं और जिस गुलामी की मानसिकता से हम चल रहे हैं। हमारे निचले स्तर के कार्मिकों के दिमाग में हम यह क्यों नहीं समझा सके कि एक अधिकारी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता? आप ग्राम सेवक हैं, इससे क्या आपकी इज्जत कम हो जाती है? हमने पीछे यह महात्मा गांधी की तस्वीर लगा रखी है और हम इस मानसिकता से काम करते हैं कि समाज में सबसे पीछे बैठा हुआ आदमी, उसकी हमें सेवा करनी है। अच्छा यह होता आप प्रस्ताव यह लेकर आते कि हम अंग्रेजों की गुलामी की उस मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं। हम जिला कलेक्टर के पद को जिला सेवक कर रहे हैं, तो एक संदेश जाता आपका, हर

(श्री संयम लोढ़ा)

जिले में लिखा हुआ होता जिला सेवक तो लोग को, आज धौंस, धप्पटी, यह अधिकारी, फलां पद, उस पुराने को उठाकर अभी तक ढोए जा रहे हो। क्या होता है उससे एक लोगों के अन्दर एक अलग तरह का औरा बनाने की मानसिकता और गांवों के अन्दर जो कर रहे हैं। उनके दिमाग में भी हमने यह भर दिया कि हमारा अधिकारी लिखा रहेगा तो हम सम्माननीय हैं, तो हम विशिष्ट हैं, हमें अगर ग्राम सेवक लिखा जाएगा तो हम छोटे हैं, हम कमतर हैं। 70 साल के प्रजातंत्र के बाद भी हमारे नागरिकों के मन में हम यह समझ पैदा नहीं कर सकते। यह इस बात का द्योतक है और राजेन्द्र जी राठौड़ साहब, आपने मंत्री के रूप में निर्णय किया, आपकी सबसे बड़ी विफलता है ये। आप उन ग्राम सेवकों को यह समझा नहीं सके कि पदनाम परिवर्तन से, शब्द परिवर्तन से कुछ नहीं होता है। हमारा मूल काम कमजोर से कमजोर आदमी की खिदमत करना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप तो सरकार के प्रमुख सलाहकार हो न, करवा दो विथड्रा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): विथड्रा तो बहुमत जिनका है, उनको तय करना है। मेरा काम तो अपनी बात रखना है और मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करना चाहता हूं कि इस गुलामी की मानसिकता से ये समाज कब बाहर आएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि ये जो आप प्रस्ताव लाए हैं, आप इसमें आगे बढ़िए और प्रस्ताव इस बात का लाइये कि जिला कलेक्टर का पदनाम बदलकर हम जिला सेवक करते हैं, तो ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, मैंने पहले भी निवेदन किया। इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मन्दिर के सामने हजारों लोग खड़े हैं और वे सिर्फ यह चाहते हैं कि उनका ज्ञापन ले लें। इस जयपुर के अन्दर दहशतगर्दी की जो जिन्दगी लोग जी रहे हैं, सिर्फ एक ज्ञापन लेने के लिए निर्देश फरमा दें।

श्री सभापति: माननीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में आपने यह बात ला दी है। श्री रामलाल शर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये विधान सभा की गरिमा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उनका ज्ञापन लिया जा चुका है।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत, श्री छगनसिंह।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): आदरणीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 लेकर आई है। इसमें 1994 के अधिनियम संख्या 13 की धारा 89 को संशोधन कर ग्राम सेवक की जगह ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सेविकाओं को हटाने का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से इस विधेयक को लाने से न तो जनता का कोई भला होगा, न अधिकारी वर्ग का कोई भला होगा। सिर्फ नाम बदलने से विधान सभा का समय खराब किया जा रहा है। ग्राम सेवक एक सेवा के भाव नाम है, पदनाम से सेवा का भाव झलकता है। ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक अपने आपको सेवक समझता था व सेवा के भाव से काम करता था। अब नाम बदलने से उसमें अहम का भाव आएगा और वैसे भी हमारे समाज में कहावत है, जैसा नाम वैसा काम, एक और कहावत है, जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा आपका मन। हमारे पूर्वजों ने भी नाम को महत्व दिया है, राजाराम मोहन राय, मोहनदास करम चंद गांधी, चन्द्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, इन महापुरुषों ने अपने नाम के अनुसार समाज व देश के लिए काम किया है। ग्राम विकास अधिकारी का जो पद है, निश्चित रूप से उसमें अभी माननीय संयम जी ने भी बताया कि उसमें एक अहम का भाव होता है, सेवा का भाव नहीं होगा।

इस संशोधन को लाने से किसी का भी भला नहीं होगा, समाज को भी इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। आपने ग्राम सेवक को अधिकारी तो बना दिया, लेकिन बिना टीम वाला अधिकारी क्या करेगा? इनके पास सिर्फ एक रोजगार सहायक है और एक नरेगा सहायक है। इन दोनों अधिकारियों में से रोजगार सहायक को स्कूलों में लगा दिया, सिर्फ एक नरेगा सहायक के भरोसे अभी पंचायतें चलती हैं। गांव की आबादी 75 प्रतिशत गांवों में बसती है। ग्राम पंचायतों में विकास अधिकारी के 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं। पंचायतें खुलती ही नहीं हैं। कई ऐसी पंचायतें हैं जिनकी आबादी 10 से 15 हजार है और ये पंचायतें भी इन दो अधिकारियों के भरोसे चल रही हैं। पिछले 20 महीने से

(श्री जोराराम कुमावत)

पंचायती राज विभाग पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ गया है। विकास के लिए 20 महीनों से पंचायतों को कोई रुपया भी नहीं दिया है। विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। सफाई व्यवस्था पंचायतों में बदतर है। सफाई व्यवस्था हेतु पंचायतों के पास में कोई कर्मचारी भी नहीं है। रोड लाइट्स भी नहीं है। अतिक्रमण हटाने के लिए उनके पास में कोई कर्मचारी नहीं है। नाम बदलने के बिल के बदले यदि ग्राम सेवकों की भर्ती करने, ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों के पद बढ़ाने जिनमें कनिष्ठ लिपिक, लेखाकार, चपरासी, सफाई कर्मचारी, बिजली लाइनमैन के नए पद सृजित करने का बिल लाते तो ग्राम पंचायतों को मजबूत करने का काम होता। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। यह बिल जनहित में नहीं है। इसे 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 में ग्राम सेवक के नाम को ग्राम विकास अधिकारी करने के लिए इस विधेयक को लाए हैं। हो सकता है जो ग्राम सेवकों की मांग थी उसके अनुसार यह ग्राम विकास अधिकारी के लिए संशोधन लाए। पूर्व में भी पूर्व सरकार ने भी इसका लगभग विधेयक तैयार कर लिया था। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि इसमें जिस प्रकार से आपने स्वायत्त शासन में ग्राम पंचायत स्तर पर जो कैंप लग रहे हैं प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग के लिए तो आप नगरपालिका में पट्टे वितरण के लिए विधेयक ले आए कि इनको किस प्रकार से पट्टे वितरण करने हैं। पंचायती राज में भी पट्टे वितरित करने के लिए इसके साथ कोई विधेयक लाते, उसमें कब्जे वाले जो 50 साल से रह रहे हैं जिनके मकान बने हुए हैं, जब भी सरपंच बदलते हैं, अधिकारी बदलते हैं तो उनको नोटिस दिया जाता है कि आपका यह कब्जा है, आपको तुरन्त खाली करना पड़ेगा और येन केन प्रकारेण उस मकान को बचाने के लिए वह गरीब व्यक्ति इधर-उधर भटकता रहता है और हर बार जब-जब पंचायतें चेंज हुई हैं सरपंच जीतने के बाद उसने अगर उसको वोट नहीं दिया है तो उसके या तो मकान को गिराया जाता है या मकान गिराया नहीं जाता तो उसको किसी भी प्रकार से उधार लाकर उसको कुछ दिया जाता है, उसको रोका जाता है।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, अगर इस विधेयक में पट्टा देने की बात होती जो पिछले 50 साल से कब्जे वाले हैं जिनके मकान बने हुए हैं उनके लिए विधेयक लाते तो मुझे लगता कि आपने पंचायती राज को मजबूत किया है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री छगनसिंह (आहोर): मैं पुन: मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को संशोधन करके लाएं। यही निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 में 1994 के राजस्थान अधिनियम संख्या-13 की धारा-89 का संशोधन है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 का अधिनियम-13 की धारा-89 की उप धारा-2 में दो छोटे-छोटे इसमें संशोधन लाए हैं। पहला है खंड-1 में विद्यमान अभिव्यक्ति ग्राम सेवक के स्थान पर अभिव्यक्ति ग्राम विकास अधिकारी स्थापित किया जाए। मतलब यह केवल नाम बदलने मात्र से इस राजस्थान की पंचायतों का कायाकल्प हो जाएगा। यह सोचकर शायद इस प्रस्ताव को लाए हैं कि जैसे उनको अधिकारी शब्द का तग़मा दे देंगे तो उसके साथ ही सारे पंचायती राज का उद्धार हो जाएगा। मैं सोचता हूं यह आप नाम दे रहे हो तो इनको कुछ काम भी दोगे तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। सच में 73वें अमेंडमेंट के बाद राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के पंचायती राज को जो ताकत मिली है और जिसके पीछे कल्पना यह थी कि गांव का सारा का सारा जितना भी काम है सभी विभागों का लगभग 27 विभागों के जितने काम जो गांव से संबंधित हैं उस पंचायत से संबंधित हैं, उन सारे के सारे कामों का अधिकार पंचायत को दे दिया जाए जिसके कारण से गांव की उन सब समस्याओं का निदान उसी सचिवालय में हो जाए। यह इसके पीछे सोच थी और इसी सोच के आधार पर यह हमने पंचायती राज के बारे में विचार किया और मैं सोचता हूं कि जब 73वां अमेंडमेंट आने के बाद जब आपका महिला आरक्षण लगभग पंचायती राज में 50 परसेंट हो गया। आज की तारीख में भी राजस्थान में पंचायत में सरपंच से लेकर, प्रधान से लेकर, प्रमुख से लेकर, वार्ड पंच से लेकर इन सबमें 50 परसेंट का आरक्षण है तो मैं सोचता हूं कि इसके पीछे सोच यह थी कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जब तक समाज का यह जो महिला वर्ग है यह भी इस काम में सहभागी नहीं बनेगा तब तक गांव के संपूर्ण विकास की कल्पना करना निरर्थक होगा।

एक बहुत अच्छी सोच के साथ इस अमेंडमेंट को लेकर आये और हमारा यह भी था कि समय पर इसके चुनाव हो जाएं। एक आपका प्रधान दूसरे प्रधान को चार्ज देकर जाए पर दुर्भाग्य है कि इस बार हमने इस कानून की अवहेलना की। इसके कारण से भी इस कानून को हमने थोड़ा हल्केपन में लिया। होना तो यह चाहिए कि जो मंशा थी एक्ट की और जो संशोधन 73वां लाए थे, उसके अनुसार ही अपने को काम करना था। अब इसमें जहां तक है मतलब इसको अधिकारी तो आपने बना दिया लेकिन इस अधिकारी की गति क्या है? इसको नाम परिवर्तन करने मात्र से मतलब इसका उद्धार हो जाएगा ऐसा तो कम से कम मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। कारण क्या है कि इसके पास काम कितने हैं। अगर सच में हम पंचायत में जिसके पीछे अपनी और सब की भावना थी कि पंचायतों को और पंचायती राज को इतना सशक्त किया जाए कि उस क्षेत्र के सारे काम की जिम्मेदारी उनके पास आ जाए। यह है कि आज की तारीख में पंचायत विभाग में दायित्वों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित होती हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और इन योजनाओं के साथ 15 और विभिन्न प्रकार के काम इनके पास दिए हैं और यह जो 73वां संशोधन है इसमें 27 विभागों को भी पंचायती राज को देकर सशक्त करना था। पिछली सरकार हमारी थी तब हमने 5 विभागों को जरूर इस पंचायती राज को दिया था ताकि वह सशक्त हो लेकिन उसमें भी फंड फंक्शन और फंक्शनरीज जो सब देनी थी, कोई डिपार्टमेंट अपना अधिकार छोड़ना ही नहीं चाहता। मंशा तो यह थी कि उनको यह सारे के सारे अधिकार किसी प्रकार से दें। अब उसमें आप काम कैसे कराओगे। जिनको आप अधिकारी बना रहे हो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनमें से कितने लोग कम्प्यूटर जानते हैं उनको कम्प्यूटर के अन्दर ट्रेनिंग ठीक प्रकार से मिले ताकि वह अपना काम कर सके उसके बारे में कोई सोच हमारी है नहीं और योग्यता की दृष्टि से भी मैं सोचता हूं कि फिर से विचार करना चाहिए जब इसको अपन अधिकारी जैसा तग़मा दे रहे हैं तो अधिकारी जैसी योग्यता और काम भी उसके पास हो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं भी उन सदस्यों के साथ सिरोही से आने वाले और सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बात को सही कहता हूं। पता नहीं हम किस कारण से इस सेवक के नाम को, हम जनसेवक हैं क्या हमें यह शब्द खराब लगता है कि हम जनसेवक हैं? लेकिन वह आदमी यह सोचता है कि मुझे अगर ग्रामसेवक कहें तो मैं छोटा आदमी हूं, ग्राम अधिकारी कह देंगे तो मेरी हाइट 6 फीट की लम्बी हो जाएगी। इसका मतलब उसका व्यवहार करने का तौर तरीका बदलेगा। यह जो हमने प्रशासनिक अधिकारियों को इन तमगों से जो जाना है न, उसके कारण से जनता के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में एक खाई-सी डवलप हुई है। अब पता नहीं आपके ऊपर क्या प्रेशर था या हम लोगों पर क्या प्रेशर था या तो उनके सामूहिक आंदोलन के पीछे हम सब लोग धराशायी हो जाते हैं, लेकिन भावनाओं को अगर अंगीकार करोगे तो भविष्य इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है इस बारे में आपको कुछ विचार करना चाहिए।

अभी 11344 हमारी पंचायतें हैं। पहले इसकी तो पूर्ति कर दो कम से कम। वहां आपका एक व्यक्ति तो लग जाए। आज की तारीख में लगभग 4000 पद खाली हैं। 4000 पद जब आज खाली हैं उसकी पूर्ति नहीं है और उनको कैसे भरें इस बारे में कुछ विचार करना चाहिए। खाली इधर से उधर एडजस्ट करने से नहीं चलेगा। आपने देखा होगा न, रिक्त पदों को भरने के लिए कभी सिंचाई विभाग के जो सरप्लस पटवारी हुए उनको अपने यहां लगा दिया। पांचवीं और आठवीं पास नगरपालिका के चुंगी नाके के सरप्लस लोगों को आपने इसमें लगा रखा है। अध्यापकों में से किसी को आपने पंचायत सहायक के रूप में वहां लगा दिया। पंचायती राज को आप मजबूत कर रहे हो या पंचायती राज को कमजोर कर रहे हो? हमें ध्यान इस बात पर देना चाहिये कि जब तक हम पंचायत के भरोसे विकास की अवधारणा मेरी और आपकी है, उसको कैसे अपन सशक्त करें, उसके बारे में विचार करना चाहिये।

हमने कुछ डिपार्टमेंट उस समय दिये थे। देने तो 27 डिपार्टमेंट थे, जो सबकी भावना है और सबने इस बारे में, पांच विभाग हमने उस समय ट्रांसफर किये थे। कृषि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, चिकित्सा विभाग, महिला और बाल कल्याण और प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, यह पांच विभाग हमने उनको काम की दृष्टि से दे दिये थे लेकिन उनको ताकत कुछ भी नहीं दी। जिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विभागों को भी ट्रांसफर किये वह आज की तारीख में विभाग ही उस पर एक तरह से मठाधीश बनकर बैठे हैं। इनको केवल कागजों में यह कहने के लिये कि हमने उसकी पालना कर ली, यह पालना तो हमें 27 विभाग की करनी थी, जो हमने अभी पांच की की है। उसमें भी हमने उनको पूरा अधिकार, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी नहीं दिया है। मैं सोचता हूं अगर वास्तव में पंचायती राज की जिस रूप में कल्पना की थी और जिस आधार पर यह सारा अमेंडमेंट लाकर इतने जन प्रतिनिधियों को समय पर बनाना, महिलाओं को उतना आरक्षण देना और मेरे उस ट्राइबल एरिया में तो, मैं सोचता हूं कि मेरे उस शिड्यूल एरिया में सेंट परसेंट बच्चे और बच्चियां, जिंदगी में पहली बार सरपंच की कुर्सी पर बैठने का मौका उसको मिला, नहीं तो उसके पहले गांव का कोई एक आदमी होता था जो कभी दुकान चलाता था या कोई धंधा करता था, वही गांव का सरपंच होता था। आज इस अमेंडमेंट के कारण से यह सौभाग्य मिला है कि उस गरीब की बच्ची को भी जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस सरपंच की कुर्सी पर बैठूंगी, प्रधान की कुर्सी पर बैठूंगी और जिला प्रमुख बनूंगी, इतना बड़ा समाज का जब रेडिकल चेंज हुआ तो मैं सोचता हूं उसके अनुसार इस डिपार्टमेंट को भी उनको उतना ही सशक्त करने की जरूरत है। उसके लिये आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखकर करो।

एक बात मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आप जो इसमें 'ख' का संशोधन ला रहे हैं, आप चाहो तो ट्रैजरी बेंच की तरफ से अमेंडमेंट ले आओ, इसमें विद्यमान खंड 'ख' हटा रहे हैं। इसमें ग्राम सेवक की जगह, ग्राम सेविका थी। ग्राम सेविका को हटाने के पीछे क्या है, इसको रहने दीजिए। कारण क्या है कि आज पंचायती राज में जिस प्रकार से महिलाओं का परसेंटेज है, उनके जन प्रतिनिधि हैं, गांव की वार्ड पंच से लेकर सरपंच से लेकर प्रधान तक, वहां यह पद आज आपका नहीं भरा, कोई बात नहीं, आप इस पद को कल भरना लेकिन इस पद को विलोपित करने से आपको नफा क्या होने वाला है, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैं सोचता हूं कि आज आपके पास पद नहीं होगा, आज आपके पास एक भी ग्राम सेविका नहीं हो सकती लेकिन भविष्य के लिये इस रास्ते को खुला तो रखो जिसके कारण से इस पद पर कोई बहनों को नियुक्त करें और पंचायती राज को जो महिला आरक्षण के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण से ताकत मिली है, उस ताकत को हम कम नहीं करें। मैं सोचता हूं पंचायती राज की बाकी कमियां देखें तो मैं सोचता हूं पंचायती राज में आज की तारीख में सारे के सारे काम बंद पड़े हैं। समय पर उनका पैसा भी ट्रांसफर नहीं होता। अब तक तो 15वें वित्त आयोग का पैसा चला जाता, राज्य सरकार का पैसा चला जाता और उसमें भी उन्होंने बहुत राइडर लगा रखे हैं कि पैसे को बिना चैक से वह खर्च नहीं कर सकता। काफी कुछ बांधने का प्रयास किया है। सरकारी खजाने का इतना पैसा, में सोचता हूं कि यह जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, कई गांवों में 100-100 घर, 200-200 घर बंद हैं, उनकी मोनीटरिंग होनी है, सफाई की दृष्टि से जो शौचालय बने हैं, उनके बारे में होना है। हर चीज आज की तारीख में पंचायतों को दे रखा है पर पंचायत सशक्त कब होगी, जब आपके यह दोनों ही अधिकारी वहां होंगे और इसके अलावा भी ग्राम सचिवालय की जो कल्पना थी, उस ग्राम सचिवालय की कल्पना को साकार करने का अगर प्रयत्न करेंगे तो आज नहीं, दो साल, पांच साल के बाद निश्चित रूप से गांवों की जो डिपार्टमेंट से छोटी-छोटी समस्याएं हैं, वह कम से कम उस गांव के इस अधिकारी के द्वारा और सरपंच के द्वारा समाधान हो जायेगा। मैं सोचता हूं यह तो आपने बनाया पर इस बारे में जरूर ध्यान रखोगे। जब तक इसको सशक्त नहीं करेंगे तब तक और एक बार फिर प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मेरी बात समझ में आती है तो यह जो आप ग्राम सेविकाओं को हटा रहे हो, इसको आप रहने दीजिए। कब आपको उपलब्ध होंगी, कैसे उपलब्ध होंगी, यह आप प्रयत्न कीजिए लेकिन इस शब्द को हटाकर पंचायत को इससे विहीन मत कीजिए। यह हमारा कानून इस दृष्टि से बहुत ही गलत कदम हमारे द्वारा हो जायेगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको ध्यान में रखें।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि। अपने स्थान पर जाइए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, मेरे स्थान पर बोलने का माइक नहीं है इसलिए मुझे दूसरे स्थान पर आना पड़ा है।

श्री सभापति: चलिए बोलिए आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आप इजाजत दें तो मैं बोल लूं, धन्यवाद। कोविड के कारण चेंज किया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के

(श्री अभिनेश महर्षि)

लिये यह विधेयक लाया गया है। (व्यवधान) बातें इतनी जोर से हो रही हैं कि यहां तक आवाज आ रही है, सभापति महोदय, थोड़ा-सा संरक्षण चाहिये।

श्री सभापति: मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): डिस्टर्बेंस तो होता ही है। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास और पंचायती राज (संशोधन) विधेयक में जो छोटा-सा संशोधन अधिकारों को लेकर, पदनाम को बदलने को लेकर किया गया है। निश्चित रूप से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो भावना व्यक्त की है, अधिकारी का पदनाम बदले लेकिन साथ में उसको अधिकार जरूर दें जिससे वह उस पदनाम के साथ न्याय कर सके, यह मेरा विनम्र निवेदन है। ग्रामीण विकास के तहत काफी सारी दिक्कतें आती हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो समस्याएं हैं उनको भी यदि इस बिल में शामिल कर लेते तो उन समस्याओं का समाधान भी हो जाता और यह जो छोटे-छोटे संशोधनों से बार-बार सदन का समय जाया होता है, वह समय जाया नहीं होता।

पंचायती राज में मात्र केवल एक बार विक्रय पट्टा देने का नियम है जबकि पट्टाधारक की मृत्यु हो जाने पर नामांतरण की व्यवस्था एवं कोई भी चयन व्यवस्था नहीं है। यह प्रेक्टिकल समस्या है, इसमें कृपया संशोधन करते हुए नगर प्रन्यास की तरह नामांतरण और चयन व्यवस्था यदि प्रारम्भ की जाती है तो यह निश्चित रूप से एक बहुत भले का कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर हो जायेगा। ग्रामीण विकास विभाग में जो विक्रय पट्टा देने की तीन माह में रजिस्ट्री का प्रावधान है, पंचायती राज का नहीं होकर यह अधिकार राजस्व विभाग का दिया हुआ है। मेरा इसमें यह निवेदन है कि यह स्पष्ट आदेश जारी करे कि बैंक लोन हो तब भी पंचायती राज के पट्टे की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य ....

श्री सभापति: रजिस्ट्री का कोई प्रकरण ही नहीं है, यह सीधा-सीधा जो पदनाम बदला है, उसके बारे में है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि पंचायती राज से...

श्री सभापति: वह विनम्र निवेदन आपका स्वीकार कर लिया ...

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): पंचायती राज से मैं यह सुझाव दे रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय, सुझाव की जरूरत नहीं है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं यह कह रहा हूं कि इस बिल में यदि ये शामिल कर लिये जाते।

श्री सभापति: फिर आप कहेंगे कि मुझे बोलना है। श्री अविनाश।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन सुनिए।

श्री सभापति: नहीं, मैं अलाउ नहीं करता, बिलकुल अलाउ नहीं करता। एक-एक बात को आप बार-बार रिपीट करते रहते हो। जब मैंने बार-बार आपको बोल दिया।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह एक भी बात नहीं कही है।

श्री सभापति: पूरी तरह कन्फाइन करें, सब्जैक्ट पर बोलना है तो बोलिए। श्री अविनाश। अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री अविनाश।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: क्या तय कर रखा है, विराजिए आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, इन्हें संयमित कीजिए, बिलकुल तरीका नहीं है। आसन को डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं है। विराजिए आप।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री अविनाश। आपको बोलना है? श्री मदन दिलावर। आप बोलिए, बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, इनको कहिये आप विराजें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: श्री अविनाश। पढ़कर आया करो।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये। कोई अंकित नहीं होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: कुछ परम्पराएं सीख लो। उसके लिए परम्पराएं हैं। आप विराजिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजिये। श्री अविनाश। क्या जोर से बोलने से चीज सही हो जाएगी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: आप आवाज बाहर जाकर लगाइये, सदन के बाद सड़क पर खड़े रहकर जितनी मर्जी हो, उतनी जोर से बोलिये। यह सदन है। यह सदन परम्पराओं से चलेगा और आसन की व्यवस्थाओं से चलेगा। भगवान ने आपको आवाज दी है तो आप बाहर जाइये और जितनी मर्जी हो उतनी आवाज में आप बोलिये। इस कैम्पस में बिल्कुल नियम से बोलना पड़ेगा। श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, कृपा दृष्टि बनाये रखें। मैं अपनी बात को पांच मिनट में संक्षेप में समाप्त करूंगा और पंचायती राज विभाग एवं इस विधेयक के बारे में ही बात करना चाहूंगा। वीरों की धरती नागौर राजस्थान से स्थानीय नेता लिखमाराम जी चौधरी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर, 1959 को तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में पंचायती राज संस्थान का शुभारम्भ किया और 2 अक्टूबर, 1959 को जिस नागौर जिले से पंचायती राज की स्थापना हुई और स्थापना होने के लगभग 15 वर्षों तक पंचायती राज विभाग के चुनाव नहीं हुए। जिस समय स्थापना हुई, उस पंचायती राज विभाग में मुख्य रूप से ग्राम स्वराज्य की कल्पना सहकारी समितियां और न्याय पंचायत के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग की स्थापना हुई। 15 वर्षों तक चुनाव नहीं कराये गये।

माननीय सभापति महोदय, जिस समय पंचायती राज की स्थापना हुई, उस समय एक सरपंच को अधिकार था कि वह ढाई सौ रुपये तक के विकास कार्य करवा सकता था। आज आजादी के 75 वर्षों के बाद जब हम खड़े हुए पंचायती राज विभाग की तरफ देख रहे हैं तो एक सरपंच लगभग एक करोड़ रुपये के विकास के कार्य करवा सकता है और 73वें संशोधन में पंचायती राज की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया, जहां से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् का गठन हुआ।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, आज जो संशोधन, पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2021 प्रस्तुत किया गया, इसमें मुख्य रूप से ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी का पद नाम चेंज हुआ और इसके खण्ड2 में ग्राम सेविकाओं के पद को विलोपित किये जाने का प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय के द्वारा लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज अभी आपकी सरकार के माध्यम से राजस्थान में कितनी नवीन ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। आपने कभी गौर करके देखा कि नवीन ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम सेवकों के कितने पद रिक्त हैं? मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि आप यह संशोधन क्यों लेकर आये हैं लेकिन मेरी आपत्ति इस बात में है कि आपकी ग्राम पंचायतों में जो नवीन ग्राम पंचायतें बनी हैं, वहां पर ग्राम सेवकों के पद नहीं हैं। इसके साथ ही, चुनाव से पहले आपने रोजगार सहायकों को स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन आज लगभग तीन साल बीतने के बाद भी रोजगार सहायक/पंचायत सहायकों का वेतन 6,600 रुपये दिया जा रहा है। हर बार उन्होंने हड़ताल की और धरना किया है, लेकिन आज दिन तक आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। यह पंचायत सहायकों के प्रति आपकी संवेदना को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय, क्या इस प्रकार के नाम परिवर्तन से ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सम्बल मिलेगा? क्या इससे ग्राम पंचायतों की स्थिति मजबूत होगी, इस पर भी आपको सोचने की जरूरत है। जिस खण्ड-2 में आप ग्राम सेविकाओं के पद को विलोपित करने का जो संशोधन आप लेकर आये हैं, मैं कहना चाहूंगा कि एक बार हो सकता है कि आप यह लाये तो होंगे, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति जहां तक मुझे लगा...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री मदन दिलावर।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: विराजिये।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आप इसमें एक संशोधन इसके बाद और लेकर आयें कि ग्राम पंचायतों की जो निजी आय है, उसमें विकास कार्यों में दो लाख रुपये

(श्री अविनाश)

तक खर्च करने की पावर सरपंचों के पास होती है। आप इसमें संशोधन करके, कृपा करके पांच लाख तक का अधिकार ग्राम पंचायतों के सरपंचों को दें और मैं चाहूंगा कि इस अधिनियम को आप छह महीने के लिए परिचालित करें और नये संशोधन के साथ विधान सभा में लेकर आयें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, 1994 के राजस्थान अधिनियम संख्या 13 की धारा 89 का संशोधन इस विधेयक में लाया गया है। इसमें कहा गया है कि हम ग्राम सेवक शब्द को विलोपित करके ग्राम विकास अधिकारी जोड़ रहे हैं। मैं सोचता हूं, अच्छा तो है, लेकिन इसके साथ-साथ उनके अधिकारों और कर्तव्यों का भान उनको कराया जाना चाहिए और स्मरण कराया जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिखित रूप से बहुत अधिकार हैं, कर्तव्य भी लिखित रूप से बहुत हैं लेकिन क्या हम कठोरता से उनका पालन करवा रहे हैं? कठोरता से पालन नहीं करवा पाने के कारण आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे जो सोच थी, वह पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि इन्हें हमने अब अधिकारी बना दिये हैं। ये अपने आप अधिकारी कहलाने लग गये हैं तो फिर हमें इनको इन सबका भान कराना जरूरी है। जैसे स्वच्छता अभियान में गांव में जाकर देखते हैं तो गंदगी के ढेर पड़े हैं। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि, पैसा है। माननीय प्रधान मंत्री जी सीएफसी के द्वारा पैसा भेज रहे हैं और उसमें से वन-थर्ड राशि स्वच्छता पर खर्च करनी है, लेकिन सामान्यत: देखा जा रहा है कि वह पैसा खर्च नहीं हो रहा है। उसकी समीक्षा करने वाला और मानिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। कोई देखता भी नहीं है। आखिर उसको कौन देखेगा कि इस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है?

सरकार ने महिलाओं को अधिकार दिये कि महिलाओं का विकास होना चाहिए और राजनीति में इनकी अच्छी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन आज भी जब महिलाएं चुनी जाती हैं तो अधिकतर महिलाओं की जगहों पर उनके परिजन हावी रहते हैं और उन परिजनों से ग्राम विकास अधिकारी भी परेशान रहता है इसलिए इससे मुक्ति दिलाना चाहिए। सरपंच के जो परिजन हैं, उनका हस्तक्षेप न हो, इसका भी कठोरता से पालना कराना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। इसके कारण से राजनीति में जो विकास महिलाओं का होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है।

(श्री मदन दिलावर)

इनके लिए हम स्टेट फाइनेंस कमीशन से भी राशि देते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि या तो कई दिनों तक उनको राशि नहीं मिलती है और अगर मिलती है तो बहुत न्यून मिलती है। यह कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सीएफसी से जो पैसा मिलता है, उसे भी कई बार राजस्थान सरकार रोक लेती है जो कि ठीक नहीं है। यानी कि हम इतने सारे काम पंचायतों से चाहते हैं, ग्राम विकास अधिकारी से चाहते हैं तो फिर उनको धन भी सरकार दे रही है, उसका फ्लो समय पर होना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए, उसे रोका नहीं जाना चाहिए। उनके कई सारे अधिकार और कर्तव्य हैं, उनका भी भान कराना चाहिए। लगभग हर छह महीने में इनकी कार्यशाला होनी चाहिए, इनको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस प्रकार का काम आपको करना है। इनके कामों की समीक्षा के लिए कोई न कोई स्थायी साधन करना चाहिए, स्थायी अधिकारी नियुक्त करना चाहिए या बीडीओ को पूरी तरह से अधिकृत करना चाहिए। रिकार्ड में तो अधिकृत है, लेकिन सामान्यतया उसकी पालना नहीं हो रही है। उसकी पालना कराने के लिए उसको फोर्स करना चाहिए, ताकि जो सरकार का पैसा आ रहा है, उसका सदुपयोग हो सके। मेरा इतना ही निवेदन था।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 में ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी का दर्जा जो राजस्थान सरकार ने दिया है, मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा। मैं दो-तीन सुझावों के साथ मेरी बात पूरी करना चाहूंगा। इन्होंने एक लम्बा आंदोलन चलाया कि हमें राजनीतिक प्रताड़ना के चलते जिलों से बाहर फेंक दिया जाता है। इसलिए सरकार ने कानून बना दिया कि इनका जिलों से बाहर तबादला नहीं होगा। अब आज उनकी नयी मांग उठ रही है कि हमारे जिलों के बाहर भी तबादले किये जाएं। ग्राम विकास अधिकारियों के साथ कनिष्ठ सहायक जो पंचायती राज में लगे हुए हैं, वे भी जिलों के बाहर कैडर की मांग कर रहे हैं कि जिलों के बाहर उनके भी तबादले हों। दूसरा, पंचायत सहायक इनके साथ लगे होते हैं, उनका न्यूनतम वेतन सिर्फ 7 हजार रुपये में शोषण हो रहा है। उसको 24 हजार रुपये किया जाए। सबसे ज्यादा काम अगर कोई ग्राम पंचायत में करता है,

(श्री बलवान पूनियां)

ग्राम विकास अधिकारियों के पास तीन-तीन पंचायतें हैं लेकिन पंचायत सहायक बहुत ज्यादा काम करता है।

सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी बात जो हमें साल रही है, वह यह है कि सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, कम्प्यूटर आपरेटर, पंचायत सहायक और एकाध कर्मचारी और भी है ग्राम पंचायत में, 5 कर्मचारी होने के बावजूद ये क्या व्यवस्था कर दी कि इसके बीच में ठेका और किसी आदमी को मिलेगा। नरेगा में मैटेरियल का ठेका मिलता है, वह ठेकेदार की फर्म आएगी वह मैटेरियल देगी। ईंट अलग से देगी, सीमेंट अलग से देगी, बजरी अलग से देगी, क्रेशर अलग से देगी, पक्के काम में वह सारे के सारे ठेके के पीछे दो प्रतिशत लेकर जहां दलित की, पीड़ित की या किसी अननॉन आदमी की पंचायत जीत गयी, जो पंचायती राज का ज्ञान नहीं रखता, वहां पांच-पांच, सात-सात परसेंट ठेकेदार मारता है। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान की सरकार ये बीच में ठेके वाले आदमी को बाहर करे। ग्राम विकास अधिकारी को जो इतना बड़ा रुतबा आप दे रहे हैं, मैं समझता हूं सरपंच जिसको पूरा गांव बड़े चाव के साथ जिताता है, वह काम करने में सक्षम होगा। इस ठेकेदारी प्रथा को बंद कीजिए। इस जनमत जानने के मेरे प्रस्ताव को मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, ये विधेयक जो लाए हैं, माननीय मंत्री महोदय, मैं कई दिन से देख रहा हूं इस छोटे से सत्र में एक-एक शब्द को चेंज करने के लिए ये विधेयक आये हैं। शब्द भी ऐसे शब्द उसके बिना सरकार का काम नहीं चले, ऐसा नहीं है। मैं किसान परिवार से आता हूं। छोटे थे तो गांव में ग्राम साथी होते थे। माननीय सभापति महोदय, आप भी किसान परिवार से हैं। वह ग्राम साथी हमारे खेतों में हमारे साथ घूमता था कि यहां यह कीजिए, यहां यह कीजिए परन्तु आपने एक शब्द चला दिया अधिकारी का, आप ग्राम अधिकारी बना रहे हैं, अच्छी बात है, धन्यवाद आपको परन्तु हमारे यहां अधिकारी शब्द बदनाम हो गया है। अधिकारी शब्द बेसिकली वहां से पैदा हुआ जो अधिक कार्य करने वाला है, वह अधिकारी है परन्तु आज आजादी के 70 वर्ष बाद हम शब्द चेंज करके उसको उपाधि तो दे रहे हैं, किंतु अधिकारी शब्द ऐसा है कि अधिकारी शब्द

(श्री धर्मनारायण जोशी)

बदनाम हो गया है, माननीय मंत्री महोदय। वह ग्राम साथी जो शब्द था, प्यार था गांव में किसान और ग्राम साथी के साथ, वह प्यार नहीं होगा इस ग्राम अधिकारी से। वह अधिकारी बन जाएगा।

आज गांव में एक-एक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक जो है, जिसको आप ग्राम विकास अधिकारी कह रहे हैं, उसके पास तीन-तीन पंचायतें हैं। आज केन्द्र और राज्य की लगभग 100 से ऊपर योजनाओं पर वह ग्राम विकास अधिकारी काम कर रहा है। वेतन का पूरा भुगतान नहीं है। अनेक पंचायतें ऐसी हैं, हमारा आदिवासी क्षेत्र पूरा मेवाड़, आदिवासी क्षेत्र में रिजर्वेशन के कारण सरपंच तो जीत गया चुनाव, महिला जीती, वह कुछ जानती नहीं है और आपको आश्चर्य होगा कि कई पंचायतों में ऐसी स्थिति है कि वह ग्राम सेवक उस सरपंच को महीने की तनख्वाह देता है और उसके सिग्नेचर कराता है। क्षमा करना, मैं बहुत कड़ी बात निवेदन कर रहा हूं आपसे। यह हमारी पंचायतों की स्थिति है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि केवल एक शब्द के लिए आप विधेयक लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसको अधिकारी बनाया परन्तु वेतन का भी ध्यान रखें। अनेक पंचायतों में आज कर्मचारी इतने हैं कि पंचायतों की जो आय है, वह सारी तनख्वाह में जा रही है। राजस्थान सरकार ने पिछले तीन साल में पैसा पंचायतों को रिलीज नहीं किया है। मिनिमम कोई 5 लाख, 7 लाख रिलीज किया है। भारत सरकार का लगभग एक-एक पंचायत में तीस-तीस लाख रुपया आ गया है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अनेक जो नई पंचायतें बनी हैं, उनमें भवन नहीं हैं। ये सारी व्यवस्था करके आप इसको पास कीजिए। मेरे ये दो-तीन सुझाव हैं, इनको माने। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो आज प्रस्ताव लेकर आये हैं, 1994 की धारा 89 की उपधारा (2) जिसमें ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी बनाने का जो अमेंडमेंट लेकर आये हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक सेवक को आप अधिकारी बना रहे हैं। ठीक है, हमारे पूर्व के पंचायती राज मंत्री जी जो उपनेता हैं, इन्होंने भी घोषणा की थी राजस्थान विधान सभा में और उसके आदेश भी जारी कर दिये थे। आदेश

(श्री नरेन्द्र नागर)

जारी करने के बाद सरकार चली गयी और तीन साल के बाद में आज आप यह अमेंडमेंट लेकर आये हैं, तीन साल होने के बाद।

मैं जहां तक समझता हूं जिस प्रकार से आज ग्राम सेवक अपनी मांगों को लेकर आपके सामने उन्होंने जो ज्ञापन दिया है, जो सरकार से मांग कर रहे हैं, उनका ध्यान परिवर्तन करने के लिए उनको सेवक से सिर्फ अधिकारी बनाकर आप राज़ी करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार अभी ग्राम पंचायत लेवल पर जो अभियान चलाना चाह रही है, उसमें वह ग्राम सेवक आपका सहयोग करे, इसके लिए आप यह लेकर आये हैं।

सभापति महोदय, पंचायती राज मजबूत बने। पूर्व में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, मैं उसको दोबारा आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि एक सेवक के रूप में काम करें, अधिकारी के रूप में काम करें तो उसको इतना अधिकार भी हो और साथ ही जो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की है, एक पंचायत समिति सदस्य जो प्रधान बनाता है, एक जिला परिषद् सदस्य जिला प्रमुख बनाता है परन्तु जिला परिषद् सदस्य के पास पावर क्या है? उस पर कभी हमने समीक्षा की? आज हम राजनैतिक क्षेत्र से आते हैं, हमें पंचायत समिति सदस्य के लिए भी ढूंढना पड़ता है, जिला परिषद् सदस्य के लिए भी हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। स्थिति यह है कि आज पंचायती राज में पंचायत समिति और...

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): साहब, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। पहले भी तो सदस्य बोलें हैं। सबने ऐसा ही बोला है, जो मैं बोल रहा हूं। यदि ऐसा किसी ने नहीं बोला हो तो मैं भी बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): एक मिनट तो बोलने दीजिए।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल। समाप्त कीजिए अब।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): अगली बार से नाम ही नहीं देंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मूल विधेयक पंचायती राज (संशोधन), 1994 में हमारा यह लागू हुआ, उसके बाद कई बार बीच-बीच में इसमें संशोधन आये। 8 दिसम्बर, 2014 को भी हम

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

इसमें संशोधन लेकर आये जिसमें शौचालय का हम लोगों ने तय किया। उसके बाद 20 दिसम्बर, 2014 को हम संशोधन लेकर आये, माध्यमिक शिक्षा का इसमें उत्तीर्ण का तय किया और 2019 में विधि विभाग द्‌वारा खण्ड द, ध और न को हटाया गया, यानी कि शिक्षा का प्रावधान हटा दिया और अब हम इस विधेयक में संशोधन लेकर आ रहे हैं कि ग्राम सेवक जो है, इसका नाम हमने परिवर्तित किया है, ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। अच्छा काम आप कर रहे हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि वास्तव में ग्राम सेवक में जो आत्मीयता है, वह ग्राम विकास अधिकारी में हमें देखने को नहीं मिल रही, इस पर हमें विचार करना चाहिए।

दूसरा, हमने इसको विलोपित किया है। इस खण्ड सैकण्ड में से, मुझे लगता है ये विधेयक हम लोग लेकर आ रहे हैं लेकिन क्या हमने इस विधेयक में यह प्रावधान किया कि जो हम देख रहे हैं कि बीडीओ जब पंचायत समिति में हमारा प्रथम बार नौकरी लगता है, जब वह रिटायर होता है, तब तक बीडीओ ही कहलाता है और लगातार विकास अधिकारी इसके लिए, अनेक बार हमको भी ज्ञापन दिये गये, पंचायती राज को भी ज्ञापन दिया। अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया तो ऐसे हम विधेयक लेकर आये तो निश्चित रूप से पंचायती राज मजबूत होगा।

पंचायतों में हम देख रहे हैं कि हमारे कितने रिक्त पद पड़े हैं। ग्राम सेवक जो हमारा एक सेवक होता है, उसको भी हम तीन-तीन पंचायतें 80-80 किलोमीटर की दूरी पर देते हैं। हम क्या कल्पना कर सकते हैं गांवों के विकास की। यह कतई सम्भव नहीं है। जो हमारे रिक्त पद पड़े हैं, जो 5,160 पदों को भरने की आपने बात की थी, जो घोषणा की थी, उस पर हमें विचार करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि जो हमारे पंचायती राज में जो हमारे संविदाकर्मी हैं, उनको स्थायी किया जाए। जैसा अभी सभी ने कहा, मैं भी इसको दोहराऊंगी कि जो हमारे पंचायत सहायक हैं, जिनका हम शोषण कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे अच्छा वह नरेगा में मजदूरी कर लें। क्या हम उनका वेतनमान नहीं बढ़ा सकते? इस पर हमें विचार करना चाहिए। दूसरा, मेरा निवेदन है कि 10 माह पहले पूरे राजस्थान के अन्दर पंचायत समिति स्तर पर हमारे मेटिरियल सप्लाई का टेंडर हुआ, उसमें निविदा जारी हुई, उसमें धरोहर राशि के रूप में....

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): एक मिनट, साहब, धरोहर राशि के रूप में जो सप्लायर थे, उन्होंने राशि जमा करवाई। दस माह बाद भी उन लोगों को यह राशि नहीं लौटाई जा रही है और पूरे राजस्थान में यह राशि कम से कम 150 करोड़ के लगभग है। इसको लौटाई जाए। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। धन्यवाद साहब।

श्री सभापति: विराजिए। जो बात आपको बोलनी थी, वह बोल ली। क्या इधर-उधर की बात। आप मंत्री जी से मिल लीजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। यह कानून 1993 में बना, 1994 में लागू हुआ। इस विधेयक में कई बार, पहली बार 08 दिसम्बर, 2014 को पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए शौचालय होना अनिवार्य बताया। उसके बाद शिक्षा को अनिवार्य किया। 2019 में शिक्षा को वापस हटाया। सभापति महोदय, इसमें ग्राम सेवक की जगह ग्राम विकास अधिकारी ...(व्यवधान) नाम चेंज किया, उसके लिए धन्यवाद, पर इन सचिवों का प्रमोशन भी होना चाहिए इस कानून में, क्योंकि सचिव और पीओ के अलावा वह बन नहीं सकता, विकास अधिकारी कैसे बन सकता है, बीडीओ कैसे बन सकाता है, उसके बारे में भी सोचें। जो बीडीओ काफी टाइम से हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, उनका प्रमोशन भी एसीईओ पर हो, सीईओ पर हो, उसके बारे में भी सरकार चर्चा करे।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज में जिला परिषद् सदस्य और पंचायत सदस्य को कोई भी अधिकार नहीं है, उनको तनख्वाह भी मिलनी चाहिए, उनका अलग से कोटा भी होना चाहिए, उसके बारे में भी आप चर्चा करें।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, एक मिनट भी नहीं हुआ।

श्री सभापति: श्री कालूराम ।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): साहब, एक मिनट।

श्री सभापति: आप विषय पर बोलिए। न जिला परिषद् है, न पंचायत है, न सरपंच है। सीधा-सीधा...

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): एक मिनट का समय दे दीजिए। उसी पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: हां, बोलिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): साहब, उसी पर बोल रहा हूं, एक मिनट का समय दीजिए। माननीय सभापति महोदय, ग्राम सेवक की जगह विकास अधिकारी का चेंजेज किया है, वह अच्छा है। सचिवों के बारे में, बीडीओ के बारे में, रोजगार सहायक के बारे में भी आप सोचें, उनको काफी टाइम से कम तनख्वाह मिल रही है, उसके बारे में भी चर्चा करें। काफी टाइम से हड़ताल कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचें। पंचायत सहायकों का पैसा कैसे बढ़ सकता है, उनको कैसे परमानेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप चर्चा करें। पंचायती राज संस्थाओं में जो टेण्डर प्रक्रिया है, उसके बारे में भी आप एक बार चर्चा कर लें। टेण्डर प्रक्रिया, बीएसआर रेट के हिसाब से, सरपंच काम कर ले, क्योंकि सरपंच पर जनता इतना विश्वास करती है, उसके बारे में भी चर्चा कर लें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह चर्चा का विषय नहीं है। इसमें जो परिवर्तन किया है उसके बारे ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, इन सब कामों को सोचते हुए, इस विधेयक के बारे में आप चर्चा करें। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-13 89 के तहत आप जो संशोधन लाए हैं, उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी का दर्जा दिया, वह ठीक है, बहुत अच्छा है। आपको इनके काम का भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि ग्राम विकास अधिकारी का काम क्या है। ग्राम विकास अधिकारी को 4-4 पंचायतें दे रखी हैं। ग्राम विकास अधिकारी पूरे पंचायती क्षेत्र में अपना काम नहीं कर सकता। एक गरीब आदमी ग्राम विकास अधिकारी के पीछे घूमता है। छोटा-सा पेंशन का काम है, प्रधानमंत्री आवास का काम है, एक-एक ग्राम विकास अधिकारी को आपने 4-4 पंचायतें दे रखी हैं। मैं चाहता हूं कि आपने जो ग्राम सेवक लगा रखे हैं, आप इनका नाम भी ग्राम विकास अधिकारी कर दें। इनका नाम भी ग्राम विकास

(श्री कालूराम)

अधिकारी करके, इन सबको चार्ज दे दें, ताकि एक-एक पंचायत में, एक-एक आदमी हो जाएगा, तो उसमें अच्छा काम होगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान का कोई व्यक्ति है, उसकी एमपी में शादी होती है, वह अगर चुनाव लड़ता है, तो उसकी बहू का जाति प्रमाण पत्र एमपी का नहीं मानते हुए, उसको यहां चुनाव नहीं लड़ाया जाता। आपसे निवेदन है कि यह भी विधेयक लेकर आएं।

पंचायती राज में टीएफसी, एसएफसी का पैसा साफ-सफाई के लिए आता है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई साफ-सफाई नहीं होती है। शहरी क्षेत्र में, नगरपालिका में, आप सबका ध्यान है। आप ग्राम विकास अधिकारी को पाबंद करें कि भई, आपका पद तो बढ़ा दिया है, साफ-सफाई गांवों में भी हो, सफाई की व्यवस्था की जाए। टीएफसी, एसएफसी का पैसा अटका हुआ है, नरेगा का भी पैसा अटका हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में मज़दूरों को टाइम पर काम नहीं मिलता है। कभी टाइम पर मिलता है तो उनको पैसा नहीं मिलता है। आप विधेयक लाए हैं, यह ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं।

पूर्व में, हमारी मुख्य मंत्री महोदया 2014 में विधेयक लाई थीं, आठवीं कक्षा अनिवार्य कर दी थी। सरपंच का चेक पावर होता है। यहां हमारा कोई चेक पावर नहीं है। सरपंच चेक पर खुद साइन करता है। एक अंगूठा टेक आदमी क्या चेक पर साइन करेगा। अंगूठा टेक आदमी को आप सरपंच बना रहे हैं, कम से कम आप उसमें शिक्षा का बिल भी अवश्य लाएं। मैं चाहता हूं इसको भी लेकर आएं और इसको लागू करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपने मुझे पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, ग्राम सेवक को विकास अधिकारी बनाकर संशोधन लाए, यहां तक तो ठीक है, मगर आज पंचायत की स्थिति की क्या है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल एरिया की जो ग्राम पंचायतें हैं, कम से कम 15-15 किलोमीटर का दायरा है।

(श्री फूल सिंह मीणा)

वहां पर आपने ऑनलाइन के लिए लागू कर दिया। आज सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, मगर वहां नेटवर्क नहीं है। पंचायत में राशन डीलर काम करता है, तो वह बेचारा पहले 15 किलोमीटर दूर जाकर, पहले उसका अंगूठा लगवाता है, फिर वहां पर दूसरे दिन जाकर राशन देता है। पंचायत का ऑनलाइन करने से, केवल और केवल वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। अंगूठा छाप सरपंच से सचिव ओटीपी मांगता है कि ओटीपी क्या आई है। वह बेचारा सरपंच जानता नहीं है, वह कहता है यह ओटीपी देख लो, अब वह किसमें बिल पास हो रहा है, कोई पता नहीं है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां नेटवर्क की व्यवस्था करवाकर, ऑनलाइन किया है, वहां तक ठीक है, भ्रष्टवाड़ा कम होगा, मगर इसकी वजह से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पंचायत में यह सुविधा नहीं है।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना जो हम कर रहे हैं, उस गरीब के पास जमीन कहां है? धोरे के अन्दर। रहता कहां है, पहाड़ी के ऊपर। उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। उसको यह पता है कि आपके खाते की जमीन हो तो आपको मिलेगा। सभापति महोदय, वह जगह तो बताता है खाते की और मजबूरी में उस धोरे में वह मकान बना नहीं सकता, क्योंकि 500-500 फीट नीचे उसकी जमीन है और रहता मगरी के ऊपर है। देता तो फोटो उस जगह की है और मकान बनाता है वहां। आप जांच कर लेना, 50 परसेंट भी मकान उनकी जमीन में नहीं बना हुआ है, क्योंकि बना ही नहीं सकता, यह अनियमितता है। बिलानाम जमीन है। उसमें अगर मंत्री महोदय उस गरीब को, प्रधानमंत्री आवास योजना की योजना देंगे, तो वह मकान बना पाएगा।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद। श्री गिरधारीलाल।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री सभापति: विराजिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए आदेश फरमाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री गोविन्द प्रसाद)

पंचायती राज संशोधन, 2021 के तहत, 1994 के राजस्थान अधिनियम संख्या 13 की धारा-89 का संशोधन, जिसमें ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी का नाम प्रतिस्थापित करना। वास्तव में यह बात तो सही है, आपने यह संशोधन किया है, मैं इस बात को तो मानता हूं, लेकिन आपने अधिकारी तो बना दिया, पर उसकी पे-स्केल का क्या होगा, उसके कार्य क्या होंगे, उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ाना चाहिए। आप संशोधन लाए हैं, अगर इन 4-5 पाइंट पर अगर विचार करते, इन पर भी संशोधन लाते, तो शायद पंचायती राज संस्थान के हिसाब से सही रहता। पंचायती राज एक ऐसा विभाग है, जो ग्रामीण विकास की कड़ी है। पंचायती राज में हमें आधारभूत ढांचे का कैसे निर्माण करना होगा, इसके लिए आपको पंचायती राज सेवा के उच्च पदों पर, पंचायती राज सेवा के अवसर प्रदान करने वाला, संशोधन विधेयक लाना चाहिए।

दूसरा, जन प्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता वाला संशोधन विधेयक लाना चाहिए। अधिकतर योजनाओं में जन-भागीदारी को शामिल करना, यह विधेयक अगर आप लाएंगे, तो इससे ग्रामीण विकास मजबूत होगा। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आवासीय पट्टे जारी करने संबंधी ग्राम पंचायतों द्वारा नियम 157 व 158 के तहत, जब आप पट्टे जारी करते हो, उनकी जो समस्याएं आती हैं, इसके तहत आपको संशोधन विधेयक लाना चाहिए, जिससे हमारे पंचायती राज का ढांचा मजबूत होगा।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से इस विधेयक में ग्राम सेवक को विकास अधिकारी घोषित किया है, उसी तरह से आप, आज जो बीडीओ है, बीडीओ के पद सृजित करके, बीडीओ को सीईओ या एसीईओ के पद पर प्रमोशन देना चाहिए, इससे भी पंचायती राज मजबूत होगा। आज तक जितने भी बीडीओ लगे हुए हैं, वह सारे या तो आयुर्वेद के डाक्टर हैं या पशुपालन के डाक्टर हैं, वाटर या इर्रिगेशन के जेईएन हैं, इनको पंचायती राज का कोई ज्ञान नहीं होता लेकिन वह उस पद पर आसीन रहकर, इससे कुछ अलग तरह की बू आती है, इससे पंचायती राज कमजोर होता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप इस तरह के संशोधन और लाएं ताकि पंचायती राज का आधारभूत ढांचा मजबूत हो। मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं।

(14.00 बजे)

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 जो आपने संशोधन के लिये पेश किया, पिछली सरकार ने ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी का नाम किया। ग्राम विकास अधिकारी का नाम देने से यही दर्शाता है कि विधान सभा चुनाव में पिछली सरकार के टाइम ग्राम सेवकों का लम्बा आंदोलन चला। उस आंदोलन के दबाव में भा.ज.पा. के राज में ग्राम सेवक से बदलकर एक संदेश छोड़ा। इससे विधान सभा में जो अभी चर्चा की जा रही है संशोधन 2021 के लिये, दोनों ही संशोधन, अगर ये संशोधन नहीं लाते, भा.ज.पा. वाले नहीं लाते तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायती राज व्यवस्था तब मजबूत होगी जब अपनी मानसिकता, जब पंचायती राज का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा, जब गांव-गांव में ग्राम पंचायतों को शक्ति दी जाएगी, तब ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी। नाम परिवर्तन करने से, नाम बदलने से, अब ग्राम विकास अधिकारी का नाम बदल दिया पहली सरकार ने और आपने उस पर मोहर लगा दी तो इससे कोई ग्राम का विकास होने वाला नहीं है। मैं यह कहते हुए धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख (अनुपस्थित), श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम।

श्री सभापति: विराजिये, थर्ड रीडिंग पर मैं बुलवा दूंगा। बाद में बुलवा दूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज की धारा 89 की उप धारा 2 के खण्ड एक में ग्राम सेवक का पदनाम बदल करके ग्राम विकास अधिकारी किया गया है। इसके साथ-साथ ही चूंकि ग्राम सेविका का पद पंचायती राज संस्थाओं में विद्यमान नहीं है, इसलिए इस पदनाम को हटाया गया है।

कटारिया साहब नहीं हैं। राठौड़ साहब हैं। आपने फरमाया कि, साहब,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

विकास अधिकारी चाहे ग्राम सेवक हो या ग्राम सेविका, दोनों सही हैं, इसको डिलीट क्यों किया। इसको डिलीट करने का कारण यही था कि कभी ग्राम सेविका नाम की उसमें कोई चीज ही नहीं रही। सिर्फ ग्राम सेवक रहा, ग्राम सेवक में ही ग्राम सेविका भी आती है और ग्राम सेवक भी आता है। आप आई.ए.एस. की लिस्ट उठाकर देख लें, आर.ए.एस. की उठाकर देख लें। क्या कोई यह होता है कि इसमें आदमी भर्ती होगा और इसमें औरत भर्ती होगी। जो महिला बनी हुई है ग्राम सेवक, वह भी अब ग्राम विकास अधिकारी कहलायेगी।

ग्राम सेवक में रिजर्वेशन लागू है। इसमें ग्राम सेविका का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कोई नहीं है, रिजर्वेशन है बाकायदा, लेकिन अस्तित्व नहीं है। ग्राम सेवक में ही महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान भी है तथा ग्राम सेविका के पद पर कभी भी अलग से कोई भर्ती नहीं की गई है। आज तक नहीं की गई। आप तो पंचायती राज के मंत्री रहे हो। आपने क्यों नहीं की? औरतों के साथ क्यों पक्षपात किया आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमसे गलती हो गई, इसलिए कह रहे हैं आप गलती मत करो। ग्राम सेविकाओं का नाम डिलीट मत करें। इसके पीछे भावना दूसरी थी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): भावना आपकी खुद की होगी। जनता की तो कोई भावना थी नहीं। आप अपनी ही भावनाओं को लेकर बैठे रहो।

राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक पंचायत कार्मिक होता है। ग्राम सेवक की जो ग्रेड है वह 2400 और सातवें वेतन आयोग से, जिसे मिला कर L6-21,500 में रखा गया है। ग्राम सेवक की पदोन्नति भी इस प्रकार से होती है कि ग्राम सेवक पे-ग्रेड 2,400, सहायक विकास अधिकारी के ग्रेड पर पहुंचने पर 3,600, अतिरिक्त विकास अधिकारी के ग्रेड पर पहुंचने पर 4,200 और विकास अधिकारी और व्याख्याता, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र की ग्रेड 5,400 होती है। ग्राम सेवक की प्रथम पदोन्नति, जो कि सहायक विकास अधिकारी के पद पर होती है में लगभग 20-21 वर्ष लग जाते हैं। दूसरी पदोन्नति जो होती है, वह अतिरिक्त विकास अधिकारी के तौर पर होती है, उसमें 6-7 साल लग जाते हैं। तृतीय पदोन्नति के लिये तो अभी नियमों में संशोधन की प्रक्रिया कार्यरत है। अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु गत डी.पी.सी.

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

02.07.21 को आयोजित की गई थी, जो कि वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए थी।

कटारिया साहब ने भी यह बात कही थी कि कई स्थान रिक्त हैं। रिक्त हैं। 11,341 ग्राम पंचायतें हैं। उनमें से 34 ग्राम पंचायतें तो नगरपालिका बन गयीं। अब नगरपालिका बनने के बाद में इतने ही पद और सृजित करने के लिए चल रहा है। कुल मिला करके 3,896 ग्राम सेवक के पद आज भी रिक्त हैं। यह मैं मानता हूं। आपने भी कुछ बताये थे, इतनी ही फिगर थी करीब-करीब, मिलती-जुलती। थोड़ा-सा बढ़ाकर तो बता ही दिया होगा आपने।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 3,896 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आवेदन दिनांक 10 सितम्बर से 09 अक्टूबर, 2021 तक भरे जाने हैं। प्रारम्भिक परीक्षा माह दिसम्बर, 2021; मुख्य परीक्षा माह फरवरी, 2022 में आयोजित की जा रही है। निश्चित तौर पर इस पर भर्ती होगी।

कटारिया साहब ने एक बात और कही कि इनकी योग्यता क्या है। हर ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक जो अब ग्राम विकास अधिकारी कहलायेगा, वह स्नातक है। आपने कम्प्यूटर के लिये भी कहा कि कम्प्यूटर की जानकारी नहीं है। कम्प्यूटर दक्षता के लिए RSCIT की योग्यता आवश्यक है। मैं आपको तीसरी बात और बता दूं कि ऑनलाइन वर्क के लिए भी समय-समय पर उसको प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। ग्राम सेवकों में महिलाओं का आरक्षण अलग है।

मदन दिलावरजी ने बोला कि, साहब, इनके पैसे रोक लिये जाते हैं। 15वें वित्त आयोग की राशि, प्रथम किश्त 570 करोड़ रुपये हुई। सितम्बर में 856 करोड़ रुपये आई, जो कोविड की वजह से देर हो गई। यह राशि, बिल ट्रेजरी में अभी भेज रखा है। राशि रोकी नहीं जाती है। 5 परसेंट जिला परिषद्, 20 परसेंट पंचायत समिति, 75 परसेंट जी.पी. को निश्चित समय पर भेज दी जाती है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप स्टेट फाइनेंस कमीशन का बताओ।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुझे बोल लेने दो आप।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राज्य वित्त आयोग की प्रथम पंचम राशि 1,387 करोड़ में से 1,287 करोड़ ग्रामीण विकास और सौ करोड़ रुपये पंचायत सहायकों के मानदेय के लिए रखे गये हैं। दूसरी किश्त शीघ्र ही जारी की जाएगी, 1,380 करोड़ रुपये की, जो बकाया है। पंचायत सहायक को मानदेय दिया जाता है, कोई वेतन नहीं दिया जाता। मानदेय दिया जाता है और वर्तमान में उसको 6,600 रुपया मिलता है।

अब आपने यह बता दिया कि साहब, ऑनलाइन की अनिवार्यता है तो अनिवार्यता हमने थोड़े ही की है। भारत सरकार ने बाकायदा डाइरेक्शन दे रखे हैं और आवश्यक कर रखा है कि ऑनलाइन की अनिवार्यता रखी जाएगी और यह भी आदेश दे रखा है कि अगर ऑनलाइन आपने नहीं रखा तो आगामी फंड आपको जारी नहीं किया जाएगा। अब इसमें हम क्या करें?

कुल मिलाकर बात यह है कि साहब, ग्राम सेवक, अभी नर्सेज का हुआ, उनका भी कुछ पदनाम बदल दिया था, ग्राम सेवक भी इतने सालों से काम कर रहे हैं तो उनको विकास अधिकारी कहने में आपत्ति क्या है? आजकल तो हरेक आदमी अधिकारी है। चलता-फिरता आदमी ही अधिकारी हो रहा है तो ग्राम सेवक क्यों नहीं अधिकारी होगा? और सेविका कभी रही ही नहीं। कभी रही नहीं। आप तो पंचायती राज के मंत्री रहे हैं। आपने कोई सेविका देखी है क्या कभी पंचायती राज में? हुई क्या कभी मुलाकात आपकी किसी से? तो इसलिए हटाया है वर्ना हमें हटाने का क्या मतलब था? वर्ना पंचायत में एक दो औरतें बैठी रहतीं तो वह ठीक रहता, उसमें क्या दिक्कत थी?

माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर मेरा निवेदन यह है। मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अभी ठहरो-ठहरो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अभी तो एक और स्टेज बाकी है। अभी यह कहां से आ गया?

श्री सभापति: रुकिये, अभी आप विराजिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री रूपा रामजी।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे लेट ही सही, बोलने का दो मिनट का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

मैं दो-चार मिनट ही बोलूंगा, एक तो मेरी यह पीड़ा है कि मैं बीच में पिछले ढाई-पौने तीन साल से कभी उठकर नहीं बोला और जो लोग उठ-उठकर बोलते हैं उनका नाम अच्छे विधायकों में आता है तो मैं संक्षेप में कहता हूं, नहीं तो अभी आप मुझे भी बैठने का कह देंगे।

(श्री रूपा राम)

नाम बदलने की नीतियों से क्या होगा जब नीयत तो पुरानी है। नीयत जब नहीं सुधरे तो विकास का दावा बेमानी है। माननीय मंत्रीजी, कुछ ऐसा करो वर्ना कुर्सी तो आनी और जानी है। कुर्सी ही नहीं, अब तो जिंदगी भी बुलबुला पानी है। नाम बदलने से अगर फर्क पड़ता तो क्या जो शान्ती लालजी हैं या संयमजी हैं, इनका अगर नाम बदलने से कोई फर्क पड़ता तो आदत थोड़े ही बदल जाएगी? रूपा राम अगर रूपा राम नहीं है और मेरा यहां पर कुरूप नाम हो जाएगा तो मैं कुरूप थोड़े ही हो जाऊंगा?

संक्षेप में, इतना ही है कि नाम बदलने की प्रक्रिया में, इस व्यवस्था में कहीं ऐसा नहीं हो कि वापस हमें वही नाम रखना पड़े। जैसे एक मेरा दोस्त है, उसकी शादी हुई। एक ही मिनट की बात है। उसका नाम था सुराग अली, पत्नी ने कहा कि अजी, कोई ढंग का नाम रखो न, सुराग अली क्या रखा? तो वह जोशीजी के पास गया, पंडितजी उनके दोस्त थे तो कहा कि पंडितजी पत्नी को थोड़ा एतराज है, कोई नाम अच्छा बताओ तो पंडितजी ने कहा कि छेदीलाल रख लो। अब सुराग था, छेद हो गया। फिर वापस आया घर पर तो उन्होंने कि छेदीलाल कैसे रहेगा। यह तो फटकारा उन्होंने कि इससे तो अपना सुराग ही ठीक था। फिर उसको एक दोस्त थे सरदारजी। उनसे कहा कि यार, मेरी परेशानी है, पत्नी नाम बदलने की कह रही है तो उन्होंने कहा कि ओ मिस्टर खड्डा सिंह रखो न, खड्डा सिंह तो उन्होंने खड्डा सिंह रख लिया। अब सुराग, फिर छेद हुआ, फिर उसके समझ में नहीं आई, वह गया मैं कहां पर जाऊं तो एक अंग्रेज दोस्त था उसका तो उसने कहा कि आप मेरे को अच्छा नाम बताओ, पत्नी कह रही है। I will tell you a very good name, Mr. Hole. तो पत्नी को जाकर कहा तो पत्नी ने कहा कि अपने तो जो है वही रहने दो, क्यों नाम बदलने की कोशिश करते हो। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक केवल इतना ही है कि यह जो आपकी क्वालिफिकेशन है यह तो नये सलेक्शन के लिए आप इसकी पालना करोगे, यह है। लेकिन जो पहले से ही आपके पद भरे हुए हैं, सिंचाई विभाग के जो सरप्लस हुए, वह भी उसमें है। चुंगी के सरप्लस हुए थे नगरपालिका से, वह भी है। उनकी क्वालिफिकेशन पांचवीं और आठवीं ही है और उनमें से जितने पुराने लोग हैं, उनमें से कम्प्यूटर 80 परसेंट को नहीं आता है। यह तो अब आप जो नये लोगे तीन हजार आठ सौ, उसके लिए तो क्वालिफिकेशन यह समझ में आती है। इन लोगों को भी किसी न किसी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तरीके से आप ट्रेनिंग करवाओ या इनको कम्प्यूटर सिखाओ, नहीं तो पंचायती राज का इतना बड़ा काम जो इनके पास है वह बिलकुल बेड़ा-गर्क हो जाएगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बाकायदा इनकी कम्प्यूटर की ट्रेनिंग होती है। निश्चित तौर पर होती है। क्वालिफिकेशन का मैं यह नहीं कहता कि साहब, पुराने जो लोग लगे हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन कम थी, लेकिन अब स्नातक कर दिया गया है और जो भी आगे की भर्तियां होंगी वह भी सब स्नातक के तौर पर ही होंगी और रैगुलर इनकी ट्रेनिंग बराबर होती है, कम्प्यूटर की भी ट्रेनिंग होती है और दूसरी चीजों की भी ट्रेनिंग इनको दी जाती है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया गया।

श्री शान्ती कुमारजी धारीवाल।

विधेयक पर विचार

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मुझे अब तो प्रभारी मंत्रीजी पर थोड़ी दया भी आने लगी, पर मैं बधाई तो दूंगा ही कि हर विभाग में, हर चीज का एक उत्तर शान्ती लालजी और उसके पीछे अशांति की बात मैं नहीं करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 पर सदन विचार कर रहा है और मूल रूप से...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कृपया, मेरा नाम सुधार लें। मेरा नाम आज से ही नहीं पिछले चालीस साल से आप जानते हैं कि मुझे शान्ती कुमार कहते हैं, लाल नहीं कहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कुमार और लाल में क्या फर्क है, यह बता दो? आप डेफिनेशन बता दो मेरे को। मैंने तो धरती का लाल माना आपको।

माननीय सभापति महोदय, मूल रूप से इंडियन पीनल कोड, 1860 के सैक्शन 272, 273, 274, 275 और 276 इनमें मंत्री महोदय, आप अमेंडमेंट लेकर आये हैं। आपके इस बिल में उद्देश्य और कारणों के कथन में आपने यह उल्लेख किया है और सही किया है कि खाद्य और औषधि में मिलावट संबंधी अपराधों में भारतीय दंड संहिता के अन्दर जो सैक्शन 272 से 276 तक जो प्रावधान किया गया है सज़ा का, वह वर्तमान में कम है। चूंकि, खाद्य पदार्थ और दवाइयों में मिलावट से मानव जीवन पर संकट आता है इसीलिए आप यह प्रस्ताव लेकर आये हो कि इन जघन्य अपराधों में इस सज़ा के प्रावधान को बढ़ाया जाए। मंत्री महोदय, दंड विधियां, दंड संहिता, यह कान्करेंट लिस्ट का सब्जैक्ट है सातवीं अनुसूची का, एंट्री-1 पर इसको लिखा है। इस संशोधन विधेयक को लागू करने से पहले आपको महामहिम राष्ट्रपति महोदय की कन्सेंट लेनी पड़ेगी और इसी प्रकार जो खाद्य पदार्थ और अन्य माल में अपमिश्रण का प्रावधान है वह भी कान्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है एंट्री-18 में तो मंत्री महोदय, यह जो आप प्रस्ताव लेकर आये हैं, आई.पी.सी. के सैक्शन-272 में और माननीय सभापति महोदय, आई.पी.सी. का सैक्शन-272 यह कहता है। "कोई भी व्यक्ति ऐसा खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ निर्मित करेगा, जिससे वह वस्तु खाने-पीने योग्य नहीं रहेगी तो वर्तमान में आई.पी.सी. की धारा 272 में छह माह का कारावास और एक हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है।" आप एक अभिव्यक्ति के माध्यम से इसमें संशोधन कर रहे हैं और कारावास में आप कह रहे हैं कि कम से कम एक वर्ष का कारावास और सात वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी, इस प्रकार का संशोधन आप लेकर आये हैं। इसी 272 में एक और अभिव्यक्ति के माध्यम से आप एक संशोधन और कर रहे हैं कि किसी भी मिलावटी वस्तु के निर्माण से मानव जीवन पर अगर संकट आ जाता है तो तीन वर्ष से आजीवन कारावास की सज़ा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और 50 हजार रुपये का जुर्माना और पहले सैक्शन 272, जो बेलेबल था, नोन-काग्जीनेबल था, आप इसको नोन-काग्जीनेबल और बेलेबल बना रहे हैं और ट्रायल बाई सेशन कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह जो 273 है आई.पी.सी. में, इसमें कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए कि खाद्य सामग्री में मिश्रण किया हुआ है उसको बेचता है और वह हानिकारक है तो उसमें पहले छह माह की सज़ा और एक हजार तक का जुर्माना था। उसमें भी आप सज़ा को बढ़ाने का प्रावधान लेकर आये हैं। एक वर्ष से सात वर्ष तक सज़ा और दस हजार तक का जुर्माना। अगर वह खाने-पीने की वस्तु को जानते हुए बेचता है और मानव जीवन पर उससे संकट आ जाता है तो आप उस एक अभिव्यक्ति में इस सज़ा को और आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें तीन वर्ष से उम्र कैद तक की सज़ा और 50 हजार का जुर्माना कर रहे हैं। यह सारे प्रावधान खाद्य पदार्थ में मिश्रण किये जाने पर है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह कोई औषधि में मिश्रण करता है, 274 में आपने यह प्रावधान किया है कि औषधि में मिलावट करता है जिससे उसका प्रभाव कम हो जाए या क्रिया बदल जाए, पूर्व में छह माह कारावास और एक हजार का जुर्माना था, उसके स्थान पर आप उसको बढ़ाकर एक वर्ष से सात वर्ष का कारावास और दस हजार तक के जुर्माने का प्रावधान कर रहे हैं। इसी 274 में अगर मिलावट की औषधि, दवाइयों के निर्माण से उसके उपयोग से मानव जीवन पर संकट आ जाए तो तीन वर्ष से आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना और 275 में कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि मिलावटी दवाई, यह हानिकारक है, यह प्रभावहीन है, विक्रय करता है, तो जो पहले प्रावधान था, उससे आपने इस सज़ा के प्रावधान को तीन वर्ष और आजीवन कारावास किया है, और 276 के अन्दर नकली दवाई को असली दवाई कहकर बेचने वाले पर, या जिस तरह, सभापतिजी, सिरदर्द की दवाई को यह कह दें कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा। अभी वैश्विक महामारी कोरोना में रेमडेसिविर को जिस प्रकार बेचा गया, इसमें पहले जो सज़ा थी, वह जो छह माह और एक हजार का प्रावधान था, अब आप उसको एक वर्ष से सात वर्ष और दस हजार तक का जुर्माना कर रहे हैं। अगर इस विक्रय से कोई मानव जीवन पर संकट आ जाता है तो और ज्यादा इसमें तीन वर्ष का आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो प्रावधान, यह जो संशोधन आप लेकर आये हैं, सैक्शन 272 से 276 में, मैं समझता हूं कि अगर मंत्री महोदय, आप कहीं बैठे मेरी बात सुन रहे होंगे, यह जो एक्ट मूल रूप से है, इस एक्ट के अन्दर उद्देश्य और कारणों के कथन में लिखा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 का जिक्र करते हुए और धारा 59 का भी जिक्र किया है और उसमें यह कहा है कि मानव जीवन के उपयोग में मिलावटी खाद्य पदार्थ से होने वाले जीवन संकट के लिए जो कोई विक्रय करेगा, भण्डारण करेगा, या उसका आयात करेगा, यह आपके खुद के एक्ट के उद्देश्यों और कारणों के कथन में आप कह रहे हो। उसमें सैक्शन 59 में अधिकतम दण्ड आजीवन कारावास है, यानी पहले से एक सेंट्रल एक्ट चल रहा है। फूड सेफ्टी एक्ट, 2006 है, उसके सैक्शन 59 में प्रावधान है कि अगर कोई खाद्य पदार्थ में विक्रय करेगा, भण्डारण करेगा, मिलावट करेगा और मिलावट की चीज का आयात करेगा तो उसको दण्ड कितना है, माननीय सभापति महोदय, दण्ड है उसको उम्र कैद और मैं समझता हूं उसके बाद यह संशोधन आई पी सी में क्यों लेकर आये हैं। आई पी सी में जिस सज़ा का वर्णन मैंने कहा अमेंडमेंट के द्वारा, उससे अधिक सज़ा इसमें है। सेंट्रल एक्ट है और अब से नहीं, यह सेंट्रल एक्ट 2006 से, मतलब अगस्त, 2007 से इनफोर्स हो गया था, इसका नोटिफिकेशन राजस्थान में भी हो गया था। मेरे समझ के परे की बात है।

मंत्री महोदय, इसी के उद्देश्य और कारणों के कथन में आपने ड्रग और कास्मेटिक एक्ट, 1940 का भी हवाला दिया है। उसके सैक्शन 27 का भी हवाला दिया है। उसी में आपने लिखा है कि कोई भी औषधि नकली मिलावटी हो, उसका निर्माण करे, विक्रय करे, भण्डारण करे, तो सैक्शन 27 ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट, 1940 का औषधि प्रसाधन अधिनियम, 1940 में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है, 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। यानी आप जो संशोधन लेकर आये हैं सैक्शन 275, 276 में औषधियों में अप-मिश्रण करने और कम प्रभाव वाली औषधि बेचने पर, उसमें सज़ा है, तीन वर्ष से सात वर्ष और सात वर्ष से उम्र कैद तक की, और इसमें आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना है दस लाख तक का। मैं समझता हूं कि आज यह जो दोनों सैक्शन का मैंने कहा, फूड सेफ्टी एक्ट, 2006 का सैक्शन 59 और ड्रग कास्मेटिक एक्ट, 1949 का सैक्शन 27 और इस फूड सेफ्टी एक्ट, माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, 15 अक्टूबर, पहले मैं गलती से 10 बोल गया था, 15 अक्टूबर, 2007 से इस राजस्थान में प्रभावी है, और ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट, 1940 से है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, जवाब दें तो बताएं। पिछले 15 वर्षों में खाद्य पदार्थों की मिलावट के संबंध में जितने भी मामले बने, सारे मामलों का चालान फूड और सेफ्टी एक्ट के अनुसार हुआ। सैक्शन 26, 51 और 52 में, और सक्षम न्यायालय ने ग्रेविटी के अनुसार इसमें अलग-अलग सज़ा का प्रावधान भी किया। अब सज़ा का प्रावधान क्या है? क्योंकि कंट्रोवर्सी देखिये आप। आई पी सी में संशोधन लेकर आ रहे हो और मंत्री महोदय, फूड सेफ्टी एक्ट का सैक्शन 59(1) के तहत खाद्य पदार्थ में मिलावट के सेवन पर किसी व्यक्ति को साधारण नुकसान होता है तो 6 माह का कारावास और एक लाख का जुर्माना है। सैक्शन 59(2) कहता है कि मिलावटी वस्तु के सेवन से ज्यादा नुकसान हो गया, परन्तु थोड़ा नुकसान कम हुआ तो एक वर्ष से तीन वर्ष की सज़ा और सैक्शन 59(3) कहता है कि मिलावटी वस्तु के सेवन से किसी व्यक्ति को घोर क्षति हो गयी तो 6 वर्ष का कारावास और पांच लाख का जुर्माना और सैक्शन 59(4) क्या कह रहा है मिलावटी वस्तु के सेवन से मृत्यु हो गयी तो 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख का जुर्माना। यानी फूड सेफ्टी एक्ट में जो प्रावधान किया गया है, वह एक वर्ष से आजीवन कारावास का और जुर्माना एक लाख से दस लाख अलग-अलग ओफेंस की ग्रेविटी के अनुसार किया गया है। आप क्यों यह लेकर आये, यह मेरे समझ के परे की बात है। आपके इसी ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट में सैक्शन 27 यह कह रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसी दवाई का निर्माण या विक्रय करता है जिसके सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाए तो तीन साल से दस साल तक की सज़ा, मृत्यु होने पर आजीवन कारावास और दस लाख का जुर्माना। इसमें मेरी समझ में नहीं आया, सदन का क्यों समय जाया करें।

मैं चाहूंगा राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य एक चीज लिख लो आप। आपका यह सौभाग्य है, आगे मिलेगा नहीं, पर विरासत में आपके पिताजी इन्हीं कुर्सियों पर बैठे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसी 29 अगस्त को, माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। वह अखबारों में साया हुआ। अशोक शर्मा वर्सेज यूनियन आफ इंडिया, बैंच थी जस्टिस संजय कौल और के.एम. जोसफ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की और उन्होंने निर्णय दिया कि दवाइयों के अप-मिश्रण में मिलावटी, नकली होने पर इंडियन पीनल कोड के प्रावधानों से ज्यादा ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट के प्रावधान सख्त हैं, इसलिए पुलिस कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करेगी, पुलिस कोई जांच नहीं करेगी और जितने भी इसमें अपराध बनेंगे, ड्रग कंट्रोलर अथोरिटी उसके अनुसार करेगी। माननीय सभापति महोदय, यह ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट की धारा 3(1) में ड्रग आफिसर के कार्यों को भी बताया गया है।

मैं समझता हूं कि जब यह सारे प्रावधान आज की तारीख में हैं क्यों और कैसे आप इस प्रकार के प्रावधान लेकर आये हैं? फूड सेफ्टी एक्ट, जिसका जिक्र मैंने कहा, सभापति महोदय, उसमें भी सैक्शन 65 में 65-ए में, 65-बी में, 65-सी में, 65-सी-2 में जो सजा का प्रावधान ग्रेविटी के अनुसार है वह भी पांच लाख तक मुआवजे का प्रावधान भी है। मंत्री महोदय, अच्छा रहता आप आई.पी.सी. के अन्दर संशोधन लेकर आये पर जिसके साथ अपराध कारित हो गया, यह फूड सेफ्टी एक्ट का जो प्रावधान है सैक्शन 65, उसमें प्रावधान किया गया है कि मिलावटी खाद्य के सेवन से अगर मृत्यु हो गयी तो, पांच लाख का मुआवजे का प्रावधान है। अगर घोर क्षति हुई तो तीन लाख का 65-बी में और सैक्शन 65-सी में कम हुआ तो एक लाख का और मृत्यु होने पर 30 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर यह प्रावधान आप आई.पी.सी. में संशोधन करके लाते तो बड़ा ठीक रहता।

सभापति महोदय, सदन का ध्यान बजट 2020-21 में मुख्य मंत्री जी ने पैरा 13 में कहा, मैं उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बजट में 2020-21 में यह कहा, राज्य के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके, इस हेतु मिलावटखोरों के विरुद्ध में कड़े कदम उठाये जाएंगे। जिसके तहत एक अथोरिटी की घोषणा करता हूं ताकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा सके। मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक लैब का गठन किया जाएगा। हो गया लाइफ का गठन? जिसमें नमूने की रिपोर्ट ऑनलाइन आएगी, आ गयी ऑनलाइन? और मिलावटखोरों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जाएंगे। तीनों में से एक काम हुआ हो तो आप मेरे को बताओ। एक काम बताओ। आज 33 जिलों में सिर्फ आठ ऐसी लैब हैं जिसमें मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच होती है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं अधिकृत आंकड़े कह रहा हूं, मंत्री जी जवाब देंगे तो शायद कह देंगे कि इनमें कोई तंत नहीं। 2018-19, 5,625 खाद्य पदार्थ के नमूने लम्बित रहे, 2019-20 में 7,483, 2020-21 में 6,002, यानी डेढ़ वर्ष पूर्व आपने घोषणा की कि आप एक अथोरिटी बनाएंगे, आप मुझे बताएं कि अथोरिटी बनायी, आपने कितनी बैठकें कर लीं? सभापति महोदय, मैं सबसे बड़ी गम्भीर बात मैं कह रहा हूं, देर सवेर जिन खाद्य पदार्थों की जांच हो गयी, उनका है 3,739 अब तक। उसमें 1,385 मिलावटी नमूने हैं अनसेफ। सभापति महोदय, 7,439 नमूने की जांच का नतीजा आया और आपने सिर्फ 741 प्रकरण के अन्दर सक्षम न्यायालय में चालान किया। हम मिलावटखोरों को प्रश्रय नहीं दे रहे तो क्या दे रहे हैं? मेरे जवाब में आप मुझे यह बता दो कि जनवरी, 2020 से अब तक सिर्फ 741 लोगों का सक्षम न्यायालय में चालान यानी 1,385 जांच के बाद अनसेफ मामले पाये गये। मेरा आंकड़ा झूठ हो तो मुझे करेक्ट कर देना, 50 परसेंट मिलावटखोरों को सरकार अभयदान दे रही है, फिर कह रहे हैं हम शुद्ध के लिए युद्ध चलाएंगे। मैं समझता हूं इन बातों को आपको देखना चाहिए। आज डेढ़ वर्ष बीत गया, आपकी हर जिले के अन्दर लैब की स्थापना का क्या हुआ, फास्ट ट्रैक का क्या हुआ?

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह की हालत नकली दवाइयों में है। सभापति महोदय, अभी सौ ड्रग इंस्पेक्टर हैं, हर इंस्पेक्टर को कह रहा है कि महीने के 6 सैंपल लेने अनिवार्य हैं। यह डायरेक्शन मेरे नहीं हैं, आपके हैं और एकमात्र एक ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी है सेठी कालोनी में राजस्थान में एक और उनके पास भी 2019-20 में 5,619, 2020-21 में 4,059, यह वह दवाई जिसका ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल लिया, वह लम्बित है। उसका नतीजा आयेगा इससे पहले लाखों गरीब मरीज उस नकली दवाई का उपयोग कर लेते हैं। सभापति महोदय, आपसे ज्यादा संवेदनशील कौन होगा। एक कैंसर मरीज को परिवार का आदमी इसलिए दवाई देता है कि यह दवाई उसके लिए इफेक्टिव होगी, ठीक होगी, वह मरीज दवाई खा रहा है, खाता जा रहा है, आपने दवाई की जांच का सैंपल ले लिया और जब पूरा बैच खतम हो गया, जब उसकी दवाई का कोर्स खतम हो गया तब कह दिया यह नकली ले ली। आप उसके जीवन से खेलने का काम कर रहे हो। आज एक्सपायरी डेट की दवाइयां, इसीलिए कितने लोग निकल रहे हैं।

मैं पुन: आपका ध्यान 2021-22 के बजट पैरा 31 की ओर आकर्षित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना चाहूंगा। इसी सदन में डायरेक्टरेट आफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा की थी। कहां है डायरेक्टरेट आफ फूड सेफ्टी?

सभापति महोदय, मैं मेरी बात को लम्बा नहीं करूंगा पर मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। इसी प्रकार पर, इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश क्रिमिनल लॉ, संशोधन, 2021 लेकर आयी है। उन्होंने प्रावधान किया कि कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ, औषधि के उपयोग से अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है सरकार अपने खजाने से उसको आवश्यक क्षतिपूर्ति देगी, इसका प्रावधान उन्होंने किया। मंत्री महोदय, उन्होंने एक और प्रावधान किया, आई.पी.सी. के सैक्शन 273 में जो आप संशोधन लेकर आये हो, उन्होंने 273 (ए) जोड़ी और यह कहा कि इसके अन्तर्गत एक्सपायरी खाद्य पदार्थ, एक्सपायरी डेट का खाद्य पदार्थ या कोई एक्सपायरी दवाई बेचता है तो उसको भी पांच साल की सजा और एक लाख का जुर्माना। इसलिए मैं मांग करता हूं कि निश्चित तौर पर एम.पी. में जो अमेंडमेंट आया है उस पर आप विचार करें।

मैं अंत में यह कहूंगा, सभापति महोदय, यह सदन चलता है, संसद चलती है और उस सबके सामने हमारा संविधान हमें निर्देशित करता है, अधिकार देता है कि किसको कौनसा कानून बनाने का अधिकार है। आप सातवीं अनुसूची के कन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना रहे हैं, फूड और सेफ्टी एक्ट सेन्टर एक्ट है 2006 का, ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट सेन्टर एक्ट है 1940 का, मैं समझता हूं कि यह सेन्टर एक्ट के इन्फोर्स होते हुए आप यह अमेंडमेंट कैसे लाओगे जी? आर्टिकल 254 (2) मैं कोट करना चाहता हूं। संसद द्वारा बनायी गयी विधि राज्य के विधान मंडल द्वारा बनायी गयी विधि से असंगत हो, समवर्ती सूची में ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनायी गयी विधि विधान मंडल द्वारा बनायी गयी विधि पर प्रभावी होगी, राज्य विधान मंडल द्वारा बनायी गयी विधि शून्य होगी तो जब कान्स्टीट्यूशन यह कहता है कि कन्करेंट सब्जेक्ट पर आप जो विधि बना रहे हो यह शून्य है, ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट में पहले से प्रावधान है, आपके फूड सेफ्टी एक्ट में पहले से प्रावधान है, सजा के सख्त प्रावधान हैं और अब लेटेस्ट तो जब यह फैसला आज हो गया और जिस फैसले के अन्दर सुप्रीम कोर्ट ने साफ ही कह दिया, खबरदार अगर आपने आई.पी.सी. में किसी तरह के मामले दर्ज किये और फूड सेफ्टी मामले दर्ज होंगे, तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके लाने का औचित्य क्या है? मैं समझता हूं जब इस प्रकार के बिल आते हैं तो सभापति महोदय, यह बात भी उठती है कि इन बिलों के पीछे जो हेतु था वह खाद्य पदार्थ शुद्ध मिले, इन बिलों के पीछे जो हेतु था इस प्रदेश के अन्दर नशीली दवाइयां और मिलावटी दवाओं का जो ट्रांजिट रूट बन गया, जो जखीरा यहां पैदा होने लग गया उस पर रोकथाम हो। पर वो कैसे होगा? घोषणा कर जाओ, घोषणा को भूल जाओ। बजटीय घोषणा का तो ध्यान रखो। आपने जो घोषणा की, फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट की घोषणा की, अथोरिटी की घोषणा की, हर जिले के अन्दर एक लैब की घोषणा की, यह सारी घोषणाएं अगर कोई देखे, मैं समझता हूं आने वाला व्यक्ति जो कभी भी इन सारी चीजों को समग्र रूप से देखेगा तो आपको लानत भेजेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजेंद्र राठौड़: इसलिए फुर्ती मत करो, इसको जनमत जानने हेतु परिचालित कर दो। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, भारतीय दण्ड संहिता के 1860 में प्रस्तावित संशोधन, जो अभी माननीय उप नेता महोदय ने बताया कि इन संशोधनों में आलरेडी पहले से ही प्रावधान थे और इन प्रावधानों के बावजूद राज्य सरकार जो भी लेकर आयी है, फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि यह बहुत ही मार्मिक विषय है और जीवन के लिए बहुत ही आज का महत्वपूर्ण दिन होगा इस विधान सभा का यदि इस विधान सभा में इस बिल के साथ-साथ कुछ और चीजें जोड़ी जाएं। आज यह बिल आया है, मूल रूप से जो बताया कि इस बिल में खाने-पीने की वस्तुएं और औषधियों के अपमिश्रण किये जाने और जनता के स्वास्थ्य और जीवन पर गम्भीर खतरा है, इस उद्देश्य को लेकर इस बिल की शुरुआत की गई है।

सभापति महोदय, धारा 272 से लेकर 276 में लगातार जो यह धाराएं हैं, 272, 273, 274, 275 और 276, इनमें दो धाराएं खाद्य पदार्थों की और तीन धाराएं मेडिसिन की हैं। इसमें मूल रूप से 2 ही बातें हैं। आप यह कह रहे हैं कि कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम, जो पहले 6 महीने थी, उसको बढ़ाकर के 1 वर्ष किया है। इसमें जो फाइन था, इसको बढ़ाकर के 10

(श्री अशोक लाहोटी)

हजार रुपये किया है। दूसरे में, जिनसे जीवन संकट हो, आप मानते हैं कि जिस मिश्रण से जीवन संकट में हो, उसमें आपने बढ़ाकर के 3 वर्ष से 10 वर्ष किया है। इसमें जुर्माना 50 हजार किया है।

मिलावट को सबसे जघन्य अपराध में से एक के रूप में लिया जाना है। भारतीय दंड संहिता में जो सज़ा है, वह उसके प्रावधानों के तहत आज तक, राजस्थान में मंत्री महोदय जब जवाब दें तब बताएं, कि राजस्थान में अब तक जितने मामले दर्ज हुए हैं, उनमें कितने मामलों में उन धाराओं के अधीन कौन-कौन से इन्होंने अभी तक चालान प्रस्तुत किये? जैसे बताया कि आलरेडी 2006 के अधिनियम और धारा 59 के अंतर्गत राजस्थान में कोई चालान आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ।

इसी प्रकार से दवाओं में 1940 के एक्ट में धारा 27 के अंतर्गत कोई चालान प्रस्तुत नहीं हुआ। जब आपने कोई चालान ही प्रस्तुत नहीं किया और आज उन्हीं धाराओं में आपने यहां जो बिल प्रस्तुत किया है, उनमें यदि सज़ा और कठोर लेकर आते तो समझ में आती। केन्द्रीय अधिनियम में साफ-साफ सज़ा एक ही है, 10 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना। आपने उस सज़ा को तोड़-मरोड़कर के 3 साल से लेकर के 10 साल किया है। अब किसमें 3 साल रखोगे और किसमें 10 साल रखोगे, यह इसमें कहीं पर नहीं है। कौनसी दवा है जिसमें 3 साल रहेगी और किस दवा में 10 साल रहेगी, यह नहीं है।

आपने 2 ही कैटेगरी की हैं। जो दवाएं, जिसका अपमिश्रण किया जाता है, उसमें 1 साल की सज़ा और जिससे मानव जीवन को संकट है, उसमें 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा। वह 3 किसमें है, 5 किसमें है और 10 किसमें है, यह इसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। मैं यह समझता हूं कि जो बिल विधान सभा में पेश किये जा रहे हैं इस बार के सत्र में जो यह बिल आए हैं लगातार, यह दसवां बिल हम डिसकस कर रहे हैं, इन बिलों में से लगभग सारे बिल जो किसी चीज पर बेस ही नहीं होते, आधे-अधूरे बिना तैयारी के लाए हुए बिल हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह 1927 में भी एक कानून बना था और उसके बाद 1955 में इसका रिव्यू हुआ और 2006 में फिर बना। खाद्य अपमिश्रण जो है, इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मिलाने के

(श्री अशोक लाहोटी)

बाद में जीवन की हानि वाली नहीं हो। यदि मैं बात करूं तो इसमें आंखों की रोशनी जाना, हृदय रोग, लीवर खराब, कुष्ठ रोग, पक्षाघात, कैंसर जैसे रोग हैं। अभी जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है, उसमें स्पष्ट है कि 2025 में जो बीमारियां आएंगी, उनका जो ग्राफ है उसमें 60 परसेंट बीमारियां कैंसर से संबंधित हैं। कैंसर लाइलाज है। आप कौनसी बीमारी को इसमें 1 साल में रखोगे और कौनसी को 3 साल में और किसको 10 साल में रखोगे।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी-ऐसी चीजें मिलावट करने का जो मैंने कहा न कि जैसे सरसों के तेल में आरजीमोना तेल मिलाया जाता है, जो सबसे खतरनाक है। घी में पाम आयल मिलाया जाता है। जीवन में सुबह उठते हैं, चाहे सब्जियां हों, चाय पत्ती हो, दूध, काफी हो, चना हो, दालें हों, मिर्ची, धनिया पाउडर, घी, तेल, पनीर, मावा, कौनसी चीज जो हम खा रहे हैं वह शुद्ध मिल रही है? यह मैंने कहा न कि बहुत ही सेंसेटिव इश्यू है। इस इश्यु पर पूरा सदन एकमत है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें लगातार आप यहां जो खानापूर्ति कर रहे हैं, आज तक नमूने ज्यादा लिए हैं, कार्यवाही नहीं की है। अभी पिछले 14 महीनों की यदि बात करें तो 8,097 सैम्पल आपने इकट्ठे किये हैं। इनमें से 2,153 सैम्पल अमानक पाए। आपने 308 सैंपल ही यह पाए कि इनमें खतरनाक रूप से मिलावट थी, लेकिन उनमें भी आज तक चालान प्रस्तुत नहीं हुआ।

इसके अलावा आपने 1,242 मामले सब स्टैंडर्ड के पाए जिसमें से 630 मिस ब्रांड निकले, 50 फीसदी केसेज में भी अभी तक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई। उनके चालान पेश नहीं हुए जो 50 फीसदी बचे। 1,100 से ज्यादा सैम्पलों की तो अभी तक जांच ही अधूरी है। मैं आपसे कहूंगा कि 746 सैम्पल जो जयपुर सीएमएचओ ने लिए थे, उसमें से केवल 214 की अभी तक जांच हुई है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पास यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल बनाकर सरकार यह बताए कि जांच किससे करेंगे? जांच करने के लिए यदि हमारे पास लैबोरेट्री हो, इसी सदन में पहले सत्र में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि बजट में आप घोषणा करें कि हर ब्लाक स्तर पर खाद्य पदार्थों की जांच करने की मशीनें, उनकी टैस्टिंग

(श्री अशोक लाहोटी)

लैबोरेट्री बनाई जाए। बजट में घोषणा हुई डिस्ट्रिक्ट की, आज तक एक भी डिस्ट्रिक्ट में कोई लैबोरेट्री नहीं बनी। जैसे उप नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि अभी तक केवल 8 लैबोरेट्री राजस्थान में काम कर रही हैं। 10 साल में एक भी अपराधी को मिलावट के मामले में सज़ा नहीं हुई है।

राजस्थान में कितना यह तंत्र चल रहा है? मैं यह कह सकता हूं कि सीधा-सीधा यदि हत्या के आज तक मुकदमे दर्ज होते, जो अधिकार आलरेडी आपके पास था, जो धाराएं आलरेडी आपके पास थीं, तो आज हम यदि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लेते तो मुझे लगता है कि हमको इस बिल पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और राजस्थान में माडल एक्ट बनता।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मेडिसिन का है। मेडिसिन, नकली दवाओं और उनका संचालन करने वाले निर्माताओं से एक भीषण खतरा वर्तमान परिवेश में बन गया है। प्रदेश में नकली, अमानक व नशीली दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। दवाओं की जांच के लिए प्रदेश में केवल एक टैस्टिंग लैबोरेट्री है। 2020-21 में 31 जुलाई तक 6,002 अमानक दवाओं के सैम्पल लिए और उनकी आज तक जांच लम्बित है। जैसे अभी आया कि इस ड्रग लैबोरेट्री की क्षमता 2 हजार सैम्पल प्रति वर्ष जांचने की है। आपको लेने 7,200 हैं और आपके पास क्षमता ही 2 हजार मापने की है।

इस सदन में कई सदस्यों ने लगातार मेडिकल की डिमांड पर बोला, स्थगन के माध्यम से बोला कि जो दवाइयां एक्सपायरी हो जाती हैं, सरकार आज ईमानदारी से जवाब दे दे यहां सदन में, कि कितनी दवाओं के सैम्पल लिए, वह किस तारीख को लिए, उनकी एक्सपायरी डेट क्या थी, उस बैच की और उसकी टैस्टिंग की रिपोर्ट कब आई? इससे एकदम साफ-साफ जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनकी मिलीभगत सामने आ जाएगी।

सभापति महोदय, दवाइयां आ गईं। दवाइयां बन गईं। उनको लोगों ने खा लिया। बैच का सैम्पल जो लिया है, उसकी टेस्टिंग उसके 2-2 साल बाद आ रही है जबकि दवाइयां लेकर के लोग ऊपर चले गए। वह हत्या के मुकदमे कहां गए? हमारे पास न लैब है, न हमारे पास स्टाफ है, न टैस्टिंग की फैसिलिटी है, न हमारी नीयत है, न हम टैस्ट करना चाहते हैं। केवल कुछ अधिकारियों के ऊपर निर्भर हैं। पूरे राजस्थान में लोगों ने शिकायत की हैं कि कौन-कौन अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। आप कहो तो मैं सदन में नाम लेकर

(श्री अशोक लाहोटी)

के पढ़ सकता हूं कि इसमें कौन-कौन अधिकारी मिले हुए हैं लेकिन किसी भी अधिकारी पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें मुख्य रूप से, ड्रग कंट्रोलर के नीचे जो केमिस्ट होते हैं, उन केमिस्ट के पद ही खाली हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं, इन दवाओं में, 6 माह में शुगर, हार्ट, ब्लड प्रेशर, न्यूरो से जुड़ी 50 लाख से ज्यादा घटिया टैबलेट्स को अमानक घोषित किया जा चुका है। यह सरकार ने किया है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। गम्भीर बीमारियों में काम में ली जाने वाली क्विलपेन, बायोमेड, जीवीवन, थायरोक्सिन, सोडियम, फाइटलेएम इनमें शामिल हैं, जो यह पकड़ी गई हैं।

इसके साथ-साथ जुलाई में चौमूं थाने में 20 करोड़ रुपये की नशीली दवाइयां पकड़ी गईं। जोधपुर एनएच 11 पर 1 लाख 80 हजार नशीली टैबलेट पकड़ी गईं। अजमेर में 5.26 करोड़ रुपये की दवाइयां नशे की पकड़ी गईं। संजय सर्किल में ट्रांसपोर्टर के यहां से 20 हजार टेर्माडोल टैबलेट, शाहपुरा में 30 हजार नकली नशे की टैबलेट पकड़ी गईं जिसमें चालान पेश नहीं हुआ। मुझे बताएं कि इनकी रिपोर्ट कब आएगी? यह सीधे-सीधे हत्या के मामले हैं जिनमें एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

सभापति महोदय, इसी प्रकार आयुर्वेद विभाग में, जिसको तो हम सब मानते हैं, अभी कोविड में 25 करोड़ की दवाइयां बाजार रेट से 10 गुना ज्यादा दरों पर खरीदी गईं। मैं उस पर आज आरोप नहीं लगा रहा। आपने खरीदी होंगी किसी कारण से, उसका जब अलग माध्यम से आएगा, तब हम बात करेंगे लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जिस लैब से टैस्टिंग का सर्टिफिकेट दिया, उसमें टैस्टिंग के सामान ही नहीं थे। वहां पर वह लैब ही नहीं थी। जिस कंपनी ने सर्टिफिकेट लाकर के, जांच करके दी, उसके पास यह मशीन ही नहीं है दवा जांचने की। उस कंपनी ने टैस्ट का सर्टिफिकेट दे दिया। वह कंपनी टैस्ट का सर्टिफिकेट दे रही है। 25 करोड़ की दवाइयां 10 गुना ज्यादा रेट पर खरीद रहे हैं और उसमें से केवल 3 करोड़ की दवाइयां कोरोना की थीं और 22 करोड़ की दवाइयां सामान्य खरीदी गई हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, यदि इस प्रकार की नीयत के साथ में बिल सदन में रखे जाएं, इस प्रकार की दशा और दिशा हो

(श्री अशोक लाहोटी)

सुधारने के लिए, जिनमें घोटालों की बदबू छुपी हुई हो तो राजस्थान को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं। हम इस बिल का पुरजोर समर्थन करते, आज इस मिलावट की मांग पर हम समर्थन करते, यदि इस बिल में इन टैस्टिंग लैबोरेट्री को साथ जोड़कर के लाते। यदि इस बिल में केमिस्टों के साथ जोड़कर लाते। यदि इस बिल में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए सरकार की नीयत साफ होती तो निश्चित रूप से आज पक्ष और विपक्ष इस मानवीय मुद्दे पर मिलकर के यह बिल पास करते। लेकिन मुझे बड़े दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इतने सेंसेटिव इश्यू पर, इतने मानवीय विषय पर भी यदि सरकार गम्भीर नहीं है तो इस बिल को पूरा इकजाई करके, सेन्ट्रल बिल के साथ करके, कुछ कठोर कानूनों के प्रावधान करते, 10 साल से ज्यादा की सज़ा करके लाते, 10 हजार से ज्यादा जुर्माने का करके लाते तो निश्चित रूप से इसमें दवाओं के नाम के साथ, किस दवा में क्या धारा बनेगी।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा मेरा आब्जेक्शन है कि इसमें जो लिखा है, ब्रांडेड दवा यदि कोई विक्रय कर रहा है, यदि ब्रांडेड चीज यदि कोई विक्रय कर रहा है, तो इसमें विक्रेताओं पर आपने जो समान धाराएं रखी हैं उस पर आपको सोचना चाहिए। यदि मैंने कोई सरस का दूध खरीदा और मैं सरस का दूध बेच रहा हूं, मैं अमूल का दूध पैक्ड लाया हूं, अमूल की फैक्ट्री से लाया हूं और मैंने पैक्ड ही बेचा है और सरस में यदि घपला हो रहा है तो निर्माता पर तो सेम कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन विक्रेता के माध्यम से हमको सोचना पड़ेगा कि कहीं वह रिटेलर जो पांच हजार रुपये का सामान बेच रहा है, उसको पांच सौ करोड़ रुपये के जुर्म में फंसाकर मरवाने का काम न कर दें, इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। इस बिल को जितना कठोरतम हो, वो कठोरतम करके और राजस्थान की सात करोड़ जनता को बचाने का काम होना चाहिए। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजें।

श्री सभापति: अभी इस बिल के बाद में दो बिल और आ रहे हैं। करीब-करीब सभी बिलों में बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस लोग बोलने वाले हैं। अत: मेरा आप सभी से आग्रह है कि पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, क्रिमिनल लॉ राजस्थान, अमेंडमेंट, बिल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। हम खेती और पशुपालन के क्षेत्र से आने वाले लोग, खेती और पशुपालन पर आधारित हमारा देश, खेती और पशुपालन को लील जाने वाले वाले मिलावटखोरों के तंत्र को इतने समय तक जान बूझकर अनदेखा करने का नतीजा यह रहा कि हमारे हिन्दुस्तान का नौजवान, हिन्दुस्तान की आबादी, अन्दर से स्वास्थ्य की दृष्टि से खोखली हो गई। जिस प्रकार असाध्य रोग इतने पैदा हो गए कि एलोपैथी का व्यापार अरबों डालर का हो गया। जिस प्रकार एलोपैथी हमारे आयुर्वेद पद्धति को खा गई उसी प्रकार से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले मिलावटखोर हमारे खेती और पशुपालन व्यवसाय को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। यह विस्मयकारी तथ्य है कि जहां एक बोतल पानी बीस रुपये में मिलता हो और दूध अठारह रुपये में बिकता हो तो उस देश में पशुपालक और किसान की कल्पना की जा सकती है।

माननीय सभापति महोदय, इन सब बातों से व्यथित होकर एक बार मैंने प्राइवेट मेम्बर बिल भी इस पर लाने की प्राइवेट मेम्बर डे पर बात की, माननीय अध्यक्षजी ने कहा कि इस पर सरकार भी बिल ला रही है और सरकार आज बिल लाई, उसके लिए माननीय सभापति महोदय, हम मंत्रीजी का धन्यवाद करते हैं लेकिन उद्देश्य और कारणों के कथन में जब इस बिल में संशोधन यह लेकर आये कि आईपीसी 1860 के सेंट्रल एक्ट में धारा 272 से 276 तक में हम संशोधन लेकर आये हैं। साथ ही संशोधन इसलिए लाए हैं कि इनमें सज़ा का प्रावधान कम है, छह माह का कारावास या जुर्माने के बहुत हल्के दंड हैं और साथ ही हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 और औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, जिसको हम औषधि अधिनियम कहते हैं, जब ये दोनों विद्यमान हैं, इनमें सज़ा के प्रावधान बहुत कड़े हैं, जब कड़े प्रावधान होते हुए भी हम इस खाद्य अपमिश्रण को, मिलावटखोरी को नहीं रोक पाये तो उन दोनों के मध्य कि वह हल्के हैं प्रावधान सज़ा के और ये कठोर प्रावधान हैं सज़ा के तो इसलिए यह बिल लाना पड़ा है। चलो माननीय मंत्रीजी की मंशा को समझते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि धारा 272 में विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण जिससे वह अपेयकर बन जाए, इसमें जहां छह माह और एक हजार रुपये जुर्माना और जमानती अपराध था, इसकी ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुआ करती थी, अब सेशन न्यायालय में होगी। इसका संशोधन जोड़ा गया है और यदि खाने-पीने की

(श्री बिहारीलाल)

वस्तु का ऐसा अपमिश्रण मानव जीवन के लिए संकटयुक्त हुआ तो सज़ा एक वर्ष, अधिकतम सात वर्ष और दस हजार का जुर्माना, कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास, जुर्माना पचास हजार। 273 में खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य या पेय का विक्रय यह जानते हुए कि वह योग्य नहीं है तो पूर्व में छह माह और एक हजार रुपये का जुर्माना था और मजिस्ट्रेट ट्रायल थी, अब एक वर्ष से सात वर्ष की सज़ा और दस हजार रुपये का जुर्माना और सेशन ट्रायल है, इसी तरह धारा 274 में औषधियों का अपमिश्रण और 275 में अपमिश्रित औषधियों का विक्रय, 276 में किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के रूप में विक्रय इसमें भी यह सेम ही प्रावधान किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात सैक्शन 272 से 276, भारतीय दंड संहिता की धाराओं में दो परिवर्तन मूल रूप से अंत:स्थापित किये गये हैं। सज़ा का बिन्दु व मानव जीवन को संकटमय हो तो सज़ा का बिन्दु छह माह की सज़ा एक वर्ष से सात वर्ष, जुर्माना एक हजार से दस हजार, जीवन के संकटमय होने पर तीन वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना पचास हजार रुपये। ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में होना था, अब सेशन न्यायालय में किया गया है। अपराध जमानती था, उसको अजमानती बनाया है।

माननीय सभापति महोदय, लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में भारत का संविधान मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। नि:संदेह ये संशोधन मिलावट करने और नकली पदार्थों और दवाइयों के विक्रय से जनता और लोक जीवन को संकट में डालने वालों के काल साबित होंगे। लेकिन जहां तक संशोधन का विषय है उसको प्रथम अपराध के लिए तो प्रस्तावित दंड पर्याप्त है लेकिन द्वितीय या आदतन अपराधी, कोई व्यक्ति यदि एक बार दोषी पाया गया और दुबारा और तीसरी बार और बार-बार वही व्यक्ति यदि अपराध करते हुए पाया जाता है तो मिलावट करने वाले और लोक जीवन को संकट में डालने वाले और जो अपराध को अंजाम देता है उसकी सज़ा कम से कम तीन वर्ष के स्थान पर दस वर्ष होना चाहिए, जुर्माना पचास हजार के स्थान पर कम से कम दो लाख रुपये का करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जांच के सम्बन्ध में धारा 272 से 276 आईपीसी में गठित होने वाले अपराध के सम्बन्ध में अपमिश्रण की जांच हेतु

(श्री बिहारीलाल)

जिला स्तर पर प्रयोगशाला के सम्बन्ध में व्यवस्था, कल्पना तो एसडीएम के स्तर पर थी, लेकिन जिला स्तर पर भी हम नहीं पहुंच पाए और बिना इसके इसको लागू करने एवं अनुसंधान समयबद्ध तरीके से पूर्ण होगा, इसकी भी व्यवस्था हो। उपरोक्त संशोधन प्रस्तावित धाराओं में चार्जशीट पेश करने की समय सीमा साठ दिन या नब्बे दिन रहेगी लेकिन साठ या नब्बे दिवस में जांच रिपोर्ट लाने सम्बन्धी क्या व्यवस्था होगी, प्रयोगशाला हमारे पास नहीं है तो उसकी जांच रिपोर्ट कैसे आ पाएगी और बिना जांच रिपोर्ट के अपराधियों को प्रश्रय मिलेगा, अपराधियों को मदद मिलेगी। जांच व्यवस्था के लिए पुलिस को जांच किट भी दिए जा सकते हैं। यह भी सुझाव है कि पुलिस को भी जांच किट दिए जा सकते हैं, लेकिन दंड विधान की उपरोक्त धाराओं में संशोधन के साथ-साथ वह हर रास्ता बंद करने की आवश्यकता है जिससे शातिर अपराधी बचकर निकलने की सोचते हों।

अपमिश्रण की जांच थानाधिकारी स्तर का अधिकारी करे और उसके लिए विशेष नियम की व्यवस्था हो, यह भी माननीय मंत्रीजी इसमें संशोधन लायें।

माननीय सभापति महोदय, इन संशोधनों, कानून पहले से कठोरतम उपलब्ध है, उन कानूनों के रहते हुए हम इस बात को रोक नहीं पाये, इन संशोधनों और सुझावों के साथ यदि हम सब संकल्प लेकर क्योंकि किसान और पशुपालन करते हुए हम सब यहां आये हैं तो हम सब यहां संकल्प लें कि हम बिना किसी भेदभाव के इन कानूनों को लागू करेंगे, किसी तरह की कोई पार्टी, कोई पंथ, कोई धर्म, कोई जाति, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि किसान और पशुपालन के हित में है तो हम निश्चित तौर पर किसान का भला कर पाएंगे और हमारा अन्नदाता जिसकी पीठ पर सीढ़ी लगाकर सभी राजनीतिक लोग यहां तक पहुंचते हैं, उस पीठ का नाम किसान पीठ है और उस किसान और पशुपालक का भला हम तभी कर पाएंगे जब हम पूरी ताकत से संकल्पवान होकर इनको लागू करेंगे और उस वक्त किसान हमारा अन्नदाता खुशी-खुशी एक हाथ में एक कंधे पर हल रखे, दूसरे हाथ में गाय और भैंस की डोरी थामे हुए खेत की तरफ जाता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जाता दिखाई देगा और संकल्प को हम पूरी ताकत से लागू कर पाएंगे तभी हम इस देश के साथ न्याय कर पाएंगे। वह अन्नदाता, वह पशुपालक, अपने ही लगाए हुए पेड़ से लटकता हुआ नजर नहीं

(श्री बिहारीलाल)

आएगा और हम हिन्दुस्तान के किसान और पशुपालक का भला कर पाएंगे। बस बात यह है कि पूरी ताकत से इन नियमों को लागू किया जाए, सख्ती से लागू किया जाए, और भी इसमें प्रावधान किये जाएं, प्रयोगशालाओं के प्रावधान किये जाएं, समय पर जांच पूरी हो इस बात का प्रावधान किया जाए, इन सब तरीकों से और एक ही बात है कि किसान और पशुपालक को उसके उत्पाद का पूरा मूल्य मिले तो न तो किसान को अनुदान की जरूरत है और न किसान को किसी और बात की जरूरत, किसान पूरी ताकत से खड़ा होगा और इस देश का भला होगा, इस देश की आत्मा का भला होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित)। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि हम प्रदूषित हवा प्राप्त कर रहे हैं, दूषित जल का सेवन कर रहे हैं और खाद्य सामग्री में तों चारों तरफ मिलावट का बोलबाला है। इस तरह के हालात को देखते हुए राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको बहुत गम्भीरता से लिया था और इस सदन को आश्वस्त किया था कि सारी स्थितियों में सुधार के लिए वे आवश्यक कदम उठाएंगे। अब यह जो संशोधन विधेयक जो सरकार लेकर आई है इसके उद्देश्य और कारणों का जो कथन है, उसका छोटा-सा पोर्शन मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। इन्होंने लिखा है कि यह भी ध्यान में आया है कि पुलिस द्वारा छापों के दौरान ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जहां अपमिश्रित या असुरक्षित खाद्य और साथ ही साथ अपमिश्रित या नकली औषधियों का पता चलता है जिनके सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता की उक्त धाराओं 272 से 276 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है।

(15.00 बजे)

''ऐसे मामलों में, पर्याप्त और प्रभावी अन्वेषण के प्रयोजनों और समय पर साक्ष्य एकत्र करने के लिए अभियुक्त की गिरफ्तारी या निरोध आवश्यक है। चूंकि भारतीय दण्ड संहिता की उक्त धाराओं के अधीन उक्त अपराध असंज्ञेय और जमानती हैं इसलिए पुलिस और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी और औषधि निरीक्षक ऐसे अपराधों के अन्वेषण में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिससे व्यापक रूप से आम जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन भी उक्त अपराधों के लिए कठोर दण्डों की अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे वे निवारक के रूप में समान

(श्री संयम लोढ़ा)

रूप से कार्य कर सकें।" आपने इसमें भी पुलिस का उल्लेख किया तो आप आगे भी इन अपराधों की रोकथाम में पुलिस का उपयोग करने की मंशा रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ अपील सं. 200/2020/एसएलपी (क्रिमिनल)/नं. 4178/2019 में इस सम्बन्ध में निर्णय कर चुकी है, जिसका एक छोटा-सा पोर्शन, सिर्फ एक बिन्दु मैं आपको सुना रहा हूं जो जजमेंट में जस्टिस जोसफ और जस्टिस संजय कौल ने कहा है, "In regard to cognizable offences under Chapter IV of the Act, in view of Section 32 of the Act and also the scheme of the CrPC, the Police cannot prosecute offenders in regard to such offences. Only the persons mentioned in Section 32 are entitled to do the same." सिर्फ औषधि ड्रग विभाग के इंस्पैक्टर को इस कानून में काम्पीटेंट किया गया है और राजस्थान में लगातार पुलिस ड्रग और कास्मेटिक एक्ट में भी अनधिकृत रूप से लगातार कार्यवाही कर रही है, जिसके लिए काम्पीटेंट नहीं है। आज आप यह बिल लेकर आये हैं। इसके उद्देश्य और कथन में भी उसी पुलिस का हवाला दे रहे हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे चुका है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई सरकार की मंशा पर संदेह नहीं कर रहा हूं। सरकार की मंशा तो यही है कि नागरिकों को सबकुछ अच्छा मिले, खाने को अच्छा मिले, शुद्ध मिले, लेकिन इसके लिए जरूरी तैयारी क्या की है आपने? पहले तो आप इसमें सैक्शन 272 में एक नयी अभिव्यक्ति उसकी जगह दे रहे हैं और सज़ा बढ़ाकर एक वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा और यदि खाने या पीने की वस्तु का ऐसा अपमिश्रण मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है तो कम से कम तीन साल और आगे आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये दण्ड रखा है। अब यह कैसे तय करेंगे कि वह मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है?

गांवों में कुल्फी बेचने वाला बेच रहा है, वह भयानक रूप से हानिकारक है या नहीं है, नमकीन की तरह तली हुई चीजें बनाकर जो बेचते हैं, इन सबका निर्णय कैसे होगा और कितने दिन में इनकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि आपने जो वादा किया था कि जिला स्तर पर हम लैब एस्टेब्लिश करेंगे, वह आप कर नहीं पाये। 60 हजार से ज्यादा सैम्पल तो पिछले साल

(श्री संयम लोढ़ा)

के पड़े हुए हैं 2019-20 के। 6 हजार से ज्यादा 2020-21 के पड़े हुए हैं और अदालतों में भी जो कार्यवाही का स्तर है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत जो मामले दर्ज किये हैं, 2007 के 65 परसेंट मैटर पैण्डिंग हैं, जिनका निस्तारण नहीं हुआ है। 2007 में 234 प्रकरण दर्ज किये, जिनमें सिर्फ 82 का डिस्पोजल हुआ है। 2008 में 356 प्रकरण दर्ज किये, जिनमें से मात्र 123 का निस्तारण हुआ है और 65 परसेंट पैण्डिंग हैं। 2009 में 924 प्रकरणों में से सिर्फ 282 का निस्तारण हुआ है और 70 परसेंट मैटर्स पैण्डिंग हैं। 2010 में 1516 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 454 पैण्डिंग हैं और 2011 के 626 में से 202 यानी 70 परसेंट मैटर्स पैण्डिंग हैं और उसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में जो प्रकरण दर्ज हुए, उनमें 2013 के 35 परसेंट मैटर्स पैण्डिंग थे, 940 आपने खुद दर्ज किये, जिनमें से मात्र 604 का निस्तारण हुआ। 2014 में करीब 1100 आपने दर्ज किये, मात्र 790 का निस्तारण हुआ। 2015 में 1872 दर्ज किये, जिनमें से मात्र 1079 का निस्तारण हुआ। 2016 में 1517 दर्ज किये, जिनमें से मात्र 905 का निस्तारण हुआ। 2017 में 1391 दर्ज किये, जिनमें से मात्र 722 का निस्तारण हुआ। इसी तरह से 2018 में 60 परसेंट मैटर्स पैंण्डिंग हैं। 2019 के 60 परसेंट पैण्डिंग हैं। 2020 के 70 परसेंट पैण्डिंग हैं और 2021 के 85 परसेंट मैटर्स पैण्डिंग हैं। अब यह हालत आपकी क्यों है? नीचे क्या है आपके पास में? आप लोगों के स्वास्थ्य को लेकर इतना भरोसा दिलाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मात्र एक ड्रग इंस्पैक्टर जिले में बैठा होता है और वह ड्रग इंस्पैक्टर क्या कर सकता है, कहां-कहां जाएगा वह?

जयपुर में ही ढेर लगा हुआ है और जहां-जहां अलग जगहों पर लैबोरेटरी आपने एस्टेब्लिश की है, वह लैबोरेटरी आपकी फंक्शनल नहीं है। माननीय सभापति महोदय, लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है। गांवों में बैठा गरीब आदमी यहां पर जो डेढ़ सौ रुपये की आइसक्रीम मिलती है, वह नहीं खा पाता। वह खरीद भी नहीं सकता। उस गरीब आदमी के बच्चे जैसी आइसक्रीम मिलती है, वैसी खा लेते हैं, कुल्फी खा लेते हैं, लेकिन वहां गांव में यह कौन एन्श्योर करेगा कि गरीब के बच्चे को घटिया क्वालिटी की कुल्फी, आइसक्रीम या दूसरी खाने की सामग्री नहीं मिले। ये जो पांच-पांच रुपये के पैकेट में तली हुई चीजें गांव-गांव में लोग बेचते हुए घूम रहे हैं, इनका निर्माण न हो घटिया क्वालिटी की

(श्री संयम लोढ़ा)

चीजों का, यह कौन ध्यान रखेगा? अगर इस तरह के प्रावधान नीचे बिना किसी आधारभूत ढांचे को विकसित किये हम करेंगे तो उन हजारों लोगों, जो किसी भी तरीके से अपनी रोजी-रोटी, जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें हम स्थायी रूप से अपराधी बना देंगे। ये जेलें आपकी भर जाएंगी। आप बजाय सज़ा में बढ़ोतरी किये लोगों को अपराधी बनाने के इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं सुनिश्चित करते कि लोगों को सही गुणवत्ता की सामग्री मिले? होता क्या है, जिस आदमी को घी की मिलावट करनी है, सबसे पहले आपके फूड इंस्पैक्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे यह मिलावट का काम शुरू करना है। वह अपने पैसे तय करता है और उसके बाद में मिलावट चालू होती है।

हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं। क्या हम सबको पता नहीं है कि किस-किस जिले में कहां-कहां पर कौन-कौन-सी चीज किस रूप में मिलावट की जा रही है, किस रूप में बाजार आ रही है? एक घटना होती है, एक छापा पड़ता है, नया कोई थानाधिकारी आता है, आते ही अपनी चौधराहट बताने के लिए वह दो-चार छापे मारेगा, माल पकड़ेगा और उसके बाद वही उन लोगों से बन्दी करके चुप-चाप बैठ जाएगा। सबसे बड़ी कमी हमारी गवर्नेंस की है। हम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह से कि हमारे नागरिकों को सही चीज मिल सके, इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि इन सजाओं में बढ़ोतरी करके लोगों को अपराधी बनाने से पहले हम अपनी जिम्मेदारी को समझें कि हम यह सुनिश्चित करें कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाने की चीजें मिलें, नकली दवाइयां नहीं मिलें। यह एन्श्योर करना गवर्नमेंट का, हमारे सिस्टम का काम है, जिसमें हम बुरी तरह से फेल हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि आप इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजें, नागरिकों के विचार सुनें कि किस रूप में उन्हें मिलावटी सामग्री मिल रही है। पहले यह एन्श्योर करें कि वहां की नीचे की व्यवस्था ठीक हो। उसके बाद आप आपराधिक सख्ती की दिशा में जाएं तो जनहित में होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल (अनुपस्थित)। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय,

(श्री वासुदेव देवनानी)

आज दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा हो रही है और इसमें 1860 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 272 से लेकर 276 पर संशोधन सुझाये गये हैं। इसमें कई लोगों ने कई मुद्दे पर, मेरा इसमें एक ही विषय कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे शुद्ध खाद्य मिले, उसे शुद्ध दवाई मिले और उसमें जो कोई मिलावट करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा भी मिले और इस सदन में शायद कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं हो सकता लेकिन इसक पीछे मूल भाव, नीयत क्या है और व्यवस्थाएं क्या हैं इन दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि केवल सज़ा को बढ़ा देना या उसके ऊपर जुर्माना बढ़ा देना ही समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल है कि उसके पीछे जो मूल कारण है उसको ठीक किया जाए। जैसे कई बार शुद्ध के लिए युद्ध भी चला, लेकिन वह शुद्ध के लिए युद्ध ऐसा चला कि जैसे शायद पैसे के लिए युद्ध हो रहा हो, इसके अलावा मुझे कोई शुद्धता उसमें कुछ दिखाई नहीं दी। आपके पास सैम्पल लेने के लिए स्टाफ कहां है? आप टोटल मिलाएंगे तो 50 प्रतिशत भी स्टाफ डिपार्टमेंट के पास नहीं है और उनको जो प्रतिमाह सैम्पल लेने हैं वे सैम्पल भी पूरा नहीं ले पाते तो फिर यह कहां से चलेगा? अगर आपने सैम्पल ले भी लिए तो उन सैम्पल की जांच कहां होगी? यदि पूरे राजस्थान भर में 8 ही लैब होंगी तो जांच भी उस गति से चलेगी और जब तक जांच पूरी होगी और रिजल्ट आएगा तब तक तो वह जो अशुद्ध सामान है, खाद्य सामग्री है चाहे दवाई है, वह तो लोगों तक चली गई और जिनको प्रभावित होना है वे प्रभावित होकर बीमार भी हो गए और जो कुछ परिणाम आना था वे परिणाम भी आ गए, लेकिन उनको आप किसी प्रकार की सज़ा नहीं दे पाए। सज़ा देंगे कैसे? जब आप सारे सैम्पल ले लोगे और सैम्पल लेने के बाद चालान पेश नहीं करोगे तो प्रभावी लोग अपने आप इसमें बच जाते हैं। आप जब एक सीमित मात्रा में ही चालान पेश करेंगे तो जो अफसरों, व्यापारियों, मिलावटियों की मिलीभगत है, वह मिलीभगत इसका सबसे बड़ा मूल कारण है। आप अपने संशोधन में यह लाते कि हमारे प्रत्येक जिले में लैबोरेट्री होगी जिसकी आपने घोषणा तो कर रखी है, लेकिन पिछले ढाई साल में आपने एक भी लैब खोली क्या? इसका कहीं हिसाब-किताब नहीं है।

दूसरा, इसके कारण से शुद्ध रूप से एक भ्रष्टाचार को शह मिलनी है। जितना ज्यादा करोगे, दिखाने को तो लगता है कि हम उसको ज्यादा सज़ा

(श्री वासुदेव देवनानी)

देंगे, ज्यादा जुर्माना करेंगे तो निश्चित रूप से उसको डर होगा, लेकिन डर तो तब पैदा होगा जब कोई कानून व्यवस्था होगी और डराने की कोई व्यवस्था होगी। यहां डर दिखाकर इंस्पैक्टर राज में केवल पैसे लूटने के अलावा इसमें कोई ज्यादा कुछ होने वाला दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरा इसमें आपसे आग्रह है कि इस प्रकार के कानून जिसमें समवर्ती सूची के साथ जुड़ा हो और समवर्ती सूची में आपको बनाने का अधिकार तो है, राज्यों को भी है, केन्द्र को भी है, लेकिन यदि केन्द्र की तुलना में उसमें कहीं विरोधाभास या गैप है तो केन्द्र का कानून ही प्रभावी रहेगा और इस प्रकार के कानून में राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। यानी आप उस ओर जा ही क्यों रहे हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अभी किसी माननीय सदस्य ने बताया कि आपके केन्द्र के कानून औषधि के मामले में उससे ज्यादा कठोर हैं तो जब पहले से कठोर हैं तो उनकी पालना तो करवाओ। मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन इज द मेन प्रोब्लम। यदि एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो नियम-कानून कितने ही बना दो, वे कागजों में ही रह जाएंगे और जनता त्राहि-त्राहि करती रहेगी, जनता भुगतती रहेगी। प्रत्येक सरकार आती है, कानून बनाती है, कानून अच्छे बनते हैं, लेकिन कानून की जो पालना कराने वाले हैं, यदि वे ठीक नहीं होंगे, उसकी पालना ठीक ढंग से नहीं होगी, उसमें कहीं मिलीभगत होगी तो फिर इस प्रकार के कानून बनाने का, संशोधन लाने की कोई भी आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती।

मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि इस समय अजमेर नशीली और नकली दवाओं का एक प्रकार का हब बना हुआ है। वहां पूरा एक रैकेट है और उस रैकेट की तरफ पहुंच नहीं पा रहे हैं। वहां एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और आज नशीली दवाइयों, नकली दवाइयों और मिलावटी दवाइयों का वह एक प्रकार का केन्द्र बना हुआ है इसलिए आवश्यक है कि वहां पर हम इंस्पैक्टर की संख्या बढ़ाएं। उसमें ईमानदारी के साथ जो सैम्पल लाएं उनका तत्काल एक टाइम पीरियड तय हो कि एक महीने के अन्दर, पन्द्रह दिन के अन्दर, पांच दिन के अन्दर, सात दिन के अन्दर उसकी जांच हो जाएगी और यदि जांच में दोषी पाया जाता है तो एक टाइम लिमिट के अन्दर उसका चालान पेश होगा तब तो कोई नियम बनाने की कोई उपयोगिता है या उसकी सार्थकता है और नियम नियम बनकर रह जाएंगे। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि आप भावावेश में नियम

(श्री वासुदेव देवनानी)

तो ला रहे हैं और इन पांच दिनों में 11-12 विधेयक पारित भी करवा रहे हैं, लेकिन पारित कराने के पहले जरा उसके पीछे मूल नीयत, भाव, व्यवस्थाएं, उनकी पालना कैसे होगी, इस सरकार को इन सब पर भी विचार करना चाहिए। बाकी तो हमारे ड्रग्स के बारे में फूड सेफ्टी एक्ट सब बने हुए हैं, लेकिन उन बने हुए को भी लागू नहीं करा पाए तो केवल आप एक हजार से दस हजार, दस हजार से पचास हजार, पचास हजार से एक लाख बढ़ाते रहो। ये जो गड़बड़ करने वाले हैं इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पैसे तो धारीवाल साहब, आप कितनी भी सज़ा कर दो, कितने लाख भी मांग लोगे, पैसे की व्यवस्था कर लेंगे, पैसा इज नोट द प्राब्लम। (व्यवधान) वे रेगुलर होंगे, मैं उसमें नहीं जाता कि कहां रेगुलर, कहां इर्रेगुलर है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्थाओं में केवल इंस्पैक्टर की जेब भरने, भ्रष्टाचार को पनपाना उचित नहीं है। इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए ताकि जो बातें विपक्ष रख रहा है उन पर विचार हो। मुझे लगता है कि कई बार हम बोल लेते हैं, आप सुन लेते हो और सुनने के बाद वैसा का वैसा पारित कर देते हैं तो कम से कम अच्छे लोकतंत्र की यह व्यवस्था है कि विपक्ष जो कुछ मुद्दे उठा रहा है उन मुद्दों पर गम्भीरता से विचार कर आप महीने भर बाद ले आना, आप सबकी बातें सुन लो और उनमें जो कुछ अच्छा, ठीक लगता है उसको आप ले आओ। केवल हठधर्मिता के आधार पर हम पारित करवा लेंगे, बहुमत है आप पारित करवा सकते हो लेकिन फिर यह असली लोकतंत्र जिसकी चर्चा पिछले दिनों यहां पर हुई, यहां हमारे कामनवैल्थ में गडकरी जी ने भी कही, गुलाम नबी आजाद जी ने भी कही, सबने कही तो उनकी बातों को तो कम से कम मन से स्वीकार करो और उसके अनुसार कोई एक्ट तो करो पर यह एक्ट भी ऐसा होगा जिस प्रकार से बाकी एक्ट की पालना कर रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके निर्देशन में इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय सभापति जी, दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021, मैं सोचता हूं कि जिस समस्या के निदान के लिए सभी लोग मन से एकमत हैं कि वास्तव में इस प्रकार की जो मिलावट हो रही है उस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और मैं इस बिल की भावना से अपने आपको जोड़ता हूं, समर्थन करता हूं क्योंकि जिस मंशा से इस समस्या का निदान करने के लिए जो प्रयत्न किया है वह वास्तव में एक अच्छी दिशा में बढ़ने वाला कदम है, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। मैं सोचता हूं कि किसी के विचार इससे भिन्न हो ही नहीं सकते। आज की इस समाज में सबसे बड़ी जो चुनौती है वह इन दोनों ही प्रकार की है, मिलावटी खान-पान वाला भी है और दवाइयों का भी है। मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से संशोधन विधेयक के खण्ड 7 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची अपराधों का वर्गीकरण में शीर्षक भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध के अधीन, धारा 272 से लेकर 276 से सम्बन्धित विद्यमान प्रविष्टियों जिसमें इन सभी अपराधों को अभी नॉन काग्निजेबल बनाया हुआ था और जमानती था तथा इसमें संशोधन करके इसको काग्निजेबल बना रहे हो और अजमानती बना रहे हो जो स्वागत योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम इस कठोरता से इस सारी व्यवस्था में सुधार होगा, ऐसा मेरा मानना है।

मैं सोचता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, आईपीसी की धारा 272 से लेकर 276 में संशोधन खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट करने और ऐसे मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों को बेचने वाले तथा मिलावटी दवाइयां बनाने वाले और बेचने वालों के खिलाफ अपराध को और अधिक दण्डनीय बनाने के लिए संशोधन किया है। इसमें भावना भी ठीक है, काम भी ठीक है और इसमें जो भी परिवर्तन हम कर रहे हैं उसमें भी मैं सोचता हूं कि मेरी दृष्टि से उचित है पर इसकी पालना ठीक प्रकार से हो जाए इसके बारे में जरूर देखें। मैं सोचता हूं कि हरेक सेक्शन को भी अगर अपन डिटेल में लें तो हरेक में सज़ा को बढ़ाया है, दण्ड को भी बढ़ाया है। लगभग उन सबका डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, धारा 272 में सब है। जो पहले प्रावधान विद्यमान था। वह अवधि 6 माह तक की हो सकेगी तथा जुर्माना एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों, यह पहले था। अब आप इसमें परिवर्तन कर रहे हो, 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 10 हजार से कम नहीं होगा। इस प्रकार के हरेक प्रावधान में आपने सज़ा बढ़ाई है। इसकी सारी डिटेल, मैं सोचता हूं जो कुछ आपने इसमें दिया है, उसके अन्दर समाहित है।

मैं जो बात कहना चाहता हूं, शोचनीय विषय यह है कि हम असफल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्यों हो रहे हैं। इस पर ध्यान केन्द्रित नहीं हो रहा है। मैं सोचता हूं पहले भी आपने देखा होगा कि अपन ने 'शुद्ध के लिए युद्ध' के नाम से एक अभियान चलाया था। परिणाम क्या निकला? यह आपके और मेरे सबके सामने है जिसके कारण से लोग हमको मजाक में लेते हैं। आप ये सब काम करते हो न, यह आपका उद्देश्य है या केवल घोषणाओं का अम्बार लगाकर, लोगों को आप इस जाल में फंसाते हो, हम 'शुद्ध के लिए युद्ध' कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम जब निकालकर देखते हैं तो बहुत निराशा होती है। वास्तव में परिणाम उस दृष्टि से नहीं आता है। एक विधान सभा का प्रश्न था, उसमें चिकित्सा मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 2014 से, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह फिगर आपको और मुझे इस बात के लिए एक तरह से आगाह कर रहे हैं कि आप कानून भले ही कितना ही सख्त बनाओ। अगर कानून की पालना होकर उसका परिणाम नहीं आएगा तो ये सब कानून, कानून नहीं होंगे। वे लूटने के नये साधन बन जाएंगे। 2014 से लेकर 2019 तक कुल 8368 नमूने जांच हेतु लिये गये। इनमें से केवल 7397 नमूनों का न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। केवल 3868 नमूनों में न्यायालय अब तक का निर्णय कर पाया। सबसे बड़ी बात इन निर्णयों में एक भी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय, आज मैं मंत्री महोदय और सदन के सभी माननीय सदस्यों को सावधान कर रहा हूं कि हमारी इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतनी मेहनत, इतने लोगों का उसमें लगना और सारा काम करना, उसके बाद भी 3868 नमूनों का न्यायालय अब तक निर्णय कर पाया और सबसे बड़ी बात इन निर्णयों में एक भी मामले में सज़ा नहीं हुई। यह तो मैं 2019 तक के आंकड़े बता रहा हूं, उसके आगे के आंकड़े माननीय सदस्यों ने अपने प्रश्नों के आधार पर जो कुछ आया, वह आपके सामने रखा, किस प्रकार की स्थिति है।

नमूने लेने की नियमानुसार प्रक्रिया है। उसकी पालना नहीं की जाए, फिर न्यायालय में विभाग की पैरवी इतनी कमजोर है, केवल सज़ा देने के प्रावधानों को सख्त बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मिलवाटखोरों को जल्द से जल्द सज़ा दिला सकें। खाद्य पदार्थों में सैम्पल लेने का कार्य, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य निरीक्षक के जिम्मे होती है। प्रदेश में इन अधिकारियों की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। एक जिले में दो या तीन से ज्यादा अधिकारी के पद स्वीकृत नहीं हैं, इनमें से भी अधिकतर जिलों में इन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिकारियों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में जब तक स्वीकृत पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाए और रिक्त पदों को जब तक भरा नहीं जाएगा, इन मिलावटखोरों पर नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकेंगे, इसके बारे में विचार करने की जरूरत पड़ेगी। मैं सोचता हूं इस कानून को हमने बनाया है, सभी सेक्शन में हमने निश्चित रूप से सज़ा बढ़ाई है, हमारी भावना है।

मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 1975 में ही इस कानून को इतना सख्त बना दिया था। इन्हीं धाराओं के तहत, “In sections 272, 273, 274, 275 and 276 for the words “shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months” यह पहले था “or with fine which may extend to one thousand rupees” इसकी जगह, इन्होंने किया “shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine” नया जोड़ा “provided that the Court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment which is less than imprisonment for life”, अब इसकी जगह लिखा है “In Uttar Pradesh the offences under this section is cognizable” जो हम भी बना रहे हैं non-bailable, non-compoundable, and triable by a Court of Session होगा। ये जो उन्होंने life imprisonment जो दिया, वह 1975 में बना दिया। हम लोगों ने इसे अभी बनाया, मैं सोचता हूं इस गम्भीर समस्या को सभी लोग फेस कर रहे हैं। विशेषकर जो वर्णन किया है, मेरे हिसाब से कि आज तारीख में जो दवाओं का, एक तरह से जिस प्रकार का उसमें मिश्रण हो रहा है, जिस प्रकार की दवाइयां बाजार में बिक रही हैं, इस पर कंट्रोल नहीं होने के कारण से लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। मुझे जो भी दवाई डाक्टर लिख देगा, मैं तो उसको लेकर खाता ही रहूंगा। मैं उसको वापस देखूंगा भी नहीं कि इसका मेरे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ा तो वास्तव में यह जो एक संकटपूर्ण स्थिति है। इसको एफिशिएंट बनाने के लिए जब तक आपके पास मशीनरी नहीं होगी, जब तक आपको इनके सैम्पल का टैस्ट समय पर नहीं होगा, जब तक उसकी कोर्ट में पैरवी करने वाला व्यक्ति ठीक नहीं होगा। आप और मैं जब कभी भी न्यूज पढ़ते हैं तो किसी जमाने में सुनते थे, जयपुर में 200 टीन घी मिला था और उसमें कई लोग और कई अधिकारी पकड़े भी गये थे, लेकिन अंततोगत्वा उस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

केस में जीरो हो गया। आज दिन तक हम जब कभी भी अख़बार उठाकर देखते है, जब कभी भी इस प्रकार के केस पकड़े जाते हैं तो एक सनसनीखेज न्यूज बन जाती है और उसको पढ़कर दर्द होता है, लेकिन उनमें से परिणाम क्या निकला?

मंत्री महोदय, मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूं, आपकी भावना ठीक है, आप जो कुछ लेकर आये हैं, वह स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक आपकी मशीनरी ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी तब तक इसका परिणाम नहीं आएगा और परिणाम नहीं आएगा तो क्या होगा? आपने इनके हाथों में और उस्तरा दे दिया जो बिना साबुन के हजामत कर रहा है।

मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मैं आपकी भावना से शत-प्रतिशत सहमत हूं, लेकिन इस कानून को इफेक्टिवली लागू करके फील्ड में लोगों को इन मिलावटखोरों से बचाया जा सकता है। चाहे वह खान-पान का सामान हो, चाहे वह दवाइयों में हो, जब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे तो केवल और केवल यहां कानून पास कर देने से जनता को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। आपको और मुझे इन कागजों में मिल जाएगा। आपकी और मेरी भावना इसमें आ जाएगी, लेकिन इसकी परिणति, अभी तक तो कम से कम मेरे इतने सालों के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश में मिलावटखोरों को किसी प्रकार का कोई दण्ड अभी तक कहीं मिला। सेशन कोर्ट में दो-चार मामले मेरे ध्यान में आये हैं, दूध में मिलावट जरूर, जो पानी मिलाने वाला पकड़ा गया उसको जरूर सज़ा हुई है। वह इतना बड़ा जुर्म नहीं है, जितना बड़ा जुर्म, ये जो बाकी बड़े-बड़े डकैत हैं। इसमें भी हमारा दुर्भाग्य है, हमारी व्यवस्था का दुर्भाग्य है। पकड़ा कौन जाता है, वह साइकिल पर लेकर के जो दूध बेचने आया है डिब्बे में, वह पकड़ा जाता है। वह फैक्ट्री नहीं पकड़ी जाती है, जहां पर दूध का चाहे वह सरस हो, चाहे अमूल हो, अगर उनके सैम्पल लें, ऐसे बनने वाले जहां-जहां भी आपके कारखाने हैं या जहां दवाइयों का होता है वहां रोज बाई-रोटेशन भी उनका सैम्पल उठाया जाए और उनकी जांच हो, तब तो आप नीचे तक ठीक प्रकार से पहुंचाओगे, लेकिन आप किसी एक छोटे से गांव में बैठे हुए एक दुकानदार को पकड़कर उसकी दवाइयों का जखीरा उठा लाओगे और उसके कारण से आप उसको सज़ा दोगे। वह तो केवल अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो सामने से दवाई मिली है, उसको लाकर के बेचता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कम से कम इस मिलावट में छोटे लोगों को छोड़ते हुए उन जगहों को पकड़ने का प्रयास करें, जहां से यह चलता है। जब तो आप निश्चित रूप निदान कर सकोगे, बाकी केवल संख्या में आप जरूर दिखा देना कि हमने इतने लोगों को किया, लेकिन इसका परिणाम नहीं आएगा।

(15.29 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

मैं सोचता है हरेक सेक्शन में, किसमें क्या सज़ा बढ़ाई और किसमें क्या सज़ा घटाई, यह तो आलरेडी इसमें दिया हुआ है। मैं उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं फिर आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कानून बहुत अच्छा है, कानून एक अच्छे कदम की तरफ जा रहा है, लेकिन इस कानून को धरती पर उतारने के लिए जो भी मैकेनिज्म आपको नीचे का तैयार करना पड़े, वह निश्चित रूप से तैयार करें। मैं सोचता हूं राज्य के खजाने का ज्यादा पैसा लेंगे तो भी चिंता नहीं। कम से कम लोगों को मरने से और उनको बीमार होने से बचा सकें तो मैं सोचता हूं कि हमारा पैसा उधर से बच जाएगा लेकिन इधर खर्च करने के लिए कंजूसी मत करिए और पूरा वैल इस डिपार्टमेंट को सही सलामत पर लाइए।

श्री सभापति: माननीय श्री सुरेश सिंह रावत (अनुपस्थित), माननीय श्री अभिनेश महर्षि (अनुपस्थित), माननीय श्री अविनाश (अनुपस्थित), श्री बलवान पूनिया (अनुपस्थित), माननीय श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को आज इस सदन में विचारार्थ लिया गया और इस विधेयक पर मुझे मेरे विचार रखने का आपने मौका दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय दंड संहिता, 1860 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-45 की धारा-272 से 276 के संशोधन के लिए यह बिल लाया गया है। इस अधिनियम की धारा-45, 272 से 276 खाने-पीने की वस्तुएं और औषधि में यदि कोई व्यक्ति, संस्था या कोई फर्म मिलावट करती है तो इसके लिए उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करने की इजाजत देती है, जो यह संशोधन लाया गया है जिसमें पहले से ही इन धाराओं में केवल

(श्री नारायण सिंह देवल)

274 ही ऐसी धारा है जो गैर जमानती है, बाकी अन्य धाराएं-272, 273, 275 और 276 यह सभी धाराएं जमानती धाराएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में जब भी कोई त्योहार आता है चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, तीज हो या और कोई त्योहार आता है तब सरकार हमेशा 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाती है और उसके बाद में पूरे साल चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस का विभाग हो पूरे साल आराम से चादर ओढ़कर सोया रहता है। पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम खाद्य सामग्री के सैम्पल ले जाते हैं और अगर उसमें मिलावट की सामग्री मिल भी जाती है तो वह मिलावटियों से सांठगांठ करके केस में आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज करता है न कि जो कठोर कानून है फूड सिक्योरिटी एक्ट या ड्रग्स एक्ट में यह मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं और आईपीसी की धाराएं जमानतीय हैं और न के बराबर सजा का प्रावधान है और न के बराबर जुर्माने का प्रावधान है। हम सभी जानते हैं और आज चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही चिंतनीय विषय है कि हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली जितनी भी खाद्य सामग्री जो हम लोग उपयोग में लेते हैं, मिलावट हो रही है। रोज अखबार और टीवी के अन्दर हम यह न्यूज़ सुनते हैं। आज चाहे घी हो, तेल हो, दूध हो, पनीर हो, मसाले हों या आटे में मिलावट की रोज बातें हम लोग सुन रहे हैं और जो सब्जियां हम लोग खा रहे हैं, इनके ऊपर भी पेस्टिसाइड का भारी छिड़काव हो रहा है और खाने की जितनी भी सामग्री है उसमें भी मिलावट हो रही है। इस कारण से मनुष्य की हैल्थ पर एक बहुत प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है और डाक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए तो अभी कटारिया साहब कह रहे थे कि डाक्टर जो हमको दवाई देता है वह दवाई भी हमको नकली मिल रही है और इंसान जिससे मौत के कगार पर पहुंचता है। यही कारण है कि खानेपीने की गुणवत्ता और पोषक तत्व इंडेक्स के मामले में भारत दुनिया में 34वें स्थान पर है। हमारे देश में खाने-पीने की सामग्री में लगभग 75 से 80 परसेंट मिलावट मिलती है और हमारे यहां आम प्रचलन में कहावत है कि आजकल तो जहर भी शुद्ध नहीं मिलता है और चिंता का विषय है कि आज न तो हवा शुद्ध है, न पीने का पानी शुद्ध है और न खानपान की सामग्री शुद्ध है। ऐसी स्थिति में जनता सरकार से अपेक्षा करती है कि कम से कम उसको खाने-पीने की चीजें अच्छी मिलें, शुद्ध हों। राजस्थान में फूड इंस्पैक्टर व लैब की कमी है और इस कारण से इंस्पैक्टर कम होने के कारण से जांचें कम होती हैं और

(श्री नारायण सिंह देवल)

अगर जांच हो जाए तो लैब कम होने के कारण सालों-साल उसकी रिपोर्ट नहीं आती है और मिलावटखोर सांठगांठ कर लेता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट 2020-21 में मिलावटखोरों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने की बात कही थी। मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए प्राधिकरण गठन करने की बात की गई थी। उसका क्या हुआ? प्रत्येक जिले में एक लैब बनाने की बात कही गई थी। माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तब कम से कम इस सदन में बताएं कि मुख्य मंत्री जी की जो घोषणा थी, पूरे राजस्थान में कितने लैब खोले और जहां लैब खुली है वहां पर स्टाफ भी नहीं है। हमारे जालौर जिले में एक लैब है, परन्तु आज दिन तक लम्बे समय से उसमें कोई विशेषज्ञ जांच करने वाला नहीं है तो मैं सरकार से इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि मिलावटखोरी को रोकना है तो सजा का कड़ा प्रावधान होना चाहिए और जुर्माना जो 50,000 रुपये आपने बढ़ाया है यह बढ़ा करके 50 लाख रुपये तक करना चाहिए।

सभापति महोदय, विश्व में सिंगापुर और चीन ऐसी कंट्री हैं वहां पर अगर कोई मिलावट का मामला बनता है तो उसके लिए फांसी का प्रावधान है और हमारे देश में मिलावट की यह जो घटनाएं बढ़ रही हैं इसका कारण है कि जो जांच अधिकारी जांच करता है उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। मेरी सदन से मांग है कि जो भी सैम्पल लिया जाए उस सैम्पल को तुरन्त सील किया जाए, निर्धारित समय पर सैंपल की रिपोर्टिंग दी जाए और जो केस चल रहे हैं वह सालों-साल चलते हैं तो इसको फास्टट्रैक में लेकर उसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर तत्काल उसको सजा होनी चाहिए। जन भावना को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को जनमत जानने के लिए परिचालित करने की मैं मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपने दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार। मेडिकल का विषय है। इस पर हमारे केन्द्र को भी कानून बनाने का अधिकार है और स्टेट को भी बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची का मामला है स्टेट कानून बना सकता है और अच्छा कानून है। इसके लिए

(श्री धर्मनारायण जोशी)

तो मैं आभार व्यक्त करता हूं परन्तु इसका जो हमारा सरकारी सिस्टम है, पहले भी दंड का प्रावधान था आपने कितने लोगों को दंड दिया? आपके पास साधन नहीं है, आपके पास लैब नहीं है। दीपावली का त्यौहार आ रहा है। हजारों किलो नकली मावा पकड़ा जाता है प्रतिवर्ष और हजारों किलो नकली मावा पकड़ने के बाद भी आज दिन तक कितने लोगों को सजा हुई। आप दंड तो बढ़ा रहे हैं परन्तु दंड में कितने लोगों को सजा हुई। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसको लागू करने में सतर्कता बरतिये क्योंकि मानव का जीवन आज खतरे में है केवल मिलावटी वस्तु खाने से खतरे में है। अनेक बार समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि गेहूं और चावल के भूसे की एक फैक्ट्री चल रही है। आदमी बाहर बैठा है और गेहूं का भूसा उसमें पिसा रहा है उसका बिल्कुल महीन बन रहा है, क्या बन रहा है अन्दर? अन्दर धनिया बन रहा है उसका। यानी गेहूं के भूसे का धनिया बन रहा है। आये दिन खबरें आती रहती हैं। राजगीर का नकली आटा खाने से राजस्थान में अनेक लोग बीमार हो गए। आज आप किसी पुलिस वाले को नकली सीआईडी बना करके किसी दुकान पर भेजिए घी की दुकान पर। दुकानदार को कहिए तो दुकानदार पूछेगा आपको, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि आपको कौन सा घी चाहिए? दीपक करने का घी चाहिए, यज्ञ करने का घी चाहिए या खाने का घी चाहिए? सब की अलग-अलग रेट है। मुझे आश्चर्य है उदयपुर में एक दुकानदार के यहां बैठा था मंडी में। उदयपुर में दिल्ली से देशी घी का ट्रक रोज आता है एक यानी ट्रक उदयपुर से दिल्ली जाने चाहिए यहां तक तो ठीक है, भैंसें दिल्ली में ज्यादा हैं। यह जो सिस्टम है...

माननीय सभापति महोदय, मेडिकल का तो अलग ही हिसाब किताब है। कानून में दुकानदार से सामान पकड़ा, थैली पकड़ी तो दुकानदार को पुलिस पकड़कर ले गई। जिसने थैली का उत्पादन किया उसका नाम है उस पर, उसको कोई सज़ा नहीं है, दुकानदार को सज़ा है जो 2-5 रुपये का सामान बेच रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है इसको भी ठीक कीजिए।

देश का दवाइयों का सबसे बड़ा घोटाला, तीन हजार करोड़ की नकली दवाएं उदयपुर में पकड़ीं। छोटी-मोटी सरकार का तीन हजार करोड़ का बजट होता है। तीन हजार करोड़ की दवाएं पकड़ीं, वहां फैक्ट्री में मजदूर को पूछो कि क्या बन रहा है, मजदूर को कुछ भी पता नहीं क्योंकि उसकी पांच जगह फैक्ट्री चलती थी। एक जोधपुर में फैक्ट्री, एक राजसमंद में फैक्ट्री, एक

(श्री धर्मनारायण जोशी)

उदयपुर में फैक्ट्री, एक जयपुर में फैक्ट्री। पांचों फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, उनको कुछ पता नहीं। तीन हजार करोड़ की दवाएं जो विदेश में एक्सपोर्ट होती थीं, विदेशों में जाती थीं, सभापति महोदय, यह हमारे यहां की स्थिति है।

गहलोत साहब जब भी सरकार में पधारते हैं अच्छे नारे देते हैं। अभी एक नारा दिया था कि राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त करेंगे। आज प्लास्टिक कहां नहीं मिलता है बताइए आप? थोड़े दिन अभियान चले, नगरपालिका वाले थैलियां जब्त करके ले गये, कुछ के चालान काट दिये। सभापति महोदय, आज आप जहां चाहो प्लास्टिक की थैलियां मिल जायेंगी।

आप एक गुटखा का कानून लाये थे और तीन दिन बाद बैक हो गये, कानून वापस ले लिया। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि गुटखा जो लोगों को बीमार करता है, उस कानून को आपने 2-3 दिन बाद वापस ले लिया। मेरा आपसे निवेदन है ऐसी मिलावट की जो गलत वस्तुएं समाज में आ रही हैं जिससे समाज को, मानव जीवन को खतरा है, ऐसे लोगों पर सख्ती कीजिए, सख्त कानून बनाइए। आपने कहा था जिला स्तर पर लैब बनाएंगे, कहीं लैब की व्यवस्था नहीं है। मेडिकल में इतनी धांधली है कि कोई सोच भी नहीं सकता। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने एक कानून बनाया क्योंकि यूरिया से दूध बनता था, यूरिया से अनेक वस्तुएं बनती थीं। मोदी 2014 में प्रधान मंत्री बने, आते ही उन्होंने कहा यूरिया फैक्ट्री से जैसे ही निकलेगा वह नीम कोटेड होगा। यूरिया नीम कोटेड होगा और उस पर नीम का पानी चढ़ा दिया। आज देश में यूरिया की कहीं कमी नहीं है। उन्होंने केवल एक प्रयोग किया। आपसे मेरी प्रार्थना है, कानून बहुत अच्छा है, कानून पहले भी अच्छा था परन्तु कानून की अंत तक मानिटरिंग करके आदमी को सज़ा मिलेगी तो दूसरा आदमी कानून को भंग नहीं करेगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कानून को लागू करें परन्तु दंड प्रक्रिया को ठीक करके लागू करें, आदमी को अंतिम समय तक सज़ा मिले, इसकी व्यवस्था कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। सभापति महोदय, क्या इस संशोधन के माध्यम से हम

(श्रीमती संतोष)

मिलावटखोरों को दंड प्रावधान के आधार पर रोक पायेंगे, यह एक गम्भीर विषय है। आज समाज में एवं रोजाना के समाचार-पत्रों में मिलावटखोरी का गोरखधंधा एक आम बात होती जा रही है। मानव जीवन खतरे में है। आज जिस कदर मिलावट ने हर चीज में अपने पांव पसारे हैं उससे बाजार में गुणवत्तायुक्त उत्पादन मिलना दूर की बात है। मिलावटखोर अधिक मुनाफा कमाने की आड़ में खाद्य पदार्थों से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों तक मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

सभापति महोदय, पिछले पांच सालों के आंकड़ों पर 'शुद्ध के लिये युद्ध' अभियान के नाम पर चार से पांच हजार केस प्रतिवर्ष मिलावट के दर्ज हुए हैं। लेकिन अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार सात हजार से अधिक केस अनुसंधान के लिये विचाराधीन हैं। इन पेंडिंग केसों की रिपोर्ट होने में दो से चार साल लग जायेंगे। जब तक अनुसंधान होगा तब तक सैम्पल की उपयोगिता खत्म हो जायेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर मिलावटखोर आसानी से बच निकलेगा। इस पर कठोर नियम बनना चाहिए। फूड टैस्टिंग अथोरिटी की घोषणा बजट, 2021 में की गई थी। मिलावटी पदार्थों की जांच के लिये प्रत्येक जिले में लैब की घोषणा भी की गई थी। मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्यवाही के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी घोषणा की गई थी लेकिन आज मिलावटखोरी पर कितना अंकुश लगा है, यह हम सबके सामने है।

सभापति महोदय, जब तक जांच का परिणाम त्वरित नहीं होगा तब तक जुर्माने की राशि बढ़ाने एवं सज़ा की अवधि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि मिलावटखोर को सज़ा एवं जुर्माना लैब की रिपोर्ट के आधार पर ही मिलेगा। कानून का भय न्याय की त्वरितता के आधार पर होता है। न्याय जितना जल्दी होगा उतना ही भय मिलावटखोरों में होगा। अत: मैं इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किये जाने का निवेदन करती हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (अनुपस्थित), माननीय श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद सभापति महोदय, आज दंड विधियां विधेयक, 2021, भारतीय दंड संहिता 1860 में संशोधन। धारा 272,

(श्री राजकुमार रोत)

273, 274 इस प्रकार पांच धाराओं में संशोधन के लिये आज जो बिल लाया गया है, पहले तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मिलावटखोरों के खिलाफ हमारे लोगों को सही खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए और हमारे राज्य में मिलावट को कैसे रोका जाये, इसके लिये कठोर कानून लाने का जो प्रावधान किया है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। इससे पहले भी कानून बने थे, इसमें थोड़ा संशोधन किया जा रहा है, इसको और मजबूत किया जा रहा है। लेकिन जो पहले कानून बना था उस कानून के तहत कितनी कार्यवाही हुई, उस कानून का निचले लेवल तक कितना पालन हुआ, यह भी एक जानने का विषय है। आज हम सब लोग सुबह उठने से लेकर रात तक नाश्ता, भोजन या कोई लिक्विड, हर चीज मार्केट से लेते हैं और हम सब लोग इस मिलावटखोरी से कहीं न कहीं पीड़ित हैं। आज हमारा इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग है, हमारे नजदीक में गुजरात पड़ता है और गुजरात में अहमदाबाद बड़ा शहर है। उधर महाराष्ट्र पड़ता है और उसमें मुम्बई बड़ा शहर है। इधर एमपी पड़ता है उसमें इंदौर बड़ा शहर है। हमारे इलाके में जो कानून बने हैं, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं उनको यह भी नहीं पता कि हम जो दुकान से सामान खरीदते हैं, अगर वह मिलावटी सामान है या वह एक्सपायर होने के बाद बिक रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही के लिये कानून बना है, यह भी आज तक उन लोगों को नहीं पता है। मैंने जो तीन बड़े शहरों का बताया, इन बड़े शहरों में जो एक्सपाइडेड सामान हैं, उस सामान को उस ट्राइबल इलाके में लाकर बेचा जाता है क्योंकि ट्राइबल व्यक्ति यह नहीं देखता है कि उस पर एक्सपायरी डेट है या नहीं है, क्या होती है, यह भी नहीं पता है। आज जयपुर का व्यक्ति दुकान में सामान लेने जायेगा तो सबसे पहले देखेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी रेट क्या है। हमारे उस इलाके का व्यक्ति वह नहीं देखेगा। मैंने बीच में विधान सभा में प्रश्न भी लगाया था कि कितने सैम्पल कलेक्ट हुए, कितनी कार्यवाही हुई? अब तक बिलकुल न के बराबर कार्यवाही हुई हैं। सैम्पल कलेक्ट कर लिये गये हैं, डेढ़-दो साल हो गये हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ समय पहले ही जो मिलावटी घी पाया गया था, शायद शिकायत दर्ज हुई। शिकायत दर्ज होने के बाद कार्यवाही हुई और कार्यवाही होने की वजह से उसका सैम्पल कलेक्ट हुआ। कुछ समय बाद दुकान वापस चल रही है। वह कहते हैं सैम्पल भेजा है उसका रिजल्ट नहीं आया है, वह आएगा

(श्री राजकुमार रोत)

तो दुकान बंद करेंगे। अभी त्यौहार आ रहे हैं, हमारे इलाके में जितने कोरोना में लोग बीमार नहीं हुए थे इससे ज्यादा जो रक्षाबंधन आया और आने वाले समय में होली दीवाली आएगी, उस समय बीमार होते हैं।

डूंगरपुर जिले के कलेक्टर को गुजरात के दो-तीन कलेक्टरों ने बीच में छह महीने पहले लैटर लिखा था कि डूंगरपुर से जो महिलाएं गुजरात में डिलीवरी कराने के लिए आती हैं, उनका हीमोग्लोबिन 5, 6, 7 होता है, मतलब 7 से ऊपर नहीं मिलेगा तो उन्होंने डूंगरपुर कलेक्टर को लैटर लिखा था कि डूंगरपुर में जो स्थिति बन रही है, वह आने वाले समय के लिए बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है। वह इसलिए हो रही है कि उस इलाके में मिलावटी सामान ज्यादा बिक रहा है, एक्सपायरी डेटेड सामान ज्यादा बिक रहा है। हम लोगों ने अब तक कोई कठोर प्रावधान नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि जो संशोधन हो रहा है, उस संशोधन के अनुरूप जो कठोरता आ रही है, उस कठोरता के तहत उस इलाके में काफी मात्रा में सैम्पलिंग होनी चाहिए।

लैब की चर्चा चली है, मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि राजस्थान सरकार अब मिलावट की सैम्पलिंग के लिए जो लैब खोल रही है तो सबसे पहले लैब डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में खोले, ताकि इन इलाकों में जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में काफी सुधार आये। इस कानून में जो मिलावटी सामान बेच रहे हैं, उन दुकानों के खिलाफ हमने कठोर प्रावधान किया है लेकिन जो अधिकारी वर्ग है, वह जिम्मेदार है। उसका क्या कर्तव्य है? वह कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, यह भी प्रावधान होना चाहिए तो ही अधिकारियों में खौफ बनेगा और खौफ बनेगा तब ही वे लोग कार्यवाही करेंगे। कोई भी त्यौहार आता है, जितनी भी मिष्ठान की दुकानें हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, वे लिस्टेड हो जाते हैं, लिस्टेटड होने के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं, आप सब जानते हैं, क्या होता है और क्या नहीं होता है। सैम्पल कलेक्ट कर लेते हैं। अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। वह दुकानदार खुद सैम्पल लेकर आता है और दे जाता है और फोमर्लिटी हो जाती है। हमारे पास आंकड़े आ जाते हैं कि इतनी सैम्पलिंग हुई और इस तरह से पाया गया। आज विपक्ष में बैठे हैं और इधर पक्ष में बैठे हैं। ये पक्ष और विपक्ष की बातें ही हैं। लेकिन हम सबको मिलकर इसमें सुधार लाना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। दवाइयों का भी इसमें प्रावधान कर रखा है। कोई भी दवाई कंपनी का जो एजेंट है, संबंधित एरिया और संबंधित जिले में जाता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी की परमिशन के बगैर वह नहीं जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सीएमएचओ है, ब्लाक लेवल पर बीसीएमएचओ है, अगर वह नहीं चाहेगा तो कोई बेच नहीं पायेगा, वह परमिशन देता है तो ही बेचता है। आज हम गवर्नमेंट अस्पताल जाएंगे तो दवाई मिलेगी तो वह कम डोज की मिलेगी और व्यक्ति यदि प्राइवेट अस्पताल में जाएगा तो उसे 500-600 एमजी डोज की दवाई मिलेगी। इससे उसकी आदत बन जाएगी। वह नशा टाइप का हो गया है। आज जो प्राइवेट कंपनियां दवाई बेच रही हैं, जितने झोलाछाप हैं, प्राइवेट हास्पिटल हैं, वे नशे की तरह दवाई बेच रहे हैं। हमारा जो सरकारी हास्पिटल है, उस हास्पिटल की दवाई उस मरीज पर भविष्य में कभी भी असर नहीं करेगी, क्योंकि उसने प्राइवेट से हाई डोज की दवाई ले रखी है। आज जो स्थिति बनी हुई है। मैंने बीच में एक क्वेश्चन लगवाया था, बंगाली और झोलाछाप पर कार्यवाही हुई थी। वे नकली दवाइयां बेच रहे थे। गलत तरीके से दवाई बेचकर लोगों का इलाज कर रहे थे। कार्यवाही हुई और कार्यवाही होने के बाद आज क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा स्थान चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया और वापस दुकान चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में यह सबसे बड़ी कमजोरी है और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। कोई भी दवा कंपनी वाला जाता तो संबंधित कोई भी प्रतिनिधि होता है, कोई मंत्री होता है, कोई अधिकारी होता है, उसका टैग लगाकर जाता है और कहता है कि मैं तो उसकी रैफरेंस से आया हूं। उस एमएलए की रैफरेंस से आया हूं, जन प्रतिनिधि की रैफरेंस से आया हूं, उस अधिकारी की रैफरेंस से आया हूं। नीचे लेवल के जो अधिकारी हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि उसके खिलाफ हो या उसकी दवाइयां एरिये में नहीं बिकने दे। कोई झोलाझाप या कोई भी है, उन्होंने अगर उस कंपनी वाले से जो भ्रष्ट तरीके से, गलत तरीके से दवाई का वितरण कर रहे हैं, वह दवाई नहीं लेगा तो उस पर उच्च लेवल का अधिकारी अलग तरह से कार्यवाही करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमने मिलावट को खतम करने के लिए और जो

(श्री राजकुमार रोत)

जिम्मेदार हैं, उन पर कार्यवाही करने के लिए कानून में प्रावधान कर दिया। मैं चाहूंगा कि इसको धरातल पर व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। यह एक धीमा जहर है, इस धीमे जहर को खतम करने के लिए हमें इसको धरातल पर लागू करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इस बिल को जनमत जानने हेतु तीन माह के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री कालूराम (अनुपस्थित), श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, धन्यवाद। दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मैं चुनाव जीतकर जयपुर आया तो सबसे पहले मैं हमारे फूड मिनिस्टर से टाइम लेकर उनके घर गया। मैंने उनसे मिलकर सबसे पहले कहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में और पूरे जिले में मिलावटी दूध बन रहा है, मिलावटी कलाकंद बन रहा है, मिलावटी तेल बन रहा है और बहुत बड़े स्तर पर हर चीज में मिलावट हो रही है। मेरी आपसे इतनी-सी विनती है कि आप उन पर कार्यवाही करवाएं।

सभापति महोदय, विधान सभा के प्रथम सत्र में भी मुझे जब बोलने का मौका मिला तो मैंने उस बात को रखा। मैंने इस पर प्रश्न भी लगाया, सीएमएचओ को भी शिकायत की और विधान सभा में अन्य सत्रों में भी इस बात को कई बार उठाया। आज भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कह सकता हूं कि सरस का जो दूध आता है, उस दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चाहे आप उसे आज ही चैक कर लें, मिलावट के बिना आपको दूध नहीं मिलेगा। अमूल का दूध आता है। मेरे यहां पर अमूल का प्लांट है। आप कोई अधिकारी दे दो, जिसमें हिम्मत हो, ईमानदार हो, मैं लेकर जा सकता हूं। मैं उसको पकड़वा सकता हूं कि यहां पर ये मिलावटी कारखाना चल रहा है। अगर माई के लाल में हिम्मत है तो पकड़वा दो। मैं आपको पकड़वाने को तैयार हूं। इसी सदन में कह रहा हूं। मेरे वहां पर तेल कहां बन रहा है, मैं सरकार को बता सकता हूं कि इस फैक्ट्री में मिलावटी तेल बन रहा है। हिम्मत है तो उसको पकड़वा दो। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, तब से न जाने कितने कानून पड़े हैं। सज़ा के प्रावधान हैं, अच्छी बात है, बढ़ाकर सज़ा लाये हो, मैं तो कहता हूं कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो खान-पान में भी ऐसी मिलावट करते हैं और लोगों के

(श्री बलजीत यादव)

जीवन से खेलते हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको सज़ा मिले, हम केवल कानून बना दें और उसको कोठी में बंद करके रख दें, उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। हम में से काफी माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा कि अधिकारी कम हैं। मैं कह रहा हूं कि कम अधिकारियों से भी काम चल जाएगा, सिर्फ नीयत का सवाल है। दुबई में हम जाते हैं। यहीं का व्यक्ति दुबई में उतरता है, मैंने खूब सुना और सब लोगों ने भी कहा, देश के प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको दिखायी नहीं देता है। जो व्यक्ति वहां पर जाता है, वह पूरे नियमों का पालन करता है। वहां पर कहीं कोई पान थूकने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन आप हिन्दुस्तान में हर जगह पर, यहां तक कि विधान सभा में भी जाएंगे तो यहां पर भी टायलेट में उसको पान थूकते हुए डर नहीं लगता है। इसका कारण यह है कि वहां उन लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गयी है कि अगर मैंने इस कानून को तोड़ा तो निश्चित रूप से मुझे सज़ा मिलेगी और सज़ा कठोर मिलेगी। हमारे यहां पर लोगों को लगता है कि अगर मैं मिलावट करते हुए पकड़ा गया तो मैं सीएमएचओ या दूसरे अधिकारी से मिलूंगा, इससे मुझे कुछ होने वाला नहीं है। उसको मोटी रकम मिलती है। सभापति महोदय, अमूल की एक फैक्ट्री है। अमूल के दूध का प्लांट हमारे यहां सोता में है, नीमराणा में है। मैंने पूछा तो बताया कि वहां पर एक-एक अधिकारी को पांच-पांच लाख रुपये रिश्वत दी जाती है।

सरस के अन्दर, ये जौहरी लाल जी बैठे हुए हैं। ये लड़ते-लड़ते सूख गये, कांटे-से हो गये, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनसे उनका दर्द पूछ लो। मुझे कई बार कह चुके हैं कि मैं थक गया हूं, मैं निराश हो गया हूं। कितने सीनियर आदमी हैं। उनसे पूछ लो, उनको सारी चीजें पता हैं कि क्या हो रहा है लेकिन कुछ नहीं होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता विश्वास तब करेगी, हम कानून बना रहे हैं और हम यह कह रहे हैं, इसकी सज़ा बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन जनता इस बात से प्रभावित तब होगी, जब हम वास्तव में किसी पर कार्यवाही करेंगे तो जनता को लगेगा कि हां, इनको तकलीफ है। इनको हमारी जान की चिंता है। इसलिए ये कार्यवाही कर रहे हैं। कोई भी जाओ, वहां पर सैम्पल भर लो, कितनों को सज़ा होती है, यह सबके सामने है। हर चीज में मिलावट है।

(श्री बलजीत यादव)

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, सिम्पल-सी बात मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में, पूरे सदन के बीच में, दूध का रेट 40 से 50 रुपये किलो मिलता है। मेरे वहां पर कलाकंद 85 रुपये किलो बिक रहा है। अब यह कौन व्यक्ति है, जो यह नहीं जान सकता कि यह मिलावट का नहीं है? कैसे बना सकता है और कैसे बेच सकता है? लेकिन बिक रहा है और गरीब लोग खा रहे हैं। पाउडर से दूध बनाकर आपके सरस में दे रहे हैं और वहां टैंकर पकड़ा जाता है और मैं क्या बताऊं किस सिफारिश से कहां जाता है? टाप लेवल पर कि यह मिलावटी टैंकर पकड़ा है और एक हजार रुपये की पर्ची काटकर बरी कर दिया जाता है, जानते हैं जौहरीलाल जी। क्या-क्या खेल सरस में हो रहा है? मतलब सोच नहीं सकते कि टैंकर को पकड़ लिया, मिलावटी है लेकिन उसको रफा-दफा कर दिया। जो कोई आदमी जरा भी प्रयास कर ले, कोई सोसायटी वाला कर ले, कोई दूसरा कर ले कि ये मिलावटी दे रहे हैं, मैं सही दे रहा हूं, उसको बंद कर दिया जायेगा और कुछ नहीं कर सकते। इतने बुरे हालात हैं। जनता की बद्दुआ हमारे को लगती है।

जो अनपढ़ हैं, उनकी तो समझ में आती है। अभी कई सदस्य कह रहे थे कि उनको यह नहीं पता कि यह मिलावटी है या नहीं है। यह चीज मिलावटी है या नहीं है, वह खा रहे हैं, लेकिन हमें सब कुछ पता है। मैं इस सदन में कह रहा हूं सबको पता है। पहले भी मैं कह चुका हूं सबको पता है यहां के माननीय सदस्यों को पता है। फिर उसको नहीं पकड़ रहे हैं। फिर क्या औचित्य है? हम चाहे इसमें फांसी की सज़ा लिख दें या इसमें कुछ और सज़ा लिख दें, इससे कुछ भी होना-जाना नहीं है। होगा तब जब हमारी इच्छाशक्ति होगी, होगा तब जब हमें इस बात की तकलीफ होगी। जिस सरस का दूध हम पी रहे हैं, वह मिलावटी है। ये माननीय सदस्य भी पी रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बिना मिलावट का दूध है ही नहीं सरस का आपका। अमूल का बिना मिलावट का दूध है ही नहीं, वह दही बिना मिलावट का है ही नहीं, लस्सी बिना मिलावट की है ही नहीं। अब यह मिलावट कम या ज्यादा परसेंट की हो सकती है कि वह जानलेवा है या नहीं है, वह हो सकता है। लेकिन वह धीमा जहर है। बीमारियां तो होंगी ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिलावटी है तो बीमारी नहीं होगी। यह हो सकता है आज ही नहीं मरे आदमी, थोड़े दिन बाद बीमार होकर मरेगा।

(श्री बलजीत यादव)

सभापति महोदय, मान यूं नहीं सकते कि जो व्यक्ति मिलावट कर 20 लाख रुपया प्रतिदिन कमाएगा, 30 लाख रुपया प्रतिदिन कमाएगा, बीस-बीस, तीस-तीस लाख रुपया रोज की कमा रहा हो एक आदमी, उसको कौन आदमी रोक सकता है? आप एक शिकायत दो तो उसके पास फोन आ जाएगा कि फलानां व्यक्ति शिकायत देने गया है। पुलिस के अफसर, मेरे वहां के बड़े अफसर डीवाईएसपी लेवल के, उनकी फार्च्यूनर लेकर जयपुर आते हुए मैंने देखा है। मैंने टाप के लीडर के वहां पर कहा है कि यह वह मिलावटी है और इसकी फार्च्यूनर से आपका डीवाईएसपी आया है। वह डीवाईएसपी उसको कैसे पकड़ेगा? मैंने पकड़ा है। बस इतना हुआ कि मैंने कहा तो मेरे वहां से हटा दिया। दूसरी जगह और ज्यादा अच्छी मलाई वाली जगह चला गया क्योंकि दूसरे किसी माननीय सदस्य को या किसी और को जुगाड पट्टी करके वहां पर चला गया।

सभापति महोदय, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 200 विधान सभा क्षेत्र हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने अधिकारी सस्पेंड करवाए, जितने एपीओ करवाए, जितनों के ऊपर कार्रवाई करवाई, जितने पकड़ाए, किस एक विधान सभा क्षेत्र में नहीं हुए होंगे। पहले मोटी-मोटी रिश्वत देकर अधिकारी लगते थे और मैं पूरे सदन में कह रहा हूं, मेरे वहां पर कोई आदमी लगा दें, मैं कहता हूं डीएसपी लगा दो बहरोड़ कोई लगने को तैयार नहीं। एसएचओ लगा दो, कोई लगने को तैयार नहीं है। तहसीलदार लगा दो, कोई तहसीलदार लगने को तैयार नहीं। तहसीलदारों की ट्रांसफर लिस्ट आने लगी तो लिखने लगे कि हे भोले बाबा, कुछ भी करना बस बहरोड़ से बचा लेना। यह तहसीलदारों के ग्रुप में चल रहा है क्योंकि उनको पता है कि गलत काम करोगे तो एमएलए विरोध करेगा लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसके ऊपर सख्ती से कार्यवाही हो (समय-समाप्ति सूचक घंटी) और ऐसे जो मिलावटखोर हैं, जो लोगों की जान से खेल रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि हमारे खिलाफ है या हमारे खिलाफ है। बीजेपी राज था, तब भी वही हो रहा था। तब भी मिलावटखोर वैसे ही पनप रहा था। मिलावटखोर कम जरूर हुआ है, कम जरूर हुआ है इस सरकार में लेकिन चल अभी भी रहा है, जिंदा अभी भी है। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को दफन कर देना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): इसलिए मैं तो यह चाहता हूं ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा। हो सकता है पहले प्रयास नहीं किया हो, सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया हो, इस कारण से और पनप रहा हो। लेकिन जिसके फार्च्यूनर पांच-पांच घूम रही हो, मर्सीडिज ले रखी है, वह कुछ काम नहीं करता, केवल मिलावट करता है। दूध कहीं से आता ही नहीं है। थोड़ा-बहुत एक गांव में दूध लेता है, कभी मर्सीडिज ला रहा है, कभी फार्च्यूनर ला रहा है, बच्चे मर्सीडिज में घूम रहे हैं। यह कहां से आ रहा है। यह सब लोग जान सकते हैं कि वह कहां से आ रहा है? बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खरीद रहा है, शापिंग मॉल वह बनाने लग गया। कल तक टूटी हुई मोटर साइकिल पर घूमता था, आज मर्सीडिज में घूमने लग गया। मैं नहीं समझता किसी भी आदमी को यह समझने में तकलीफ होती हो, कोई दिक्कत होती हो, यह कहां से आ रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): यही मैं आपसे कहना चाहता हूं और अपेक्षा रखता हूं सरकार से जो यह सज़ा का प्रावधान हुआ, आगे कभी भी हम सदन में आए तो हमारे मंत्री जी यह बताएंगे कि देखो इन-इन लोगों को उम्रकैद हुई, इतने लोगों को दस साल की सज़ा हुई है तो निश्चित रूप से मैं मेरी ओर से भी मंत्री जी को माला पहनाऊंगा और सरकार का धन्यवाद दूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जगदीश चन्द्र। दो मिनट।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आईपीसी के अमेंडमेंट्स की जो सैक्शन है 272 से 276 तक, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो कमिटमेंट चुनाव लड़ने से पहले जनता के साथ किया था कि राजस्थान में खाने-पीने की जो वस्तुएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो दवाइयां हैं, उनके लिए सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करेगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने सैक्शन 274 में नोन-बेलेबल आफेंस आपने किया है और बाकी सब में बेलेबल आफेंस हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि बाकी सैक्शन भी इसी से रिलेटेड हैं, उनका जो ग्रेविटी आफ आफेंस है, वह भी करीब-करीब सेम नेचर की है, उसमें भी ये प्रावधान किया जाए कि वे नोन-बेलेबल आफेंस रहे।

(श्री जगदीश चन्द्र)

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय राठौड़ साहब ने शिड्यूल 7 का हवाला दिया कि सेंट्रल एक्ट में अमेंडमेंट सरकार कर नहीं सकती और करती है तो सेंट्रल एक्ट प्रीवेल होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, राठौड़ साहब, संजय किशन कोल का एक जजमेंट का आपने किया जो 29 अगस्त का जजमेंट था, जजमेंट था अशोक कुमार शर्मा बनाम यूनियन आफ इंडिया, उसमें लिखा है कि कोस्मेटिक एक्ट में आलरेडी प्रोविजन है पनिशमेंट का लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया कि State Government cannot make the law. स्टेट गवर्नमेंट इसमें लॉ बना सकती है, It's a State matter. लॉ एंड आर्डर स्टेट का मैटर है। स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। यह जजमेंट ठीक है। जजमेंट मैंने भी देखा है लेकिन कहीं अगर सज़ा का प्रावधान कम है तो हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट हैं जो Circumstantial evidence के हिसाब से डिसाइड हो रही है। जिस तरीके के हालात राजस्थान में पैदा हो गये हैं, जिस तरीके से खाने-पीने की चीजों पर खुला नंगा नाच हो रहा है, मुख्य मंत्री जी ने पहल करके शुरुआत की है। निश्चित तौर पर इससे कंट्रोल होगा। मैं माननीय धारीवाल साहब से आग्रह करूंगा कि आप इसमें टाइम बाउंड कोर्ट का प्रावधान करें जैसे सीबीआई कोर्ट है, जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट है, आप कम से कम ऐसा कोई प्रावधान कीजिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत साल-दो साल में टाइम बाउंड यह कैसेज डिसाइड हो। तब जाकर हम जनता का ज्यादा फायदा कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा यह जो कानून आप लेकर आये हैं, इसको थोड़ा-सा और स्क्रूटनाइज करने की आवश्यकता थी ताकि और सख्ती से इसको लागू करें। जिस तरीके से राजस्थान में खासकर हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जो हालात पैदा हो गये हैं, उस पर कंट्रोल करने में मदद करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं दो-चार कारण बता देता हूं कि जिसकी वजह से ये लाया गया है। आईपीसी की धारा 272 से 276 में जो सज़ा का प्रावधान है, वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त है। उसको अपर्याप्त समझा, इसी वजह से लेकर आये हैं। इसी तरीके से सीआरपीसी, 1973 में नोन-कोग्नीजेबल और बेलेबल होने की वजह से पुलिस अपराधियों पर प्रभावी ढंग

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

से काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए ये लेकर आये हैं कि इसको कोग्नीजेबल और नोन-बेलेबल बनाया जाए। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, इसमें भी धारा 59 में ऐसे अपराधों के लिए अधिकतम दंड आजीवन कारावास आलरेडी मौजूद है। ऐसे अपराध उनके यहां पर कोग्नीजेबल भी हैं। इसके साथ-साथ औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 धारा 27 में नकली और मिलावटी दवाइयों को बेचने के लिए, स्टोरेज करने के लिए और वितरण करने के लिए दस साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है।

इसमें भी यह प्रावधान काग्नीजेबल है। फूड और ड्रग्स से संबंधित अपराधों में आईपीसी में कारावास और जुर्माने के प्रावधान बहुत हल्के हैं। इस कारण केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम में आजीवन कारावास का कठोर होने में बहुत बड़ा अंतर है। इसी बात को मध्यनजर रखते हुए मिलावटखोरी का अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की दृष्टि से उन्हें कठोर दंड दिलवाने की वजह से आईपीसी की धारा 272 से 276 तक संशोधन किया गया है। जुर्माना व सज़ा की अवधि बढ़ाई गई है। अपराधों को संज्ञान व गैर जमानती, मतलब काग्नीजेबल व नोन-बेलेबल बनाया गया, ताकि मिलावटखोरों में भय व्याप्त हो। ऐसा अपराध, अपराधों पर अंकुश लगने की उम्मीद है। इनसे शायद हो सकता है अपराधों पर अंकुश लगे।

मेरा निवेदन यह है कि जिस तरीके का एक्ट यहां बदला जा रहा है, ठीक इसी तरह से 1973 में बंगाल में बदल गया, 1975 में उत्तर प्रदेश में बदल गया, उड़ीसा में 1999 में बदल गया, महाराष्ट्र में भी 2018 में बदल गया, कई राज्यों ने बदला है। इसी तरीके से बदला है। अब अपन इसमें अलग -अलग हवाला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, वह कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पता नहीं क्या-क्या कहा है, मैं अभी उस पर भी आऊंगा, एक सेंटेंस में क्या कहा है और दूसरे सेंटेंस में उन्होंने क्या कहा है।

अपराधों का जहां तक सवाल है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सज़ा का प्रतिशत 2017 में 32.4 परसेंट था। 2018 में 37.3 था। 2019 में बढ़कर यह 38.5 हो गया। 2020 में यह 35.5 हो गया। जुलाई में अभी तक, 21 जुलाई तक 43.5 हो गया, कुछ तो वृद्धि हुई

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

है कि अपराधियों को सज़ा दिलाई गई है। इसी साल के अन्दर-अन्दर, 6 महीने के अन्दर-अन्दर 43 परसेंट हो जाना।

जैसा कि आपने बताया कि इतने कैसेज पैंडिंग है, यह है, वह है, आपका कहना बिलकुल सही है। नम्बर आफ द सेम्पल रिसीव्ड किये गये हैं वह 63 हजार 755 किये गये हैं। कोई अभियान चला होगा, किसी न किसी डिपार्टमेंट के, चाहे खाद्य सुरक्षा, चाहे ड्रग कंट्रोलर की तरफ से चला होगा, चाहे म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से चला होगा, चाहे पुलिस की तरफ से चला होगा, तभी तो इतनी बड़ी संख्या बढ़ी है कि 63 हजार 755 मामले पकड़े गए। उनमें से भी कम से जो अनसेफ थे, वह करीब-करीब 2 हजार 943 थे। अब सवाल यह आया कि अनसेफ कैसे हैं। मिलावट तो हमेशा अनसेफ होती है, लेकिन किस दर्जे की मिलावट है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप जो मामले बता रहे हो, इनमें काम्पीटेंट कोर्ट में चालान कितने का किया, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिनके चालान हो गए, मैं बता रहा हूं। जिनका नहीं हुआ, नहीं हुआ। कई तो चालान काबिल ही नहीं थे। क्या जबरदस्ती चालान करवा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप सदन में बोल रहे हो, अनसेफ पाया गया मिलावट में और चालान योग्य नहीं था।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अनसेफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रिकार्ड में जा रही है यह बात। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप गलत समझ रहे हो। अनसेफ की तो संख्या दी है मैंने आपको, संख्या दी है लेकिन आपने कहा कि कइयों का चालान पेश नहीं हुआ। अनसेफ के लिए नहीं कहा मैंने आपसे ...(व्यवधान) आप हमेशा गलती करते हो मुझे समझने में, मुझे दु:ख इसी बात का है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप कौन हो? आप कौन हो हमारे और इनके बीच में?

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सहायक हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनके और मेरे बीच में आप कौन हो, बताओ?

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं इनका सहायक हूं भई। पान खा रहे हैं और जिद-बहस कर रहे हैं बताओ ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह जो भी कर रहे हो, लेकिन हमारे बीच में मत पड़ो आप। (व्यवधान) सवाल यह है कि सरकार की मंशा क्या है। अगर मंशा ऐसे मिलावटियों को सज़ा दिलाने की नहीं होती तो हम यह कानून भी नहीं लाते। लाए तो सिर्फ चार ही स्टेट हैं। हिन्दुस्तान के सिर्फ चार स्टेट ने ही बदला है। हमने तो, पहले तो नहीं बदला था, लेकिन मंशा है। मंशा आपकी नहीं थी, हमारी है। अगर आपकी होती तो 105 प्रकरणों में आपने केस विदड्रा किया। 105 प्रकरणों में, आपने क्यों विदड्रा किया मिलावट के मामले में? कहीं न कहीं कम्प्रोमाइज तो हुआ ही है न, तो फिर क्या हुआ, फिर विदड्रा क्यों किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किसने विदड्रा किया?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के 1954 के 105 प्रकरण वापस लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पिछली कांग्रेस की सरकार ने अपमिश्रण के 120 प्रकरण वापस लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 140 ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अच्छा आप यह बता दो, 120 में से 12 गिन दो आप, वरना मैं 105 गिनता हूं। यह 105 गिनता हूं, यह रही लिस्ट। 15 इसमें हैं, 15 से 39 यह पहुंच गए, फिर 65 पहुंच गए, फिर 89 पहुंच गए, फिर यह 105 है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरे से बात मत खुलवाओ। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप 12 बता दो ...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह इससे संबंधित पेपर ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आप टेबल करो। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हां टेबल करो। पेपर ही दूसरे सब्जैक्ट का है। यह पेपर ही सही नहीं है। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मेरा हक है मांगने का, आप टेबल करो। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): खैर कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। आपने कर दिए जो कर दिए, आगे भी कभी आ जाओ तो और कर देना, पर इसके लिए कम से कम गम्भीर रहो, इतना सा निवेदन है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की सज़ा कम है, इसलिए इन दोनों एक्ट में, दोनों एक्ट वही खाद्य सुरक्षा और मानक वाला, दोनों बता दिए मैंने। इसमें जो सज़ा बताई गई है, वह की वह आईपीसी में डालिए। मोटी बात यह है कि दोनों एक्टों में तो सज़ा ज्यादा है और आईपीसी में कम है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आईपीसी में उतनी सज़ा डालो, इसलिए आपके सामने हाजिर आये हैं। धारा 59 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 धारा-27 औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधान होते हुए भी हम यह विधेयक लाए, इसीलिए लाए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वामी अच्युतानंद तीर्थ बनाम भारत संघ में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो कि विधि आयोग के द्वारा भी रिकमंड किया गया कि इस प्रकार से आप इन संशोधनों को सुधार कीजिएगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 275 रिपील नहीं किया है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 32-(3) तीन में पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की 1860 में राज्य संशोधन किया जा सकता है क्योंकि यह थी तो कन्करंट लिस्ट में लेकिन राज्य को संशोधन करने का हक है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 में न्यायालय जुर्माने की राशि से प्रत्येक कम्पनसेशन का प्रदान किया जा सकता है। सेशन न्यायालय के लिए, जुर्माने के लिए इसमें कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह आपके ही उठाये हुए सवालों का जवाब दे रहा हूं।

कटारिया साहब ने फरमाया कि ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने वेलकम भी किया, कहा कि जो कुछ आपने संशोधन किया उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन किस तरह से यह प्रोब्लम हल होगी कि हम मिलावट को पूरी तरह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

रोक लेवें। हमारा मैनेजमेंट है वह किस प्रकार से होगा। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा, निश्चित तौर पर यह बात सही है कि अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ डिपेंड करता है मैनेजमेंट पर। सज़ा का प्रोविजन तो आपने कर दिया, वह बात तो खतम हो गई। अब तो मैनेजमेंट का सवाल आता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त, निर्देशक का, जन स्वास्थ्य का पद, अभी तक अधिकारी, मतलब सीएमएचओ को भी अधिकार दिया है इसमें हमने। एक अधिकार सीएमएचओ के पास आ गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास आलरेडी, 49 आलरेडी यह वर्किंग हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नई भर्ती 98 जिसके साक्षात्कार चल रहे हैं। भर्ती कर रहे हैं, 98 के साक्षात्कार चल रहे हैं।

प्रयोगशाला के बारे में बात कही कि साहब, प्रयोगशाला का क्या है? यह नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फोर टैस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, इनके बारे में, ये कई, 9 तो खुल गयीं, जयपुर, अलवर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और बांसवाड़ा, इसके अलावा 2 प्रोग्रेस में हैं चूरू और जालौर। धड़ाधड़ खुलती जा रही हैं, 9 और 2 कुल 11 हो गयीं। आधे के करीब पहुंच गये, आधे के करीब और पहुंच जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 33 में से 11 हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसके साथ-साथ चल प्रयोगशालाएं अलग से चल रही हैं। 5 चल प्रयोगशालाएं चल रही हैं, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। बजट की घोषणा में थीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट की घोषणा में कहा कि प्रत्येक जिले में खाद्य प्रयोगशाला खोली जाएगी, ये सब अन्डर प्रोसेस हैं। यह तो मैनेजमेंट है। अब इतने अधिकारी लगाने के बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है कि बन सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कब की थी? कौनसे बजट में की थी, यह भी बता दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान है ही है।

संयम लोढ़ा साहब 4 लाइनें, सुप्रीम कोर्ट का एक पैरा पढ़ गये, भाषण

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दे दिया और गये, जवाब नहीं सुनते हैं यहां पर। एक तो यह लाहोटीजी जवाब नहीं सुनते हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बैठा हूं, साहब, मैं यहीं हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, ये कब बैठते हैं, जब इनके लिये मैं जवाब दे चुका होता हूं। दे चुकने के बाद में फिर यहां आ करके बैठते हैं। जब ये देख लेते हैं कि मैं उनकी बात का जवाब दूंगा तो फट से गायब हो जाते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी, दोनों की अन्डरस्टेंडिंग है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इतनी होनी भी चाहिए, साहब।

लोढ़ा साहब ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम अशोक कुमार शर्मा व अन्य के निर्णय में 28 अगस्त, 2020 को यह अवधारित किया कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय 4 में वर्णित अपराधों में पुलिस द्वारा अनुसंधान नहीं किया जा सकता। ठीक इसी के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा सेन्टेन्स और लिखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी लिखा, यह भी अवधारित किया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 32 (3) के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अलावा अन्य अधिनियम में अपराध किया है तो पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। (व्यवधान) क्या हुआ, क्या कह रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह क्या बात है। यह तो अन्डरस्टुड ही है। अगर ड्रग एण्ड कास्मैटिक एक्ट के अलावा कोई अपराध कारित होगा तो आई.पी.सी. लगेगी। इसमें बड़ी बात, अलग क्या कह रहे हो आप?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो आप संयम लोढ़ा को रोक लेते न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप मेरे को यह बता दो ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, नहीं, आप संयम लोढ़ा को रोक लेते न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या दवाइयों के अपमिश्रण के मामले में पुलिस अब एफ.आई.आर. दर्ज करके कार्यवाही करेगी? हां या न, बता दो आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): किसमें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दवाइयों के अपमिश्रण में, नकली दवाइयों में, नशीली दवाइयों में पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करके जांच करके कार्यवाही करेगी क्या? हां या न बता दो आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मिलावट पाये जाने पर ड्यूटी इंस्पेक्टर के द्वारा अगर सैम्पल लिया गया और उसमें मिलावट पायी गयी तो पुलिस कार्यवाही करेगी। पुलिस भी कार्यवाही करेगी, डेफिनेटली करेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं करेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप लिख लो मेरी बात को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रिकार्ड पर जा रही है यह बात।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप लिख लो मेरी बात को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं लिख रहा हूं न। आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। यह सब्जी मण्डी नहीं विधान सभा है, तर्कों के हिसाब से बात चलती है। रिकॉर्ड पर बात जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक शर्मा के मामले में कैटेगरिकली कहा, पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करेगी, पुलिस जांच नहीं करेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और मैं आपसे कह रहा हूं, वह भी सुन लो आप कि ड्रग इंस्पैक्टर द्वारा जो कार्यवाही की जाएगी और उसमें मिलावट पाये जाने पर पुलिस संशोधन चाहने वाली धाराओं में कार्यवाही कर सकती है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्रीजी, यह 13/9 में, नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही रोकी, अब पुलिस न तो इन मामलों की जांच कर सकेगी और न गिरफ्तारी करेगी।

श्री सभापति: माननीय, माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह साफ लिखा है पुलिस जांच नहीं कर सकेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं अपनी बात कह चुका हूं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): पुलिस जांच नहीं कर सकेगी, लिखा हुआ है। आप कह रहे हो जांच करेगी। कौन सही है? पुलिस जांच कर ही नहीं सकेगी, यह लिखा हुआ है। यह 13/9 को, यह रहा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका जवाब माननीय मंत्री महोदय दे चुके थे, आप नहीं थे यहां।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह गलत दिया है।

यह एडिशनल डी.जी., क्राइम ने चिट्ठी निकाल दी है। सुनिये, मेरी बात। एडिशनल डी.जी., क्राइम ने चिट्ठी निकाल दी है, सारे राजस्थान के एस.पीज., कमिश्नर्स, सबके नाम पर। यह ध्यान में आया है कि राज्य में पुलिस अधिकारियों द्वारा ड्रग्स एवं कास्मैटिक एक्ट, 1940 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अन्वेषण एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अपील 200/2020 एस.एल.पी. क्रिमिनल नम्बर 4178/2019, यूनियन आफ इंडिया बनाम अशोक कुमार शर्मा व अन्य में दिनांक 28.08.2020 को निर्णय पारित किया है कि ड्रग्स एण्ड कास्मैटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 32 (1) के अनुसार इस एक्ट के अध्याय 4 में वर्णित अपराधों में कार्यवाही हेतु ड्रग्स इंस्पैक्टर ही सक्षम है। पुलिस अधिकारी को इस एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने, अन्वेषण करने, गिरफ्तारी करने एवं अभियोजन संस्वीकृत करने की कोई शक्तियां नहीं हैं। यह ए.डी.जी. ने आर्डर भी निकाल दिया है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह देखिये आप, धारा 273, आई.पी.सी. की बात कर रहा हूं, धारा 273, 274, 275 आई.पी.सी. में नकली दवाइयों के मामले में पुलिस कार्यवाही करेगी। आप मेरी बात को लिख लो।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, सभापति महोदय, आई.पी.सी. 272 क्या

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहती है। खाद्य सामग्री का अपमिश्रण है। दवाई का मामला ही नहीं है। मतलब, मिसकोट कर रहे हो। खाद्य सामग्री का है, 272, 273, आप मिसकोट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 ...(व्यवधान) प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 7, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना-सा कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान की विधान सभा है। तर्कों के आधार पर हम विधान सभा में अपनी बात रखते हैं। मंत्री महोदय बहुत ज्ञानी हैं। इन्होंने अभी-अभी अपने उत्तर में दो बातें कहीं कि सैक्शन 272 और 273 के अंतर्गत आई.पी.सी. के अन्दर पुलिस कार्यवाही करेगी, और बात चल रही है दवाइयों के ड्रग एण्ड कास्मैटिक एक्ट, 1940 की। मंत्री महोदय, यह सैक्शन 272, 273, 274 ये खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण के सैक्शंस हैं। ये दवाइयों के नहीं हैं इसलिये गलत कह रहे हो आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आई.पी.सी. के सैक्शंस बताए जो इसमें हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मतलब विधान सभा में बात कहें वह तो सही कहें न। देखिये, सभापति महोदय, मैं सदन के सामने प्रस्ताव करता हूं कि मंत्री महोदय पर इतना दबाव नहीं डाला जाए। हर मामले की दवा शान्ती कुमारजी धारीवाल नहीं रहे, दूसरे मंत्रियों से जवाब दिलवाया जाए। ये कितनों का जवाब देंगे। अब ये थके हुए हैं इसलिए हम इनको कहना भी नहीं चाहते।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुझसे ज्यादा तो लगता है कि आप थक गये क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी वाले आपको 'उप' ही रखेंगे, ऊपर तक बढ़ने नहीं देंगे।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्रीजी आपको पारित करना है।

प्रश्न यह है कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री लालचन्द कटारिया, माननीय मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री लालचन्द कटारिया)

आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित), माननीय श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित), माननीय श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज इस राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा हो रही है। कृषि विश्वविद्यालय जब स्थापित किये गये थे, उस समय प्रदेश में कृषि, कृषक और कृषि शिक्षा के उन्नयन के लिए किये गये। उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता को दिशा देने हेतु किये गये और उसमें बीकानेर, उदयपुर, जोबनेर, जोधपुर व कोटा पांच कृषि विश्वविद्यालय हैं और एक पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, इस तरह से यह छह विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

इस विधेयक के अन्दर आपने कुलपति के लिए नियुक्ति के लिए कुछ कंडीशंस, उसके लिए कुछ अर्हताएं आपने उसमें रखी हैं और साथ में उसको हटाने की भी व्यवस्था कर दी कि उसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यानी, आज विश्वविद्यालयों में उसके कुलपति की नियुक्ति यू.जी.सी. के मापदंडों के अनुसार आप लाये हो। आज कृषि विश्वविद्यालय, आखिर जो आपने स्थापित किये, उनकी हालत क्या है? इसकी ओर भी जरा देखो। इन-जनरल यदि मैं यह कहूं कि विश्वविद्यालय में 60 से लेकर 80 प्रतिशत तक आज पद खाली हैं तो यह सारे विश्वविद्यालय में कोई वी.सी. को ही नियुक्त कर लोगे तो वह वी.सी. कर क्या लेगा? तो इस प्रकार से उसके पद खाली, यदि मैं यह कहूं तो आपके एक-एक विश्वविद्यालय को गिनाऊंगा। आपके उदयपुर वाला जो महाराणा प्रताप का कालेज है उसमें प्रोफेसर्स के 27 में से 26 पद खाली हैं। एसोसिएट प्रोफेसर 109 में से 77 खाली हैं और सहायक प्राध्यापक, सहायक जो प्रोफेसर है, 349 में से 253 खाली हैं। वह विश्वविद्यालय करेगा क्या? यानी, सबसे पहली चिंता करो कि वह पद तो भरे जाएं। जिन उद्देश्यों को लेकर आपने कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की, आज उनके पदों की स्थिति यह है।

यही हाल जोबनेर में है। जोबनेर में टीचिंग के 150 से अधिक पद खाली हैं। नॉन टीचिंग के 155 पद खाली हैं। जोधपुर चले जाओ, 19 में से

(श्री वासुदेव देवनानी)

14 प्रशासनिक पद खाली हैं और आपके 209 में से 139 शैक्षिक और यह सारे पद खाली हैं। सहायक आचार्य के 14 पद हैं, 13 खाली हैं। यानी, आपकी स्थिति क्या है? सहायक आचार्य में 54 में से 44 खाली हैं। यह स्थिति जब बनी है तो मैं यह समझता हूं कि इस स्थिति के आधार पर जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनके लिए आप नियम/बंधन बना लो, लेकिन स्थिति बहुत खराब है, माननीय मंत्री महोदय।

यदि वास्तव में आप राजस्थान का भला चाहते हो और कृषि क्षेत्र जो यहां की जान है भारत की और राजस्थान की भी जान है, उसके लिए चिंता तो करो कि आखिर यह विश्वविद्यालय स्थापित किये क्यों गये? जब स्थापित किये गये तो कम से कम वहां पर पढ़ाई हो और वहां पर जो कोई शोध हो, वह नीचे तक जाए। किसानों को उसका लाभ हो और जो लोग 01 अप्रैल, 2004 से पूर्व सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए और जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना, आज वे पेंशन से वंचित हैं। 18 से 22 महीने तक की पेंशन उनको नहीं मिली है। यानी रिटायर होने के बाद हर व्यक्ति यह सोचता है कि मैं अपने परिवार का इस तरह से पालन करूंगा, अपने बच्चों की शिक्षा करूंगा, उनके विवाह करूंगा, आदि पारिवारिक जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उनका भी निर्वहन करूंगा लेकिन आपकी पेंशन के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है, पेंशन के लिए दर-दर भटक रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बेकार है कि आज वह व्यक्ति सेवा इसलिए करता है कि मुझे रिटायरमेंट के समय पी.एफ. मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी, सेवंथ पे कमीशन का कोई एरियर मिलेगा, डी.ए. का एरियर मिलेगा लेकिन किसी चीज की भुगतान की व्यवस्था नहीं है तो यह बाकी लोगों पर भी इस प्रकार का मैसेज जा रहा है कि यह सरकार हमको कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए वहां की सारी जितनी भी पढ़ाई है, जितने भी शोध हैं, सब पर इनका दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

आज विश्वविद्यालय अपना सारा महत्व खो चुके हैं जिस आधार पर वे स्थापित किये गये थे। मैं यदि इस पर आगे बढ़ूं तो आपके यहां पर कृषि विश्वविद्यालयों को आप तो कोई ग्रांट देते नहीं हैं, इसलिए उनकी हालत खराब है, लेकिन जो ग्रांट आई.सी.ए.आर. से आती है, अन्य राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से आती है, जैसे विश्व बैंक से आती है, एशियन डवलपमेंट बैंक से आती है, विज्ञान औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् से आती

(श्री वासुदेव देवनानी)

है, साइंस एण्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेंट से आती है, यू.जी.सी. से आती है लेकिन उस ग्रांट में जो मेचिंग ग्रांट चाहिए वह भी राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है जिसके कारण से उनके प्रोजेक्ट या तो पूरे नहीं हो रहे हैं, शुरू नहीं हो रहे हैं या फिर लेट चल रहे हैं। इस लेट चलने के कारण उसका जो मूल भाव है वह तो पूरा नहीं होता लेकिन उसके लाभ से जनता भी वंचित हो रही है।

आखिर, इस कृषि के क्षेत्र के अन्दर जिस प्रकार का आज आपके पेंशन का जैसे मैंने मुद्दा उठाया, यह लोग कोर्ट में भी गये। कोर्ट ने आपको यह कहा कि एक कमेटी बनाओ। मेरे पास यह सारे कागजात हैं। उस कमेटी में यह निर्णय हुआ कि जो कुछ आपके कृषि विश्वविद्यालयों के पास जो कोई भी असेट्स हैं और जो कामर्शियल असेट्स हैं, उनको जरा आप करके उसमें से कुछ इनको पेंशन चुकाओ और उस पेंशन की स्थिति, आज विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? उदयपुर कृषि, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय पेंशन फंड में केवल 47 लाख रुपये हैं जबकि 14 माह की जो पेंशन बकाया है, वह 54.88 करोड़ रुपये है यानी, इस प्रकार कहां से पेमेंट करेंगे और फिर उसके बाद वहां पर यू.आई.टी. के लिए, उसको जमीन दिखाई गई तो उन दोनों में भी समझौता नहीं हुआ। आखिर टीचर कहां पर जाएं? यह आपका विषय है कि आप कहां से पैसे देते हो? राज्य कोष से दो ताकि उसकी समस्या का तो हल हो।

इसी तरह से आप कोर्ट का भी तो आदेश मानो। कोर्ट ने यह कहा कि कारपोरस फंड बनाओ, लेकिन वह आप आज तक नहीं बना पाए। फिर इस पर कहा कि आय के साधन क्या हैं? यह विश्वविद्यालय जो बीज का उत्पादन करते हैं, उसका भी पूर्णतया विक्रय नहीं हो पाता है। आय के साधन सारे पूरे हैं, पर राज्य सरकार अनुदान के नाम पर शून्य है और विश्वविद्यालय के कुलपति आये, चले गये, बड़ी-बड़ी बातें कीं। मुझे बीकानेर के विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलना हुआ। वह तीन साल पूरी टर्न कर ली लेकिन वहां के शिक्षकों की समस्या का हल नहीं कर पाए। यानी आज इस प्रकार के विश्वविद्यालय के जो हालात हैं कि कोई बनना ही नहीं चाहता है इसलिए स्थिति यह बनी है कि आज आप उसके लिए यह सारे नियम/बंधन लाये हो कि इस प्रकार का करेंगे और उसमें आपने दस वर्ष का अनुभव और यह सारा

(श्री वासुदेव देवनानी)

कहा है। मेरा इसमें यह कहना है कि यदि आप यह क्वालिफिकेशन, तो जो यू.जी.सी. के मापदंड हैं, उनके अनुसार आपको रखनी पड़ेगी, वह आप रखो लेकिन कोई विश्वविद्यालय का कुलपति इस्तीफा दे देता है या उसको हटाया जाता है तो उसका कार्यवाहक कुलपति कौन बने, इसके लिए इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं है। मेरा इसमें यह कहना है कि वह विश्वविद्यालय का जो पूर्व कुलपति रहा हो या कुलपति पास के विश्वविद्यालय का हो, उसको चार्ज दिया जाए, नहीं तो बिना चार्ज के कई बार विश्वविद्यालय ऐसे चलते रहते हैं जिसके कारण से वहां की सारी व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। जैसे वहां अकेडेमिक में तो हमारे सामने अजमेर एम.बी.एस. यूनिवर्सिटी का जो चार्ज दिया, वह यहां के पत्रकारिता विश्वविद्यालय का दिया, वह खुद एम.ए. पास थे और बाकी पीएच.डी. और बाकी उसके लिए अयोग्य थे। जब हमने राज्यपाल को रिपोर्ट किया तब जाकर उसको वहां से अभी हाल ही में मुक्त करके दूसरे को यह चार्ज दिया है। यानी, इस प्रकार की स्थिति नहीं बने।

कृषि विश्वविद्यालय का चार्ज बाकी कृषि विश्वविद्यालय के पास के कुलपति या फिर कोई सेवानिवृत्त कुलपति हो, उसे आप देंगे तो विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं भी ठीक ढंग से चल पाएंगी, लेकिन आपने उसकी नियुक्ति के तो उल्लेख कर दिये, साथ में आपने उसके लिए किस प्रकार से हटाया जाना, पहले दिन से ही उसको हटाये जाने के भी आपने नियम/बंधन बनाये। हटाये जाने में वही है कि आप उसके लिए क्या-क्या शक्तियां उसको दे रहे हो कि वह इस प्रकार व्यक्ति होगा, उस पर कहीं आपको, यह कैसे मालूम करोगे कि वह कुलपति वास्तव में किस प्रकार का है। जो उसकी क्वालिफिकेशन आप रख रहे हो, उसको भी जरा आप पढ़ लो।

मैं यह समझता हूं कि यह जो आपका संशोधन आया है यह एक केवल औपचारिक है। वास्तव में कृषि विश्वविद्यालय जिन आधार पर यह स्थापित किये गये थे, यदि आपको उस आधार को पूरा करना है, जनता की आवश्यकताएं पूरी करनी हैं, कृषि का जो मूल उद्देश्य है कि उसके जितने भी शोध हो रहे हैं, वह किसानों तक पहुंचे, वह किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आपने क्या यहां पर मूल्यांकन किया है, यह जो विश्वविद्यालय बने हैं इन्होंने क्या-क्या शोध किये हैं और उन शोध में से वास्तव में कृषि को कितना लाभ हुआ? जिसका आज भी हमारे यहां एक गरीब किसान गांव का, उसको इस

(श्री वासुदेव देवनानी)

प्रकार के शोध का कोई लाभ ही नहीं मिल पाता है। यानी, उस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं करो, उनके लिए पैसा खर्च होता है, आप पैसा भी रखते हो, उनके केवल औपचारिक कार्यक्रम होकर चले जाते हैं और पैसा खातों में दिखा दिया जाता है।

मैंने तो उदयपुर के कृषि विश्वविद्यालय को भी नजदीकी से देखा है, मैंने जोबनेर भी देखा है। इन सारी स्थितियों में मैं यह कह सकता हूं कि आज विश्वविद्यालयों की हालत खराब है। माननीय मंत्रीजी, आप इस विधेयक में जो कोई भी चर्चाएं होंगी, कम से कम एक तो अपने उत्तर में आप जरूर देना कि कृषि विश्वविद्यालयों की स्थिति हम कैसे ठीक करेंगे? इन अध्यापकों को किस प्रकार से पेंशन मिलेगी, इस प्रकार के बीज का विक्रय यहां पर किस प्रकार से ठीक होगा, किस प्रकार से इनको मैचिंग ग्रांट टाइम पर मिलेगी। इस प्रकार के कुछ प्रोविजन यदि आप इसमें लाते, इसमें रखते या अपने उत्तर में आप बता दो तो शायद कृषि पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और कृषि का जो विश्वविद्यालय है, उसका जो मूल रूप से भाव है, वह भी सार्थक हो पाएगा। इतना मेरा आग्रह है। अत: मैं आग्रह करूंगा जब तक यह बिन्दु इसके साथ न जोड़े जाएं, तब तक इस विधेयक को छह महीने के लिये जनमत के लिये परिचालित किया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: आनरेबल लीडर आफ अपोजिशन गुलाब चन्द जी कटारिया (अनुपस्थित), माननीय श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित), माननीय श्री रामप्रताप कासनियां (अनुपस्थित), माननीय श्री रामलाल (अनुपस्थित), माननीय श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे डर लग रहा था कि अबकी बार भी मेरे साथ वैसा ही होगा, लेकिन आप सभापति महोदय विराजमान हैं तो मैं समझता हूं कि एक नये सदस्य को पूरी तरह से अपनी भावना को व्यक्त करने का मौका भी मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए इस संशोधन के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। यह मूलत कर्ण

(श्री अभिनेश महर्षि)

नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा 25 में नई उप-धारा 25(ए), कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर अधिनियम, 2012 की धारा 25 और कृषि विश्वविद्यालय कोटा अधिनियम, 2013 की धारा 25, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा 24 में परिवर्तन करने के लिये यह बिल आया है। जैसा कि उद्देश्य और कारणों के कथन में उल्लेखित किया गया है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं टोक नहीं रहा। इस सदन के अन्दर कोरम का अभाव है। सत्ता पक्ष बिलकुल सदन के प्रति गम्भीर नहीं है। आप पीछे देख लो। आप गिनकर देख लो। माननीय सभापति महोदय, 20 सदस्य भी नहीं हैं। यह राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में पहला मौका है जब कृषि पर बहस चल रही है और सदन के अन्दर कोरम का अभाव है। माननीय सभापति महोदय, आप कोरम की घंटी बजाइए। आप कोरम की घंटी बजाइए। यह कोई तरीका है। नहीं, आप कोरम की घंटी बजाइए। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप पीछे से मैम्बर को बाहर निकाल रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कोई मैम्बर को बाहर नहीं निकाल रहे। सदन को चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है। आप गम्भीर नहीं हो बिलकुल। आप बिलकुल गम्भीर नहीं हो।

श्री सभापति: आ गये। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हम और हमारे लोग हैं। आपका कोई मैम्बर नहीं है। आपका कोई नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने आपको सबक सिखाने के लिये कहा है। वह मैम्बर तो सारे आ जाएंगे। आपको सबक सिखाने के लिये कहा है। पता लग गया आपको।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सब लोग यहीं हैं, यहीं रहते हैं।

श्री सभापति: माननीय अभिनेश जी, बोलिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने यूजीसी के 2010 के रजिस्ट्रेशन, जिसमें 2013 व 2018 में यूजीसी ने संशोधन किया है, को अडाप्ट किया है, स्वीकार किया है। यूजीसी ने 2013

(श्री अभिनेश महर्षि)

के रजिस्ट्रेशन 730 में कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और सांस्थानिक प्रतिबद्धता के साथ में न्यूनतम योग्यता, उच्च शिक्षा के मानक तय किये थे। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 के संशोधन के माध्यम से कुलपति को समय से पूर्व हटाये जाने, जांच के पश्चात् निलम्बित किये जाने के प्रावधान, पूर्व में किसी भी राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के अधिनियम में पूर्व में नहीं था। सरकार इस संशोधन के माध्यम से अब जब भी चाहेगी, किसी भी जांच के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर के किसी भी कुलपति को जब चाहे हटा सकती है। यानी एक तरह से राज्य के उच्च शैक्षिक क्षेत्र में सरकार स्वायत्तता पर हमला करके अपने कब्जे में लेने का एक हथियार इस संशोधन के माध्यम से ले रही है।

माननीय सभापति महोदय, प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 के माध्यम से यूजीसी द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की कुछ न्यूनतम अर्हताएं रखी गयी थीं। यानी कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर के रूप में उसका कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसी प्रतिष्ठित अनुसंधान या अन्य एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कृषि से संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने का संशोधन लाया गया है, यह सही है, लेकिन यह न्यूनतम योग्य प्रोफेसर के रूप में कार्य करने हेतु पूर्व में 6 वर्ष थी, जिसको 6 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष किया जाने का यह संशोधन है। लेकिन, जो कुलपति को हटाये जाने से संबंधित महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 14 और 14(ए) में, इसी तरह से कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जोधपुर और कोटा, यह संशोधन लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि कुलपति के विरुद्ध जो शिकायत है, इसकी जांच कौन करेगा? यह इसमें तय नहीं किया गया है। एकेडमिक तौर पर कुलपति का पद उस विश्वविद्यालय में सर्वोच्च पद होता है और उस सर्वोच्च पद के अधिकारी के विरुद्ध जांच कौन करेगा? यह विधेयक में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है। जांच समिति किस स्तर के अधिकारी की होगी और कहीं भी जांच काल भी परिभाषित नहीं किया गया है कि कितना समय उसके अन्दर लगेगा? कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और तीन वर्ष से ज्यादा यदि वह जांच लम्बित रह गयी तो उस जांच का क्या अर्थ निकलेगा? माननीय सभापति महोदय, मैं यह

(श्री अभिनेश महर्षि)

कहना चाहता हूं। प्रायः यह देखने में आया है कि विधान सभा में सरकार विश्वविद्यालय में सर्वोच्च कुलपति की अर्हताओं के लिए जो संशोधन लेकर आती है, उसके बाद भी विपरीत आचरण होता है। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत तकलीफ की बात है। हम विधेयक लेकर आते हैं, कानून बनाते हैं, उसके बाद में सरकारें उसके ऊपर अमल नहीं करती हैं। आचरण विपरीत होता है। कैसा आचरण विपरीत होता है? मैं छोटे-छोटे एक-दो उदाहरणों के माध्यम से बताना चाहता हूं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख करके सरकार ने हमारे ऊपर आरोप लगाया और अब आपने 05.08.2019 को खासाकोठी के तीन कमरों में पुनः विश्वविद्यालय खोल दिया। माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अपने दूसरे सत्र में प्रवेश कर गया। वहां पर एक भी विद्यार्थी नहीं है। आपके पास में कोई फैकल्टी नहीं है। एक कुलपति पत्रकार ओम थानवी जी जरूर हैं, जिन्होंने 10 वर्ष का किस जर्नलिज्म के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अन्दर कोर्स किया? उन्होंने कहां पर 10 वर्ष तक पढ़ाया? उनको यह कानून पास होने के बाद में कुलपति बना दिया। हां, उनकी एक योग्यता तो जरूर है और जैसे ही मैं वह योग्यता के बारे में बोलूंगा, मेरे सत्ता पक्ष के सारे लोग खड़े हो जाएंगे और घंटी बजाने के ऊपर मजबूर करेंगे। उन्होंने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के विरुद्ध एक लेख जरूर लिखा। यदि यही योग्यता है, देश के प्रधान मंत्री के खिलाफ लेख लिखने वाले व्यक्ति को कुलपति बनाया जाना यदि यही अर्हता है तो निश्चित रूप से आपका भला करे, वह करते रहो। विश्वविद्यालय में उनको कुलपति बनाकर उपकृत कर दिया। जगद्गुरू शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के हालात क्या हैं, यह हमसे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में बनाये गये कुलपति जे.पी. यादव, वह क्या 10 वर्ष की अर्हताएं पूरी करते हैं? इस प्रकार के संशोधन का अर्थ क्या रह जाता है माननीय सभापति महोदय, जो अर्हताएं पूरी नहीं करते हैं, उनको हटा देंगे क्या? अभी बिल पास हो जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद में मंत्री महोदय, यह भी क्लियर कर दें कि जो अर्हताएं पूरी नहीं करते हैं, उन कुलपतियों को अभी एक आदेश के तहत यही से उन कुलपतियों को हटाने की कार्यवाही हो जाएगी। इस बात के लिये सदन को आश्वस्त कर दें और जो-जो व्यक्ति अयोग्य हो जाएंगे, उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित है, यह भी बता दें।

(श्री अभिनेश महर्षि)

मानननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता नहीं, यह पूर्णतया सरकारीकरण करने का बिल आया है। मंत्री महोदय, अजमेर विश्वविद्यालय में सीधे आयुक्तालय से डा. डी.सी. जैन को बिना किसी योग्यता के शोध निदेशक बना दिया जाता है, जो मात्र कालेज के शिक्षक हैं। राजस्थान महाविद्यालय अजमेर में भूगोल के शिक्षक रेणु पूनियां को विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड का सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया जाता है। मूल रूप से शारीरिक शिक्षक भी नहीं है रेणु पूनियां। विश्वविद्यालय में एफिलेटेड कालेज के किसी शिक्षक को सीधा सरकार नियुक्त कर दे। बृज विश्वविद्यालय भरतपुर की बात कर लो, चाहे गोविन्द गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की बात कर लो, बिना कुलपति की अभिशंसा के सीधे ही कालेज आयुक्तालय से आदेश निकलते हैं और नियंत्रक नियुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति नियंत्रक नियुक्त हो जाते हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में पहले उनको हटा दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद में उनको फिर पुन: लगा दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? राजस्थान की जनता के साथ में यह सरकार किस तरह का खिलवाड़ करना चाहती है? यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। महाविद्यालय जयपुर, कोटा, दौसा, भरतपुर, सीकर स्थानांतरण का भय दिखाकर कालेज शिक्षकों को आक्रोश रैली में आने के लिये मजबूर कर दिया जाता है। इस सरकार के मंत्रियों के द्वारा प्रिंसिपल, एन.सी.सी. और एन.एस.एस. के विद्यार्थियों को आक्रोश रैली में आने के लिये मजबूर कर दिया जाता है। यह सरकार कहां जा रही है?

जन घोषणा पत्र, बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थीं जन घोषणा पत्र के अन्दर, प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भयमुक्त वातावरण स्थापित करते हुए एकेडमिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। यह कहा था, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

पूरी उच्च शिक्षा का स्थानांतरण तो, महोदय, कोलायत से भरतपुर चला गया (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) हालात ऐसे हैं। बस 2 मिनट के अन्दर मेरी बात को समाप्त करूंगा।

रुक्टा (राष्ट्रीय) के अध्यक्ष, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है रुक्टा (राष्ट्रीय) के अध्यक्ष डाक्टर दिग्विजय सिंह 9 जनवरी को एपीओ किये गये, बाद में जैसलमेर स्थानांतरण किया गया, ट्रिब्यूनल ने आदेश स्थगित

(श्री अभिनेश महर्षि)

किया, सरकार शर्मसार हुई। प्रकरण उच्च न्यायालय में गया तब जाकर के नोखा में पदस्थापित किया गया। महोदय, राष्ट्रीय कहीं भी लग जाए, उसके तो यह पीछे ही पड़ जाते हैं। राष्ट्रीयता का पाठ हम सब लोगों ने पढ़ाया है। पूरी शिक्षा से स्थानांतरण, जिस किसी संगठन के आगे राष्ट्रीय लग जाए, राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता से आप लोगों को इतनी चिढ़, दो-दो सौ किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर दिया जाता है। (व्यवधान)

बस मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले, अंत में, सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता हो, कोई भी विश्वविद्यालय आपने नियम उप नियम, आर्डिनेंस, स्टेट्यूट्स में कोई परिवर्तन करे और उसे सक्षम स्तर पर यथा सिंडिकेट, सीनेट, बोर्ड मैनेजमेंट, कमेटी एकेडमिक कोर्स से अनुमति लेकर संशोधित करे। आज कोई भी विश्वविद्यालय सक्षम स्तर पर स्टेट्यूट्स या रोल सबरोल का अनुमोदन करवाकर प्रशासनिक तौर पर इसे मनमाने तरीके से लागू कर रहे हैं, वह नहीं किया जाए।

बातें तो और बहुत हैं, लेकिन फिर भी अंत में मैं यह बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि हमारे छात्र न केवल उच्च शिक्षा से वंचित रहते हैं बल्कि अखिल भारतीय कृषि परीक्षाओं में अर्हता योग्यताएं नहीं रख पाते हैं, कृषि मंत्री महोदय, उसका कारण आपको मालूम है, क्योंकि कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां आईसीएआर, इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर से मान्यता नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में आईसीएआर के मापदंड से विश्वविद्यालय नये संकाय और महाविद्यालय पूरा नहीं करते हैं। छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित), माननीय श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित), माननीय श्री धर्मनारायण जोशी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज के विधेयक पारित होने और कार्य सूची के पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय अभिनेश जी ने कहा था सरकार घोषणाएं करती है। बहुत अच्छी बात है, शिक्षा में सुधार के लिए घोषणाएं करती है। अभी कल-परसों एक विषय आया था कि आपकी सरकार ने विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी व अम्बेडकर विश्वविद्यालय बंद कर दिये। गोविंद गुरु विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में आपकी सरकार ने खोला, दो साल तक वहां के वाइस चांसलर की एक की नियुक्ति और एक पियोन, दो साल तक उदयपुर यूनिवर्सिटी के कमरे में वह जनजाति विश्वविद्यालय चलता रहा और जब वापस वसुन्धरा जी की सरकार आयी, आज बांसवाड़ा में 150 कालेज उसके अन्तर्गत हैं, दो लाख विद्यार्थी अध्ययन करते हैं।

कृषि विश्वविद्यालय खोलने में क्या सरकार ने मापदंड पूरे किये? प्राइवेट स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। क्या उनके कृषि भवन हैं? नहीं हैं। भारत सरकार की आईसीएआर के नियमों के अनुसार क्या वह पूरा कर रहे हैं? क्या विश्वविद्यालय वाइस चांसलर की नियुक्ति कर रहे हैं? पत्रकारिता विश्वविद्यालय तो एक प्राइमरी स्कूल में खुल गया और आज भी वहां लगभग, मैं विधान सभा को गुमराह नहीं करना चाहता हूं, बड़ा किराया, वहां किराये की बिल्डिंग चल रही है और वहां पर लगभग 20 लाख रुपये महीने की तनख्वाह। नियुक्तियों का कोई आधार नहीं है। उसके बाद भी, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय में 70 प्रतिशत पद खाली हैं, 70 प्रतिशत पद पर नियुक्ति नहीं है। और तो और, प्राइवेट कालेज जो आपने विश्वविद्यालय में मान्यता दे रखी है, फीस निर्धारण की

(श्री धर्मनारायण जोशी)

कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी इच्छा हो जो फीस तय कर रहे हैं। सरकार की कोई मानिटरिंग नहीं है।

गंगानगर का एक कालेज है कृषि विश्वविद्यालय, उसकी कुछ लोगों ने शिकायत की। नोहर के एडीएम ने उसकी जांच की और जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी, राज्य सरकार वह रिपोर्ट दबाकर बैठ गयी, उसका कुछ नहीं हुआ। राज्य सरकार की कोई मानिटरिंग नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे प्रार्थना है कि आप इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करें।

उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय है, यूआईटी से मिलकर और वहां के प्रोफेसर जो रिटायर हो गये, जीवन भर नौकरी की, आप जानते हो प्रोफ़ेसर की तनख्वाह पर ही उसका आधार है, इनका सारा मामला है। रिटायरमेंट के बाद उसकी इच्छा रहती है कि मेरे परिवार की शादी करूंगा, घर बनाकर रहूंगा। वह पेंशन के लिए लटक गये। यूआईटी से कृषि विश्वविद्यालय ने समझौता किया और समझौते के बाद उदयपुर शहर की बड़ी जमीन यूआईटी ने बेची और आज भी वहां के वाइस चांसलर जी ने, अभी या पुराने ने, उन्होंने पेंशन देने का कोई आधार नहीं बनाया, अपने परिचितों को पहले पेंशन दे दी और जो परिचित नहीं वह बेचारे अभी तक उस पेंशन के लिए रो रहे हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उसकी भी व्यवस्था करायें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बारे में और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जहां-जहां मान्यता का आधार बनाकर, नियुक्ति का आधार बनाकर, जो 10 साल प्राचार्य रहना चाहिए उसको कुलपति बनना चाहिए, ऐसे-ऐसे लोग कुलपति बने हुए हैं, यह ठीक है कि वाइस चांसलर का पद राजनीतिक आधार का पद है परन्तु एक योग्यता तो उसका आधार होना चाहिए।

हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा, 123 नये कालेज खुले राजस्थान में, गहलोत साहब की वाहवाही, 90 कालेज में प्रिंसिपल नहीं हैं। यह क्या कालेज खुल रहे हैं? मेरे मावली का कालेज, आपको आश्चर्य होगा, माननीय गहलोत साहब ने 2019 के पहले बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान में 12 कालेज में बिल्डिंग बनेगी, मावली का कालेज भी उसमें था, मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करने गया कि मावली के कालेज की बिल्डिंग बन जाएगी, बहुत-बहुत धन्यवाद। 2019 चला गया। 2020 में घोषणा

(श्री धर्मनारायण जोशी)

की कि राजस्थान में विभिन्न कालेज में 350 कमरे बनेंगे, कुछ नहीं हुआ, वह घोषणा भी चली गयी। 2021 की बजट की घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि डीएमएफटी से कमरे बनेंगे, कुछ नहीं हुआ। वसुन्धरा सरकार में 25 बीघा जमीन मिली, कालेज खुल गया, यों की यों जमीन पड़ी है, मावली में एक प्राइमरी स्कूल में कालेज चल रहा है। यह आपके कालेजों की स्थिति है। स्टाफ नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको राजनीति से ऊपर उठ करके, न कांग्रेस का मामला न भाजपा का मामला है यह राजस्थान की जनता का मामला है, इसमें सुधार करें और विधेयक में संशोधन करके इसको लागू कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती संतोष (अनुपस्थित), माननीय श्री नरेन्द्र नागर (अनुपस्थित), माननीय श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 लेकर हम लोग आये हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या इस तरह के विधेयक लाकर और एक ऐसा पद जो वास्तव में एक सम्मान का पद है, उस पर कुठाराघात करने का काम हम लोग कर रहे हैं?

आपने इस बिल में कुलपति की योग्यता के बारे में बताया, जो विधेयक हम लोग लेकर आये, कुछ संशोधन हमने किया। इसमें पहले हमारा 6 वर्ष प्रोफेसर होना बताया था कुलपति की योग्यता में और इसमें से 3 वर्ष का अनुभव संकाय अध्यक्ष या महाविद्‌यालय के डीन हो, निदेशक होना चाहिए। यह धारा 25 में आपने कहा। लेकिन अब आप जो इसमें नया संशोधन करने जा रहे हो, इसमें प्रोफेसर या आचार्य पद पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो और प्रख्यात शिक्षाविद न हो, लिखा है और मुझे लगता है कि इसमें बदलने की क्या संभावना है, यह भी मैं कुछ कह नहीं सकती। आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें हमने क्यों इतना बड़ा परिवर्तन 10 वर्ष का किया? मुझे लगता है कि इसमें हमें सोचना चाहिए जबकि यदि हमारा जो संकाय का अध्यक्ष है, डीन है, निदेशक का अनुभव भी है तीन वर्ष का हो तो प्रशासनिक कार्यों का अनुभव होता है, वह अच्छे से कार्य करता है। यदि केवल प्रोफेसर होगा तो उसे अनुभव नहीं होता। अत: पहले वाला जो हमारा था वह इससे ठीक था। इसमें जो संशोधन कर रहे हैं, अगर हम पहले वाला ही नियम रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें अच्छा होगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कुलपति की खोजबीन समिति के बारे में जो आपने कहा है, यह जो संशोधन लेकर आये हैं, निश्चित तौर पर हमें इस पर भी विचार करना चाहिए।

(17.00 बजे)

यह जो संशोधन लेकर के आये हैं, निश्चित रूप से इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। 'प्रशासनिक शासन' से तात्पर्य क्या है? क्या किसी आईएएस या आरएएस को कुलपति बनाया जाएगा? जहां तक मेरी सोच है यह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी जगह कृषि क्षेत्र से संबंधित पर्याप्त शैक्षणिक अनुभव वाला ही हो तो वह ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि इस बात पर भी हमें विचार करने की जरूरत है।

इसी के साथ-साथ हम कुलपति को हटाए जाने का जो प्रावधान इसमें रख रहे हैं, जो लेकर आये हैं, उसके बारे में कहना चाहूंगी कि 'अभूतपूर्व स्थिति' से इसका क्या तात्पर्य है? जो हमने इसमें लिखा है। यह स्पष्ट नहीं है कि कौन होगा? कौन होना चाहिए? क्या होगा? जो हमने 39 (क) में दिया है कि 'अन्य विश्वविद्यालयों से व्यक्तियों और सम्पत्ति के स्थानान्तरण की शक्तियां' इससे उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित होगी। कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक लगातार शोध में कार्यरत रहते हैं। यदि उनका स्थानान्तरण किसी अन्य विश्वविद्यालय में किया जाएगा तो इससे हमारा शोध प्रभावित होगा। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। इसमें कुलपति तथा प्रबंधक मंडल की सहमति व सिफारिश के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए। अगर इसको हम इसमें सम्मिलित करेंगे तो मैं कहूंगी कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक बू आती है। अगर हम एक कृषि विश्वविद्यालय से दूर ले जाकर सीकर रख देंगे तो हम जानते हैं कि हमारे कृषि के छात्र क्या शोध कर पाएंगे। एक शोध पूरा न हो पाए उससे पहले ही ट्रांसफर हो जाए, यह बहुत गलत है।

सभापति महोदय, कुलपति को हटाने के पश्चात् या त्यागपत्र के बाद कौन कुलपति होगा, इस विषय का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। अगर ऐसा हो तो मैं कहूंगी कि उसी विश्वविद्यालय के सक्षम डीन व डायरेक्टर में से ही वैकल्पिक व्यवस्था हेतु चार्ज दिया जाना भी इसमें सम्मिलित किया जाए। यह ठीक रहेगा ताकि सभी क्रिया-कलाप हमारे उचित व अच्छे से होते रहें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

साथ ही साथ कुलपति की योग्यता के बारे में जो बिन्दु संख्या 2 में आपने लिखा है कि 'किसी प्रतिष्ठित कृषि शोध या कृषि शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन में होना चाहिए, न कि शोध शैक्षणिक' इसमें तो फिर कृषि विश्वविद्यालय में कोई भी शोध या शैक्षणिक वाला व्यक्ति पात्र होगा। यह हमारे सम्माननीय देवनानी जी बोल रहे थे। इसमें हमारा कृषि से जुड़ा हुआ कुलपति अगर कोई आता है तो इससे हमारी यूनिवर्सिटी को लाभ मिलेगा। अतः इसमें किसी प्रतिष्ठित कृषि शोध या कृषि शैक्षणिक संस्थान होना चाहिए न कि संगठन। केवल शोध शैक्षणिक से ही हमारा यह पद भरा जाए तो बहुत अच्छा होगा।

साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि हम संशोधन तो लेकर के आये हैं, लेकिन हमारे रिक्त पद कितने पड़े हैं, उस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। चाहे कोटा का हो, चाहे उदयपुर का हो, सभी जगह की हम लोग बात करें। कारपोरेट फंड जो बनाने की बात है, कोर्ट ने भी हमें इस तरह का आदेश दिया है। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं?

सभापति महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि इसको पढ़ने के बाद मैंने एक शब्द इसमें ऐसा देखा है, निश्चित रूप से यह शिक्षा से जुड़ा हुआ बिन्दु है। इसमें 4-5 जगह इस तरह का कुलपति वाले पैरे में काम चलाऊ व्यवस्था, मुझे लगता है कि यह जो शब्द है काम चलाऊ, इस पर हमें विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

(17.03 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री कालूराम (अनुपस्थित), श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित)।

प्रभारी मंत्री।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 में माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए। वासुदेव देवनानी जी ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने चर्चा के दौरान कई विषयों पर अपने सुझाव दिए। वह खुद भी एक शिक्षाविद हैं।

(श्री लालचन्द कटारिया)

राज्य के पांचों कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की बात कही गई। इस बाबत मैं सदन को बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों को भरने की अनुमति दे दी गई है। शीघ्र ही विज्ञापन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सभापति महोदय, नंबर 2, उन्होंने कार्यवाहक कुलपति के बारे में अपनी बात कही, कि कोई भी कुलपति यदि रिटायर होता है या हटा दिया जाता है तो उसके बाद में चार्ज किसको दिया जाए? राज्य सरकार के परामर्श से या कुलाधिपति अपनी मंशा से जो भी नजदीक का विश्वविद्यालय है और जिसको वह उचित समझें, उसको चार्ज दिया जाता है।

तीसरी बात, अभी पेंशन की बात की गई। इन विश्वविद्यालयों से रिटायर होने वाले जो पेंशनधारी कार्मिक हैं, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों में पेंशन के स्थायी समाधान हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशों से प्रमुख शासन सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही चल रही है और जल्दी ही जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।

सभापति महोदय, यह चारों जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर और कृषि विश्वविद्यालय, कोटा हैं, माननीय कुलाधिपति और यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसी सत्र में, आज से 2 दिन पहले स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का संशोधन इसी सत्र में पेश किया गया और पारित किया गया। उसी के अनुरूप जैसे कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि राजस्थान के चारों राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में कुलपति को उन परिस्थितियों में हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जहां वह उक्त अधिनियम उपबंधों का क्रियान्वयन करने में जान-बूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि उसका पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक है। ऐसी परिस्थितियों में कुलाधिपति को राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति हटाए जाने के लिए सशक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

सभापति महोदय, ज्यादा इसमें बोलने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि इस सत्र में और पिछले वाले सत्र में राजस्थान के जो और भी विश्वविद्यालय थे, कुलाधिपति की मंशा और यूजीसी की गाइड लाइन के अनुसार एक ही बात है कि कुलपति के बारे में समानता और एकरूपता रहे। इसके लिए यह संशोधन लेकर आये हैं।

विश्वविद्यालय में एकरूपता के लिए माडल एक्ट का प्रावधान है। माननीय राज्यपाल महोदय ने भी उन अधिनियमों में समुचित प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में जो संशोधन प्रस्तावित हैं, ऐसे ही संशोधन राजस्थान विधान सभा में राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों के अन्दर कुलपति की योग्यता क्या होगी, इसको लेकर यह संशोधन पारित किया है कि कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा, जब तक वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी शोध, शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन के किसी समकक्ष पद पर अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा और नैतिक आधार एवं संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्च स्तर वाला प्रख्यात शिक्षाविद नहीं होगा। ठीक इसी तरह का संशोधन राज्य के 4 राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 में प्रस्तावित है।

सभापति महोदय, यह भी मैं बताना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष यहां मौजूद हैं कि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है, उसमें कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं होता था, यह प्रावधान में नहीं था। अब इस बार यह जो चारों विश्वविद्यालय हैं, इनमें इंटर्नल ट्रांसफर हम आगे कर सकेंगे। यह भी इसमें रखा गया है। यह प्रावधान पहले नहीं था।

माननीय सभापति महोदय, सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की पूर्ण पक्षधर है परन्तु निरंकुशता, अनियमितता, पक्षपात जैसी स्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं, कुलपति द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, कुलपति विश्वविद्यालय के नियमों के तहत एक्ट नहीं करे तब जाकर के कुलपति को हटाने की बात आती है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव पेश किये हैं, उन्हें अस्वीकार किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री। संशोधन पेश करेंगे।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड 3 के उपखण्ड में विधेयक की अनुसूची के स्कम्भ संख्या 5 में तथा उल्लेखित धारा की विद्यमान उप धारा 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् "इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या आने तक किसी भी समय कुलाधिपति की राय में, कुलपति अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक है तो कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकेगा परन्तु कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान कुलपति को किसी भी समय निलम्बित कर सकेगा। परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कुलपति को उसके

(श्री लालचन्द कटारिया)

विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।"

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्रीजी, पारित के लिए आप प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विषय को आपने थोड़ा-सा टच किया लेकिन महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में 2018 से जो लोग सेवानिवृत्त हैं उनको परिलाभ नहीं मिल रहा है और लगभग 14 महीने से उस ग्रेड के लोग जो कभी प्रोफेसर रहे और इतनी अच्छी तनख्वाह रही, लेकिन आर्थिक संकट से इस प्रकार से जूझ रहे हैं और जिस प्रकार से वो लोग आते हैं बुढ़ापे में हमें भी बहुत दुख होता है कि वास्तव में उनकी पीड़ा बहुत वाजिब है। न उनके बच्चों की शादी की व्यवस्था है और न उनके और कोई व्यवस्था है, इस समय वे बहुत तबाही में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसीलिए हमने इस लेवल पर व्यवस्था करके यूआईटी के साथ उनकी जमीन का कुछ हिस्सा निकालकर, सड़क निकाल कर उसके एवज में प्लाट बेचकर कारपस फण्ड बनाने की बात की और उस पर लगभग दोनों की सहमति थी लेकिन उसके बाद भी बहुत लम्बा समय हो गया, 14 महीने, प्रतिमाह उनकी पेंशन बनती है लगभग 3 करोड़ 52 लाख रुपये, अब तक जो ड्यू हो गई 14 महीने की वह है 54 करोड़ 88 लाख रुपये। इसी तरह से अप्रैल, 2019 से आज तक जो ग्रेच्युटी देनी है वह है 18 करोड़ 45 लाख रुपये, सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान आज दिनांक तक जो करना है वह है 9 करोड़ 23 लाख रुपये, लगभग आज की तारीख में 82 करोड़ रुपये और 56 लाख रुपया उनका ड्यू निकल रहा है। मैं सोचता हूं कि यूआईटी के साथ बातचीत हुई चीफ सैक्रेटरी के यहां पर मीटिंग होकर अगस्त, 2020 में फैसला हो गया, केवल हमको यह कहना है कि उसकी जो रिजर्व प्राइस बनती है उसकी आज की तारीख में वह यूआईटी के साथ बैठकर रिजर्व प्राइस के आधार पर प्लॉट बिकेंगे, पैसे कब मिलेंगे, उससे उनकी समस्या हल नहीं होगी। एक ही बार में जो रिजर्व प्राइस है वह तय कर लीजिये और यूआईटी से पैसे लेकर यूआईटी बाद में दो साल में बेचे, पांच साल में बेचे, दस साल में बेचे, वह जाने और यूआईटी से पैसे लेकर कारपस फण्ड बनाकर, जिससे निरन्तर पेंशन चुकती रहे और फंड भी डेस्ट्राय न हो, केवल और केवल देते-देते में ही सारी प्रोपर्टी भी चली जाएगी। मैं सोचता हूं कि इसमें थोड़ी-सी अगुवाई करें, बुलाकर बात करें, इस समस्या का समाधान करें ताकि इस विश्वविद्यालय के 1200 कर्मचारी जो पेंशनर हैं इसमें फोर्थ क्लास के लोग भी हैं, मैं सोचता हूं कि उनकी पीड़ा को समझकर प्रायोरिटी देना है, बैठकर जो भी फैसला हो, दोनों को साथ बुलाकर करना, जो भी निर्णय करना हो करें, निस्तारण करें, मैं सोचता हूं कि मेरे को इतना ही कहना है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, यह बात सही है कि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर और मेरे यहां खुद के विधान सभा क्षेत्र जोबनेर में और इनके अलावा जहां-जहां भी विश्वविद्यालय हैं, ये जो पेंशनधारी लोग मेरे से भी मिले हैं, यह बात बिलकुल ठीक है, कोरोनाकाल में तो इतनी पीड़ादायक स्थिति रही है उसका बखान नहीं किया जा सकता और मैंने लगातार अधिकारियों से और दो बार मैं व्यक्तिगत रूप से कुलाधिपति से भी मिला हूं। जैसा आपकी यूआईटी का मामला है, वैसा ही मैंने मुख्य मंत्रीजी से बात की थी कि दुर्गापुरा फार्म है हमारा, यह जोबनेर के अण्डर में आता है उसमें से भी कुछ निकालकर फण्ड जनरेट करें ताकि इन लोगों को पेंशन मिल सके। आपने बहुत गम्भीर विषय को टच किया है और मैं आश्वस्त करता हूं कि जल्दी ही, हम आपका भी सहयोग लेंगे और इस पर कोई न कोई निर्णय की स्थिति हम बनाएंगे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री फूल सिंह मीणा। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

सूचना

उदयपुर ग्रामीण में जर्जर विद्यालय भवन

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन के सम्बन्ध में मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत, काया उच्च माध्यमिक विद्यालय में साल भर से प्लस्तर टूट रहा है, कमरे जर्जर हैं। ऐसी स्थिति में गांव वालों ने कलेक्टर और प्रशासन को इसके बारे में लिखित में दिया, इसके बावजूद उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। दो दिन हो गए गांव वालों ने बच्चों को मौत के मुंह में धकेलने के बजाय घर पर रखना शुरू कर दिया। उस स्कूल के ताला लगा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना

(श्री फूल सिंह मीणा)

चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे जिले में स्कूलों की स्थिति ऐसी है, जर्जर है, बच्चे स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डीएमएफटी फण्ड से कम से कम इनकी रिपेयरिंग का काम करवा दें। करोड़ों रुपये हमारे पड़े हुए हैं वो हमारे कोई काम नहीं आ रहे हैं, कम से कम हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए जर्जर अवस्था में जो स्कूल भवन हैं उनकी रिपेयरिंग करके पढ़ाई के लिए सही करवाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरीश चौधरी। श्री भंवर सिंह भाटी ...(व्यवधान) हरीशजी का नाम लिया तो उनको खड़ा होना चाहिए था अगर उनकी जिम्मेदारी दे दी तो।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इस सत्र का, सदन का आखिरी दिन और सदन में राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 के रूप में आखिरी बिल पर जो दयनीय स्थिति मैंने सदन में इस बार देखी है, मंत्रियों का इतना अकाल, कभी भी सदन में नहीं रहा पर मैं समझता हूं कि दुबारा जब हम मिलेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों के कलफ में लगे हुए चोले और जाकिटें टंगी-टंगी फट गईं, वो शरीर पर धारण होंगी और मंत्रिमण्डल का पुनर्गठन होगा। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात पीड़ा के साथ कह रहा हूं और पीड़ा के साथ इसलिए कह रहा हूं.. (व्यवधान)

श्री सभापति: इस भू-राजस्व विधेयक में यह संशोधन आपकी तरफ से है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं बात बहुत पीड़ा से इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बिल पर मैं अपनी बात कहने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जा रहा हूं पर यह दुर्भाग्य है कि जब आपने राजस्व मंत्रीजी का नाम पुकारा वो इस सदन के प्रति इतने गम्भीर नहीं। न जाने कहां अलमस्त हैं? मैं समझता हूं, यह मंजर दोबारा देखने के लिए भगवान हमें देगा नहीं, क्योंकि अगली बार कुछ फिजा बदली मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि यह जो भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 (1) में एक नये परन्तुक के माध्यम से एक संशोधन लेकर आये हैं, जो मूल धारा 98 (2) है, 1956 के भू-राजस्व अधिनियम की, उसमें यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति कूड़ा-करकट इकट्ठा करने के लिए और उसे भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 (1) के अंतर्गत जो नियम बने हुए हैं, राजस्थान भू-राजस्व (संग्रह स्थल हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1961, उसके अधीन किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी नगर में, घर के कूड़ा-करकट के लिए, कचरे के लिए, पशु चारा इकट्ठा करने के लिए बिना प्रीमियम एसडीएम द्वारा निर्धारित माप की भूमि ग्रांट के रूप में दी जाती है।

सभापति महोदय, अगर वह व्यक्ति लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 के सैक्शन 98(1) में निर्धारित शर्तों को और राजस्थान भू-राजस्व (संग्रह स्थल हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1961 की शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह भूमि राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं होगा, वह पुनर्गृहीत कर लेगा।

सभापति महोदय, इसमें दो सबसे बड़ी बातें हैं- एक तो यह भूमि, जो उसे कचरे के लिए, पशु चारे के लिए दी गयी है, यह बिना प्रीमियम के है। दूसरा, यह भूमि वह भूमि है, जिसे धारा 98(2) के अंतर्गत उप-खण्ड अधिकारी ने एक अधिकार पत्र के रूप में आबंटित किया। अब जो सरकार संशोधन लेकर आयी है, वह धारा 98 के परंतुक 1 में लेकर आयी है और संशोधन यह लेकर आयी है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98(1) या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करे, उस व्यक्ति जिसने शर्तों का उल्लंघन किया है, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 96 में वर्णित प्रीमियम दरें शास्ति लगाकर वह भूमि रिहायश के लिए उसे आबंटित की जाएगी।

मंत्री महोदय, यानी जो जमीन ग्रांट के रूप में दी गयी, क्योंकि अभी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपका हेतु मैं समझ रहा हूं, आप अभी प्रशासन गांवों की ओर लेकर जा रहे हैं, आप गांवों में अहाते के नाम पर, कचरा संग्रहण के नाम पर जमीनों का आबंटन करना प्रारम्भ करेंगे, पर इसमें मुझे यह बताएंगे आप कि आज राजस्थान में मैं मानता हूं, गांवों में, शहरों में कचरा संग्रहण के नाम पर घर के सामने, घर के पास में भूमि पर अतिक्रमण हो सकता है, पर एसडीएम द्वारा निर्धारित अधिकार पत्र, एसडीएम द्वारा उस प्रक्रिया में निर्धारित माप की भूमि, मतलब एसडीएम के द्वारा दी गयी माप की भूमि, यह उसके पास अधिकार पत्र होना चाहिए। आप आनन-फानन में कानून लेकर आ रहे हैं, पर इस कानून में आपका हेतु सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जो धारा 98(2) कह रही है, उसमें ग्रांट की भूमि है, आबंटन की भूमि नहीं।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 98(1) की तरफ दिलाना चाहूंगा, जिसमें पहले से कुछ परन्तुक विद्यमान हैं, प्रोविजो विद्यमान हैं। प्रोविजो 1 में है कि कूड़ा-करकट के संग्रहण हेतु दी गयी भूमि का कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में मांग नहीं करेगा। वह भूमि तब दी जाएगी, जब उपलब्ध होगी। उपलब्ध कौन कराएगा, उपलब्ध कराएगा उप-खण्ड अधिकारी। यह भूमि जो कूड़ा-करकट संग्रहण के लिए, जिस तरह मैंने पहले कहा, यह ग्रांट की भूमि है। प्रोविजो 2 में क्या कहते हैं, यह ग्रांट के रूप में दी गयी भूमि पर जिला कलेक्टर आवश्यकता पड़ने पर बिना मुआवजा वापस अधिग्रहण कर लेगा।

सबसे इम्पोर्टेन्ट बात, जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह जो 98(1) का परन्तुक 3 है, यह क्या कहता है, यह विद्यमान है, इसमें संशोधन लेकर नहीं आये हैं आप। यह विद्यमान होते हुए आप जो संशोधन धारा 98(1) के परन्तुक 2 में ला रहे हैं, वह कैसे लाएंगे, कान्ट्रावेंशन इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। यह परन्तुक 3 कह रहा है, जिस व्यक्ति को कूड़ा-करकट संग्रहण हेतु ग्रांट में भूमि दी जाएगी, वह व्यक्ति न तो अदला-बदली कर सकेगा, न मोरगेज कर सकेगा, न सैल कर सकेगा, न दान कर सकेगा, न वसीयत कर सकेगा, न उसे हस्तांतरित कर सकेगा। मेरी समझ में नहीं आया, आप इसमें भी संशोधन लाते, सरकार को यह अधिकार है। आप किस प्रकार यह जमीन दे रहे हैं?

सभापति महोदय, इसीलिए मैं समझता हूं कि यह जो जमीन दी गयी कूड़ा-करकट के लिए, वह धारा 98 में दी गयी, धारा 96 में आप शास्ति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लगाकर वापस उसे दे रहे हैं। आपने कई पैनल्टीज निर्धारित नहीं कीं, कई दरें निर्धारित नहीं कीं, रूल्स बनाकर आपको दरें निर्धारित करने का अधिकार है। इस अधिनियम के सैक्शन 261 में है। जब आप सदन के सामने बात लेकर आये हैं और एक मकसद से लेकर आये हैं, अच्छा रहता कि आप इसमें रूल्स बनाकर दरें निर्धारित करके सदन के सामने रखते और इसके अन्दर जो मैंने अभी परन्तुक 3 पढ़ा, परन्तुक 4 में है- कूड़ा-करकट संग्रह हेतु ग्रांट के रूप में दी गयी भूमि के अधीन नियम और शर्तें, अब इसके नियम और शर्तें क्या हैं? मालूम है मंत्री महोदय, आपको तो अचानक पकड़ा दिया, अभी तो आप शुरू करेंगे, ''माननीय सभापति महोदय'' और नीचे तक पढ़ देंगे। आज मेज कूटेंगे और बाद में छाती कूटेंगे।

सभापति महोदय, समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस अधिनियम के अन्दर संशोधन लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 98(1) में लाये हैं परन्तुक 1 के रहते हुए और परन्तुक 3 में जब तक आप संशोधन नहीं करेंगे, आपके पास अधिकार है, ब्रूटल मेजोरिटी है, आप कुछ भी पास करा लेंगे, पर मैं समझता हूं कि विधान बनाने वाली इस सभा में बात तो साफ आनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा। अभी मैंने एक हवाला दिया था, जो भू-राजस्व अधिनियम, 1956 है, उसके तहत नियम बने हुए हैं राजस्थान भू-राजस्व (संग्रह स्थल हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1961...

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, 'ब्रूटल' का मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया, उसका मतलब बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं क्या बताऊं। आप बताएं, संयम जी जरा।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, परदे में ही रहने दें, मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह यही है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): खुद ही को पता नहीं है।

श्री सभापति: आप परदे में ही रहने दें, मेरी सलाह यही है आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 'ब्रूटल' का मतलब जिसके सामने कोई चीज न हो, जो तानाशाही से बढ़े, निर्दयी, ब्रूटल, निर्दयी, अत्याचारी, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर लें, उस मैजोरिटी को लिए बैठे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान की जनता से चुनी हुई सरकार के लिए 'ब्रूटल' बोल रहे हैं, इससे ज्यादा आब्जेक्शनेबल शब्द क्या हो सकता है?

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): राठौड़ साहब, आप तो टीडीएच हैं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, पिछले कुछ ही घण्टों में मेरा और स्वास्थ्य मंत्री जी का पुराना भ्रातृ प्रेम जाग्रत हुआ है। इनकी मांग पर वह शब्द एक्सपंज करा दें आप। मैं इनसे ना-इत्तेफाकी अब रख भी नहीं सकता। न जाने जिंदगी कब शान्त हो जाए, आप हटवा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):

"उजाले हमारी यादों के तुम्हारे साथ रहने दो,
न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए।"

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह रिकार्ड पर जाने दें साहब। यह आसान हो जाएगा, रिकार्ड पर जाने दें।

श्री सभापति: न तो मैं आपके कहने से यह एक्सपंज कर रहा हूं, न ही आपके कहने से इसे शामिल कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं एक गम्भीर बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में जो नियम बने हुए हैं राजस्थान भू-राजस्व (संग्रह स्थल हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1961, इसके नियम 4(1), आप नियम में संशोधन करने का पूरा अधिकार रखते हैं, पर चूंकि अब हो क्या रहा है कि विधान सभा के प्रति अगर सरकार उत्तरदायी होती तो सरकार के मुखिया यह पैरलल सरकार नहीं चलाते, बीकानेर में जाकर जन सुनवाई नहीं करते, टैंट लगाकर एक दर्जन प्रमुख शासन सचिव उनके सामने नहीं बैठते।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आपको इन्होंने बताया नहीं होगा, यह 4 (a) में आपने संशोधन नहीं किया और 4 (a) क्या कहता है? कूड़ा-करकट के संग्रह स्थल हेतु दी गई भूमि किसी भी व्यक्ति का कोई स्वामित्व, अधिकार किसी रूप में नहीं दिया जाएगा, भूमि सदा सरकार में निहित रहेगी। आप बताओ, आप कर सकते हो? पर रूल्स में परिवर्तन करने के लिए या तो आप हमें आश्वस्त करते क्योंकि सरकार का अधिकार है या फिर सदन को। जब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक संशोधन आ गया, आप यह कह दो कि हम बाद में कर लेंगे। क्योंजी, हम घास काटने वाले हैं? जब आप एक संशोधन एक मकसद के साथ लेकर आये हो तो बताना चाहिए, सदन जानना चाहता है, सदन का अधिकार है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस धारा 4 (a) के रहते हुए यह जमीन किस प्रकार आप करेंगे यह मुझको बता दें।

मैंने अभी उद्देश्यों और कारणों का कथन पढ़ा। आपने इसमें लिखा है कि गांवों और कस्बों में जनसंख्या वृद्धि के कारण कूड़ा-कचरा डालने के प्रयोजन से दी गई भूमि को रहने के प्रयोजन में उपयोग लिया जा रहा है। इस भूमि पर पक्के ढांचों/निवास गृहों का निर्माण हो चुका है। यदि ऐसी भूमि पुनर्गृहीत कर ली जाती है तो वहां व्यक्तियों को बेदखल करने से उनको कठिनाई होगी तथा इसलिए ऐसी भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 96 के अधीन नियत की गई दरें, प्रीमियम, पैनल्टी जो राज्य सरकार निश्चित करेगी, आबंटित किया जाएगा। इसलिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 और 261 के उपबंधों में संशोधन कर रहे हैं। आपने क्या कहा कि कूड़ा-कचरा डालने और जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का विस्फोट है। राजस्थान के अन्दर एक साल में नया आस्ट्रेलिया बनता है, स्वास्थ्य मंत्री जी मुझसे बेहतर बता सकते हैं। साढ़े सोलह लाख नये मेहमान राजस्थान की धरती पर आते हैं। राजस्थान में सुबह से शाम होती है और 3200 नये मेहमान यहां आ जाते हैं। ऐसे में जब जनसंख्या बढ़ रही है तो आप मुझे बता दो कि कूड़ा-कचरा बढ़ेगा या कम होगा? किस उद्देश्य के साथ देश के प्रधान मंत्री ने 2014 में लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का मिशन पूरे हिन्दुस्तान को दिया। सभापति महोदय, जो लोग झाड़ू को हाथ लगाना पसन्द नहीं करते थे न, वे हीरो-हीरोइन बम्बई की सड़कों पर अलग-अलग भाव-भंगिमा में और हमारे यहां कई हमारे साथी भी फोटो खिंचवाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे क्योंकि संदेश था विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का कि स्वच्छ भारत होगा तभी स्वस्थ भारत होगा। आप कर क्या रहे हैं? मैं समझता हूं कि जरा सोचना चाहिए कि आप 98 के अन्दर जो कूड़ा-कचरे के लिए, मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एसडीएम का अधिकार पत्र जिनके पास होगा, आप उसी भूमि को जो नियम लाये, जिनको मैंने कोट किया उनको पहले संशोधित कर देना, उसके बाद आप उनको अलाट कर दोगे तो फिर यह कूड़ा-कचरा जाएगा कहां? सभापति महोदय, यह सोचने की बात है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज गांवों के अन्दर आपने घरों के पास में जो जगह है, जहां कूड़ा-करकट डालते हैं वह सारी अलाट कर दी, वहां रिहायश बन गई तो कूड़ा-कचरा कहां जाएगा? यह मुझे बता दो। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि 3200 रोज होते हैं और 16 लाख हैं, यह कूड़ा-कचरा है और यह जाएगा कहां?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आपने यही तो कहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह जो हमारी जनसंख्या है, यह जो हमारा नौजवान है वह हमारी असेट्स है, हमारा संसाधन है और मैं इस प्रकार की छोटी बात नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूं कि कूड़ाकचरे वाली जगह को आप लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 के सैक्शन 98 (2) में परन्तुक लाकर 96 में पैनल्टी लगाकर उसको रिहायश के लिए दे रहे हैं तो गांव का, शहर का कूड़ा-कचरा किस स्थल पर जाएगा? इसलिए मेरा सुझाव है कि आप गांव के अन्दर, शहरों के अन्दर जब नियमन करो तो उस माप का एक अलग से कोई न कोई कूड़ा-कचरा संग्रहण करने के लिए जगह तो दो वरना घर का कूड़ा-कचरा डालना मुश्किल हो जाएगा। (व्यवधान) यातायात मंत्री जी मेरी कालोनी में रहते हैं, लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है नाली में डालना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सारा अब मैकेनाइज्ड हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नाली में कूड़ा-कचरा डालना, घर के बाहर डालना जन्म सिद्ध अधिकार है। एक तरफ प्लास्टिक को बैन करने की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: इन सबकी मंशा यह है कि जल्दी घर चले जाएं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): ये तो घर पर तभी जाएंगे जब इनका खुद का टाइम होगा। जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये तो अपने हिसाब से जाएंगे। इनका टाइम फिक्स है, वह कभी रुकता ही नहीं, अपने हिसाब से जाएंगे खुद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप मान गये न? मेरे अनुशासन को मानते हो न? मेरी पंक्चुअलटी को मानते हो न? आप मेरे कायल हो न? ठीक है न तो फिर चुपचाप बैठो।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है उसको कोट करके अपनी बात खतम करता हूं और मैं चाहूंगा कि आफिसर गैलरी में बैठे लोग जो मैं कोट कर रहा हूं उसका जवाब भी दे दें। जगपाल सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब, 28 जनवरी, 2011 का फैसला है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जन-उपयोगार्थ के लिए रखी गई भूमि, तालाब, गांव के पशुओं के पीने की जगह, नहाने-धोने, कचरा संग्रहण, अनाज का, स्टोर का, पशुओं के लिए चिह्नित चरागाह, खलिहान, बच्चों के खेलने की जमीन, हाट, सारी जमीनों का लिखा है कि इत्यादि भूमि में किसी प्रकार से इसका रूप परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का ही अधिकार रहेगा। अगर इस भूमि पर किसी ने अधिग्रहण कर लिया तो उस स्थिति में किसी अन्य उद्देश्य के काम में नहीं ली जाएगी। यह फैसला मेरा नहीं है। मैं इसीलिए आगाह कर रहा हूं कि कल को ये मामले जब न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेंगे, हो सकता है, I may be wrong. I wanted to be wrong. यह सही नहीं कि मैं ही सही हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस उद्देश्य से लेकर आये हैं, मुझे कोई एतराज नहीं कि आप गांवों में 98 (2) के अन्दर अभियान चला दो। सभापति महोदय, इन दिनों सारे राजस्थान में जो रूटीन में पट्टे बनते हैं तो उनको भी पिछले डेढ़-दो महीनों से होल्ड पर रखा हुआ है। जेडीए में देख लो, नगर निगम में देख लो, आप अपने खुद के बीकानेर में देख लो। कह दिया कि होल्ड कर लो क्योंकि हम अभियान चलाएंगे तब घोषणा करेंगे कि देखो, इतने हजार पट्टे हमने एक दिन में बना दिए। इन थोथी बातों से कुछ होना नहीं है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): आपने पांच साल होल्ड किया।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): पांच साल नहीं, पूरा राजस्थान जानता है, एक पट्टा नहीं दिया पाँच साल में और आपने प्रशासन शहरों के संग अभियान और गांवों के संग अभियान ही नहीं चलाया। ये सब भलाई के काम आपने किये ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मेरी चुनौती है कि जब मैं पंचायती राज मंत्री था, हमने पट्टा वितरण अभियान चलाया, 9 लाख 65 हजार पट्टे राजस्थान के उन गरीबों को दिए हैं जो उनका अधिकार था। किस मुंह से ये बात करते हैं? इसलिए इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय। सभापति महोदय, एक बात हमारी भी मान लो, कर दो परिचालित, क्या फर्क पड़ता है। बाद में जनता का मत आ जाएगा तो वापस ले आएंगे।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी। आप कहां कूद रहे हो, आपके कौनसा बाड़ा है?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैंने तो नाम दे दिया था, आप दूसरा आगे वाला नाम दे देना।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार। श्री रामप्रताप कासनियां। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। इधर-उधर कुछ नहीं, सीधा-सीधा ही, बाड़ा रखना है या नहीं रखना है, बस इतना ही।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सीधा ही बोल रहा हूं साहब। सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 अधिनियम, 1956 को संशोधन करने के लिए (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 98 की उप धारा (2) एवं (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 261 में संशोधन के लिए लाया गया है। गांव, शहर में कूड़ा कचरा डालने के बारे में और मैं मेरे जिले की बात करता हूं कि हनुमानगढ़ जिले में न तो कोई कूड़ा डालने की ऐसी व्यवस्था है और न ही अश्वशाला है। सरकार प्रशासन शहरों की ओर अभियान चला रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में यदि सरकार दोनों जिले के किसानों को लाभ देती है तो लम्बे समय से आबंटनधारकों को 1955 व उसके बाद व्यक्तिश: अलाटमेंट, खातेदारी अधिकार दिलाते तो अच्छा होता। भूमि का खाता विभाजन, कस्टोडियन रकबे के खातेदारी अधिकार किसानों को मिलता तो अच्छा होता। 1955 से पूर्व व बाद में विशेष आबंटन की एक सूची बनाई थी और जो काश्तकार बहुत पुराने उसमें बैठे हुए थे, पटवारियों और गिरदावरों ने मिलकर वह सूची ऐसी व्यवस्था में डाल दी जिसके कारण से जमीन का कब्जा तो उस काश्तकार के पास है, परन्तु विशेष सूची में डालने के कारण चार गुणा अधिक राशि में आबंटित होती है। इसलिए ऐसे काश्तकारों को न्याय मिले ताकि वह जमीन उनको मूलरूप से जो पहले राशि थी उसमें अलाटमेंट हो।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

दूसरा, जो रेवेन्यू के अन्दर सबसे बड़ी हमारे बाधा आई है वह वारिस प्रमाण पत्र की आई है। सभापति महोदय, आपको भी पता है कि पहले यह अधिकार नगरपालिका और पंचायतों का था वारिस प्रमाण पत्र बनाने का पर आज यह कोर्टों के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जिसके कारण से 6 से 12 महीने लग जाते हैं और अनावश्यक रूप से धन की हानि भी होती है और समय पर उस आदमी का कार्यसिद्ध नहीं होता। मेरा आपसे निवेदन है और सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि पंचायतों और नगरपालिकाओं को वारिस प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया, उन लोगों को मृत्यु होने के बाद, उनके परिवार को वारिस प्रमाण पत्र के नाम पर उनकी जमीन वगैरह उनके नाम पर चढ़ जाए। आम रास्ता के वादों का निपटारा भी समय-सीमा बांधकर करना चाहिए। कृषि भूमि में आबादी बस गई है, ऐसी भूमि को भी इस धारा में लेकर भूमि अलाटमेंट में दी जाए। मैं इस बिल के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को 6 माह के लिए परिचालित किया जाए। जय भारत-जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021, सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 की उपधारा-2 में संशोधन कर यह जोड़ा गया है कि जिस व्यक्ति के पास धारा-98 के तहत बाड़े के लिए जमीन दी गई है, यदि तहसीलदार यह पाता है कि उस व्यक्ति ने उस भूमि को बाड़े के काम नहीं लेकर के मकान बना लिया है, ऐसे लोगों को जमीन की राशि लेकर और पैनल्टी लगाकर के पट्टे देने का प्रावधान किया है।

सभापति महोदय, आप जानते हो, हमारे दोनों जिलों के अन्दर कहीं भी न तो घोड़ों के तबेले के लिए भूमि आबंटन की हुई है न कोई बाड़ों के लिए, गोबर, कचरा इस तरह के नाम की व्याख्या करके एक भी गांव में पट्टा नहीं दिया गया है। यानी निवेदन करना चाहता हूं उनके द्वारा निशुल्क भूमि नहीं दी गई है। हां, यह जरूर है कि आबादी क्षेत्र के नजदीक रेवेन्यू में जमाबंदी के अन्दर, यह जरूर इंगित किया हुआ है कि यह भूमि मिट्टी खोदने के लिए अमुक-अमुक स्थान पर इतनी है। यानी, गांव का आदमी कोई ईंट बनाये, मिट्टी खोदे, जैसे हड्डारोडी है, श्मशान भूमि है, इस तरह की भूमि इंगित की

(श्री रामप्रताप कासनियां)

हुई है, वह भी जमाबंदी के अन्दर। ये बात कर रहे हैं कूड़ा, कचरा डालने के लिए पट्टा दिया या तो मैं इस चीज से अनभिज्ञ हूं, जानकार नहीं हूं। पर, हमारे जिले में मेरे देखने में कहीं भी नहीं है, उनकी नि:शुल्क भूमि दी हुई है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर संशोधन करना चाहती है और ऐसे लोगों को पट्टा देना चाहती है तो जहां ये व्यवस्था है, वहां कूड़ा, कचरा, चारा, गांव की गलियों में रखेंगे और गांव की गलियों में अतिक्रमण करेंगे, या कोई जोहड़ पायतन की भूमि है या कोई वन विभाग या नर्सरी की भूमि है, वहां पर कब्जे होंगे।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको वाकई में लोगों को राहत प्रदान करनी है तो आप कुछ जमींदार काश्तकारों के हित के प्रोविजन को लेकर आते इस बिल में, अभियान के माध्यम से आप खाता विभाजन का काम करते, रास्तों के प्रकरणों के लिए कोई प्रोविजन करते, इस बिल के अन्दर कहीं भी सभापति महोदय यह व्याख्या नहीं की है कि कितनी भूमि, कितने वर्ग फीट, मीटर आबंटन की जाएगी, पैनल्टी क्या होगी, राशि क्या वसूल करोगे।

सभापति महोदय, मुझे संदेह लग रहा है कि सरकार इस बिल के माध्यम से, विधान सभा के माध्यम से सारे पावर तो ले लिये और ये करेंगे वही जो इनकी मर्जी है। चाहे 1955 से पूर्व की भूमि है, चाहे बाद की है और मुझे यह भी संदेह है कि नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर, नगर परिषद् के अन्दर कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला, इस बिल के माध्यम से अवश्य होगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप तो इनके चक्कर में पड़ो ही मत।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं इन चक्करों में तो पड़ूं।

श्री सभापति: अपना तो जो बाड़ा बना रखा है, उसको रेगुलर करवाइये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): बाड़ा हमारे तो है ही नहीं। हमारे तो अवैध कब्जे हैं, नर्सरी में हैं और जोहड़-पायतन की भूमि और दूसरी आबादी की भूमि पर कब्जा है, पट्टे देने हैं तो उनके दें, फिर हमें कुछ लाभ मिलेगा अन्यथा, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले को इस संशोधन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि धाबलिया भेळो बूंदियो रंगीज

(श्री रामप्रताप कासनियां)

ज्य, अगर आपको करना ही है संशोधन तो यह करें कि जो काश्तकार आबंटन के पात्र हैं उनकी भूमि गजट में नोटिफिकेशन करके और विशेष आबंटन के लिए आरक्षित कर दी, जबकि वह व्यक्ति भूमि आबंटन करवाने का पात्र है और इसके अलावा एक काला कानून सभापति महोदय गांव के लोग किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्रस्थल इंतकाल करवाने के लिए कोर्ट में जाएं यानी मुंसिफ कोर्ट में जाकर के वारिसनामा तैयार करवाएं, वकील 5-5, 10-10 हजार रुपये फीस लेते हैं। अगर आपको संशोधन करना था तो यह करते कि ग्राम पंचायत को या तहसीलदार, पटवारी को अधिकार है, वारिस प्रमाण पत्र जारी करें, जांच करके, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करें या नगरपालिका के अन्दर चेयरमैन और पार्षद को यह पावर देते तो लोगों को भला होता।

सभापति महोदय, 6-6 महीने तक वारिस प्रमाण पत्र के लिए लोग भटक रहे हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप काश्तकारों के हितकारी बने हुए हो जबकि आपके टाइम में हमेशा ही काला कानून काश्तकारों पर लागू होता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अगर उसमें सुधार हुआ है तो मैं एक-एक बात बता सकता हूं, सन 1990 से 1998 तक हुए थे, 2003 से 2008 के बीच में हुए थे। एक नहीं, अनेक संशोधन करके काश्तकारों को राहत प्रदान की गई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वारिस प्रमाण पत्र वाले विषय पर अवश्य सोचें, पूरे राजस्थान के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है और इसमें काश्तकार की भयंकर लूट हो रही है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे भू-राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, इस विधेयक के तहत बाड़े और कचरे की जगह के पट्टे दिये जाएंगे, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं कुछ सुझाव देने

(श्री बलजीत यादव)

चाहता हूं, सरकार को। 1955 में जो रेवेन्यू एक्ट आया, 1955 में, 1956 में लाल डोरा आबादी के लिए निर्धारित किया गया। जो लाल डोरे में आ रही है, वही आबादी है। 1955 से लेकर आज तक कितनी सरकारें आईं, कितने बिल आए, जरा-जरा सी बात के लिए बिल आए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतने साल में यह बात किसी के भी ध्यान में क्यों नहीं आई कि क्या 1955 से लेकर अब तक आबादी का विस्तार नहीं हुआ। पहले गांव की जितनी आबादी थी, उससे कितनी ज्यादा आबादी बढ़ गई है, लोग कृषि भूमि पर मकान बनाकर रहने लगे हैं, अलग-अलग कुओं पर ढाणियां बस गई हैं, लेकिन उन किसानों को मकानों का पट्टा नहीं मिलता और इस कारण वे न तो बैंक से लोन ले पाते हैं, न दूसरी बहुत-सी सुविधाएं हैं, उनको मिल पाती हैं, अच्छा होता सरकार बिल में यह लेकर के आती कि हम इसका आबादी का सर्वे करवाकर उसके हिसाब से लाल डोरे का विस्तार करेंगे तो सही मायने में बहुत अच्छे से किसानों को लाभ मिल पाता। सरकार ने तय किया हुआ है कि किसान अपनी कृषि भूमि का 1/50 या अधिकतम 500 गज भूमि में मकान बना सकता है। हम उसको मकान बनाने की अनुमति देते हैं, उसको रहने की अनुमति देते हैं, लेकिन उसको आबादी का पट्टा नहीं दिया जाएगा। 2015 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्दर एक सैक्शन-61ए जोड़ा गया, उसके तहत पुश्तैनी मकान की जमीन कितनी भी हो चाहे 5,000 गज हो 10,000 गज हो या इससे ज्यादा हो, अधिकतम जितनी भी भूमि हो 2 लाख रुपये दे करके आप उसका पट्टा ले सकते हैं। गांव में प्रशासन गांवों के संग चला, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने पट्टे दिए, हां दिए। आपने निर्धारित किया कि 300 गज से ज्यादा का पट्टा नहीं देंगे और किसी की अगर जमीन ज्यादा है, 2,000 गज में मकान है तो फिर या तो वह पंचायत से मिलकर फर्जीवाड़ा करे, कुछ मिलीभगत करके अलग-अलग नाम से ले। उसके अन्दर वही भ्रष्टाचार पनपता है और फर्जीवाड़ा पनपता है तो क्यों नहीं सरकार यह करती इस बिल में कि जैसे शहरी क्षेत्र में 61ए के तहत पुश्तैनी जो भी मकान है वह कितना भी बड़ा है, उसका पट्टा दे रही है तो गांव के अन्दर भी ऐसा तय होता कि गांव के अन्दर किसी का कितना भी बड़ा मकान हो, उसका पट्टा दिया जाएगा। चूंकि ग्रामीण मैटर है, किसान गरीब है, मजदूर का मकान है आप तय कर देते कि अधिकतम 5,000 रुपये आप जमा करा दीजिए और अपना पट्टा जितनी भी पुश्तैनी आपकी जमीन है आप ले

(श्री बलजीत यादव)

लीजिए तो मैं समझता हूं कि सही मायने में लोगों को लाभ मिलता, लोगों को राहत मिलती लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कोई भी सरकार उस किसान की, मजदूर की, गरीब की पीड़ा को समझ नहीं पा रही है। ऐसी कौनसी मजबूरी है कि किसी भी सरकार को यह बात समझ नहीं आ रही है कि 1955 से लेकर अब तक आबादी में कितना इजाफा हो गया, कितने ज्यादा मकान कृषि भूमि में बन गए। इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूं सरकार से भी कि इस बिल को वापस जनमत जानने के लिए भेजें और इस बात को एड करें कि इस लाल डोरे का विस्तार होगा या फिर अलग से भी लेकर आएं। राजस्थान की जनता ने जब आपको चुना तो निश्चित रूप से यह मानकर चुना होगा कि आप पहले वाली सरकार से ज्यादा जनहित के काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप इसमें ठोस निर्णय लेते कुछ लगेगा नहीं। आबादी बसी हुई है सरकार का कोई नुकसान नहीं, सरकार को कोई बजट नहीं देना है। ईवन सरकार को फायदा होगा तो ऐसा करने में जा क्या रहा है सरकार का। यह समझ से परे है और बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): जब राजस्व पर यह बिल आ रहा था तो मुझे बहुत से लोगों के किसानों, मजदूरों के फोन आये कि ये बिल के बारे में पता लगा, बहुत से लोगों ने पूछा कि यह लाल डोरे के बारे में कोई बिल क्यों नहीं आता है। यह ढाणियां बस गईं उनके बारे में, आबादी हो गई उनके बारे में कोई निर्णय क्यों नहीं होता है। यह जानना चाहती है राजस्थान की जनता सरकार से। जानना चाहती है राजस्थान की जनता विपक्ष से कि आप भी नहीं लेकर आये और आप भी नहीं लेकर आये, आखिर मजबूरी क्या है। यह जानना चाहती है। मैं आशा रखता हूं सरकार इसके ऊपर विचार करेगी और इस लाल डोरे का दोबारा से इसका निर्धारण किया जाएगा। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल (अनुपस्थित), श्री गुरदीप सिंह (अनुपस्थित), श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित), श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद सभापति महोदय, आज राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा हो रही है। आज अभी सरकार बड़े पैमाने पर प्लानिंग कर रही है कि 2 अक्टूबर से जो लोग लम्बे समय से पट्टों से वंचित थे उन्हें पट्टा दिया जाए और अभी इस सदन में

(श्री राजकुमार रोत)

हम एक संशोधन ला रहे हैं कि जिन लोगों के पहले कूड़ा-कचरा, बाड़ा, खलिहान जो आबंटित हैं उनको गैर खातेदारी हक दिया जाए। आज कई लोगों को यह भी नहीं पता है कि हम लोग जिस तरीके से रह रहे हैं जहां पर हमारा मकान है इसमें जो कृषि भूमि है उस पर जो बाड़ा है, खलिहान है या कूड़े-कचरे का जो है लेकिन जो चरागाह भूमि पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं वहां पर उनका बाड़ा भी है, खलिहान भी है और कूड़े-कचरे के लिए भी व्यवस्था है। आज एक छोटा-सा संशोधन ला रहे हैं। जनता क्या चाहती है, निचले लेवल पर गांव में क्या समस्या है उस समस्या को जानना था और समस्या को जानने के साथ हमें ऐसा बिल लाना चाहिए था कि जिससे निचले लेवल पर ग्रामीण लेवल पर जो समस्या है उसका समाधान हो। इस बिल में मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि हमारा जो डूंगरपुर जिला है उसमें भी मास्टर प्लान में जो पेरीफेरी वाला इलाका है उस इलाके के अन्दर जो लोग रह रहे हैं और उनके जो बाड़ा है, उनके जो खलिहान है उनको किस तरह से पट्टा दिया जाएगा। आज हम कूड़ा-कचरा है, खलिहान है, बाड़े हैं उनके लिए पट्टा देने की बात कर रहे हैं, उनको आबंटन करने की बात कर रहे हैं लेकिन उनके घर बने हुए हैं। आज नगर परिषद् इस तरह से परेशान करती है कि उनका घर का एक कोना भी निर्माण करना है दूसरे साइड तो उनको निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है तो, माननीय सभापति महोदय, इस बिल का हम स्वागत करते हैं लेकिन हम यह भी चाहेंगे कि सरकार जो 2 अक्टूबर से अभियान चला रही है तो इसमें ग्रामीण इलाके में जो चरागाह भूमि पर बिलानाम भूमि पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी यह जो मकान के पट्टे हैं, उनके भी जो खेत खलिहान हैं, उनका भी प्रावधान किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह जनता की भावना जानने के लिए और जनता में एक जन जागरण फैले, यह बिल एक बार पहुंचाया जाए और जनता इसमें क्या सुधार चाहती है, उनकी क्या समस्या है तो तीन माह के लिए यह बिल जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा (अनुपस्थित), श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 में सरकार 1956 के राजस्थान अधिनियम सं.-15 की धारा 98 (2) में एक परन्तुक लेकर आई है, 'परन्तु उप धारा (1) के

(श्री बिहारीलाल)

अधीन अनुदत्त भूमि के पुनर्गृहीत किये जाने पर राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के पद का न हो, यह पाता है कि इस धारा या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन ऐसी प्रकृति का है जिससे कि वह भूमि, निवासीय प्रयोजन के सिवाय, अनुपयोगी हो गयी है तो वह, ऐसी भूमि को, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, धारा-96 के अधीन उसके लिए नियत की गई दर पर प्रीमियम का संदाय किये जाने पर और शास्ति, जो विहित की जाये, का संदाय किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को, जिसे यह अनुदत्त की गयी है, आबंटित कर सकेगा।'

माननीय सभापति जी, उक्त संशोधन कतई उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि तहसीलदार राज्य सरकार से अनुमति लेकर आबंटित करेगा ऐसा इसमें कहा है। तहसीलदार केवल जिला कलेक्टर के मार्फत ही राज्य सरकार को यह सारे कागजात भेजेगा और राज्य सरकार के स्तर पर इतना ज्यादा काम का बोझ हो जाएगा कि यह जो सारी बातें जनता का भला और जो इन्होंने सोचा है ऐसा हो ही नहीं पाएगा इसलिए इसमें कलेक्टर के स्तर तक ही अनुमोदन की बात हो, कलेक्टर के स्तर पर ही निस्तारण की बात हो तो ज्यादा उचित रहती। फिर भी सरकार यह संशोधन पास करना चाहती है तो तहसीलदार शब्द के साथ उप तहसील क्षेत्र के नायब तहसीलदार या उप तहसीलदार को भी इसमें जोड़ दिया जाना चाहिए, उनको क्यों वंचित रखा जाए और माननीय सभापति जी, यह कूड़ा-करकट रखने वाले स्थानों का पट्टा दिया जाएगा, आबंटन किया जाएगा इन बातों से तो अच्छा है कि प्रशासन गांव के संग अभियान आप चलाने जा रहे हो और लैंड रेवेन्यू एक्ट कब का बना हुआ है उसकी अव्यावहारिक धाराओं में व्यापक तौर पर संशोधन हो और उस पूरे कानून को दोबारा नये सिरे से बनाया जाए, इसके लिए कम से कम सरकार को, अधिकारियों को बैठकर हाई लेवल कमेटी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर उसका निस्तारण पूरे बिल को ही पूरे संशोधन को ही नये सिरे से लाना चाहिए, कानून को ही नये सिरे से परिभाषित करना चाहिए। यह व्यावहारिक बात राजस्थान की जनता के हित की होगी। माननीय मंत्री जी ने जो यह बिल पेश किया है वह मेरे पड़ोस से आते हैं, मेरे बीकानेर जिले में पांचू मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ा गांव है बीकानेर का। अभी लाल डोरे की बात साथी ने की। नौजवान साथी जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं उन्होंने भी आबादी

(श्री बिहारीलाल)

क्षेत्र में पट्टे देने की बात की। माननीय सभापति जी, पांचू अपनी बसावट के बाद 25 गुना बढ़ गया होगा।

(18.00 बजे)

आबादी दिन रात बढ़ रही है लेकिन आबादी भूमि नहीं बढ़ रही। लोग नये-नये घर बना रहे हैं। कोई गोचर में बस रहा है, कोई जोहड़ पायतन में बस रहा है, कोई सिवायचक में बस रहा है लेकिन उनका क्या समाधान होगा, इसके लिये क्या संशोधन लेकर आये हैं? प्रशासन गांवों के संग आएगा तो किस तरह पट्टे दिये जायेंगे? जो लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, उनका भला कैसे होगा? इन बातों के लिये कोई संशोधन लेकर आये हैं या कोई प्रस्ताव सरकार का है तो वह निश्चित तौर पर सदन के सामने आना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, एक उदाहरण देना चाहूंगा साठी का गांव है मां करणी का ससुराल, वह भी माननीय मंत्री जी के पड़ोस में बार्डर का गांव है, हमारी दोनों विधान सभाओं में वहां छोटा-सा गांव है, सवा सौ घर मात्र इसलिए तोड़ दिये गये कि कोई गोचर या आबादी भूमि से बाहर बस गये, 50 घर दलित परिवारों के और 50 घर हमारे ओबीसी के साथियों के, ऐसे घरों को जमींदोज कर दिया गया। आज तक उनको तीन साल से ऊपर की अवधि हो गई, सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं। सारे आंदोलन, धरना-प्रदर्शन करके देख लिये। आबादी विस्तार के लिये क्या करने जा रहे हैं, किस तरह इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और किस तरह प्रशासन गांवों के संग अभियान को आप सफल बनायेंगे, उसकी कोई कार्ययोजना, उसके लिये लैंड रेवेन्यू एक्ट में कोई संशोधन आप लाते तो निश्चित तौर पर बात होती। मैं दुबारा आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि इस एक्ट को आमूलचूल बदलने के लिए, इसकी अव्यावहारिक धाराओं को प्रेक्टिकल बनाने के लिये, राजस्थान की जनता के भले के लिये पूरा बिल ही नये सिरे से लेकर आना चाहिये। बहुत-बहुत धन्यवाद, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की बात करता हूं।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि (अनुपस्थित), श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपने राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार

(श्री फूल सिंह मीणा)

को बाड़े, गुआड़ों में पट्टा देने का जो संशोधन बिल लाए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। मगर सभापति महोदय, इस बिल में सरकारी योजना से वह गरीब कोई मकान बनाना चाहता है या कैटल शैड बनाना चाहता है, उसको भी जोड़ दिया होता तो आज बहुत सारे गरीब, बीपीएल परिवार जो मकान से वंचित हैं, उसको अगर मकान मिला है तो उसको कहते हैं कि आपके खाते की जमीन लाओ, उसके खाते की जमीन से वह उसको दे देता है तो उसके पास बचती क्या है? कुछ बिस्वा जमीन उनके पास कमाने के लिए और पहाड़ी एरिया में केवल एक फसल होती है, उसको मकान के लिये भी इसमें जोड़कर पट्टा देने का प्रावधान रखते तो मैं सरकार का और धन्यवाद देता।

सभापति महोदय, गरीब लोग जो मवेशी रखते हैं, उदयपुर की झीलें भरने के लिए कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया में पानी है, कुछ नजदीक के गांवों में खूब मवेशी हैं मगर मृत पशु को डालने के लिए कोई जगह नहीं है। मवेशी मर जाता है तो उसको नदी में डालते हैं। वहां नंदी सीसारमा नदी है, उससे हमारा पूरा का पूरा उदयपुर पानी पीता है। वह मृत पशु नदी में डालते हैं और उसका पानी पूरा उदयपुर पीता है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता चाहता हूं कि मृत पशु के लिए भी कोई ऐसी जमीन चिह्नित करें या उन मवेशियों को उठाकर कहीं अन्यत्र जगह डलवाने की व्यवस्था करें नहीं तो हमारा शुद्ध पेयजल जो ठेठ आकोदड़ा से लेकर हमारा अलसीगढ़ डैम और हमारा मानसी वाकल का पानी आता है, उसको वह प्रदूषित करता है, उसके लिये कोई न कोई स्थान चिह्नित करके उनको पट्टा देने की व्यवस्था करें ताकि शुद्ध पानी मिले। सभापति महोदय, ज्यादा नहीं बोलकर सरकार इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन के माध्यम से राजस्व अधिकारी व तहसीलदार को अनुपयोगी भूमि को निवासीय प्रयोजन के लिये नियमित किये जाने का प्रावधान है। यह राजस्व अधिकारी को दिया जा रहा है और इस आबंटन में जुर्माना लगाकर नियमित करेंगे। माननीय सभापति महोदय, गांव-गांव में अभी तक मास्टर प्लान सुनियोजित विकास के लिए

(श्रीमती संतोष)

नहीं बने हुए हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम के आवासीय पट्टे जारी होते हैं। गांव के सीमांकन में आवासीय भूमि सुनियोजित नहीं है। ऐसी स्थिति में जुर्माने के आधार पर आबंटन किया जायेगा या जिसके कब्जे में यह मकान के बाहर अनुपयोगी जमीन है, उसके नियमितीकरण से गांव-गांव में द्वेष की भावना बढ़ेगी और उससे अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी होगी। इसके लिये जनमत तैयार किया जाये और कानून में संशोधन से पूर्व ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाये।

सभापति महोदय, भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक की जिन ग्राम पंचायतों व मंडियों में कालोनियां बस गई हैं और 30-35 वर्षों से काबिज हैं और पट्टे जारी करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। जैसे मेरे क्षेत्र की मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत रावलामंडी 8 पीएसडी, 2 एमएलडी, 3 एसडीआर, नई मंडी घड़साना और साथ ही गांव 10 1 एनडब्ल्यूएम, 2 एलएम, 2 एसडीआर, 9 एनडी और 3, आदि गांवों के लोगों को उनका अधिकार मिले, उनके पट्टे जारी किये जाएं ताकि वहां का सुनियोजित विकास हो सके।

साथ ही, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि अगर संशोधन करना है जोहड़ पायतन, वन भूमि, गोचर भूमि पर काफी वर्षों से बसे लोगों को पट्टे देने का काम करें जिससे लोगों को मूलभूत सुविधा मिल सके, लोगों का भला हो सके। साथ ही वारिस प्रमाण पत्र के लिए लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि वारिस प्रमाण पत्र का अधिकार ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को दिया जाये ताकि लोगों को लाभ मिले।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि जो बाड़े के लिए भूमि निशुल्क दी जा रही है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां हड्डारोडी के लिये जमीन नहीं है। इस प्रकार का कोई संशोधन करके हड्डारोडी के लिए जमीन नि:शुल्क दी जाये। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजा जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित), श्री रामलाल (अनुपस्थित), श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित), श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित), श्री गुलाब चन्द कटारिया (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए), श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित), श्री अविनाश (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री जी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के तहत घर का कूड़ा कचरा इत्यादि डालने और चारे के संग्रह के लिए भूमि दिये जाने का प्रावधान है। सभापति महोदय, धारा 98 के अंतर्गत बाड़े हेतु दी गई भूमियों पर पक्का निर्माण कर आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग में आगे कालांतर में ले लिया गया। एक ओर तो शर्तों का उल्लंघन होने से उक्त प्रावधान अंतर्गत पुनर्गृहीत किये जाने योग्य हो जाती है, दूसरी ओर बाड़े की भूमियों पर लोगों द्वारा उक्त निर्माण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि की अनुपलब्धता एवं परिवारों में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी इत्यादि के कारण किये जा रहे हैं। साथ ही बाड़े हेतु दी गई भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग भी हो रहा है। परन्तु उक्त व्यक्तियों का संपातिक अधिकार इन पर नहीं होता है। इस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा भूमि दिये जाने के लिये राजस्थान भू-राजस्व संग्रहण स्थलों हेतु भूमि आबंटन नियम, 1961 जारी किये हुए हैं। उक्त नियमों के नियम 3 में नियमों का कार्यक्षेत्र दिया गया है जिसके तहत किसी गांव में स्थित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 (1) के परंतुक में उल्लिखित किसी नदी, घाटी परियोजना क्षेत्रों, अधिनियम 1955 की धारा 15 (क) में उल्लिखित राजस्थान नहर क्षेत्र अथवा शहर अथवा कस्बे की भूमियों को छोड़कर उक्त प्रयोजन हेतु भूमि दी जा सकती है। नियम 4 में आबंटित की जाने वाली भूमि की किस्म व क्षेत्रफल का भी प्रावधान है, जिसके तहत अधिकतम 500 वर्ग गज तक का ही आबंटन किया जा सकता है एवं इस नियम के तहत ऐसी श्रेणियों का भूमि का अंकन है जिनका आबंटन नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस बिल पर सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दिये और अपने विचार भी व्यक्त किये और राजस्व से संबंधित काफी सुझाव और भी दिये गये हैं। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पूर्व के नियमों में कचरा संग्रहण के लिए, जिसमें कि किसान के खेत की घास होती है या फसल से संबंधित कोई भी सामग्री होती है या पूरे साल भर का कोई स्टोर वह करता है तो उसके लिए इन नियमों के तहत बाड़े राजस्व अधिकारियों के द्वारा आबंटित किये गये हैं। इस भूमि की एक निर्धारित माप भी है। इसके लिए जो निर्धारित उपयोग है कि ये बाड़े जिन उपयोगों के लिए आबंटित किये गये हैं, वही स्वरूप रहना चाहिए, अन्य उपयोग करने पर इसमें आबंटन निरस्त किये

(श्री भंवर सिंह भाटी)

जाने का प्रावधान वर्तमान नियमों में है। सभापति महोदय, इसमें हस्तान्तरण का प्रावधान नहीं रखा गया था और समय व्यतीत होने के साथ-साथ हमारे प्रदेश में जनसंख्या भी बढ़ी और परिवार बढ़े। ये बाड़े जिस उपयोग के लिए आबंटित किये गये थे, परिवार बढ़ने की वजह से लोगों ने कच्चे मकान उनमें बना लिये। सभापति महोदय, इसका स्वरूप चेंज होने की वजह से, मकान बनाये जाने का प्रावधान इनके आबंटन के समय नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में ये आबंटन निरस्त होने की श्रेणी में भी आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इससे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। जो जन कल्याणकारी सरकार की मंशा है। हमारे माननीय सदस्यों ने जो प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया जाएगा, उसके बारे में भी विचार व्यक्त किये हैं। निश्चित रूप से हमेशा, प्रशासन गांवों के संग हो, चाहे प्रशासन शहरों के संग अभियान रहा हो, बड़ी संख्या में शहरों और गांवों में पट्टे देने का काम हमारी सरकार द्वारा पूर्व में जब भी सरकार रही है, पट्टे देने का कार्य किया गया है।

मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को बेदखल नहीं किया जाए और उनको पूरा आवासीय अधिकार दिया जाए, इस सोच के साथ कानून में संशोधन करके ऐसे लोगों को आवासीय आबंटन करने की सोच के साथ यह नियमों में संशोधन किया गया है। इसमें माननीय राठौड़ साहब ने जिस प्रकार से बताया, उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि विधेयक पास होने के बाद में नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे। आबंटन के जो नियम हैं, उसमें कितनी राशि रखी जाएगी, उसमें क्या प्रावधान किया जाएगा? न्यायालय के निर्णय से प्रभावित भूमियों तथा अन्य प्रतिबंधित भूमियों का आबंटन नहीं किया जाएगा जैसे जोहड़-पायतन है, चरागाह आदि है।

(18.13 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से बताया कि कितनी भूमि दी जाएगी, उसका उल्लेख नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1961 में नियम 4(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम 500 स्क्वायर यार्ड भूमि का ही आबंटन किया जा सकता है। श्री बलजीत यादव जी ने जिस प्रकार से आबादी विस्तार के बारे में कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना

(श्री भंवर सिंह भाटी)

चाहूंगा आबादी विस्तार के लिए section 92 of the Rajasthan Revenue Act के तहत land set apart की जाती है तथा धारा 102 के तहत राज्य सरकार द्वारा पंचायतों और निकायों को अंतरित की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरे सदन से यह निवेदन रहेगा कि पूर्व के वर्षों में जब से यह बाड़ों के आबंटन का नियम बना है तो पूरे प्रदेश में ऐसे लाखों लोग हैं, जिनके नाम से बाड़े आबंटित हैं। जनसंख्या विस्तार और परिवार विस्तार के साथ-साथ इन बाड़ों का आवासीय उपयोग हो गया। ऐसी स्थिति में पुन: नियमों में संशोधित करके आवासीय के रूप में आबंटित करने की सरकार की मंशा है। लोगों को स्थायित्व देने के लिए और लोगों को बेदखल नहीं किया जाए, इसके लिए हम पूरे नियम बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान के सभी लोगों को इससे लाभ होगा। मैं यही कहना चाहूंगा और उसके साथ-साथ मेरा यही निवेदन है कि पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव दिये हैं, उस पर भी निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में किसानों को और आम आदमी को रेवेन्यू के तहत जितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जाए। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूराजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई बोलना चाहता है? श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टीएसपी क्षेत्र से आता हूं और जनजाति बहुल क्षेत्र से आता हूं। आप भी भलीभांति जानते हैं कि वागड़ में टीएसपी क्षेत्र के आदिवासियों की क्या स्थिति है? सर, मैं पहले भी विधान सभा में दो-तीन बार मांग कर चुका हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के पैरीफैरी क्षेत्र में जो लोग वर्षों से बैठे हुए हैं, उनको भूमि आबंटित की जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिल पर बोलें। यह बिल का स्कोप नहीं हैं। आप बैठें। माननीय मंत्री जी, क्या आपने प्रस्ताव रख दिया?

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

अध्यक्ष द्‌वारा सम्बोधन

षष्ठ सत्र के कार्यों का लेखा-जोखा

सत्र समीक्षा-

मुझे इस सदन को पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र के वृत्तांत के बारे में जानकारी देनी है। पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा का छठा सत्र जो दिनांक 10 फरवरी, 2021 को प्रारम्भ हुआ था, आज दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रहा है। इस सत्र में कुल 26 बैठकें हुईं। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज दिनांक 18 सितम्बर, 2021 तक की कार्यवाही समाप्त होने तक लगभग 186 घंटे 46 मिनट विधान सभा की कार्यवाही चली।

प्रश्न

इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 8763 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 3941 एवं आतारांकित प्रश्न 4822 हैं। कुल 447 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 290 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये। इसी तरह 470 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

प्रक्रिया के नियम-50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-50 के अंतर्गत 405 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से 125 स्थगन प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया तथा 116 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे।

प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत प्राप्त 362 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 310 विशेष उल्लेख की सूचनाएं सदन में पढ़ी गईं/पढ़ी हुई मानी गईं तथा राज्य सरकार से 162 सूचनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। विशेष उल्लेख की 52 सूचनाएं माननीय सदस्यों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण व्यपगत हुईं।

प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत 890 प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिए 886 प्रस्ताव प्रेषित किये गये, जिनमें से राज्य सरकार से 516 प्रस्तावों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं। सदन में

(श्री अध्यक्ष)

संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु कुल 23 प्रस्ताव कार्य-सूची में सूचीबद्ध किये गये। कुल 04 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अग्राह्य किये गये।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2021 को सदन में अपना अभिभाषण दिया गया, जिस पर सदन में 4 दिन चर्चा हुई, जिसमें 69 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 15 फरवरी, 2021 को अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद का माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-2022 पर सामान्य वाद-विवाद एवं अनुदानों की मांगों पर विचार

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-2022 दिनांक 24 फरवरी, 2021 को सदन में उपस्थापित किया गया, जिस पर 4 दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ, जिसमें 84 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 04 मार्च, 2021 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आय-व्ययक पर हुए वाद-विवाद का राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया।

विभिन्न विभागों से संबंधित 11 अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा हेतु 8 दिवस नियत किये गये। अनुदान की मांगों पर 2682 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें से 1929 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये एवं 753 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य किये गये। अनुदानों की मांगों पर विभिन्न दिवसों को हुई चर्चा में कुल 272 सदस्यों ने भाग लिया।

विधायी कार्य

वर्तमान सत्र में कुल 17 विधेयक पुर:स्थापित किये जाकर, गत सत्र में पुर:स्थापित हुए विधेयकों को सम्मिलित करते हुए कुल 20 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये। विधेयकों पर माननीय सदस्यों से कुल 362 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 30 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य एवं 332 संशोधन स्वीकार किये गये।

याचिकाएं

सदन में 09 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गईं।

(श्री अध्यक्ष)

विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थान

सत्र में विभिन्न समितियों के कुल 41 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये।

आखिर में मैं सभी राजनैतिक दलों के नेतागण व समस्त माननीय सदस्यों को उनके द्वारा सदन के कार्य संचालन में उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं सभापति तालिका के सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी, नेता प्रतिपक्ष एवं उपनेता प्रतिपक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक एवं सरकारी उप मुख्य सचेतक, सचेतक, भारतीय जनता पार्टी का उनके द्वारा सदन के कार्य संचालन में दिये गये सहयोग के लिए अत्यन्त आभारी हूं। इस अवसर पर मैं विधान सभा के अधिकारियों, कर्मचारियों को उनके द्वारा सत्र कार्य में दिये गये सहयोग एवं पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सत्र के दौरान उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के लिये धन्यवाद देना चहूंगा। इसके साथ ही सभा की कार्यवाही के संचालन में राज्य सरकार के समस्त विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सहायता के लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से मीडियाकर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सब की तरफ से क्योंकि आज माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र प्राप्त हुआ, स्वास्थ्य के कारण वह हमारे बीच में नहीं आ सके।

प्रस्ताव

सदन मुख्य मंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है

इसलिए मैं आप सभी की भावना अभिव्यक्त करते हुए, मैं यह प्रस्ताव के रूप में रखता हूं। माननीय सदस्यगण, यह सदन माननीय मुख्य मंत्री महोदय के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है, यह मैं आप सब की तरफ से प्रस्ताव करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय-जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.25 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)